सत्यमेव जयते

# संसदीय राजभाषा समिति

## समिति के प्रतिवेदन के पहले नौ खंडों पर किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन

# COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

## COMPILATION OF ORDERS OF THE PRESIDENT ON THE FIRST NINE PARTS OF THE REPORTS OF THE COMMITTEE

## विषय सूची
## Contents


| | | पृष्ठ<br>Page |
|---|---|---|
| 1 | संसदीय राजभाषा समिति की प्रस्तावना<br>Committee of Parliament on Official Language - Preface | (i) |
| 2 | संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के प्रथम खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश<br>Presidential Orders on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the First Part of its Report | 1 |
| 3 | संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के दूसरे खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश<br>Presidential Orders on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the Second Part of its Report | 10 |
| 4 | संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के तीसरे खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश<br>Presidential Orders on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the Third Part of its Report. | 17 |
| 5 | संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के चौथे खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश<br>Presidential Orders on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the Fourth Part of its Report. | 25 |
| 6 | संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पांचवें खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश<br>Presidential Orders on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the Fifth Part of its Report. | 31 |
| 7 | संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के छठे खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश<br>Presidential Orders on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the Sixth Part of its Report. | 35 |
| 8 | संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के सातवें खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश<br>Presidential Orders on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the Seventh Part of its Report. | 48 |
| 9 | संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आठवें खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश<br>Presidential Orders on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the Eighth Part of its Report. | 58 |
| 10 | संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के नवें खडं में की नई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश<br>Presidential orders on the recommendations made by the committee of Parliament on Official Language in the Ninth part of its reports. | 91 |

## COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

# PREFACE

The Committee of Parliament on Official Language has been constituted in 1976 under Section 4 of the Official Language Act, 1963. The relevant extracts of Section 4 of the said Act are reproduced as under:

(1) After the expiration of ten years from the date on which Section 3 comes into force, there shall be constituted a Committee on Official Language, on a resolution to the effect being moved in either House of Parliament with the previous sanction of the President and passed by both Houses.

(2) The Committee shall consist of thirty members of whom twenty shall be members of the House of the People and ten shall be members of the Council of States to be elected respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(3) It shall be the duty of the Committee to review the progress made in the use of Hindi for the Official purpose of the Union and submit a report to the President making recommendations thereon and the President shall cause the report to be laid before each House of Parliament and sent to all the State Governments.

(4) The President may, after consideration of the report referred to in Sub-section (3) and the views, if any, expressed by the State Government thereon, issue directions in accordance with the whole or any part of that report.

Provided that the directions so issued shall not be inconsistent with the provisions of Section 3."

Keeping in view the necd of detailed review of the various aspects of the Official Language policy, the Committee decided to present its report in parts. The first part of the Report of the Committee regarding translation arrangements in the offices of Central Government, evolution and use of terminological glossaries, appointment of competent and suitable officers for translation work, their training and refresher courses therefore, arrangements for direct translation into Hindi of the day to day scientific achievements available in the languages of the developed countries, Hindi translation of the Codes, manuals, forms and procedural literature and training material of the various Ministries Departments and Undertakings etc. of the Govt. of India was submitted to the President in January, 1987. The second part of the Report regarding necessity and utility of mechanical aids in the Official work, making available the facility of Devanagari script therein, availability and training of the personnel employed thereon and the manufacturing and supply of various equipments etc. was submitted to the President in July, 1987. The third part of the Report of the Committee regarding Hindi teaching of the Employees of the Central Government and their training through the medium of Hindi, the incentive and grant-in-aid being given to the voluntary organisations/institutions engaged in Hindi teaching work, correspondence course for Hindi teaching, broadcasting/telecasting the Hindi lessons through All India Radio Doordarshan, facilities of Hindi leaching in the educational institutions in all over the country, implementation of three language formula, option for Hindi in the interviews for recruitment, option of Hindi medium in recruitment and entrance examinations of Agriculture, Engineering and Medical Sciences etc. was submitted to the President in February, 1989. The fourth part of the Report relating to the position of the use of Official Language Hindi in the Government Offices and Undertakings etc. in various parts of the country on the basis of inspections made by the Sub-Committees of the Committee, was submitted to the President in November, 1989. The Committee has submitted to the President in March, 1992, its fifth part of the Report which relates to the language of the legislation and the language to be used in the various courts of justice and tribunals. The sixth part of the Report was submitted to the President in November, 1997 which relates to use of Hindi in the offices of the Union Govt., use of Hindi in the correspondence between the Union and State Govts. and Union and Union Territories, usage of their Official Languages between States and Union Territories and use of Hindi in the Offices of the Central Govt. located abroad.

# संसदीय राजभाषा समिति

## प्रस्तावना

संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। अधिनियम की धारा 4 के संगत उद्धरण इस प्रकार हैं :

"(1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राजभाषा के संबंध में एक समिति इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।

(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमश: लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।

(4) राष्ट्रपति उप धारा 3 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा।

परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।"

राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समीक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपना प्रतिवेदन खण्डों में प्रस्तुत करने का निश्चय किया था। केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में अनुवाद व्यवस्था, हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण तथा उपयोग, अनुवाद कार्य के लिए सक्षम उपयुक्त अधिकारियों को नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, विकसित देशों की भाषाओं में नित नये उपलब्ध होने वाले अद्यतन ज्ञान-विज्ञान के हिंदी में सीधे अनुवाद की व्यवस्था, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उपक्रमों आदि के कोड, मेनुअलों, फार्मा और प्रक्रिया साहित्य तथा प्रशिक्षण साहित्य के हिंदी अनुवाद के बारे में समिति के प्रतिवेदन का पहला खण्ड राष्ट्रपति जी को जनवरी, 1987 में प्रस्तुत किया गया। कार्यालयीय कामकाज में यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता और उपयोगिता तथा उनमें देवनागरी लिपि में कार्य करने की व्यवस्था, उन पर कार्यरत कार्मिक शक्ति की उपलब्धता तथा प्रशिक्षण और विभिन्न उपकरणों के सम्बन्ध में उत्पादन एवं संभरण व्यवस्था आदि सम्बन्धी दूसरा खण्ड राष्ट्रपति जी को जुलाई, 1987 में प्रस्तुत किया गया। समिति के प्रतिवेदन का तीसरा खण्ड, जो कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हिंदी शिक्षण और उनके हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण, हिंदी शिक्षण का कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान तथा प्रोत्साहन, हिंदी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम, आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा हिंदी पाठों का प्रसारण, देश के सभी भागों में शिक्षा संस्थानों में हिंदी पढ़ाने की सुविधाएं, त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन, भर्ती के लिए साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प, कृषि, इंजीनियरी तथा आयुर्विज्ञान की भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प आदि विषयों से संबंधित है, राष्ट्रपति जी को फरवरी, 1989 में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन का चौथा खण्ड राष्ट्रपति जी को नवम्बर, 1989 में प्रस्तुत किया गया। जो कि समिति की उपसमितियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर देश के विभिन्न भागों में सरकारी कार्यलयों और उपक्रमों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति से संबंधित है। विधायन का भाषा तथा विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित प्रतिवेदन का पांचवा खण्ड राष्ट्रपति जी को मार्च, 1992 में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन का छठा खण्ड नवम्बर, 1997 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया मया, जो कि संघ सरकार के कार्यालयों में हिदी के प्रयोग, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच और संघ तथा राज्य क्षेत्रों के बीच पत्राचार में हिंदी के प्रयोग और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परस्पर पत्र व्यवहार में उनकी राजभाषाओं के प्रयोग व विदेशों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित है।

On 3rd May, 2002 the Committee of Parliament on Official Language submitted the 7th part of its report to the Hon'ble President. The Seventh part of the Committee's report is an important document which mainly gives a factual assessment of the existing usage of Hindi in the offices of the Union Govt. alongwith suggestions to facilitate the achievements of the targets. Besides this, the Seventh part also discusses topics relating to the extensive use of information technology and the perceived and unperceived challenges to the usage of Hindi in the perspective of computerization and globalization.

The Committee of Parliament on Official Language submitted the Eighth part of the Committee's Report to the Hon'ble President on August 16, 2005. In the eighth part of the report submitted by the Committee, recommendations were made mainly on the topics such as section 3(3) of Official Language Act, 1963, Rule 5 of Official Language Rules, 1976; implementation of rules etc. correspondence in Hindi, publications, code-manuals, purchase of Hindi books, computerization, provision in the Recruitment Rules for compulsory knowledge of Hindi, position of Hindi posts, availability of Hindi medium in the teaching and training institutes, expenditure in Hindi advertisements in the Central Offices and use of Hindi in the commercial activities of the Public Sector Enterprises etc.

The Committee of Parliament on Official Language presented the Ninth Volume of its recommendations to His Excellency the Hon'ble President on 02.06.2011. The Ninth Volume submitted by the Committee comprises four parts. The first part highlights the aim of constitution of the committee and its activities, followed by action taken on the eight volumes of its earlier reports and also an outline of the Ninth Volume. The second part discusses the information obtained through inspections and oral evidences carried out by the Committee during the period 01 April 2005 to 30 September 2010. The third part which is the most important part of the report reviews the role of inspections of the Committee and the monitoring system to assess the progressive use of official language. Apart from this, the role of computers in teaching of Hindi, training and translation work and status of Hindi in the field of technology and teaching areas, etc have also been analyzed. The recommendations in the fourth of the report are based on the findings contained in the chapters included in the three parts mentioned above.

Based on the recommendations of the Committee contained in its first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth volumes, the orders of the President have been issued respectively on 30th December, 1988, 29th March, 1990, 04th November, 1991, 28th January, 1992, 24th November, 1998 17th September, 2004, 13th July, 2005, 2nd July, 2008 and 31th March, 2017. The orders of the President contain recommendations of the Committee of the Parliament on Official Language and said orders are also included in this compilation.

It is expected that his edition will be helpful in understanding the contribution of the Committee of Parliament on Official Language to the stakeholders in smooth and effective implementation of the Official Language Policy of the Union Government.

Secretary (CPOL)

दिनांक 3 मई, 2002 को संसदीय राजभाषा समिति ने महामहिम राष्ट्रपति जी को समि सातवां खंड समर्पित किया। समिति दवारा समर्पित प्रतिवेदन का सातवां खंड मुख्यतः संघ के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी की प्रगति की वर्तमान स्थिति एवं इसका तथ्यपरक मूल्यांकन व लक्ष्य प्राप्ति के उपायों सहित सूचना प्रौद्योगिकी के बहुआयामी प्रयोग, कम्प्यूटरीकरण व वैश्वीकरण के परिपेक्ष्य में हिंदी की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चनौतियों जैसे विशिष्ट विषयों को समाहित करके तैयार किया गया एक महत्वपर्ण दस्तावेज है।

दिनांक 16 अगस्त, 2005 को संसदीय राजभाषा समिति ने महामहिम राष्ट्रपति जी को समिति के प्रतिवेदन का आठवां खंड समर्पित किया। समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आठवें खंड में मुख्यतः राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 373राजभाषा नियम 1976 के नियम 5. हिंदी में पत्राचा पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटरीकरण, भर्ती नियमों में हिंदी के ज्ञान की अनिवार्यता, हिंदी पदों की स्थिति, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजिनक उपक्रमों के वाणिज्यिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग जैसे विषयों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।

संसदीय राजभाषा समिति में महामहिम राष्ट्रपति जी को दिनांक 02.06.2011 को समिति के प्रतिवेदन का नौंवा खंड प्रस्तुत किया था। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के नौवें खंड में चार भाग हैं। पहले भाग में समिति के गठन का उद्देश्य एवं क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए पिछले आठ खंडों पर की गई कार्रवाई तथा नौवें खंड की रूपरेखा को दर्शाया गया है। प्रतिवेदन के दूसरे भाग में 01 अप्रैल 2005 से 30 सितंबर 2010 तक की अवधि के दौरान समिति द्वारा किए गए निरीक्षणों तथा मौखिक साक्ष्यों के आधार पर संकलित सूचनाओं का विश्लेषण किया गया है। प्रतिवेदन के तीसरे और महत्वपूर्ण भाग में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में निरीक्षणों व तत्संबंधी मॉनीटरिंग व्यवस्था की वस्तुस्थिति की समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त राजभाषा हिंदी के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुवाद कार्यों में कम्प्यूटरों की भूमिका तथा प्रौद्योगिकी तथा शिक्षण क्षेत्रों में हिंदी की स्थिति, इत्यादि का विश्लेषण किया गया है। तीनों भागों में शामिल विभिन्न अध्यायों के निष्कर्षों के आधार पर समिति ने प्रतिवेदन के चौथे भाग में अपनी सिफारिशों प्रस्तत की हैं।

समिति के प्रतिवेदन के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें तथा नौवें खंड में की गई सिफारिशों पर क्रमशः 30 दिसम्बर, 1988, 29 मार्च 1990, 04 नवम्बर 1991, 28 जनवरी, 1992, 24 नवम्बर, 1998, 17 सितम्बर, 2004, 13 जुलाई, 2005, 02 जुलाई, 2008 तथा 31 मार्च 2017 को राष्ट्रपति जी के आदेश जारी हो चुके हैं। इन आदेशों में संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशें उल्लेखित हैं तथा इन आदेशों की प्रतियाँ को भी इस खंड में समाविष्ट किया गया है।

आशा है कि यह संकलन संघ सरकार की राजभाषा नीति के सुचारु एवं प्रभावी कार्यान्वयन में रुचि रखने वालों के लिए संसदीय राजभाषा समिति के योगदान को समझने में उपयोगी सिदध होगा।

सचिव (सं.रा.भा.समिति)

## Presidential Order on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the First Part of its Report

## Copy of the Government of India, Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) Resolution No. *1/*20012*/1/8*7-OL(A-I) dated 30th December, 1988

The Committee of Parliament on Official Language was constituted under Section 4(1) of the Official Languages Act, 1963 (as amended). In accordance with the provisions of Section 4(2) of the same Act, the Committee was constituted with 20 members of the Lok Sabha and 10 Members of the Rajya Sabha. The Committee submitted the 1st part of its Report to the President in January, 1987 wherein it had made recommendations regarding the translation arrangements training facility in translation and availability of reference and help literature in Central Government Offices. The 1st volume of the Report was placed before both Houses of Parliament on 8th May, 1987 and its copies were duly sent to all the State Governments and Union Territories. As the recommendations concerned the transaction of official business in various Ministries/Departments, their opinion was also taken.

2. After considering the views expressed by State Governments, a decision was taken to accept most of the recommendations made by the Committee either in their original form or with some modification. Accordingly, the undersigned has been directed to notify the following orders of the President under Section 4(4) of the Official Languages Act, 1963, on the recommendations of the Committee:

**(A) Completion of the remaining translation work**

**(1) Translation, printing and use of forms**

The Committee has recommended that arrangements should be made for getting all forms pertaining to contracts. agreements, licences, permits, notices and tenders, covered by sub-section 3(3)(iii) of the Official Languages Act translated into Hindi and printed in bilingual form as early as possible so that these could be issued and made use both in Hindi and English.

The Government has accepted this recommendation. The Department of Official Language, Ministry of Hoinc Affairs, may issue necessary directions to various Ministries. Departments etc. to take appropriate action in this regard.

**(2) To fix a time limit for the translation of codes and manuals etc.**

The Committee has recommended that arrangements should be made immediately for the translation of codes and manuals which yet remain to be translated so that the work of their translation is completed by the end of year 1987.

The period fixed by the Committee has already expired. Taking into view the volume of translation work yet to be done the Ministry of Railways, the Ministry of Communications and the Comptroller and Auditor General of India should complete the translation of their remaining codes' and manuals and the Central Translation Bureau the translations of the remaining codes and manuals of all other Ministries*/*Departments etc. within the next three years, i.e. by the end of 1991. Sincc in the case of Ministry of Defence the number of codes and manuals which remain to be translated is quite Large, it should complete this work by the end of 1994-1995.

**(3) Translation of law books and judgements**

(i) The Committee has recommended that the work of translating law books and judgements delivered by the Privy Council (1837-1950), Federal Court and Supreme Court (1950-1968) should be completed as early as possible and requisite number of additional posts should be created for this purpose.

This recommendation has been accepted with this modification that those judgements which are no longer relevant may be left out, only summaries may be prepared in case of those judgements where these will serve ihc purpose and the remaining judgements should be got translated. The Official Language Wing of the Legislative Department under the Ministry of Law and Justice may take necessary action in this regard.

**(ii) Translation of Parliamentary Legislation into Hindi and Regional Languages**

The Committee has recommended that in pursuance of the Para ll of the Presidential Order, 1960 necessary arrangement for the translation of Parliamentary Legislations into Regional Languages should be made in the Official Wing of the Legislative Department.

# संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के प्रथम खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश

**भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 के संकल्प संख्या 1/20012/1/87-रा.भा. (क-1) की प्रति**

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। धारा 4(2) के अधीन इस समिति में बोस सदस्य लोक सभा से और दस सदस्य राज्य सभा से नियुक्त किए गए। समिति ने अपने प्रतिवेदन का प्रथम खंड राष्ट्रपति को जनवरी, 1987 में प्रस्तुत किया, जिसमें समिति ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था, अनुवाद प्रशिक्षण, संदर्भ और संपूरक साहित्य के संबंध में अपनो सिफारिशें दी हैं। प्रतिवेदन का प्रथम खंड अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार तारीख 8 मई, 1987 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया तथा इसकी प्रतियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई। चकि सिफारिशों का संबंध विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में होने वाले कामकाज से था, अत: इस संबंध में उनसे भी राय ली गई।

2. राज्य सरकारों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें को मूल रूप में या कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है :

**(क) शेष अनुवाद कार्य को पूरा करना**

**(1) फार्मों का अनुवाद, मुद्रण और प्रयोग**

समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम की उपधारा 3(3) (iii) के अंतर्गत आने वाले संविदाओं और करारों तथा लाइसेंसों, परमिटों, नोटिसों और टेंडरों के सभी फार्मों को हिंदी में अनूदित कराने तथा द्विभाषी रूप में छपवाने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जा सकें या भरे जा सकें।

सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करें।

**(2) कोडों और मैनुअलों आदि के अनुवाद के लिए समय-सीमा का निर्धारण**

समिति ने यह सिफारिश की है कि जिन कोडों, मैनुअलों का अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है, उनके अनुवाद की व्यवस्था तत्काल की जाए जिससे यह कार्य 1987 के अंत तक पूरा हो जाए।

समिति द्वारा निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। शेष अनुवाद कार्य को मात्रा को दखते हुए रेल मंत्रलय, संचार मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा अनुवाद के लिए शेष अपने काडों, मैनुअलों आदि का तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों आदि के अनूदित न हए कोडों और मैनुअलों के अनुवाद का कार्य अगले तीन वर्षों में अर्थात् 1991 के अंत तक पूरा किया जाए। रक्षा मंत्रालय में चूँकि अनुवाद के लिए शेष कोडों और मैनुअलों की संख्या बहुत अधिक है, अत: रक्षा मंत्रालय इस कार्य को वर्ष 1994-95 के अंत तक पूरा करे।

**(3) विधि पुस्तकों और निर्णयों के अनुवाद का कार्य**

**(i)** समिति ने यह सिफारिश की है कि विधि/निर्णय पुस्तकों, प्रिवी काउंसिल (1837-1950), फेडरल-कोर्ट और उच्चतम न्यायालय (1950-1968) द्वारा किए गए निर्णयों के अनुवाद का कार्य शीघ्र किया जाए तथा इस कार्य के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए।

इस सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि जो निर्णय अब प्रासंगिक नहीं है, उन्हें छोड़ दिया जाए, जिनका सार दने से काम चल सकता है, उनका सार मात्र तैयार किया जाए और शेष का अनुवाद किया जाए। अपेक्षित कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड करे।

**(ii) संसदीय विधियों का हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद**

समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रपति के 1960 के आदेश के पैरा-II के अनुसरण में संसदीय विधियों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कार्य के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

The work of translating Parliamentary enactments into Regional Languages is already being done in the Official Language Wing of the Legislative Department. So far as the bills are concerned, the work of translating Government Bills may be done by the Official Language Wing of the Legislative Department. The work of translating Private Members Bills into Hindi will, as per present arrangement continue to be done by Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariat. In the beginning, the Official Language Wing of the Legislative Department may also do the work of translating Private Members Bills into Regional languages. The question of entrusting this work to the Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariat may also be considered later on.

**(iii) Authorised Hindi test of State Government Acts**

The Committee has recommended that necessary arrangement may be made in the Official Language Wing of the Legislative Department for preparing authorised Hindi tests of the State Acts as required by Section 6 of the Official Languages Act, 1963.

The responsibility for preparing authorised Hindi test of State Act is that of State Governments. This recommendation may be sent to the State Governments for taking necessary action.

**(4) Translation of training material**

The Committee has recommended that immediate steps should be taken to translate the training material in usc in the training institutes of Ministries/Departments Undertakings and other Autonomous Organizations etc. and the work should be completed within next 3 years by formulating a time-bound programme.

The recommendations has been accepted. The Department of Official Language has issued necessary instructions to Ministries/Departments for taking appropriate action in the matter. The Ministries /Departments may ensure compliance of these instructions.

**(B) Strengthening of translation arrangements**

**(5) For the translation of procedural literature**

The Committee has recommended that the existing arrangement for the translation of various types of prescribed codes/manuals/forms and other procedural literature should be strengthened commensurate with the needs of this work. At present this work is being done in Central Translation Bureau of the Department of Official Language Ministry of Homo Affairs. Ministry of Railways. Ministry of Defence, Department of Posts and the Department of Telecommunications under the Ministry of Communications and the Legislative Department of the Ministry of Law and Justice. The Committee has recommended that this work should continue to be done there and the additional staff/officers of appropriate level should be provided immediately to them for this purpose.

This recommendation has been accepted. Concerned Ministries/Departments may take necessary action in this matter.

**(6) Translation arrangement for the successful implementation of the Government Policy of bilingualism**

The Committee has recommended that the translation arrangement will have to be strengthened further according to needs in almost all Ministries/Departments for successful implementation of the policy of bilingualism even for their day to-day and continuous type of general work, so that work relating to implementation of the Official Language Policy does not lag behind.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may issue necessary instructions to All Ministries/Departments etc. to take necessary action.

**(7) Translation arrangements for the implementation of Official Languages Act and the Rules framed thereunder.**

About the translation arrangements to be made for the due compliance of the Official Languages Act and the Rules framed there under, the Committee has recommended that in all the subordinate/attached offices of the Ministries/Departments of Government of India undertakings and other institutions, whether located in India or abroad, where there is not even a single translator at present, all the work required to be done in both the languages under the Official Languages Act and the Rules framed thereunder should be done bilingually and requisite arrangement should be made for this purpose.

This recommendation has been accepted. The Departmental of Official Language, Ministry of Home Affairs, may issue direction to all the Ministries/Departments etc. to take necessary action.

संसदीय अधिनियमों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का कार्य विधायी विभाग के राजभाषा खंड में पहले ही किया जा रहा है। जहां तक विधेयकों का संबंध है, सरकारी विधेयकों के अनुवाद का कार्य विधायी विभाग का राजभाषा खंड करेगा। प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों के हिंदी अनुवाद का कार्य वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय करेगा। प्रारम्भ में अन्य भारतीय भाषाओं में प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों के अनुवाद का काम भी विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड करे। बाद में इसे लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय को सौंपे जाने पर विचार किया जा सकता है।

**(iii) राज्यों के अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ**

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अनुसरण में राज्यों के अधिनियमों के हिंदी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

राज्यों के अधिनियमों के हिंदी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने का काम राज्य सरकारों का है। इस सिफारिश को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया जाए।

**(4) प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद**

समिति ने प्रशिक्षण सामग्री के अनुवाद के संबंध में यह सिफारिश की है कि मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों तथा अन्य स्वायत्त संगठनों आदि के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयुक्त की जा रही प्रशिक्षण सामग्री का हिंदी में अनुवाद करने के लिए अग्रता के आधार पर तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए तथा इस कार्य को समयबद्ध योजना बनाकर अगले तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका अनुपालन मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

**(ख) अनुवाद व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण**

**(5) प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद के लिए व्यवस्था।**

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न प्रकार के निर्धारित कोडों/मैनुअलों/फार्मों और प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद की वर्तमान व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाए। यह काम इस समय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय के डाक विभाग तथा दूर संचार विभाग और विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में किया जा रहा है। समिति ने सिफारिश की है कि वहीं पर यह कार्य किया जाता रहे तथा उन्हें इसके लिए उपयुक्त स्तर के अतिरिक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सुविधाए तुरन्त उपलब्ध कराई जाएं।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। संबंधित मंत्रालय/विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे।

**(6) द्विभाषिकता की नीति के कार्यान्वयन के लिए अनुवाद व्यवस्था**

समिति ने यह सिफारिश की है कि दैनिक तथा सतत् रूप से चलने वाले सामान्य कार्यों में भी सरकार की द्विभाषिकता की नीति के सफल संचालन के लिए लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ करना होगा ताकि राजभाषा नीति संबंधी कार्यान्वयन का कार्य भी पिछड़ने न पाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

**(7) राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए अनुवाद व्यवस्था**

समिति ने राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के सम्यक अनुपालन के लिए अपेक्षित अनुवाद व्यवस्था के बारे में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों तथा अन्य संस्थानों आदि के देश-विदेश स्थित ऐसे सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में जहां इस समय एक भी अनुवादक नहीं है, वहां भी राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के अनुसार जो-जो कार्य द्विभाषिक रूप में किए जाने हैं उन्हें द्विभाषिक रूप में ही किया जाए और इसके लिए समुचित अनुवाद व्यवस्था की जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

**(8) Translation of statutory literature of Public Undertakings.**

The Committee has recommended that the Official Language Wing of the Legislative Department should be strengthened in such a manner that it is able to discharge properly the responsibility of translating the statutory literature of the public sector undertakings.

The recommendation was duly considered. The Official Language Wing of the Legislative Department is meant for the translation of statutory material of Government Departments and Offices, Banks, Insurance Companies and large undertakings should make their own arrangements for the translation for their statutory material. For their guidance the Official Language Wing, the Legislative Department will provide to them some standard drafts and also extend to them its full cooperation in training their law officers in this respect. For smaller undertakings, for whom it is not feasible to make this arrangement, the Bureau of Public enterprises may make requisite arrangements either through Standing Conference on Public Enterprises (SCOPE) or in some other way.

**(9) Creation of posts connected with translation work**

The Committee has recommended that the policy for creation of posts connected with translation work should be practical and liberal. Clear instructions should be issued to Ministries/Departments etc. that whenever it is necessary and obligatory to work in both Hindi and English translators etc. should be appointed for this purpose. There should be no restriction of any kind in this regard. In offices with a strength of less than 25 members of ministerial staff also proper arrangements for translation should be made.

This recommendation has been accepted. The Department of Official language of the Ministry of Home Affairs may issue directions to Ministries/Departments etc. to take necessary action. For offices, where there are less than 25 persons in the ministerial staff, the Department of Official Language may also issue necessary instruction to them to arrange translation on honorarium basis as per existing instructions.

**(10) To re-examine the recruitment rules for translators and amend them as needed**

With a view to improving standard of translation of material of different subjects, the Committee has recommended that the recruitment rules for translators should have provision for the induction of candidates with experience and ability commensurate with the specific requirements of special types of offices, undertakings cle. Besides, recruitment rules should be revised in a manner so that persons with qualifications in law, engineering, science, technology etc. and with a high proficiency in English and Hindi are attached to the higher posts in the Official Language Services.

The recommendation has been accepted. The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs may issue directions to Ministries/Departments etc. to take necessary action in this matter.

**(11) To form separate cadres of officers/persons engaged on translation work in subordinate offices**

The Committee has recommended that the various Ministries/Departments/ Undertakings should form in their subordinate offices separate cadres of officers/persons engaged on translation work for implementing the Official Language Policy.

The recommendation has been accepted with this modification that cadres may be formed where it is feasible. Where it is not feasible, other arrangements may be made to provide avenue for promotion to the staff. The Department of Official Language may issue instructions for taking necessary action in this matter.

**(C) Bilingual preparation of codes manuals, forms and amendments thereof as well as their printing, publication and distribution**

The Committee has made the following recommendations for the preparation, printing, publication and distribution of codes, manuals and forms in bilingual form:

**(12) Preparation and amendment in bilingual form**

(i) Arrangements should be made for the preparation of Hindi and English texts of all codes/manuals/forms and other procedural literature simultaneously. Amendments made in them from time to time should also be got translated side by side.

**(8) उपक्रमों के विधि साहित्य का अनुवाद**

समिति ने सिफारिश की है कि विधायी विभाग के राजभाषा खंड को इस.प्रकार सुदृढ़ किया जाए कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के सांविधिक साहित्य के अनुवाद कार्य का दायित्व भी भली-भाति वहन कर सके।

इस सिफारिश पर विचार किया गया। विधायी विभाग का राजभाषा खंड केवल सरकारी विभागों और कार्यालयों के विधिक अनुवाद कार्य के लिए है। बैंकों, बीमा कम्पनियों और बड़े उपक्रमों को अपने विधिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। विधायी विभाग का राजभाषा खंड उनके मार्गदर्शन के लिए कुछ मानक प्रारूप तैयार कर देगा और विधि अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। छोटे उपक्रमों, जिनके लिए यह व्यवस्था स्वयं करना व्यवहारिक न हो, के लिए उचित व्यवस्था का प्रबन्ध उद्योग मंत्रालय का लोक उद्यम ब्यूरो, स्टेडिंग कन्फ्रेंस आन पब्लिक इंटरप्राइजिज (स्कोप) के माध्यम से या किसी और प्रकार से करने का प्रयत्न करे।

**(9) अनुवाद संबंधी पदों का सृजन**

समिति ने सिफारिश की है कि अनुवाद संबंधी पदों के सजन की नीति व्यावहारिक और उदार हो और मंत्रालयों/विभागों आदि को स्पष्ट निदेश दिए जाएं कि जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करना अनिवार्य और अपेक्षित है वहां इसके लिए अनुवादक आदि की नियुक्ति करें। इसके लिए किसी प्रकार की रोक न हो तथा जिन कार्यालयों में 25 से कम अनुसचिवीय कर्मचारी काम करते हों उनमें भी समुचित अनुवाद व्यवस्था उपलबध कराई जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। जिन कार्यालयों में 25 से कम अनुसचिवीय कर्मचारी काम करते हैं उनमें भी वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मानदेय के आधार पर अनुवाद का प्रबन्ध करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

**(10) अनुवादकों के भर्ती नियमों की पुनरीक्षा करना तथा उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन करना**

विभिन्न विषयों से संबंधित सामग्री के अनुवाद के स्तर में सुधार के लिए समिति ने यह सिफारिश की है कि अनुवादकों के भर्ती नियमों में विशेष प्रकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अनुभव एवं योग्यता वाले अभ्यर्थियों की भती का प्रावधान रखा जाए। इसके अतिरिक्त पर्ती नियमों की पुनरीक्षा इस प्रकार की जानी चाहिए कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, विधि, तकनीकी, इंजीनियरी आदि की योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी अंग्रेजी तथा हिंदी में उच्च प्रवीणता होने पर, विभिन्न राजसेवाओं में उच्च पदों पर भर्ती के लिए आकृष्ट किए जा सके।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। गह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

**(11) अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवाद संबंधी पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अलग-अलग संवर्ग गठित करना**

समिति ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उपक्रमों को अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अनुवाद संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का भी अलग-अलग संवर्ग गठित करना चाहिए।

यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां संवर्ग का गठन संभव हो वहां संवर्ग बनाया जाए, जहां यह संभव न हो वहा स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्था की जाए। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

**(ग) कोडों, मैनुअलों तथा फार्मों का द्विभाषिक निर्माण तथा संशोधन, मुद्रण तथा प्रकाशन और वितरण।**

समिति ने कोडों, मैनुअलों और फार्मों के द्विभाषिक निर्माण, मुद्रण, प्रकाशन और वितरण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

**(12) द्विभाषिक रूप में निर्माण तथा संशोधन**

(i) कोड, मैनुअल, फार्म तथा प्रक्रिया साहित्य के हिंदी और अंग्रेजी पाठ साथ-साथ तैयार कराए जाएं तथा समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों का अनुवाद भी साथ-साथ हो।

**(ii) Printing and publication in diglot form**

Codes/manuals and forms which have been already translated and those which are yet to be translated, should be printed/published in bilingual form soon after their Hindi translation is made available. If deemed necessary to avoid delay in their printing, they may be got printed from private presses. If there is violation of this rule at any place or level, it should be viewed seriously.

**(iii) Distribution in bilingual form**

Codes/manuals and forms and other procedural literature and amendments made in them from time to time should be made available in bilingual form to the attached/subordinate offices and undertaking and institutions etc. of Ministries/ Departments wherever they are required to be used.

**(iv) Appointing of Coordinating Officers**

In the Ministries Departments, a senior officer should be appointed as a Coordinating Officer with the responsibility to coordinate all the work pertaining to translation of prescribed statutory/non-statutory codes/manuals/forms and other procedural literature and their printing and availability in bilingual form to all the offices of Ministries/Departments.

The above recommendations have been accepted. The Department of Official Language under the Ministry of Home Affairs may issue directions to all Ministries/Departments etc. to take necessary action in the matter.

**(D) Training in translation**

**(13) Training in translation of non-statutory literature**

In its report the Committee has stressed upon the need for imparting training to the translation personnel. In this matter the Committee has recommended that all the translation personnel should be imparted training in translation compulsorily under a time-bound programme. For this purpose Central Translation Bureau will have to further strengthen its training set-up. All translators who have not so far received training in translation should be imparted this training at the most by the end of 1988. For this purpose apart from big Cities like Calcutta, Madras, Ahmedabad and Guwahati at least one Training Centre in each State should be immediately set-up on ad-hoc basis.

So far as the question of imparting training to all the translators by the end of 1988 is concerned, it is nol practicable in such a short period. The Department of Official Language in the Ministry of Home Affairs may evolve a time bound programme for imparting training to all the personnel by the end of 1991 and make necessary arrangements for it. The decision to open new training centres may be taken keeping in view the need and the available financial resources.

**(14) Training for the translation of statutory literature**

In respect of the training for the translation of statutory literature, the Committee has recommended that in order to improve the standard of translators engaged in the translation of statutory literature, either Central Translation Bureau or the Ministry of Law and Justice itself should make requisite arrangements for imparting necessary training and arrangements for imparting refresher training to them.

This recommendation has been accepted. The Legislative Department in the Ministry of Law and Justice may make necessary arrangements for imparting training to translators engaged in the translation of statutory literature as well as refresher-training to them.

**(15) Refresher Training in translation**

Regarding refresher training for translators, the Committee has recommended that in order to maintain the level of knowledge and standard of translation of the trained and experienced translators, a refresher course in translation should be conducted for translation staff after 5 years of their initial training.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may make necessary arrangement in this respect.

**(16) Arrangement regarding training for Hindi officers and officers of higher rank**

The Committee has recommended that appropriate and requisite arrangements for imparting training of a high standard in translation and vetting thereof should be made for officers of the rank of Hindi Officers and above in order to provide an efficient, smooth and prompt translation machinery at all levels in all Ministries/Departments/Undertakings/offices, etc.

**(ii) द्विभाषिक रूप में मुद्रण तथा प्रकाशन**

अब तक अनूदित अथवा अनुवाद के लिए बाकी कोड, मैनुअल और फार्म, हिंदी अनुवाद उपलब्ध होने पर, द्विभाषी रूप में तुरन्त मुद्रित/प्रकाशित किए जाएं। मुद्रण कार्य में विलम्ब न हो, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो मुद्रण का कार्य निजी मुद्रणालयों से करा लिया जाए। यदि इनके द्विभाषिक रूप में मुद्रण/साइक्लोस्टाइल, प्रकाशन अथवा प्रयोग के इस नियम का किसी भी स्थान अथवा स्तर पर उल्लंघन हो तो उसे गम्भीरता से लिया जाए।

**(iii) द्विभाषिक रूप में वितरण**

कोड, मेनुअल, अन्य प्रक्रिया साहित्य तथा फार्म आदि और उनमें समय-समय पर किए जाने वाले संशोधन मंत्रालयों/विभागों आदि के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों और संस्थानों आदि में जहां भी उनका प्रयोग अपेक्षित हो, केवल द्विभाषी रूप में ही उपलब्ध करवाए जाएं।

**(iv) समन्वय अधिकारी की नियुक्ति**

मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित सांविधिक और असांविधिक प्रकार के कोडों/मैनुअलों/फार्मों और अन्य कार्यविधि साहित्य के अनुवाद द्विभाषी रूप में मुद्रण और मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी कार्यालयों आदि में उनकी उपलब्धता के बारे में समन्वय की जिम्मेदारी मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाए।

उपर्युक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

**(घ) अनुवाद प्रशिक्षण**

**(13) असांविधिक साहित्य के अनुवाद के लिए प्रशिक्षण**

समिति ने अपने प्रतिवेदन में अनुवाद कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। इस संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि सभी अनुवाद कर्मियों को एक समयबद्ध योजना बनाकर अनुवाद प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलाया जाए। इसके लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था और सुदृढ़ करनी होगी। जिन अनुवादकों ने अभी तक अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें 1988 के अंत तक यह प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करा दिया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और गुवाहाटी जैसे बड़े नगरों के अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एक अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र तदर्थ आधार पर तुरन्त खोला जाना चाहिए।

जहां तक प्रशिक्षण के लिए शेष सभी अनुवादकों को 1988 के अन्त तक प्रशिक्षण दिलाने का प्रश्न है, यह इस अल्पावधि में संभव नहीं है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को वर्ष 1991 के अंत तक अनुवाद प्रशिक्षण देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाए और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करे। अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय आवश्यकता और वित्तीय साधनों को देखकर किया जाए।

**(14) विधिक सामग्री के अनुवाद के लिए प्रशिक्षण**

समिति ने विधिक अनुवाद प्रशिक्षण के संबंध में यह सिफारिश की है कि विधिक प्रकार का अनुवाद कार्य करने वाले अनुवादकों का स्तर सुधारने के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो अथवा स्वयं विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा इस संबंध में अपेक्षित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए तथा उनके लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। विधि एवं न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग विधिक सामग्री का अनुवाद करने वाले अनुवादकों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करे।

**(15) अनुवाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण**

समिति ने अनुवादकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण के संबंध में सिफारिश की है कि प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त अनुवादकों का ज्ञान तथा अनुवाद स्तर बनाए रखने के लिए अनुवाद कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को प्रथम प्रशिक्षण के पांच साल बाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिलाया जाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में राजभाषा विभाग आवश्यक व्यवस्था करे।

**(16) हिंदी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था**

समिति ने यह सिफारिश की है कि हिंदी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए उच्च कोटि के अनुवाद तथा अनुवाद की पुनरीक्षा के प्रशिक्षण की यथोचित एवं यथावश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/कार्यालयों आदि म सभा स्तर पर एक अत्यन्त कुशल, सुचारु एवं फीली अनुवाद व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language in the Ministry of Home Affairs may make necessary arrangements in this respect.

**(17) Departmental training on transfer from one department to another**

The Committee is of the view that on the transfer of translation personnel from one Department to another Department, it is necessary that they are given special training in the new Department: The Committee has, therefore, recommended that arrangements should also be made for imparting special training for about a week's time for officers and staff engaged on translation work on their transfer from one Department to another so as to enable them to have a grasp of the peculiar environment and terminology etc. pertaining to the new Department.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may issue necessary directions to all Ministries/Departments etc. to provide this training departmentally.

**(E) Evolving of Standard terminology**

**(18) The committee has made the following recommendations in regard to evolving of terminology:-**

**(i) Finalising standard Hindi equivalents of new words**

The Commission for Scientific and Technical Terminology should immediately undertake the task of finalising standard. Hindi equivalents of thousands of new words which have come into being in various subjects after 1970 and should take steps to update their glossaries.

**(ii) Periodical review of glossaries**

These terminologies should be reviewed from time to time and appropriate new words relating to new expressions coming up on account of scientific innovations and other development should be added therein to make up-to-date.

**(iii) To expedite the finalisation of terminologies presently being evolved**

The work relating to the evolution of terminologies on various subjects which is presently in progress should be expedited so that it is completed by the end of the year 1988.

**(iv) Constituting a high level Committee**

The vacancies in the membership of the Commission for Scientific and Technical Terminology should be immediately filled up and a High Level Committee should be constituted to provide guidance in the field of evolution of terminology.

These recommendations have been accepted. The Department of Education under Ministry of Human Resource Development may take necessary action. Regarding review of legal terminology, the Official Language Wing of the Legislative Department under Ministry of Law and Justice may take necessary action.

**(F) Use, propagation and distribution of standard terminology**

**(19) Emphasing the need for the use and propagation of the standard terminology, the Committee has made the following recommendations:-**

**(i) To ensure the use of standard Hindi equivalents**

The use of Hindi equivalents for various English terms as are given or as may be given in the standard glossaries should be ensured so that a standard form of the Official Language could be evolved.

**(ii) To organise workshops for teachers**

Workshops on terminology should be organised for teachers in various Universities so that their knowledge of the use of precise terms gets enlarged and their linguistic capabilities are enhanced.

**(iii) Identifying all India terminology**

After identifying the all India terminology, lists of all the basic terms should be prepared and sent to the Text-book Boards of non-Hindi speaking States and also workshops on terminology organised in cooperation with the scholars of these States.

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग आवश्यक व्यवस्था करे।

**(17) एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण होने पर विभागीय प्रशिक्षण**

समिति के विचार में अनुवाद कर्मियों के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किए जाने पर नए विभाग में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। उसने यह सिफारिश की है कि अनुवाद कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण हो तो उन्हें नए विभाग में वहां की विशेष परिस्थिति और शब्दावली आदि समझने और अपनाने के लिए उस विभाग द्वारा लगभग एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि का यह प्रशिक्षण विभागीय रूप से प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

**(ड.) मानक शब्दावली का निर्माण**

**(18) समिति ने शब्दावली निर्माण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की है:-**

**(i) नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करना**

शब्दावली आयोग 1970 के बाद विभिन्न विषयों में प्रचलन में आए हजारों नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करने का काम तत्काल अपने हाथ में ले और अपने शब्द ग्रंथों को अद्यतन बनाने की दिशा में कदम उठाए।

**(ii) शब्दावलियों की आवधिक पुनरीक्षा**

समय-समय पर इन शब्दावलियों को पुनरीक्षा की जानी चाहिए और अद्यतन बनाने के लिए इनमें विज्ञान की नई खोजों तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार नई अभिव्यक्तियों के लिए उपयुक्त नए शब्द जोड़े जाने चाहिए।

**(iii) निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण कार्य में तेजी लाना**

विभिन्न विभागों की निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण के कार्य में तेजी लाई जाए ताकि यह कार्य 1988 तक पूरा कर लिया जाए।

**(iv) उच्चस्तरीय समिति का गठन**

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सदस्यों के रिक्त स्थान तत्काल भर लिए जाएं तथा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए जो शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में मार्गदर्शन करे।

ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इनके संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग अपेक्षित कार्रवाई करे। विधि शब्दावली की पुनरीक्षा के संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खंड अपेक्षित कार्रवाई करे।

**(च) मानक शब्दावली का प्रयोग, प्रचार-प्रसार और वितरण**

**(19) समिति ने मानक शब्दावली के प्रयोग तथा उसके प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-**

**(1) मानक हिंदी पर्यायों का प्रयोग सुनिश्चित करना**

मानक शब्दावलियों में विभिन्न अंग्रेजी शब्दों के लिए जो हिंदी पर्याय दिए गए हैं अथवा दिए जाएंगे, उनका ही प्रयोग सुनिश्चित किया जाए जिससे राजभाषा का मानक रूप उभर कर आए।

**(ii) प्राध्यापकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन**

विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के लिए शब्दावली कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ताकि उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग में उनके ज्ञान का विस्तार हो और उनकी भाषायी क्षमता बढ़ सके।

**(iii) अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान**

अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान की जाए और सभी आधारभूत शब्दों की सूचियां तैयार कर अहिंदी भाषी राज्यों में राज्य पुस्तक मंडलों को भेजी जाएं और इन राज्यों में स्थित विद्वानों के सहयोग से शब्दावली कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

**(iv) Adaptation of glossaries published by the Commission for Scientific and Technical Terminology**

For the adaptation of glossaries published by the Commission for Scientific and Technical Terminology, Proper agencies should be set up in all States so that that there is uniformity of terminology in the Scientific and Technical literature written in Hindi and other Indian Languages.

**(v) Use of Standard terminology in study and teaching**

Agencies engaged in the work of evolving terminology should send subjectwise lists of terms to schools, universities and teachers and go to States and organise seminars and workshops for the teachers of schools and Universities so that they may become conversant with newly evolved terms make use of them in their study and teaching.

**(vi) To impart knowledge of technical terminology in workshops**

In workshops organised to facilitate work in Hindi, officers/staff should be invariable familiarized with technical terminology so that they are able to use it in their day-to-day work.

**(vii) Writing of books in Hindi on scientific and technical subjects**

More and more books should be written on scientific and technical subjects in Hindi at Government level. In this field private publishers may also be encouraged. A precondition for the publication of these books should be that authentic Terminology will be used in them.

**(viii) Use of standard terminology in the official work of Central Government**

Legal, scientific and technical terminologies, evolved by the Commission for Scientific and Technical Terminology and concerned Ministries should be appropriately used in the official work of the Central Government, including broadcasts over All India Radio and telecasts on Doordarshan.

**(ix) Distribution of glossaries in adequate number**

Glossaries published by the Commission for Scientific and Technical Terminology and the Official Language Wing of the Legislative Department and also those prepared and published by other Ministries should be made available to all Government Offices in adequate number according to their requirements.

**(x) Provision of detailed information about glossaries to institutes concerned with education**

Institutes related to the field of education e.g. National Council of Educational Research and Training, University Grants Commission and Universities etc. should be provided with detailed information about the existing glossaries as well as about those glossaries that might be brought out in future and they should be urged to ensure their use to the possible extent in the study material to be prepared in Hindi and other Indian languages on different subjects. Similar requests could also be made to the Granth Academies, Government Bodies engaged in publishing work and private publishers to make use of those terminologies, as far as possible in their publication on various subjects.

**(xi) Establishing a Terminology Bank**

Taking into account the future use of terminology evolved in the field of Law, Science, Technology and Humanities by computers, a Terminology Bank should be established immediately. This work could be assigned to Commission for Scientific and Technical Terminology.

**(xii) To make available copies of legal glossary to courts**

To ensure extensive use of the legal glossary prepared by the Legislative Department its copics should be made available free of cost or at nominal price to all such courts throughout the country where there is likelihood of the use of Hindi.

**(xii) Use of legal terminology in text-books of law**

For the convenience of students studying law through Hindi medium authentic legal terminology should be used in text-books of law, whether they are translated or originally written in Hindi.

**(xiv) Wide distribution of legal glossary**

The Legislative Department should get large number of copies of legal glossary printed and arranged for its wide distribution so as to ensure its use and achieve uniformity in language.

**(iv) शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शंब्द संग्रहों का अनुकूलन**

शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों के अनुकूलन के लिए सभी राज्यों में उपयुक्त एजेंसियां स्थापित की जाएं ताकि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में रचित विज्ञान एवं तकनीकी साहित्य में शब्दावली की अभीष्ट एकरूपता स्थापित हो सके।

**(v) अध्ययन-अध्यापन में मानक शब्दावलियों का प्रयोग**

शब्दावली निर्माण में लगे अभिकरण विषयवार सूचियां विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा प्राध्यापकों को भेजे और राज्यों में जाकर स्कूलों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं आदि का आयोजन करें, जिससे वे नवनिर्मित शब्दों से परिचित हो सक और अध्ययन-अध्यापन के दौरान उनका प्रयोग कर सके। ग्रन्थ अकादमियों तथा सरकारी प्रकाशन संस्थानों को भी इस ओर अधिकाधिक ध्यान देना होगा।

**(vi) कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी देना**

हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी अवश्य कराई जाए ताकि वे अपने रोजमर्रा के काम में उसका प्रयोग कर सकें।

**(vii) वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन**

सरकारी स्तर पर हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर अधिकाधिक पुस्तकें लिखी जाएं। इस क्षेत्र में निजी प्रकाशकों को भी प्रोत्साहित किया जाए। इन पुस्तकों में प्रकाशन की एक पूर्व शर्त यह हो कि इनमें प्रामाणिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए।

**(viii) केन्द्रीय सरकार के कामकाज में मानक शब्दावली का प्रयोग**

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा निर्मित विधि, विज्ञान और तकनीकी शब्दावलियों का केन्द्रीय सरकार के कामकाज में जिसमें कि आकाशवाणी व दूरदर्शन का प्रसारण भी शामिल है, समुचित प्रयोग किया जाए।

**(ix) शब्दावलियों का पर्याप्त संख्या में वितरण**

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दाली आयोग और विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड द्वारा प्रकाशित तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा निर्धारित और प्रकाशित शब्दावलियां सभी कार्यालयों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई जाएं।

**(x) शिक्षा से सम्बन्धित संस्थानों को शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना देना**

शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित संस्थानों जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों आदि को भी वर्तमान और भविष्य में निर्मित को जाने वाली शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना दी जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि वे विभिन्न विषयों के लिए हिंदी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री में उसका यथासम्भव व्यवहार सुनिश्चित करें। इसी प्रकार का अनुरोध ग्रन्थ अकादमियों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों तथा निजी प्रकाशकों से भी किया जा सकता है कि वे विभिन्न विषयों पर अपने प्रकाशनों में इन शब्दावलियों का ही यथासम्भव प्रयोग करें।

**(xi) शब्दावली बैंक की स्थापना**

विधि, विज्ञान, तकनीकी और मानविकी के क्षेत्र में निर्मित शब्दावली के भविष्य में कम्प्यूटर द्वारा इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए शब्दावली बैंक का निर्माण तुरन्त किया जाए। यह कार्य वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा जा सकता है।

**(xi) विधि शब्दावली का न्यायालयों में वितरण**

विधायी विभाग द्वारा निर्मित विधि शब्दावली का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रतियां देश भर में फैले ऐसे न्यायालयों में भी, जहां हिंदी का प्रयोग किए जाने की सम्भावना हो, नि:शुल्क अथवा कम मूल्य पर उपलब्ध रहनी चाहिए।

**(xiii) विधि की पाठ्य पुस्तकों में विधि शब्दावली का प्रयोग**

हिंदी माध्यम विधि की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की सुविधा के लिए पाठ्य पुस्तकों में भी, चाहे वे विधि पुस्तकों का अनुवाद हों अथवा हिंदी में मूलतः लिखी जाएं, प्राधिकृत विधि शब्दावली का प्रयोग अपेक्षित है।

**(xiv) विधि शब्दावली का वितरण**

विधायी विभाग विधि शब्दावली की अनेकानेक प्रतियां छपवाकर इसके वितरण की व्यवस्था करे, जिससे कि उसका प्रयोग तथा भाषा में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

All these recommendations have been accepted. To ensure use of the standard terminology in Government offices the Department of Official Language has already issued necessary order, the compliance of which should be ensured by all Ministries/Departments etc. The Department of Official Language may also issue directions in regard to (vi) above.

Department of Education of the Ministry of Human Resources Development may take necessary action as envisaged in the recommendations for the propagation of standard terminology evolved by the Department for its use in the field of Education and in the publication of books and for the establishment of Terminology Banks.

Similarly in relation to legal glossary of Official Language Wing of the Legislative Department may take necessary action.

**(G) Original drafting**

**(20) Use of Hindi in legal drafting**

**(i)** In the field of law, original drafting should be done in Hindi so that laws enacted in Hindi are interpreted in Hindi and decisions written in Hindi.

**(ii) Original drafting of codes, manuals etc. In Hindi**

In future all new codes, manuals etc. should be prepared originally in Hindi.

These recommendations have been accepted in principle. Although at present it may not be possible to implement them fully yet efforts inay be made in this direction as far as possible. Regarding original Hindi drafting in the field of law, the Legislative Department may take necessary action. So far as the question of preparing codes and manuals originally in Hindi is concerned, the Department of Official Language may issue necessary directions to all Ministries and Departments etc.

**(H) Other recommendations related to the field of Education**

**(21)** While emphasizing the need for translating into Hindi and other Indian languages all the scientific and technical knowledge available in other languages of the world, the Committee has recommended that for the advancement of the country it is necessary that material containing upto date knowledge brought out in the languages of the developed countries of the world should be directly and without any delay got translated into Hindi and other Indian languages. It has further recommended that for this purpose a new organization may be set up.

This recommendation has been accepted with this modification that the Department of Education under the Ministry of Human Resource Development may get this work done through existing organizations under it by strengthening them as per the requirements of this work.

The Department of Education under Ministry of Human Resource Development may take necessary action in this regard accordingly.

**(22) Making finest literature in various branches of knowledge accessible to students and common man.**

The Committee has recommended that the finest literature in various branches of knowledge should be made accessible to students and the common man. For this purpose in keeping with their requirements a large number of glossaries, definitional dictionaries, University level books, reference books and supplementary literature in various disciplines of science and technology should be prepared. Besides whatever scientific and technical knowledge is available in Hindi should more and more be used for educational and administrative purposes.

This recommendation has been accepted. The Department of Education under Ministry of Human Resource Development may take necessary action in this regard.

**(23) Wide publicity to scientific and technical literature published in Hindi**

The Committee has recommended that whatever scientific and technical literature has been published in Hindi should be given wide publicity and this work should be stepped up.

This recommendation has been accepted. The Department of Education under Ministry of Human Resource Development may take necessary action in this regard.

**(24) Medium of teaching in higher education**

The Committee has recommended that in addition to English, Hindi and other Indian languages should also be made medium of teaching at the level of higher education.

उपर्युक्त सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। मानक शब्दावली का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग ने पहले से ही आदेश जारी किए हुए हैं, जिसका अनुपालन मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त (vi) के बारे में भी निर्देश राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाएं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा विकसित मानक शब्दावली के प्रचार-प्रसार और शिक्षा के क्षेत्र तथा पस्तक प्रकाशन में उसके प्रयोग, शब्दावली बैंक की स्थापना के लिए सिफारिशों में उल्लिखित कार्रवाई शिक्षा विभाग करे।

इसी प्रकार विधि शब्दावली के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय का राजभाषा खंड करे।

**(छ) मूल प्रारूपण**

**(20) विधि प्रारूपण में हिंदी का प्रयोग**

(i) विधि क्षेत्र में मूल प्रारूपण हिंदी में किया जाए ताकि हिंदी में बनी विधियों का निर्वचन कर निर्णय हिंदी में लिखे जाएं।

(ii) कोड, मैनुअलों इत्यादि के मूल प्रारूपण में हिंदी का प्रयोग।

भविष्य में नए कोड, मैनुअल आदि का सृजन मूल रूप से हिंदी में किया जाए।

ये सिफारिशें सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। यद्यपि अभी इन पर पूरी तरह अमल करना सम्भव नहीं होगा, फिर भी इसके लिए, यथासम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण के बारे में विधायी विभाग आवश्यक कार्रवाई करे।

जहां तक कोडों, मैनुअलों का सजन मूल रूप से हिंदी में किए जाने का सम्बन्ध है, राजभाषा विभाग इस सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को आवश्यक निर्देश जारी करे।

**(ज) शिक्षा के क्षेत्र से सम्बधित अन्य सिफारिशें**

(21) समिति ने विश्व की अन्य भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान के हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की आवश्यकता पर बल देते हुए यह सिफारिश की है कि देश के अद्यतन विकास के लिए उन्नत देशों की भाषा में प्रकाशित होने वाले ज्ञान-विज्ञान का आवश्यकतानुसार हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं में सीधे और अविलम्ब अनुवाद होना चाहिए जिसके लिए एक नय संगठन स्थापित किया जाए।

सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्य अपने अधीन वर्तमान संगठनों के माध्यम से उन्हें आवश्यकतानुसार सुदृढ़ बनाकर कराया जाए।

तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई करे।

**(22) ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए सन्दर्भ ग्रन्थों और सम्पूरक साहित्य का सृजन**

समिति ने ज्ञान-विज्ञान के श्रेष्ठतम साहित्य को छात्र-वर्ग और आम आदमी तक पहुंचाने की सिफारिश करते हुए कहा है कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की शब्दावली, परिभाषा कोष, विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें, सन्दर्भ ग्रन्थ और सम्पूरक का सृजन किया जाए तथा हिंदी में उपलब्ध वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग शिक्षा तथा प्रशासन के कार्यों में किया जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

**(23) हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का व्यापक प्रचार**

समिति ने हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के बारे में यह सिफारिश की है कि हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का व्यापक प्रचार किया जाए और इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग, इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे।

**(24) उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम**

समिति ने यह सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को भी बना दिया जाए।

This recommendation has been accepted in principle. In this regard the Department of Education under Ministry of Human Resource Development the Department of Health and Family Welfare and the Department of Agricultural Research and Education may take necessary action.

**(25) Preparation of reference and help literature**

The Committee has recommended that for the smooth and successful functioning of translation arrangements in various offices of the Central Government in addition to the work of preparing of glossaries, the process of preparation of other types of reference and help literature should also continue. For this purpose shon term and long term plans as may be needed should be prepared. With this end in view, private organisations should also be encouraged. Such literature should also be distributed properly amongst the officers and be used by them.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may issue necessary instructions in this regard.

**(1) Other recommendations relating to Law**

**(26) Establishing Indian Languages in the sphere of Law**

The Committee has recommended that the Central Government should in consultation with State Governments, formulate an integrated scheme to establish Hindi and other Indian languages in the legal sphere.

This recommendation has been accepted. The Legislative Department may take necessary action in this regard.

**(27) Preparation of Hindi text of rules framed by the Union Territory of Delhi under Parliamentary Legislation**.

The Committee has observed that no arrangements have been made in the Official Language Wing of the Legislative Department for the preparation of the Hindi text of rules framed by the Union Territory of Delhi under Parliamentary Legislation. It has accordingly recommended that suitable arrangements should be made for this purpose.

This item of work is the responsibility of the Delhi Administration. Accordingly this recommendation may be referred to the Administration of the Union Territory of Delhi for taking necessary action.

**(J) Form of language to be used in translation.**

(28) About the form of language to be used in translation, the Committee is of the view that in translation the adoption of the form of language as provided in Article 351 of the Constitution is in the interest of the unity and integrity of India.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may issue necessary directions to all the Ministries/Departments etc, in this regard.

**(K) Stringent action against officials responsible for the non-compliance of the provisions of Official Languages Act and Official Language Rules**

**(29)** Rule 12 of the Official Language Rules, 1976 assigns to the administrative head of each office of the Central Government the responsibility to ensure proper compliance of the provisions of the Official Languages Act and the Official Language Rules. A large majority of the heads of Departments have not been complying with the Official Languages Act and the Rules. The Committee has suggested that Government should take necessary steps in this regard and take stringent action against erring officials.

This recommendation has been accepted with this modification that the work relating to the implementation of the official language should be done through persuasion and encouragement, but at the same time compliance with rules and orders etc. should be strictly ensured. The Department of Official Language has issued necessary directions in this regard. Ministries /Departments etc. may ensure their compliance.

**(L) Censure for disregarding the directions of the Committee**

(30) Some of the Ministries/Departments, whose names figure in para 11.1.2 of the report, failed to furnish the requisite information to the Committee by the scheduled date. While expressing its displeasure for the lapse the Committee felt that non-furnishing of the requisite information tantamounts to disregard of the Committee. For this they deserve to be censured. Accordingly, stringent action should be taken against the concerned officials. It should also be ensured that in future there is no slackness in furnishing any information called for by the Committee.

The Department of Official Language may issue directions to the concerned Ministries/Departments to take necessary action in keeping with this recommendation of the Committee.

सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग आवश्यक कार्रवाई करें।

**(25) सन्दर्भ और सहायक साहित्य का निर्माण**

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए शब्दावलियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संदर्भ तथा सहायक साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ निजी संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे साहित्य का समुचित रूप से वितरण एवं कार्यालयों द्वारा प्रयोग भी होना चाहिए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग इस बारे में अपेक्षित अनुदेश जारी करे।

**(झ) विधि के क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य सिफारिशें**

**(26) कानून के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा**

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को कानून के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने के लिए एक समन्वित योजना बनाएं।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। विधायी विभाग इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई करे।

**(27) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसदीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों का हिंदी पाठ**

समिति ने कहा है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसदीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों का हिंदी पाठ तैयार करने के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में व्यवस्था नहीं की गई है और सिफारिश की है कि इसके लिए समुचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए।

यह दायित्व दिल्ली प्रशासन का है। आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को भेज दिया जाए।

**(त्र) अनुवाद की भाषा का स्वरूप**

(28) समिति ने अनुवाद की भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में यह सिफारिश की है कि अनुवाद व्यवस्था में निश्चित रूप से भाषा के उसी स्वरूप को अपनाया जाना भारत को अखण्डता तथा एकता के हित में है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया है।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

**(ट) राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम का अनुपालन न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई**

(29) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे। अधिकांश विभागाध्यक्षों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अत: समिति ने यह सुझाव दिया है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करे।

यह सिफारिश इस संशोधित रूप में स्वीकार की गई है कि राजभाषा का कार्यान्वयन प्रेरणा और प्रोत्साहन से किया जाए, पर साथ ही नियमों और आदेशों आदि के अनुपालन में दृढता बरती जाए। राजभाषा विभाग ने इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालयां/विभागा आदि द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

**(ठ) समिति की उपेक्षा के लिए प्रताड़ना**

(30) कुछ मंत्रालयों/विभागों ने जिनका उल्लेख प्रतिवेदन के पैरा 11.1.2 में किया गया है, समिति को अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जिस पर समिति ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने निर्धारित तारीख तक अपेक्षित सूचना न भेजकर समिति की उपेक्षा की है। इसके लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाए तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में समिति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

राजभाषा विभाग समिति की सिफारिश के अनुसार यथोचित कार्यवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी करें।

**(M) Recommendations relating to State Governments**

**(31) Imparting training to Judicial Officers for doing work in the official languages of the States**

The Committee has recommended that persons selected for the post of Judicial Officers be imparted training in the Official Language of the State to enable them to deliver their judgements etc. in it. Workshops may be organised to familiarise them with the legal terminology. Workshops on similar lines may also be organised for senior judicial officers like Additional District Magistrates and District Magistrates so that they are able to carry out their work in the Official Language of the State.

This recommendation relates to State Governments. Accordingly it may be forwarded to them for necessary action.

**(32) Use of the Official Language of the State in courts by Law Officers and Advocates**

The Committee has recommended that the State Governments should direct their Law Officers and advocates to argue in the courts, only in the State Language, as far as possible, so that later on the entire official work could be done in the official language of the State. It should also be made obligatory that in petitions etc. only the authentic legal terminology be used. The State Governments should file their affidavits, plaints, and written statements only in the official language of the State so that ultimately the entire work is done in the official language of the State.

This recommendation relates to the State. Accordingly it may be forwarded to them for necessary action.

**(33) Passing of orders etc. by the subordinate courts in the Official Language of the State**

The Committee has recommended that it should be made obligatory for the subordinate courts to pass their judgements, decrees and orders in the Official Language of the State.
This recommendation relates to State Governments. Accordingly it may be forwarded to them for necessary action.

(34) The following recommendations of the Committee are still under consideration, decision on which would be intimated later :-

(1) The proposal to amend Section 7 of the Official Languages Act, 1963 as per recommendation made in para 14.4.4 of the report of the Committee.

(2) The recommendation made in para 14.4.7. of the report of the Committee to provide for the alternative use of Hindi in the proceedings of the Supreme Court.

Sd/.
(S. DAYAL)
Joint Secretary to the Government of India

**(ड.) राज्य सरकारों से सम्बन्धित सिफारिशें**

**(31) न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाषा में प्रशिक्षण**

समिति ने सिफारिश की है न्यायिक अधिकारियों के पद के लिए जिन लोगों का चयन किया जाता है उन्हें राज्य की राजभाषा में प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे निर्णय आदि अपने राज्य की राजभाषा में दे सकें। विधि शब्दावली का उन्हें ज्ञान कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं तथा अपर जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश जैसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाषा में काम करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था की जाए जिससे वे अपना काम राज्य की राजभाषा में कर सकें।

इस सिफरिश का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

**(32) अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों में राज्य की राजभाषा में काम करना**

समिति ने सिफारिश की है कि राज्यों को चाहिए कि वे अपने विधि अधिकारियों और अधिवक्ताओं को ये निर्देश दें की वे न्यायालयों में जहां तक हो सके केवल राज्य की राजभाषा में ही बहस करें ताकि बाद में चलकर सरकारी काम राज्य की राजभाषा में हो सके। यह भी अनिवार्य कर दिया जाए कि याचिकाओं आदि में विधि शब्दावली का ही प्रयोग हो तथा राज्य सरकारें शपथ पत्र, वैध पत्र और लिखित कथन केवल अपने राज्य की राजभाषा में ही प्रस्तुत करें जिससे अन्ततोगत्वा यह कार्य पूरा-पूरा राज्य की राजभाषा में हो सके।

इस सिफारिश का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाएं।

**(33) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय आदि राज्य की भाषा में पारित करना**

समिति ने सिफारिश की है कि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे अपने निर्णय, डिक्री और आदेश अपने राज्य की भाषा में पारित करें।

इस सिफारिश का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

**(34) समिति की निम्नलिखित सिफारिशें अभी विचाराधीन है। उन पर निर्णय बाद में सूचित किया जाएगा:-**

(1) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14.4.4 में की गई राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में संशोधन का प्रस्ताव।

(2) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14.4.7 में उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयों के लिए हिंदी के विकल्प की व्यवस्था के बारे में सिफारिश।

ह./-
(शम्भु दयाल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

# Presidential Order on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the Second Part of its Report

**Copy of the Government of India, Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) Resolution No. 12015/34/87-OL(TC), dated 29th March, 1990**

The Committee of Parliament on Official Language was constituted under Section 4(1) of Official Languages Ach, 1963. The Committee submitted its Second Report to the President in July, 1987 making recommendations about the mechanical facilities in Devanagari in Government Offices. In accordance with Section 4(3) of the Official Languages Act, 1963 it was laid on the table of the Lok Sabha on 29th March, 1988 and the Rajya Sabha on 30th March, 1988. Its copies were sent to the Governments of States and Union Territories. Since the recommendations are related to the work being done in various Ministries/Departments, they were also consulted in this regard. After taking into consideration the views of the Governments of States and Union Territories, it has been decided to accept most of the recommendations of the Committee either in full or with some modifications. Therefore, in accordance with Section 4(4) of the Official Languages Acl, 1963 the undersigned is directed to convey the orders of the President, regarding the recommendations contained in the Report of the Committee, as follows:

(1) The Committee has recommended that

(a) by 1990, the percentage of Devanagari typewriters should be at least 90% in offices located in region “A”, $66\frac{2}{3}$ % in offices located in region "B" and 25% in offices located in region “C”. This is applicable to pin-point, bulletin, portable and electric typewriters also besides ordinary typewriters.

(b) It should also be ensured that every office has at least one Devanagari typewriter and purchase of additional typewriters should be made according to the percentages proposed above.

The recommendation of the Committee has been accepted with the modification that the Department of Official Language may issue orders for attaining the targets proposed by the Committee by the end of 1994-95. In the light of the recommendations of the Committee, the previous instructions of the Department of Official Language that, every office should have at least one Devanagari typewriter, may be reiterated in thesc orders and it should be ensured that the targets prescribed by the Committee are achieved by the end of 1994-95 by increasing the existing number of Devanagari typewriters every year by about 20%. The arrangements for training in Hindi stenography and Hindi typing may also be made accordingly. These fargets should also be reflected every year in the anjual programıne for the implementation of the Official Language policy.

(2) Regarding the typewriters the Committee has recommended that

(a) The research and development of the electronic typewriters would be encouraged so that only Devanagari electronic typewriters can be manufactured in the country as early as possible and when these are available, the demands of the offices located in region 'A' and 'B' for these typewriters can be met as early as possible. The Government should give special concession in the excise duty to promote the manufacture and use of these typewriters.

The recommendation has been accepted. The Department of Electronics and Ministry of Industry may take necessary action for its implementation.

(b) It should be ensured that till such time as only Devanagari electronic typewriters are manufactured, all the offices should purchase only such electronic typewriters as have the facility of typing in Devanagari also along with English.

Orders have already been issued by the Department of Official Language on 15th June, 1987 to the effect that only bilingual (Hindi-English) electronic typewriters should be purchased in all the Central Government Offices. In view of the recommendation of the Committee the Department of Official Language while reiterating these orders may request all the Ministries/Departments to ensure that till such time as only Devanagari electronic typewriters are manufactured all the offices should purchase only such electronic typewriters as have the facility of typing in Devanagari along with English.

(3) Regarding training in Hindi stenography and typewriting the Committee has recommended:

(a) It should be ensured that the services of all the employees trained in Hindi stenography and Hindi typing are full utilised.

# संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश

## भारत सरकार गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 29 मार्च,1990 के संकल्प संख्या 12015/34/87-रा.भा. (त.क.) की प्रति

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। सरकारी कार्यालयों में देवनागरी में यांत्रिक सुविधाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में सिफारिशें करते हुए समिति ने अपना द्वितीय प्रतिवेदन जुलाई, 1987 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। राजभाषा आधनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे 29 मार्च, 1988 को लोक सभा एवं 30 मार्च, 1988 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसकी प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गईं कि सिफारिशों का सम्बन्ध विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में होने वाले कामकाज से है, अत: इस सम्बन्ध में उनसे भी राय ली गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय किया गया है। तद्नुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 464) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निर्देश हुआ है:

**(1) समिति ने यह सिफारिश की है कि :**

(क) 1990 तक "क" क्षेत्र स्थित कार्यालयों में कम से कम 90 प्रतिशत, "ख" क्षेत्र स्थित कार्यालयों में 664 प्रतिशत और "ग" क्षेत्र स्थित कार्यालयों में 25 प्रतिशत टाइपराइटर वनागरीक होने चाहिए। यह बात साधारण टाइपराइटर के अतिरिक्त पिन प्वाइंट, बुलेटिन और पोर्टेबल तथा बिजली चालित टाइपराइटरों पर भी लागू होगा।

(ख) यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्यक कासालय में देवनागरी का कम स कम एक टाइपराइटर अवश्य हो और इसके अतिरिक्त टाइपराइटरों की खरीद ऊपर वर्णित विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्रस्तावित प्रतिशत के अनुसार की जानी चाहिए।

समिति की सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि 1994-95 के अन्त तक समिति द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदेश राजभाषा विभाग द्वारा निकाले जाएं। इन आदेशों में समिति की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग के आदेशों की पुनरावृत्ति की जाये कि प्रत्येक कार्यालय में कम से कम देवनागरी का एक टाइपराइटर अवश्य हो और वर्तमान देवनागरी टाइपराइटरों में प्रत्येक वर्ष लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष 1994-95 के अन्त तक समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाएं। इसी के अनुसार प्रत्येक वर्ष हिंदी आशुलिपि तथा देवनागरी टाइपिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये लक्ष्य राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम में भी परिलक्षित किये जायें।

**(2) टाइपराइटरों के बारे में समिति ने सिफारिश की है कि :**

(क) इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों के अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि केवल देवनागरी के इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों का भी देश में निर्माण शीघ्रातिशीघ्र हो सके और उपलब्ध होने पर इन टाइपराइटरों की"क" तथा "ख" क्षेत्र स्थित कार्यालयों द्वारा की जाने वाली मांग को शीघ्र पूरा किया जा सके। इसके निर्माण तथा प्रयोग को बढावा देने के लिए सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के टाइपराइटर पर उत्पाद शुल्क में विशेष रियायत दे।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिक विभाग और उद्योग मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करें।

(ख) यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब तक केवल देवनागरी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक सभी कार्यालय केवल वही इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदें जिनमें रोमन के साथ-साथ देवनागरी टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो।

राजभाषा विभाग द्वारा 15 जून, 1987 को यह आदेश जारी किया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में केवल द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) इलेक्ट्रानिक राइपराइटर ही खरीदे जाएं। समिति की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग द्वारा इन आदेशों को दोहराते हुए सभी मंत्रालय विभागों आदि से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाये कि जब तक केवल देवनागरी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक सभी कार्यालय केवल इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदें जिनमें रोमन के साथ-साथ देवनागरी टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो।

(3) हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों की सेवाओं का हिंदी के काम के लिए पूरा लाभ उठाया जाए।

The Department of Official Language may issue orders that all the Departments etc. should make optimum use of the services of employees trained in Hindi typing and Hindi stenography in Hindi work and wherever sufficient number of Devanagari typewriters are not available for these persons, additional Devanagari typewriters should be purchased immediately and if there are any other reasons due to which the services of trained employees are not being utilised for Hindi work, these reasons should be immediately removed.

(b) All the employees, who have not been trained in Hindi typing or Hindi stenograpy, should be given this training by the end of 1990 according to a time bound programme so that they can do the work of Hindi typing or Hindi stenography as required.

This part of the recommendation has been accepted with the modification that all the employees yet to be trained in Hindi typing and Hindi stenography should be trained by the end of 1994-95 under a time bound programme. For this purpose, it would be necessary to raise the targets for Hindi stenographers and Hindi typists in Annual Programme drawn up by the Department of Official Language by about 20% every year.

(4) The Committee has recommended that the existing arrangements for training in Hindi typing and Hindi stenography should be further strengthened. At present facilities for this type of training are very limited. These facilities are practically non-existent in non-Hindi speaking areas. Training Centres of the Hindi Teaching Scheme should be opened wherever this training is not available in private institutions. If it is not possible to open large number of such training centres then the employees concerned should be sent for some time to selected training centres for intensive training in this field.

The recommendation of the Committee has been accepted and the Central Hindi Training Institute may take the following steps in this regard immediately:

(a) A survey of the untrained manpower in various field and the existing facilities in the light thereof.

(b) Opening of full-time and part-time training centres under the progamme for expansion in training during the 8th Five year Plan.

(c) To get the Government employees trained in the training centres run by the State Government or private institutions, wherever possible.

(d) Full-time training and arrangement of crash-courses for intensive training in selected centres.

In addition to this, the Department of Official Language may inform all the Ministries/Department that at all places where the number of employees is not sufficient for opening full-time or even part-time training centres and where training facilities by voluntary organisations are also not available, approval to the employees being trained in Hindi stenography and Hindi typing in private institutions, like private commercial institutes and for reimbursement of the expenses incurred by the employees on this training should be given by the office concerned. At the same time, all the offices may be informed that every office should have at least one typist trained in Hindi typing. Wherever it is feasible and it is necessary to do so the trained typist should be used for training other untrained employees in Hindi typing and for doing this additional work, he should also be given some honorarium by the Head of Office as per rules.

(5) The Committee has recommended that

(a) The syllabus for Hindi typing and Hindi stenography should be reviewed from time to time and keeping in view the latest technical developments qualitative improvements should be made therein so that these typists are able to work on electric and electronic typewriters also without any difficulty.

This recommendation has been accepted. For implementation of this recommendation, the Central Hindi Training Institute may run specialised training programmes at some selected centres in which training in use of electronic typewriters should be imparted. Initially, this training should be given to the typists of only those offices where at least one electronic typewriter is available or it has been decided to purchase an electronic typewriter. In addition wherever bilingual electronic typewriters have been installed, training for work on electronic typewriters can also be imparted by the concerned firms. The offices which have purchased bilingual electronic typewriters should request the companies in this regard.

(b) Similarly refresher courses should be arranged from time to time for telex and teleprinter operators also.

This recommendation has been accepted. For its implementation the Department of Telecommunication and the Central Hindi Training Institute may run special training programmes and for this purpose a time bound scheme should be expeditiously prepared and implemented.

राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाए कि सभी विभागादि देवनागरी टंकण व आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का हिदी के काम में समुचित उपयोग करें तथा जहां उनकी संख्या के अनुरूप टाइपराइटर उपलब्ध नहीं हैं, वहां तुरन्त देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जाएं तथा यदि कोई अन्य कारण है जिससे प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का हिंदी के काम में उपयोग नहीं हो पा रहा हो तो उन कारणों को तुरन्त हटाया जाये।

(ख) जिन कर्मचारियों को अभी तक हिंदी टाइपिंग अथवा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें एक समयबद्ध योजना के अनुसार 1990 के अन्त तक इसमें प्रशिक्षित कराया जाए ताकि आवश्यकतानुसार वे हिंदी में टाइपिंग तथा आशुलिपि का कार्य कर सकें।

सिफारिश के इस भाग को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि समयबद्ध योजना के अनुसार 1994-95 के अन्त तक हिंदी टकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान में शेष रहे लगभग सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाये। इसके लिए प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी आशुलिपिकों तथा देवनागरी टाइपिस्टों के लक्ष्यों में प्राय: 20 प्रतिशत वृद्धि की जानी अपेक्षित होगी।

(4) समिति ने यह सिफारिश की है कि हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इस समय इस प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधाएं अत्यन्त सीमित हैं। विशेषकर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में तो इनका प्रायः सर्वथा अभाव ही है। जहां-जहां भी निजी संस्थाओं में इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है वहां हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए। यदि ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र अधिक नहीं खोले जा सकते तो सम्बन्धित कर्मचारियों को कुछ समय के लिए इस प्रकार के गहन प्रशिक्षण के लिए चुने हुए प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा जाना चाहिए।

समिति की सिफारिश मान ली गई हैं तथा इसके लिए केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तुरन्त निम्नलिखित कदम उठाये :-

(क) इस समय विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए बची कार्मिक-शक्ति तथा उनके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का सर्वेक्षण।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षण विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्णकालिक तथा अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।

(ग) जहां सम्भव हो, राज्य सरकार अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवाना।

(घ) कुछ चुने हुए केन्द्रों में पूर्णकालिक प्रशिक्षण व्यवस्था तथा वहां पर गहन प्रशिक्षण के क्रैश कोर्सों का आयोजन।

इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग सभी मंत्रलयों/विभागों आदि को सूचित करे कि ऐसे स्थानों पर जहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि इनके लिए पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं और जहां पर स्वैच्छिक संस्थाओं आदि द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है, वहां सरकारी कर्मचारियों का हिंदी आशुलिपि तथा हिंदी टंकण का प्रशिक्षण निजी संस्थाओं, जैसे प्राइवेट कमर्शियल इंस्टीच्यूट में कराये जाने की स्वीकृति तथा इस प्रशिक्षण पर कर्मचारियों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कार्यालय द्वारा की जाए। साथ ही सभी कार्यालयों के लिए कहा जाए कि प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक टंकक हिंदी में प्रशिक्षित अवश्य हों। जहां कहीं आवश्यक तथा सम्भव हो इस प्रकार के प्रशिक्षित टंकक को अन्य अप्रशिक्षित कर्मचारियों को हिंदी के टंकण के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किया जाए और यह अतिरिक्त कार्य करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उन्हें कुछ मानदेय भी नियमानुसार दिया जाए।

(5) समिति ने यह सिफारिश की है कि :

(क) हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि के पाठ्यक्रम का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और इनमें अद्यतन तकनीकी विकास को देखते हुए गुणात्मक सुधार किया जाना चाहिए ताकि ये टाइपिस्ट इलैक्ट्रिक तथा इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों पर भी सुविधापूर्वक कार्य कर सकें।

यह सिफारिश मान ली गई है। इस सिफारिश के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान कुछ चुने हुए केन्द्रों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। शुरू में यह प्रशिक्षण केवल उन्हीं कार्यालयों के टाइपिस्टों को दिया जाए, जहां पर कम से कम एक इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर उपलब्ध है अथवा जहां इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदने का निर्णय लिया गया हो। इसके अतिरिक्त जहां-जहां द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर उपलब्ध हों, वहां सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा भी इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर काम करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदने वाले कार्यालयों द्वारा इस सम्बन्ध में कम्पनियों से अनुरोध किया जाए।

(ख) इसी प्रकार टैलेक्स तथा टेलीपिंटर प्रचालकों के भी समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

यह सिफारिश मान ली गई है, इसके कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम दूरसंचार विभाग तथा केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाएं और इसके लिए समयबद्ध योजना शीघ्र बनाकर कार्यान्वित की जाए।

(6) Regarding the Addressograph Machines, the Committee has recommended that

(a) In the offices located in region "A” and “B” Devanagari embossing machines should be installed with the Bradma Addressograph.

The recommendation has been accepted, The Department of Official Language may issue orders for its implementation. There are many big offices in region "C" which have considerable correspondence with offices located in region “A” and “B” Therefore, the provision of bilingual addressograph should be made in these offices also. Accordingly the "C" region should also be included in the ambit of these orders.

(b) Arrangements should be made for training the employees working on these machines in both Hindi and English.

The employees working on addressograph should have knowledge of Hindi. The companies providing the addressograph machines should be asked to give the necessary training to such employees for working on addressograph in Hindi.

(7) Regarding Teleprinter/telexes, the Committee has recommended that:

(a) In all the offices in region 'A' and 'B' where only Roman teleprinters have been installed, Devanagari teleprinters should also be installed by June, 1988.

This recommendation has been accepted with the modification that since bilingual teleprinter/telex machines have since been developed and are also being manufactured on commercial basis, it would be appropriate that the Roman teleprinters are replaced by bilingual telex machines.

(b) At the same time, development of Devanagari and Roman bilingual electronic teleprinters and telex should be expedited. It should be ensured that there is no delay in its development and after its successful testing, bilingual electronic teleprinters should be installed in place of the existing Roman electronic telepnnters. This work should be completed by the end of 1988.

This recommendation has also been accepted with modifications. The development of a bilingual telex machine has also been completed and the time limit for replacing the existing Roman electronic teleprinter with bilingual electronic telex machines by the end of year 1988 has also expircd. Therefore, the Department of Telecommunications may raise the production capacity of English-Devanagari, bilingual telex machines and also ensure that in the next three years i.e. by 30-9-1993, all the teleprinters/telexes in Government offices are bilingual. The Department of Telecommunications may draw a time bound plan for this so that while on one hand the bilingual telex machines should be available in offices at the earliest on the other hand these are mainly used in Devanagari only.

(c) Teleprinter operators should compulsorily be given training in working in Hindi.

The recommendation for training the teleprinter operators in Hindi has been accepted. The Department of Telecommunications may arrange Hindi training of the telex operators also. For this also it should draw up and implement a time bound plan. In addition arrangements for training the telex operators at the Central Hindi Training Institute may also be made.

(8) The Committee has recommended that the Government should act strictly in the matter of purchase of computer systems and word processors etc. capable of working in Devanagari and no relaxation should be given in this matter. This should be monitored in the Department of Official Language at the highest levels. Quarterly reports should be obtained from all the Ministries regarding the computer system installed by them.

For the implementation of this recommendation, the orders issued by the Department of Official Language on this subject on 31-8-1987 may be reiterated and all the offices requested to act strictly in this regard. Although information about computer systems etc. is already incorporated in the Quarterly Progress Report regarding progressive implementation of the official language policy yet the Department of Official Language may conduct a survey in this regard in accordance with the recommendation of the Committee and further action may be taken on the basis of this survey.

(9) The Committee has recommended that the Department of Electronics should set up an organisation which can make recommendations to the Government regarding development and manufacture of various electronic and mechanical facilities keeping in view the use of Hindi in them. This organisation can also find out as to what can be done for expediting the development and manufacture of such equipment in public and private sectors.

(6) पतालेखी मशीनों के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में बाडमा पतालेखी मशीन के साथ देवनागरी एम्बोसिंग मशीनें लगाई जायें।

यह सिफारिश मान ली गई है। इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाए। चूंकि 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में भी कई बड़े-बड़े कार्यालय ऐसे हैं, जिनमें काफी पत्र-व्यवहार 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों से होता है अतः ऐसे कार्यालयों में भी द्विभाषी पतालेखी मशीनों का प्रावधान होना चाहिए, इसलिए आदेशों की परिधि में 'ग' क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाए।

(ख) इन मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों के हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पतालेखी मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों को हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को पतालेखी मशीन पर हिंदी भाषा में काम करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए पतालेखी मशीन कम्पनियों से अनुरोध किया जाए।

(7) टेलीप्रिंटर/टैलेक्स के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों में जहां केवल रोमन टेलीप्रिंटर लगे हुए हैं वहां उनके साथ-साथ देवनागरी टेलीपिंटर जून, 1988 तक लगाए जाने चाहिएं।

यह सिफारिश संशोधन के साथ स्वीकार की गई है। चूंकि अब द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीन का विकास हो चुका है और इन मशीनों का व्यावसायिक उत्पादन भी हो रहा है, उचित यही होगा कि रोमन टेलीप्रिंटरों को द्विभाषी टैलेक्स मशीनों से बदल दिया जाए।

(ख) इसके साथ-साथ देवनागरी तथा रोमन के द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर और टैलेक्स के विकास में भी तेजी लाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके विकास में तनिक भी विलम्ब नहीं किया जाए और उनके परीक्षण सफल होने के बाद वर्तमान रोमन इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की बजाए द्विभापी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर स्थापित किए जाएं। यह कार्य वर्ष 1988 के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिए।

यह सिफारिश भी संशोधन के साथ स्वीकार की गई है। द्विभाषी टैलेक्स मशीन के विकास का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और वर्तमान रोमन इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की बजाय द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीनें वर्ष 1988 के अन्त तक लगाने की समय-सीमा भी पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसलिए दूरसंचार विभाग अंग्रेजी-देवनागरी द्विभाषी टैलेक्स मशीनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि का और यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी कार्यालयों में अगले लगभग तीन वर्षों में, अर्थात् 30-9-1993 तक सभी टेलीप्रिंटर/टैलेक्स द्विभाषी हों। इसके लिए दूरसंचार विभाग एक समयबद्ध योजना बनाए, ताकि जहां एक ओर शीघ्रतिशीघ्र द्विभाषी टैलेक्स मशीनें कार्यालयों में उपलबध हों वहीं दूसरी ओर उन पर मुख्यतया देवनागरी में ही काम किया जाये।

(ग) टेलीप्रिंटर प्रचालकों की हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए।

टेलीप्रिंटरों के प्रचालकों को हिंदी में प्रशिक्षण देने की सिफारिश मान ली गई है। दूरसंचार विभाग टेलेक्स प्रचालकों के हिंदी प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध करे। इसके लिए भी वह एक समयबद्ध योजना बना कर कार्यान्वित करे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में भी टैलेक्स प्रचालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(8) समिति ने यह सिफारिश की है देवनागरी लिपि में कार्य करने में सक्षम कम्प्यूटर प्रणालियों और शब्दसंसाधक आदि खरीदने में सरकार द्वारा कड़ाई से कार्य किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए। इस विषय में राजभाषा विभाग द्वारा उच्चतम स्तर पर निगरानी रखी जानी चाहिए। इस सिलसिले में, सभी मंत्रालयों, आदि से प्रति तिमाही रिपोर्ट मंगाई जाए कि उन्होंने किस प्रकार की कम्प्यूटर प्रणालियां आदि लगाई हैं।

समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में दिनांक 31-8-1987 को जारी किए गए आदेश की पुनरावृत्ति की जाए और सभी विभागों से अनुरोध किया जाए कि इस विषय में कड़ाई से काम लें। हालांकि राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग के विषय में निर्धारित तिमाही प्रगति रिपोर्ट में कम्प्यूटर प्रणाली आदि के विषय में पहले से सूचना उपलब्ध रहती है, तथापि समिति की सिफारिश को मानते हुए राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में एक सर्वेक्षण किया जाए तथा इस सर्वेक्षण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए।

(9) समिति ने यह सिफारिश की है इलैक्ट्रानिकी विभाग में एक संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जो विभिन्न प्रकार की इलैक्ट्रानिकी यांत्रिकी सुविधाओं में हिंदी के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर उनके निर्माण और विकास के बारे में भी सरकार को सिफारिशें कर सकेगा। इस प्रकार के यंत्रों के निर्माण और विकास में तेजी लाने के लिए सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में क्या-क्या किया जा सकता है इसका पता भी लगा सकता है।

The recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Electronics may set up a cell in the Computer Development Division which should make recommendations to the Government regarding development and manufacture of various electronic and mechanical facilities keeping in view the use of Hindi in them and also find out as to what can be done for expediting the development and manufacture of such equipment in public and private sectors. The Department of Electronics may also set up a Working Group which should include the representatives of the Department of Official Language and the National Informatics Centre. The Working Group may consider these two issues and submit its report within one year. The special cell of the Computer Development Division of the Department of Electronics may take effective steps on this report in close coordination with the Department of Official Language.

(10) The Committee has recommended that the development and manufacture of hardware and software for computer systems in Devanagari should be undertaken on priority basis and a software should be developed through which it should be possible to do processing in Devanagari only.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Electronics may ensure that the development and manufacture of hardware and software for computer system in Devanagari, is undertaken on priority basis so that data processing in Devanagari only is also possible. The plan for Technology Development Mission for Indian Languages proposed by the Department of Electronics may be implemented expeditiously and the work completed within a fixed time-frame.

(11) The Committee has recommended ensuring that facilities are provided for imparting training in CLASS programme through the medium of Hindi. Towards this end, development of software for teaching Hindi and other subjects through Hindi medium using computers should also be done on a priority basis. The promotional and reference material about this programme should be made available in Hindi. Hindi software should be used on all the computers installed in this programme.

The recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Education of the Ministry of Human Resource Development may work according to a time-bound programme for implementing the recommendation.

(12) Hindi is a phonetic language. This is also a special feature of other Indian Languages. The Committee has, therefore, recommended that a technology should be developed through which it should be possible to enter text in computers through speech only, i.e., it should not be necessary to type on Roman or Devanagari keyboard for "input” on computers and it should be possible to enter data through oral pronunciation. The Department of Electronics should undertake research and necessary steps for this purpose.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Electronics may prepare a time-bound programme in which research should be undertaken for entering commands in computers orally in Hindi.

(13) The Committee has recommended that either the line printers should be replaced by the latest laser printers, in which Devanagari printing is possible or necessary steps should be taken for development of line printers in Devanagari.

The recommendation of the Committee for making available high speed Devanagari line printers has been accepted and the Department of Electronics may encourage research, development and production in this direction. The Department of Electronics may from time to time apprise the Department of Official Language in this regard and the Department of Official Language should provide this information to banks and other institutions so that they can install the latest Devanagari printers in their offices.

(14) The Committee has recommended that the organisation like banks, railways, airlines and defence establishments, which use large number of computers, should ensure that Hindi software for their requirements is developed and produced on priority basis.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may obtain the latest information on this subject from the Department of Electronics and inform various Government offices and institutions and also direct them to prepare time-bound schemes for development of software.

(15) Regarding installation of Devanagari terminals on computers the Committee has recommended that :

(a) Devanagari terminals should be installed immediately on all the computers which have the capability of working on Roman only.

समिति की सिफारिश मान ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटर विकास प्रभाग में एक विशेष सैल बनाये, जो विभिन्न प्रकार की इलैक्ट्रानिकी, यांत्रिकी सुविधाओं में हिंदी के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर उनके निर्माण और विकास के बारे में भी सरकार को सिफरिशें करें तथा इस प्रकार के यंत्रों के निर्माण और विकास में तेजी लाने के लिए सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में क्या-क्या किया जा सकता है, इसका पता भी लगाए। इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में एक कार्यदल भी गठित करे, जिसमें राजभाषा विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि भी हों। यह कार्यदल इन दो मुद्दों पर विचार विमर्श करके एक वर्ष के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिस पर इलैक्ट्रानिकी विभाग के कम्प्यूटर विकास प्रभाग का विशेष सैल कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए तथा राजभाषा विभाग से निरन्तर तालमेल रखे।

(10) समिति ने यह सिफारिश की है कि देवनागरी में कम्प्यूटर प्रणालियों के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का निर्माण और विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए जिससे केवल देवनागरी में प्रोसैसिंग किया जा सके।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है, इलैक्ट्रानिकी विभाग इस बात को सुनिश्चित करे कि देवनागरी कम्प्यूटर प्रणाली के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का विकास और निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, जिससे केवल देवनागरी में भी डाटा प्रोसेसिंग की जा सके। इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित भारतीय भाषाओं के लिए टैक्नालाजी विकास मिशन की योजना शीघ्र कार्यान्वित की जाए और यह कार्य एक निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न किया जाए।

(11) समिति ने यह सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम (क्लास) में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए स्कूलों में कम्प्यूटर के माध्यम से हिंदी तथा हिंदी के माध्यम से अन्य विषयों की शिक्षा के बारे में आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास भी अग्रता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में लगाए गए सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी के सोफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग समयबद्ध योजना के अनुसार काम करे।

(12) हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, अन्य भारतीय भाषाओं की भी यही विशेषता है, इसलिए समिति की यह सिफारिश है कि ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास और निर्माण किया जाए, जिससे कंप्यूटर द्वारा केवल बोलने पर ही संदेश रिकार्ड कर लिया जाए अर्थात कंप्यूटर में 'इनपुट' के लिए देवनागरी अथवा रोमन लिपि के कुंजीपटल पर टाइप करने की आवश्यकता न हो और केवल मौखिक उच्चारण से ही उसमें अपेक्षित सामग्री भरी जा सकती हो, इसके लिए इलैक्ट्रनिकी विभाग का आवश्यक कदम उठाने और शोध कार्य करना चाहिए।

समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग एक समयबद्ध योजना बनाए, जिसमें मौखिक उच्चारण द्वारा हिंदी में निर्देश कंप्यूटर में डालने के लिए अनुसंधान आदि किया जाए।

(13) समिति की यह सिफारिश है कि या तो लाइन प्रिंटर के स्थान पर आधुनिकतम लेजर प्रिंटर लगा दिए जाए, जिनमें देवनागरी मुद्रण संभव है अथवा देवनागरी के लाइन प्रिंटर का विकास करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

देवनागरी में उच्चगति के लाइन प्रिंटरों को देश में शीघ्र उपलब्ध करवाने के विषय में समिति की सिफारिश मान ली गई है तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में कार्य, विकास तथा निर्माण को बढ़ावा दें। इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में राजभाषा विभाग को समय-समय पर अवगत कराए तथा राजभाषा इलैक्ट्रानिकी विभाग से प्राप्त सूचना बैंकों तथा अन्य संस्थाओं को उपलब्ध कराये, ताकि विभिन्न संस्थान हिंदी माध्यम से काम करने की क्षमता वाले अद्यतन प्रिंटर आदि अपने यहां लगवा सकें।

(14) समिति ने यह सिफारिश की है कि कंप्यूटरों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करने वाले कार्यालय जैसे बैंक, रेलें, एयरलाइन्स, रक्षा संगठन आदि, यह सुनिश्चित करें कि उनकी अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हिंदी में सॉफ्टवेयर का विकास तथा निर्माण अग्रता के आधार पर किया जाए।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग इस विषय में इलैक्ट्रोनिकी विभाग से अद्यतन जानकारी प्राप्त करके सभी सरकारी कार्यालयों तथा संस्थाओं को इस विषय में अवगत कराये तथा उनसे सॉफ्टवेयर विकास की समयबद्ध योजना बनाने के निर्देश दे।

(15) कंप्यूटरों में देवनागरी टर्मिनल लगाए जाने के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) जिन कंप्यूटरों में केवल रोमन में कार्य करने की सुविधा है वहां देवनागरी टर्मिनल भी तत्काल लगाए जाने चाहिएं।

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may inform all the Government offices about the latest technology of installing GIST terminals or cards in computers and ask them to prepare time-bound programmes for installing GIST technology or cards in the existing Roman computers.

(b) In the Departments where computers are very old and it is not possible to provide bilingual capability due to technical reasons, it would be more useful in terms of costs to replace these machines by the latest bilingual computers.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may bring this recommendation to the notice of all the Government offices and ask them to implement it.

(16) The Committee has recommended that:

(a) The Department of Electronics should allow installation of only those computers which have the facility of processing and printing in Hindi.

The recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Electronics may take necessary action for its implementation.

(b) The Department of Electronics should also see whether Devanagari terminals are available on the computers provided by them to other departments. Arrangement for installing Devanagari terminals and Devanagari printing, should be made wherever such terminals have not been installed.

The National Informatics Centre (Planning Commission) may implement this recommendation of the Committee so that arrangements are made for providing Devanagari terminals and Devanagari printing on the Computers provided by them to other Departments.

(c) The Department of Electronics should get the books relating to computers published in Hindi and provide these to all the Departments and the offices where computers have been installed by them.

The National Informatics Centre may contact the Department of Electronics and implement this recommendation of the Committee so that books relating to computers are published in Hindi also and provided to all the Departments and offices where computers have been installed by them.

(17) The Committee has recommended that efforts should be made to utilise computers for translation work of technical or simple nature.

The recommendation of the Committee has been accepted. For its implementation on the Department of Electronics may prepare and start expeditiously a project regarding translation from English and other foreign languages to Hindi and other Indian languages through computers.

(18) The Committee has recommended that a small, low cost practical computer vocabulary in Hindi should be prepared. It should be reviewed from time to time so that the new words which come up due to continuous research going on in this field are also incorporated in it.

The Commission on Scientific and Technical Terminology has prepared a practical computer vocabulary and a book has also been published on this subject. Therefore, this recommendation of the Committee has been implemented. However, the Commission on Scientific and Technical Terminology may take action on the second part of the recommendation at the appropriate time in future.

(19) The Committee has recommended that Devanagari characters should also be engraved on the keyboards of word processors and electronic typewriters. The manufacturing companies should be ordered to engrave the Devanagari command on the command keys also.

The Department of Industry may take necessary action on this recommendation and in this regard the Department of Official Language may also write to the companies manufacturing keyboards. In addition, the Department of Official Language may issue directions to all the Departments that they should purchase only those computers which have all the commands on their keyboards in bilingual form.

(20) Regarding installation of bilingual equipment the Committee has recommended that : -

(a) The offices and undertaking should not purchase only roman computers, word processors and teleprinters etc. but purchase only those machines which have bilingual facilities.

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। कंप्यूटरों में 'जिस्ट' टर्मिनल या कार्ड लगाए जाने के विषय में राजभाषा विभाग अद्यतन तकनीक के बारे में सभी सरकारी कार्यालयों को सूचित करे तथा उसमें वर्तमान रोमन कंप्यूटरों में जिस्ट प्रणाली या कार्ड आदि लगाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करे।

(ख) जिन विभागों में ऐसे पुराने कंप्यूटर हैं जिनमें तकनीकी कारणों से द्विभाषी सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती, उन्हें नवीनतम द्विभाषी कंप्यूटरों में बदलना ही लागत की दृष्टि से अधिक लाभकारी होगा।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा इस सिफारिश को सभी सरकारी कार्यालयों के ध्यान में लाया जाए और उन्हें इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा जाए।

(16) समिति ने यह सिफारिश की है कि :

(क) इलैक्ट्रानिकी विभाग को केवल ऐसे कम्यूटरों की व्यवस्था के लिए स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए, जिन पर हिंदी में प्रोसेसिंग और प्रिटिंग की सुविधा हों।

समिति की सिफरिश मान ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग विचार करे तथा आवश्यक कार्रवाई करे।

(ख) इलैक्ट्रानिकी विभाग को यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने अन्य विभागों को जो कम्यूटर उपलब्ध कराए हैं, उनमें देवनागरी टर्मिनल उपलब्ध है या नहीं, जहां-जहां ऐसे टर्मिनल नहीं लगाए गए हैं, वहां देवनागरी टर्मिनल जोड़ने और हिंदी मुद्रण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (योजना आयोग) समिति की इस सिफारिश को कार्यान्वित करे, ताकि उनके द्वारा अन्य विभागों को उपलब्ध कराये गये कम्यूटरों में देवनागरी टर्मिनल जोड़ने और हिंदी मुद्रण की व्यवस्था की जाए।

(ग) इलैक्ट्रानिकी विभाग को कम्यूटर से संबंधित पुस्तकें भी मूल रूप से हिंदी में प्रकाशित करा के उन सभी विभागों/कार्यालयों को भेजी जानी चाहिए, जहां उनके द्वारा कंप्यूटर लगाए गए हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र इलैक्ट्रानिकी विभाग से सम्पर्क स्थापित करें तथा समिति की इस सिफारिश को कार्यान्वित करें, ताकि कम्प्यूटरों से संबंधित पुस्तकें मूल रूप में हिंदी में प्रकाशित करा कर उन सभी विभागों/मंत्रालयों आदि को भेजी जा सकें, जहां उनके द्वारा कम्प्यूटर लगाए गए हैं।

(17) समिति ने यह सिफारिश की है कि तकनीकी प्रकार के अथवा सरल प्रकार के अनुवाद कार्य के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग करने की कोशिश की जानी चाहिए।

समिति की सिफारिश मान ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटर द्वारा अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद संबंधी प्रोजेक्ट बनाकर शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करें।

(18) समिति ने यह सिफारिश की है कि एक व्यावहारिक कम्प्यूटर शब्दावली तैयार की जानी चाहिए, जो छोटे आकार की हो और जिसकी कीमत काफी कम हो। इसके अतिरिक्त इसका समय-समय पर पुनर्मुल्यांकन भी किया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधान के कारण जो शब्द प्रचलित हो वे भी इसमें जोड़े जा सकें।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने व्यावहारिक कम्प्यूटर शब्दावली तैयार कर ली है और इस विषय पर पुस्तक छप भी चुकी है। अतः समिति की यह सिफारिश कार्यान्वित की जा चुकी है। तथापि समिति की इस सिफारिश के दूसरे हिस्से पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भविष्य में यथासमय कार्रवाई करें।

(19) समिति ने यह सिफारिश की है कि शब्द-संसाधक और इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के कुंजीपटलों पर देवनागरी वर्ण भी उत्कीर्ण किए जाने चाहिए। आदेश देने की कुंजियों पर भी देवनागरी में आदेश उत्कीर्ण करने के बारे में निर्माता फर्मों को आदेश दिए जाने चाहिए।

इस सिफारिश पर उद्योग मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे तथा राजभाषा विभाग स्वंय भी कम्प्यूटरों के कुंजीपटल आदि बनाने वाली कम्पनियों को इस विषय में लिखे। इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग सभी विभागों को यह निर्देश दे कि वे केवल वही कम्प्यूटर आदि खरीदें जिनके कुंजीपटल पर सभी आदेश द्विभाषी रूप में उत्कीर्ण किए गए हों।

(20) केवल द्विभाषी उपकरण लगाए जाने के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) सभी कार्यालय तथा उपक्रम केवल रोमन के कम्प्यूटर शब्द-संसाधक, टेलीप्रिंटर आदि न खरीद कर देवनागरी में कार्य करने की सुविधा वाले उपकरण ही स्थापित करें।

Order to the effect that in Government offices only such computers, word processors and teleprinters, as have the facility of Devanagari should be purchased had already been issued on 30-5-1985. These may be reiterated.

(a) The Department of Electronics should be made a check-point for purchase of computers, word processors etc.

The recommendation of the committee has been accepted with the modification that the check-point for purchase of computers and world processors would be the Administrative Division of every Department and the check point for any relaxation in this matter would be the Department of Official Language.

(b) The Department of Telecommunications should be made a check-point for purchase of telex/teleprinters.

The recommendation of the committee has been accepted. The Department of Telecommunications may take necessary action in this regard.

(21) The Committee has recommended that the Department of Electronics should develop software for use of Hindi in common items of work, being done in different Government departments like pay bills etc. so that the facility of working on computers in Hindi may be available to all the Departments.

The recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Electronics and National Informatics Centre may take necessary action in this regard.

(22) The Committee has recommended that arrangements should be made under which the equipment, like computers etc, capable of working in bilingual form are available at a relatively lower price and in any case their cost should not be more than that of machines capable of working in Roman only.

The recommendation of the Committee has been accepted and the Department of Electronics may make arrangements, by way of concession in Excise duty etc. so that in any case the cost of bilingual computers etc. is not more than that of machines capable of working in Roman only.

(23) The Committee has recommended that the Department of Official Language should be reorganised in such a manner that there is no difficulty in proper implementation of the official language policy. Department of Official Language should be strengthened and provided with all resources.
The recommendation of the Committee has been accepted.

(24) The Committee has recommended that the Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad should immediately develop software for telegram system, to remove the difficulty in sending Devanagari telegrams in the absence of Devanagari software.

This recommendation has been accepted. The Department of Telecommunications may take immediate action for its implementation.

(25) As the telegram is also a form of correspondence, the Committee is of the view that all official telegrams to the Central Government Offices, State Governments and their offices and other individuals etc. in regions 'A' and 'B' and notified offices located in region 'C' should be sent in Devanagari only.

The recommendation has been accepted with the modification that all the telegrams from the offices, located at the places where the facility of sending telegrams in Devanagari is available, should be sent in Hindi only as per the targets prescribed by the Department of Official Language every year.

(26). The Committee has recommended that the standardisation of the Devanagari keyboards for the computers should be completed by the end of 1987.
This recommendation of the Committee has already been implemented.

(27) Regarding incentives, the Committee has recommended that:

(a) The employees who know English typing and stenography and learn Hindi typing and stenography and do their work in Hindi are given special incentive of Rs. 20 and Rs. 30 per month respectively, which is very meagre and unattractive. This should be increased to Rs. 100 and Rs. 200 respectively.

सरकारी कार्यालयों में केवल ऐसे कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक, टेलीपिंटर आदि स्थापित किये जाएं, जिनमें देवनागरी में कार्य करने की उपचाए उपलब्ध हों, इस प्रकार के आदेश पहले ही दिनांक 30 मई, 1985 को जारी कर दिये गये थे। इन आदेशों की पुनरावृत्ति की जाए।

(ख) कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिन्दु इलैक्ट्रानिकी विभाग को बनाया जाए।

सामति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि कम्प्यूटर तथा शब्द संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिन्द प्रत्येक विभाग का प्रशासन प्रभाग तथा इसमें किसी प्रकार की छूट देने के लिए जांच बिन्दु राजभाषा विभाग रहेगा।

(ग) टेलेक्स/टेलीप्रिंटर की खरीद के विषय में जांच बिन्द दूरसंचार विभाग को बनाया जाए।

समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। दूरसंचार विभाग इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करे।

(21) समिति ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न सरकारी विभागों में किए जाने वाले एक ही प्रकार के कार्य जैसे वेतन बिल आदि हिंदी में बनाने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा आवश्यक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाना चाहिए, जिससे कम्प्यूटर द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए सभी विभागों को सुविधा हो।

समिति की सिफारिश मान ली गई है। इसके लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र आवश्यक कार्रवाई करें।

(22) सामति ने यह सिफारिश की है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि द्विभाषी रूप में कार्य कर सकने वाले उपकरण जिनमें कम्प्यूटर आदि शामिल हैं, अपेक्षतया सस्ते उपलब्ध हो सकें और किसी भी दशा में उनका मूल्य केवल रोमन में कार्य कर सकने वाली मशीनों से अधिक न हो।

समिति की सिफारिश मान ली गई है। इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में उत्पाद-शुल्क आदि में रियायत करवा कर ऐसी व्यवस्था करे कि द्विभाषी कम्प्यूटरों आदि का मूल्य किसी भी हालत में केवल रोमन में कार्य कर सकने वाली मशीनों से अधिक न हो।

(23) सामति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा विभाग का इस प्रकार से पुनर्गठन किया जाए जिससे कि राजभाषा नीति के सुचारू अनुपालन के लिए किसी प्रकार की कठिनाई न हो। राजभाषा विभाग को पूरी तरह से सशक्त और साधन सम्पन्न बनाया जाए।

समिति की सिफारिश मान ली गई है।

(24) समिति ने यह सिफारिश की है कि तार प्रणाली के लिए देवनागरी सॉफ्टवेयर का निर्माण इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा तुरन्त किया जाए ताकि इसके अभाव में देवनागरी तारें भेजने में कोई कठिनाई न हों।

यह सिफारिश मान ली गई है। दूरसंचार विभाग इसके कार्यान्वयन के लिए तुरन्त कार्रवाई करे।

(25) समिति ने यह सिफारिश की है कि चूंकि तार भी पत्राचार का ही एक रूप है इसलिए राजभाषा नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा राज्य सरकारों और उनके कार्यालयों तथा अन्य व्यक्तियों आदि को तथा "ग" क्षेत्र में स्थित अधिसूचित कार्यालयों को सभी सरकारी तार केवल देवनागरी में ही भेजे जाएं।

समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि जहां-जहां देवनागरी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध है, वहां स्थित कार्यालयों में सभी तार राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिंदी में ही भिजवाए जाएं।

(26) समिति ने यह सिफारिश की है कि कम्प्यूटरों के देवनागरी कुंजीपटल का मानकीकरण 1987 के अन्त तक सम्पन्न कर लिया जाना चाहिए ।

समिति की सिफारिश पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है।

(27) प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) अंग्रेजी टाइपिंग और आशुलिपि जानने वालों को हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि सीखने पर और रोमन के साथ-साथ हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि का कार्य करने पर विशेष प्रोत्साहन क्रमश: 20/-रु. एवं 30/- रु. प्रति मास दिया जाता है जो कि अत्यन्त न्यून और अनाकर्षक है। इसे बढ़ाकर क्रमश: 100/- रु. और 200/- रु. कर दिया जाना चाहिए।

(b) The teleprinter and computer operators should also be paid some incentive for doing work in both languages. This incentive should be given for a fixed period say five years so that the concerned officials get experience of working in both languages during this period.

Special incentive for Hindi typing and stenography along with Roman has been increased from Rs. 20 and Rs. 30 respectively, to Rs. 40 and 60. Orders to this effect were issued on 16-7-1987. The Department of Official Language may again send the proposal relating to increase in incentives in accordance with the recommendations of the Committee to the Ministry of Finance and the computer and telex operators may also be included in its purview. The recommendation of the Committee that this incentive should be given for a fixed period of say five years may be reconsidered after five years.

(28) The Committee has recommended to ensure that all publications of the Government of India are brought out in bilingual form simultaneously. It is necessary that proper arrangements for printing in both Hindi and English are available in all the Government presses and the quality of Hindi printing should not be in any way inferior in comparison to English printing. It is also necessary that the officers and staff engaged in printing work, viz. compositors, proof readers etc. possess requisite training and experience for doing work in the Hindi Language.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Directorate of Printing may take necessary action in this regard,

(29) Orders regarding purchase of a certain percentage of Devanagari typewriters in different areas and provision of at least one Devenagari typewriter in each office as well as purchase of only those electronic devices/equipment that are capable of giving output in both Hindi and English languages have been issued by the Department of Official Language. But these orders have not been complied with properly by the various Ministries Departments/Offices and undertakings etc. thereby hampering the pace of use of Hindi as the Official Language and promoting the use of English Language. The Committee has recommended that in terms of Rule 12 of the Official Language Rules, stern action be taken against the Heads of Departments who have failed to properly comply with the orders on the subjects issued by the Department of Official Language.

The recommendation of the Committee has been accepted. For its implementation, the attention of all the offices may be drawn towards this recommendation and they may be asked to strictly comply with the orders issued from time to time in this regard by the Department of Official Language.

(30) The Committee has recommended that in regions “A” and “B” where bilingual equipments are installed these should be used mainly for doing work in Hindi in accordance with the rules regarding the official language. For this purpose strong and effective check-points should be prescribed and provision made for action against those violating them.

The recommendation that in regions "A" and "B" where bilingual equipments are installed these should be used mainly for doing work in Hindi in accordance with the rules regarding the Official Language and that for this purpose strong and effective check-points should be prescribed and provision made for action against those violating them has been accepted and the Department of Official Language may issue directions in this regard.

Sd/-
(N. K. MAHAJAN),
Joint Secretary, Government of India

(ख) टेलीप्रिंटर तथा कम्प्यूटर प्रचालकों को भी दोनों भाषाओं में काम करने के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना चाहिए और यह विशेष प्रोत्साहन कुछ समयावधि यथा पांच वर्ष तक ही दिया जाना चाहिए ताकि इस दौरान कर्मचारी को दोनों भाषाओं में काम करने का अनुभव प्राप्त हो जाए।

रोमन के साथ-साथ हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि का कार्य करने पर विशेष प्रोत्साहन कमश: 20/-रु. एवं 30/- रु. से बढ़ाकर 40/-रु. और 60/ रु. कर दिया गया है। इस आशय के आदेश 16-7-1987 को जारी किए गए थे। राजभाषा विभाग समिति की इस सिफारिश के अनुरूप प्रोत्साहन की राशि बढ़ाने का मामला पुनः वित्त मंत्रालय को भेजे तथा कम्प्यूटर और टैलेक्स आपरेटरों को भी इस आदेश की परिधि में लाया जाए। समिति की इस सिफिरिश पर कि इस प्रकार का प्रोत्साहन कुछ समयावधि, यथा पांच वर्ष तक ही दिया जाना चाहिए, पांच वर्ष के पश्चात् पुनः विचार किया जाए।

(28) समिति ने यह सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के सभी प्रकाशन द्विभाषी रूप में साथ-साथ ही निकाले जाएं यह आवश्यक है कि सभी सरकारी मुद्रणालय में हिंदी तथा अंग्रेजी के मुद्रण कार्य की सुचारू व्यवस्था उपलब्ध हो और हिंदी के मुद्रण कार्य का स्तर अंग्रेजी के मुद्रण कार्य से किसी भी प्रकार से कम न हो। यह भी आवश्यक है कि मुद्रण कार्य में लगे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों जैसे-कम्पोजिटरों, प्रूफरीडरों आदि को हिंदी भाषा में कार्य करने का अपेक्षित प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्राप्त हो।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। मुद्रण निदेशालय इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करे।

(29) राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में एक निश्चित प्रतिशत के देवनागरी टाइपइराइटर खरीदने और प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध कराने तथा हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों पर कार्य करने में सक्षम इलैक्ट्रानिक यंत्रों/उपकरणों आदि की खरीद के बारे में आदेश जारी किए गए हैं, किन्तु विभिन्न मंत्रालयों/विभाग/कार्यालयों तथा उपक्रमों आदि द्वारा समुचित अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है जिससे कि राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की गति अवरुद्ध हुई है और अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ावा मिला है। इस सम्बन्ध में समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा नियम के नियम 12 के अनुसार जिन विभागाध्यक्षों ने इस सम्बन्ध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों का समुचित रूप से अनुपालन नहीं किया है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

समिति की सिफारिश मान ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा सभी कार्यालयों का ध्यान समिति की सिफारिश की ओर दिलाया जाए तथा राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा जाए।

(30) समिति ने यह सिफारिश की है कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में जहां द्विभाषी यंत्र लगाए जाएं वहां उन यंत्रों का राजभाषा सम्बन्धी नियमों के अनुसार मुख्यतः हिंदी में कार्य करने के लिए ही प्रयोग किया जाए। इसके लिए मजबूत और कारगर जांच बिन्दु बनाए जाएं तथा इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया जाए।

"क" तथा "ख" क्षेत्रों में जहां द्विभाषी यंत्र लगाए जाएं वहां उन यंत्रों का राजभाषा सम्बन्धी नियमों के अनुसार मुख्यत: हिंदी में कार्य करने के लिए प्रयोग करने, इसके लिए मजबूत और कारगर जांच बिन्दु बनाए जाने तथा इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किए जाने के बारे में समिति की सिफारिश मान ली गई है तथा इस विषय में राजभाषा विभाग निर्देश जारी करे।

ह./-

(निशि कान्त महाजन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

# Presidential Order on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the Third Part of its Report

### Copy of the Government of India, Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) Resolution No. 13015/1/91-OL(D) dated 4 Nov., 1991

The Committee of Parliament on Official Language was constituted under Section 4(1) of the Official Languages Act, 1963. After reviewing the progress made in the use of Hindi for Official purposes of the Union and the training arrangements for imparting training through Hindi medium in Training Institutes, the Committee submitted the Third part of its Report in February, 1989 to the President of India, making recommendations on the arrangements to be made for Hindi training to Central Government employees as well as for imparting training through Hindi medium. In accordance with Section 4 (3) of the Official Languages Act. 1963, the Report was laid on the table of Lok Sabha and Rajya Sabha on 13th October, 1989 and 27th December, 1989 respectively. Copies of the Report were also sent to the State/Union Territory Governments. Since the recommendations of the Committee are related to the arrangements to be made for the Hindi training of Central Government employees and for imparting training through the Hindi medium, the opinion of various Ministries/Departments was also obtained. After considering the opinion expressed by the State/Union Territory Governments and various Ministries/Departments in this regard, a decision has been taken to accept most of the recommendations of the Committee in their original form or with certain modifications. Accordingly, the undersigned is directed to convey orders of the President on the recommendations made by the Committee in its Report in accordance with section 4(4) of the Official Languages Act, 1963 as under :-

**(A) Imparting Hindi Training to the employees**

**(1) Strengthening of Hindi Teaching Scheme and other departmental arrangements**

The Committee has recommended that the Hindi Teaching Scheme and other departmental arrangements should be strengthened to impart Hindi training to the Government employees.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may take necessary step to strengthen the Hindi Teaching Scheme and issue necessary directions for strengthening other departmental arrangements by circulating recommendations of the Committee to all the Ministries/Departments.

**(2) Incentives for Hindi training**

The Committee has recommended that the existing incentives for Hindi training be continued for some more time to come and also be made more attractive.

This recommendation has been accepted in principle. The Department of Official Language may take necessary steps to implement it.

**(3) Lump-sum cash awards to the employees on passing examinations under Hindi Teaching Scheme through one's own efforts**

The Committee has recommended that on passing the examination under the Hindi Teaching Scheme after learning Hindi either through one's own efforts or through a correspondence course or through voluntary organisation, the amount of lump-sum cash award to the employees be doubled.

The recommendation of the Committee has been accepted in principle and this amount has been raised to one and half times from July, 1989 in consultation with the Ministry of Finance. A fresh proposal may be sent to the Ministry of Finance to further increase this amount to double of what was prior to July, 1989.

**(4) Reviewing of courses under Hindi Teaching Scheme and improvements in them**

The Committtee has recommended that the different courses conducted by the Hindi Teaching Scheme should be reviewed from time to time and after bringing out improvements in them, they should be made more practicable for official work.

This recommendation of the Committee has also been accepted and necessary action has been taken. The Department of Official Language has already constituted a Review Committee to review the Hindi Teaching Scheme as well as the different courses conducted by it.

# संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के तीसरे खण्ड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश

### भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 4 नवम्बर, 1991 के संकल्प सं. 13015/1/91-रा.भा. (घ) की प्रति ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति तथा प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण तथा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में सिफारिशें करते हुए समिति ने अपने प्रतिवेदन का तीसरा खण्ड फरवरी, 1989 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे 13 अक्तूबर, 1989 को लोक सभा एवं 27 दिसम्बर, 1989 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसकी प्रतियां राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई। चूंकि सिफारिशों का संबंध केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण तथा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था से है, अत: इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से भी राय आमंत्रित की गई । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मत पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है:

**(क) कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण**

**(1) हिंदी शिक्षण योजना तथा विभागीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण**

समिति ने सिफारिश की है कि सरकारी कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देने के लिए हिंदी शिक्षण योजना तथा अन्य विभागीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग हिंदी शिक्षण योजना को सदृढ करें और समिति की सिफारिश सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित करते हुए विभागीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

**(2) हिंदी प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन व्यवस्था**

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी का प्रशिक्षण लेने पर वर्तमान प्रोत्साहन व्यवस्था को कुछ समय और चालू रखा जाए तथा इसे और अधिक आकर्षक बनाया जाए।

यह सिफारिश सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग समुचित कार्रवाई करे।

**(3) निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षा पास करने पर एक-मुश्त राशि**

समिति ने सिफारिश की है कि निजी प्रयत्नों से, पत्राचार द्वारा तथा स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रशिक्षण पाकर हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षा पास करने पर कर्मचारियों को एक-मुश्त पुरस्कार की राशि दुगुनी कर दी जाए।

सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह राशि जुलाई 1989 से डेढ़ गुना की जा चुकी है। इसे दुगुना करने के लिए वित्त मंत्रालय को पुनः प्रस्ताव भेजा जाए।

**(4) हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रमों की समीक्षा और उसमें सुधार**

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी शिक्षण योजना द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाए और उनमें सुधार कर उन्हें कार्यालयीन काम की दृष्टि से अधिक व्यावहारिक बनाया जाये।

समिति की सिफारिश भी स्वीकार कर ली गई है। हिंदी शिक्षण योजना तथा इसके अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की समीक्षा के लिए राजभाषा द्वारा एक पुनरीक्षण समिति के गठन के लिए समुचित कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

**(5) Fixing a time-limit for imparting training in Hindi**

The Committee has recommended that the employees of region 'A' and 'B' who are yet to be trained in Hindi, may be imparted this training by the end of year 1990 and to those belonging to region 'C' by the end of year 1993.

The period stipulated by the Committee for region 'A' and 'B' has already expired. In view of the present number of untrained employees and the difficulties faced in availability of financial resources the recommendation of the Committee has been accepted with the modification that the existing number of employees of the offices located in region 'A' and 'B' and those belonging to region 'C' would be imparted training in Hindi by the end of year 1997 and 2000 respectively. This matter may also be referred to the Review Committee being constituted by the Department of Official Language for Hindi Teaching Scheme so that it could, keeping in view the said target, suggest suitable improvements/changes which are to be made in the present Hindi Teaching programmes to fulfil this recommendation.

**(6) Imparting training to the newly recruited employees**

The Committee has recommended that the newly recruited employees be imparted training in Hindi prior to professional training.

This recommendation has also been accepted in principle. Action has already been taken in this regard and in pursuance thereof the Department of Official Language has set up two sub-institutes of the Central Hindi Training Institute in Madras and Hyderabad during the year 1990-91. The Department of Official Language may set up additional sub-institutes of the Central Hindi Training Institute every year for full time intensive Hindi Training. Simultaneously all the Ministries/Departments may be directed to make such arrangements in all their respective training institutes so that such employees who do not know Hindi could be imparted intensive Hindi training before giving them professional training.

**(7) New Centres of Hindi Teaching Scheme**

The Committee has recommended that new Centres of Hindi Teaching Scheme should be set up in region 'C'.

This recommendation of the Committee has been accepted.

**(8) Relaxation in the norms for setting up new Centres under Hindi Teaching Scheme**

The Committee has recommended that the norms for opening of Hindi Teaching Centres for Central Government employees in the remote towns may be relaxed.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may send fresh proposal to Department of Expenditure 10 accord relaxation in the existing norms for the opening of new centres in 'C' region.

**(9) Incentives for Hindi Pradhyapaks Working in 'B' and 'C' region**

The Committee has recommended that additional financial incentives may be given to Hindi Pradhyapaks working in 'B' and 'C' Regions and relaxation should be given in the prescribed educational qualifications and/or age limit also.

To give relaxation in educational qualification or age limit is not practicable on the principle of equality and it may create constitutional difficulties. However, this recommendation in so far as it relates to the provision of financial and other incentives to the Hindi Pradhyapaks working at remote places in region 'B' and 'C' may be considered by the Department of Official Language in consultation with the Ministry of finance and Department of Personnel and Training has been accepted.

**(10) Increase in the rates of honorarium to the Part-time teachers**

The Committee has recommended that the rates of honorarium to the part-time teachers of Hindi Teaching Scheme may be increased from time to time.

This recommendation has been accepted in principle. Keeping in view the present difficult situation regarding availability of financial resources, the Department of Official Language in Consultation with the Ministry of Finance may take appropriate action.

**(11) Relaxation in norms for creation of new posts of teachers**

The Committee has recommended that norms prescribed for the creation of new posts of Hindi Teachers may be further relaxed.

**(5) हिंदी प्रशिक्षण के लिए समय-सीमा का निर्धारण**

समिति ने सिफारिश की है कि "क" और "ख" क्षेत्रों में हिंदी प्रशिक्षण के लिए बचे हुए वर्तमान कर्मचारियों को वर्ष 1990 के अंत तक तथा "ग" क्षेत्र में वर्ष 1993 के अंत तक प्रशिक्षित कर दिया जाये।

समिति द्वारा "क" एवं "ख" क्षेत्र के लिए निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। अपेक्षित कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा वित्तीय संसाधनों की उपब्धता की कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि "क" एवं "ख" क्षेत्रों में वर्तमान कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 1997 के अंत तक तथा "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को वर्ष 2000 के अंत तक पूरा कर लिया जाये। राजभाषा विभाग द्वारा शिक्षण योजना के लिए गठित की जा रही पुनरीक्षण समिति को भी यह मामला सौंपा जाये ताकि इस लक्ष्य को देखते हुए यह सुझाव दें कि वर्तमान हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्या सुधार/परिवर्तन किये जाने अपेक्षित है।

**(6) नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण**

समिति ने सिफारिश की है कि नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण से पहले हिंदी प्रशिक्षण दिया जाए।

समिति ने यह सिफारिश भी सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग ने इस मामले में कार्रवाई कर केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दो और नये उपसंस्थान वर्ष 1990-91 के दौरान मद्रास तथा हैदराबाद में खोले हैं। राजभाषा विभाग पूर्णकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त उप संस्थान हर वर्ष खोलें, साथ ही सभी मंत्रालयों/विभागों को निदेश दिया जाये कि वे अपने-अपने अधीनस्थ सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इस प्रकार का प्रबंध कर लें कि हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने से पहले हिंदी का गहन प्रशिक्षण दिया जाये।

**(7) हिंदी शिक्षण योजना के नये केन्द्र**

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी शिक्षण योजना के नए केन्द्र "ग" क्षेत्र में खोले जाएं।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है।

**(8) हिंदी शिक्षण योजना के नये केन्द्र खोलने के प्रतिमानों में ढील**

समिति ने सिफारिश की है कि दूरस्थ नगरों में केन्द्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रतिमानों में ढील दी जाये।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है। राजभाषा विभाग वर्तमान मानदंड में "ग" क्षेत्र में नये केन्द्र खोलने के लिए ढील देने के लिए व्यय विभाग को पुनः प्रस्ताव भेजे।

**(9) "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में कार्यरत हिंदी प्राध्यापकों को प्रोत्साहन**

समिति ने सिफारिश की है कि "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में काम करने वाले हिंदी प्राध्यापकों के लिए कुछ वित्तीय आकर्षण उपलब्ध कराये जाएं और निर्धारित योग्यता अथवा आयु सीमा में ढील दी जाये ।

"ख" और "ग" क्षेत्रों के लिए प्राध्यापकों की योग्यता अथवा आयु सीमा में ढील देना समान अवसर के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है और इसमें संवैधानिक कठिनाइयां भी आ सकती हैं। तथापि समिति की यह सिफारिश मान ली गई है कि "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में से कुछ ऐसे दूरस्थ स्थानों के विषय में वित्तीय तथा अन्य आकर्षण देने के मामले पर राजभाषा विभाग विचार करे और इस संबंध में वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करें।

**(10) अंशकालिक प्राध्यापकों के लिए मानदेय की दरों में वृद्धि**

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी शिक्षण योजना के अंशकालिक प्राध्यापकों के लिए मानदेय की दरों में समय-समय पर वृद्धि की जाये।

यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है। तथापि वित्तीय संसाधनों को उपलब्धता की वर्तमान कठिन स्थिति को देखते हए, राजभाषा विभाग इस विषय में वित्त मंत्रालय से परामर्श करने के पश्चात् समुचित कार्यवाही करे।

**(11) प्राध्यापकों के नये पद सृजित करने के लिए प्रतिमानों में ढील**

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी प्राध्यापकों के नये पद सृजित करने के लिए निर्धारित प्रतिमानों में ढील देने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

This recommendation has been accepted in principle. Since this recommendation involves the question of availability of financial resources, the Department of Official Language should prepare a detailed proposal in this matter and consult the Department of Expenditure.

**(12) Converting part-time centres into full time centres**

The Committee has recommended that the existing part-time arrangements for in service Hindi training may be converted into full-time arrangements.

At the moment, various arrangements are available for in service Hindi training viz intensive course; part-time training at full time centres; part-time training at part-time training centres as well as training course through correspondence. Since all these arrangements have been made according to the requirements of the different categories of employees, therefore, it is necessary to continue all these arrangements simultaneously. Full-time training centres are however, already being opened by the Central Hindi Training Institute. Therefore, this recommendation of the Committee has been accepted with the modification that wherever practicable and possible full time centres may be opened. At the same time the existing part time arrangements may also continue.

**(13) Appointing substitutes in lieu of the employees deputed for training**

The Committee has recommended that arrangements should be made for appointing substitutes in lieu of the employees deputed for intensive Hindi training.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language, in consultation with the Department of Personnel & Training, may issue directions to all the Ministries/Department for its implementation.

**(14) Roster for the untrained employees**

The Committee has recommended that the rosters of employees untrained in Hindi may be maintained in all the offices as per rules.

This recommendation of the Committee has been accepted. In fact the directions in this regard have already been issued by the Department of Official Language. However, the Department of Official Language should bring this recommendation of the Committee to the notice of all the Ministries/Departments etc. and request them for strict compliance of the existing directions.

**(15) Facilities to the newly trained employees for working in Hindi**

The Committee has recommended that facilities as well as incentives should be provided to the newly trained employees for working in Hindi after the training.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may issue directions to all the Ministries/Departments etc. for compliance and request them to follow the directions completely to provide books and reference literature to the trained employees. In addition all the Ministries/Departments may also be requested to get reference literature prepared in Hindi and ensure its distribution to all their officers and employees.

**(16) Compulsory Hindi training for the employees of Industrial establishments**

The Committee has recommended that Hindi training should be made compulsory for those officers/employees of the industrial establishments who have to do some desk work.

This recommendation has been accepted in principle. The Department of Official Language may take appropriate action in this regard.

**(17) Grants-in-aid and incentives to voluntary organisations engaged in Hindi teaching**

The Committee has recommended that the quantum of grants-in-aid being given to the voluntary organisations engaged in Hindi teaching should be suitably enhanced, special grants should be provided to them for purchase of mechanical equipments. Consultancy and assistance may be provided to them to bring the courses conducted by them on the pattern of Hindi Teaching Scheme, special grants may also be given to them for books, publications, construction of building, etc. and the Government should appoint a high powered committee in this regard to evaluate the working and problems of these voluntary organisations and prepare a well planned co-ordinated programme and may prescribe new and more liberal norms for the grant-in-aid to be given to them. The Committee has further recommended that on passing the examinations conducted by these organisation, the Central Government employees should get all the incentives which they would have otherwise got on passing the examinations conducted by the Hindi Teaching Scheme.

यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है परन्तु चूंकि इसमें वित्तीय संसाधनों का प्रश्न जुड़ा हुआ है, अतः राजभाषा विभाग इस विषय में विस्तृत प्रस्ताव बनाकर व्यय विभाग से परामर्श करे।

**(12) अंशकालिक केन्द्रों का पूर्णकालिक केन्द्रों में परिवर्तन करना**

समिति ने सिफारिश की है कि सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण की वर्तमान अंशकालिक व्यवस्था को पूर्णकालिक व्यवस्था में बदल दिया जाये।

सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण के लिए इस समय गहन पाठ्यक्रम, पूर्णकालिक केन्द्रों पर अंशकालिक प्रशिक्षण, अंशकालिक केन्द्रों पर अंशकालिक प्रशिक्षण तथा पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। यह व्यवस्था विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार ही की गयी है। अतः इन सभी व्यवस्थाओं को साथ-साथ चालू रखना अपरिहार्य है। तथापि केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पहले ही पूर्णकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं। अतः समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली है कि व्यावहारिक रूप में जहां कहीं संभव हो, पूर्णकालिक केन्द्र खोले जाएं। साथ-साथ इन्हीं व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुसार अंशकालिक व्यवस्था भी अभी जारी रखी जाए।

**(13) प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों के लिए स्थानापन्न नियुक्ति की व्यवस्था**

समिति मे सिफारिश की है कि गहन हिंदी प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों के लिए स्थानापन्न नियुक्ति की व्यवस्था की जाए।

यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग इस विषय में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने के पश्चात् सभी मंत्रालयों/विभागों को इस का अनुपालन करने के लिए निदेश जारी करे।

**(14) अप्रशिक्षित कर्मचारियों का रोस्टर**

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी में अप्रशिक्षित कर्मचारियों के रोस्टर सभी कार्यालयों में नियमानुसार रखे जाएं।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। इस विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा पहले ही निदेश दिए जा चुके हैं। तथापि राजभाषा विभाग समिति की सिफारिश सभी मंत्रालयों/विभागों आदि के नोटिस में लाए तथा कर्मचारियों के रोस्टर के विषय में वर्तमान निदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए अनुरोध करे।

**(15) नव प्रशिक्षित कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए सुविधाएं।**

समिति ने सिफारिश की है कि नवप्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण के बाद हिंदी में कार्य करने लिए सुविधाएं और प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएं।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है, राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इसके अनुपालन के लिए निदेश जारी करे तथा उनसे अनुरोध करे कि इस विषय में प्रशिक्षित कर्मचारियों को पुस्तकें और संदर्भ-साहित्य उपलब्ध कराने के विषय में जारी किए गए निदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। साथ ही सभी मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध किया जाए कि संदर्भ-साहित्य को हिंदी में तैयार कराया जाए और इसका वितरण सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में सुनिश्चित किया जाए।

**(16) औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण की अनिवार्यता**

समिति ने सिफारिश की है कि औद्योगिक संस्थानों के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जिन्हें लिखने-पढ़ने का कार्य करना पड़ता है, हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है। इस संबंध में राजभाषा विभाग समुचित कार्रवाई करे।

**(17) हिंदी शिक्षण का कार्य कर रही स्वयं-सेवी संस्थाओं को अनुदान तथा प्रोत्साहन**

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी शिक्षण का कार्य कर रही स्वयं-सेवी संस्थाओं को दिए जा रहे अनुदान की राशि उपयुक्त रूप से बढ़ाई जाए, यांत्रिक उपकरणों की खरीद के लिए उन्हें विशेष अनुदान दिया जाए, उनके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रमों के अनुरूप रखने के लिए परामर्श तथा सहायता प्रदान की जाए, उन्हें पाठ्य-पुस्तकों, प्रकाशनों, भवन-निर्माण आदि के लिए विशेष अनुदान दिया जाए तथा सरकार द्वारा शीघ्र ही इस संबंध में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए जो इन स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यों तथा समस्याओं आदि का मूल्यांकन करके सुनियोजित समन्वित कार्यक्रम तैयार करे और इन्हें दिये जाने वाले अनुदान के लिए नए और उदार मानदण्ड निर्धारित करे। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इन संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर, केन्द्रीय कर्मचारियों को वे सभी प्रोत्साहन उपलब्ध होने चाहिएं जो कि उनको हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर प्राप्त होते हैं।

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Education may appoint a high powered Committee in this regard, which may consider the issues raised in the recommendations of Committee of Parliament or Official Language and present its report to the Department of Education.

**(18) Correspondence Courses for Hindi Teaching**

The Committee has recommended that the correspondence courses of Central Hindi Directorate may be expanded and all the employees given admission to these courses. Under the correspondence course the training may be imparted through all the Indian languages and apart from English through other foreign languages like Arabic, Chinese, German, French, Spanish etc.

The recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Education may be requested to expand, as per requirement, the correspondence course being run by the Central Hindi Directorate and the Government employees should be exempted from the fees charged for the correspondence courses. From 1990-91, an additional correspondence course has been started by the Central Hindi Training Institute. Training in Hindi to Govt. employees should be given through English-Hindi medium. The Committee's recommendation regarding conducting correspondence courses through the medium of all the Indian languages and also through foreign languages other than English has been accepted in principle with the modification that the Department of Education may prepare necessary time-bound programme and implement the same. The recommendation regarding the availability of the correspondence courses to all the employee has also been accepted with the modification that only those employees may avail themselves of the benefit of the correspondence courses who cannot take part in the regular courses of the Hindi Teaching Scheme and Central Hindi Training Institute.

**(19) Strengthening of Central Hindi Training Institute**

The Committee has recommended that Central Hindi Training Institute and its sub-centres established to impart intensive training to newly recruited employees should be strengthened.

This recommendation of the Committee has been accepted and is being implemented. Two Sub-Centres of the Training Institute have been established in the year 1990-91 and during the Eighth Five year Plan it is proposed that more Sub-Centres may be established in other parts of the country. Sufficient provision has been proposed in the Eighth Five year Plan to strengthen the Central Hindi Training Institute and its Sub-Centres.

**(20) Hindi Training in long-term courses**

The Committee has recommended that training institute of various Ministries/Departments/Undertakings, etc. conducting long term courses should also teach Hindi as a subject. Financial sanctions for additional posts required for this purpose in the institutes should be accorded immediately.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language should request all the Ministries/Departments etc. to make necessary arrangements in training institutes directly under their charge and under the charge of Undertakings controlled by them.

**(21) Extension of departmental training arrangements for Hindi training**

The Committee has recommended that Ministries Departments having no Hindi Training arrangements as yet should also make necessary departmental arrangements.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language should direct all the Ministries/Departments to consider making departmental arrangements for imparting Hindi training in their Attached/Subordinate Offices/Undertakings/Autonomous bodies etc. and ensure Departmental arrangements as per requirement so that training in Hindi could be imparted to the remaining employees.

**(22) Broadcasting/telecasting Hindi course by All India Radio and Television**

The Committee has recommended that the duration and frequency of Hindi lessons broadcast by All India Radio should be increased and these lessons should also be telecast over Doordarshan.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Ministry of Information and Broadcasting and Ministry of Human Resource Development may review the situation according to this recommendation and take effective measures to implement the recommendation.

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। शिक्षा विभाग इस विषय में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करें तथा यह उच्च अधिकार प्राप्त समिति संसदीय राजाभाषा समिति की सिफारिश में उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करे और अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करे।

**(18) हिंदी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम**

समिति ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रमों का विस्तार किया जाए। इन पाठ्यक्रमों में सभी कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाए। पत्राचार पाठ्यक्रमों में शिक्षण सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम से तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं-जैसे अरबी, चीनी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश आदि के माध्यम से भी दिया जाए।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। शिक्षा विभाग से अनुरोध किया जाए कि वह केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा चलाए गए पत्राचार पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार विस्तार करे तथा निदेशालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए, लिए जाने शुल्क को सरकारी कर्मचारियों के लिए माफ करे। केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भी वर्ष 1990-91 से अतिरिक्त पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण अंग्रेजी-हिंदी माध्यम से ही दिया जाना अपेक्षित है। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे अन्य पत्राचार पाठ्यक्रमों को सभी भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजीतर विदेशी भाषाओं के माध्यम से चलाने के विषय में समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ सिद्धान्ततः मान ली गई है कि शिक्षा विभाग इस संबंध में आवश्यकतानुसार एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाए और इसका कार्यान्वयन करे। सभी कर्मचारियों को पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिश भी इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि पत्राचार पाठ्यक्रम का लाभ वही कर्मचारी उठाए जो हिंदी शिक्षण योजना तथा केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की नियमित कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते।

**(19) केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण**

समिति ने सिफारिश की है कि नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा इसके उप संस्थानों को सुदृढ़ किया जाए।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 1990-91 में प्रशिक्षण संस्थान के दो और उप-संस्थान खोले जा चुके हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश के अन्य भागों में भी अतिरिक्त उप-संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और उसके उप-संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में समुचित प्रावधान प्रस्तावित किये गये हैं।

**(20) दीर्घ अवधि पाठ्यक्रमों में हिंदी का प्रशिक्षण**

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि के प्रशिक्षण संस्थानों में जहां दीर्घ अवधि के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं वहां हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। प्रशिक्षण संस्थानों में वर्तमान व्यवस्था के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति अविलंब दी जानी चाहिए।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे कि वह अपने अधीनस्थ व अपने उपक्रमों के अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसी व्यवस्था कराएं।

**(21) हिंदी प्रशिक्षण के लिए विभागीय प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तार**

समिति ने सिफारिश की है कि जिन मंत्रालयों/विभागों में अभी हिंदी प्रशिक्षण के लिए विभागीय व्यवस्था नहीं है, वे भी आवश्यकतानुसार विभागीय व्यवस्था करें।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को निदेश दे कि वह अपने अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में हिंदी प्रशिक्षण के लिए विभागीय व्यवस्था के विषय में विचार करे तथा आवश्यकतानुसार विभागीय व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि हिंदी शिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सके।

**(22) आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा हिंदी पाठ्यक्रमों का प्रसारण**

समिति ने सिफारिश की है कि आकाशवाणी द्वारा हिंदी भाषा पाठों के प्रसारण की अवधि तथा आवृत्ति की जाए तथा दूरदर्शन से भी हिंदी पाठ प्रसारित किए जाएं।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस सिफारिश के अनुरूप स्थिति की समीक्षा करे तथा सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए समुचित कदम उठाएं।

**(B) Organising Hindi Workshops**

The Committee has recommended that to overcome the hesitation of the officials to work in Hindi, workshops should be so organised that all such employees who possess knowledge of Hindi but have never been nominated for such workshops can participate in them. The Committee has also recommended that such workshops be organised regularly during the period of next five years with a view to ensure that every Hindi knowing employee is able to take part therein at least once a year and that he gets a fair opportunity to do his work originally in Hindi.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle, Department of Official Language may reiterate its directives on the subject and recirculate to all the Ministries/Departments and offices etc. detailed instructions on organising workshops during the period of the next five years.

**(C) Facilities for Hindi teaching in educational institutes all over the country**

The Committee has recommended that Central Government may review the situation regarding teaching of Hindi in various parts of the country and ensure that proper arrangements exist all over the country in schools, colleges and universities for teaching various subjects through the Hindi medium and that there are no obstacles to the learning and teaching of Hindi or to the learning of and teaching through the Hindi-medium.

Since the primary responsibility of imparting education is of the State Governments, this recommendation of the Committee has been accepted only in principle. The Department of Education may take necessary steps to implement this recommendation in schools, colleges and universities run by Central Government. Besides, Department of Education should inform State Governments about this recommendation and should request them to take necessary measures to implement this recommendation.

**(D) Implementation of three-language formula**

The Committee has recommended that effective measures should be taken to implement the three-language formula in all States immediately and time limit should be fixed for this purpose and concrete steps taken to achieve the target.

Since the responsibility for implementing the three language formula, primarily rests with the State Government, this recommendation of the committee has been accepted in principle. The Department of Education, after thorough consideration and where necessary in consultation with the State Governments should chalk out specific programmes and encourage the State Governments for its implementation. Besides, the Department of Education should take effective steps for the implementation of three-language formula in Central Schools and Navodaya Vidyalayas under their control.

**(E) Option of Hindi in interview for recruitment**

The Committee has recommended that advertisements for recruitment, bio-data *f*orms and call-letters for interviews to be sent to the candidates should be both in Hindi and English. Besides, it should be specifically made clear to the candidates that they can opt for either Hindi or English in the interview, In addition, he should also be asked to intimate in writing the language, in which he would like to be interviewed so that the Selection Board might interview him in that language. The Committee has also recommended that interview boards should also be so constituted that the members of the Board should have knowledge of Hindi.

The recommendation of the Committee that in interview for recruitment, option of Hindi medium should be also available along with English and that candidates should be clearly asked in the call letter to intimate their option regarding the language of interview, has been accepted. The recommendation regarding constitution of Selection Board has also been accepted in principle with the modification that Selection Boards should be constituted in such a way that conversation with the candidates who desire to be interviewed in Hindi could be carried on in Hindi.

The Department of Personnel and Training should issue appropriate directions to all the Ministries/ Departments in this regard.

**(F) Option of Hindi medium in recruitment and entrance examination of agriculture, engineering and medical sciences**

The Committee has recommended that in agriculture, engineering and medical science, institutes, which are under the control of the Central Government in one way or the other the option of Hindi medium should be immediately made available to the candidates in the entrance and recruitment examination conducted by them and they should also make arrangements for imparting instructions through the medium of Hindi in case a candidate so desires. The Committee has also recommended that serious efforts should be made, for commencing medical education through the medium of Hindi also in the near future and that for this purpose action should be initiated to get the text books and reference literature prepared in Hindi.

**(ख) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन**

समिति ने सिफारिश की है कि सभी कार्यालयों द्वारा हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए कार्यशालाएं इस ढंग से आयोजित की जाएं जिससे कि उन सभी कर्मचारियों को, जिन्हें हिंदी का ज्ञान है और जो अभी तक ऐसी कार्यशालाओं में नहीं भेजे गए हैं, वे इसमें भाग ले सकें। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अगले 5 वर्षों तक ऐसी कार्यशालाओं का नियम-पूर्वक आयोजन किया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य यह हो कि प्रत्येक हिंदी जानने वाले कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम एक बार इसमें आकर हिंदी में मूल रूप से काम करने का अभ्यास करने का अवसर मिल सके।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है। राजभाषा विभाग इस विषय में अपने निदेशों की पुनरावृत्ति करते हुए अगले 5 वर्षों तक कार्यशालाओं के आयोजन के विषय में पुनः विस्तृत निदेश सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों आदि को परिचालित करे ।

**(ग) देश के सभी भागों में शिक्षा संस्थानों में हिंदी पढ़ाने की सुविधाएं**

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों में हिंदी की पढ़ाई के विषय में वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए सुनिश्चित करे कि देश भर से सभी जगह विद्यालयों, महाविद्यालयों में तथा विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई हिंदी में भी करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध हो तथा हिंदी अथवा हिंदी माध्यम से पठन-पाठन करने के लिए कोई बाधा नहीं हो।

क्योंकि शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है, समिति की यह सिफारिश केवल सिद्धांत रूप में मान ली गई है। शिक्षा विभाग इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आवश्यक कदम उठाए। साथ ही शिक्षा विभाग सभी राज्य सरकारों आदि को समिति की इस सिफारिश से अवगत कराते हुए, इसके कार्यान्वयन के लिए उपाय करने के लिए भी अनुरोध करे ।

**(घ) त्रिभाषा-सत्र का कार्यान्वयन**

समिति ने सिफारिश की है कि त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं तथा इस कार्य के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाए और उसके अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस कदम उठाए।

चूंकि त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों पर है, अत: समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार की गई है। शिक्षा विभाग इस विषय में पूरे सोच-विचार के साथ तथा जहां आवश्यक हो, राज्य सरकारों के परामर्श के साथ एक निश्चित कार्यक्रम बनाये और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करे। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग अपने नियंत्रणाधीन केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए।

**(च) भर्ती के लिए साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प**

समिति ने सिफारिश की है कि भर्ती संबंधी विज्ञापनों, विवरण-पत्रों तथा साक्षात्कारों के लिए उम्मीदवारों को भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में हों और उनमें न केवल यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाए कि उम्मीदवार साक्षात्कार में हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग इच्छानुसार कर सकता है, बल्कि उसे लिखित रूप में यह सूचना देने के लिए भी कहा जाए कि वह किस भाषा का माध्यम चाहता है, ताकि चयन बोर्ड द्वारा उसका साक्षात्कार, उसी भाषा में लिया जाए । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि साक्षात्कार लेने वाले चयन बोर्ड का गठन इस प्रकार किया जाए कि उसके सदस्यों को हिंदी का भी ज्ञान हो।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है कि भर्ती के लिए साक्षात्कार में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का विकल्प भी उपलब्ध हो तथा इस विषय में साक्षात्कार पत्र में स्पष्ट रूप से उम्मीदवार को साक्षात्कार की भाषा के बारे में विकल्प सूचित करने के लिए कहा जाए। चयन बोर्ड के गठन संबंधी सिफारिश भी सिद्धांत रूप में इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि चयन बोर्ड का गठन इस प्रकार किया जाए कि हिंदी में साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थी से हिंदी में ही बातचीत की जा सके।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इस विषय में सभी मंत्रालयों/विभागों को समुचित निदेश जारी करे।

**(छ) कृषि, इंजीनियरिंग तथा आयुर्विज्ञान की भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प**

समिति ने सिफारिश की है कि कृषि, इंजीनियरिग तथा आयुर्विज्ञान के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में, जो किसी न किसी रूप में भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में तुरन्त हिंदी माध्यम का विकल्प प्रदान किया जाए और इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि वहां जो भी विद्यार्थी हिंदी माध्यम से पढना चाहे, उसे हिंदी माध्यम से शिक्षण/प्रशिक्षण दिया जा सके। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि आयुर्विज्ञान की शिक्षा भी निकट भविष्य में हिंदी माध्यम से पूरी करने के लिए अभी से प्रयत्न किया जाए और इसके लिए पाठ्य-सामग्री और संदर्भ साहित्य का भी हिंदी में निर्माण कराया जाए।

This recommendation of the Committee that option of Hindi medium in entrance examination should be immediately made available in all such institutes which are under the control of Central Government one way or the other has been accepted. The Department of Education. Indian Council of Agricultural Research and Ministry of Health and Family Welfare should ensure appropriate action in this regard so that option of Hindi medium could immediately be made available to the candidates in the entrance examinations. In the matter of option of Hindi medium for imparting education in engineering and agriculture, the recommendation of Committee has been accepted in principle. However, various institutes should be allowed to formulate a time bound programme to provide the option of Hindi medium keeping in view the circumstances. The Department of Education and Indian Council of Agricultural Research may issue appropriate directions to the institutes under their control and ensure their compliance.

The recommendation of the Committee that serious efforts should be made to impart education in medical sciences through Hindi medium in near future and that for this purpose, action should be initiated for preparation of text books and reference literature in Hindi has been accepted. Ministry of Health and Family Welfare may ensure appropriate action in this matter and formulate a time-bound programme for this purpose and take action accordingly.

**(G) Review of various recruitment rules in vogue so as to ensure that requisite changes are made in accordance with the Official Language Resolution, 1968**

The Committee has recommended that according to the Official Language Resolution, 1968 passed by Parliament recruitment rules of all posts should be reviewed with a view to examining whether it is necessary to have the knowledge of English and Hindi or both at the time of recruitment. Where for a particular post the knowledge of a particular language is not essential, the option of English or Hindi should be given to the candidate and if at the time of recruitment he does not have the knowledge of Hindi, a provision should be made in the rules requiring him to acquire the same during his probation period.

The recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language, in consultation with the Department of Personnel and Training may request all the Ministries/Departments to review the recruitment rules in view of the said provision in accordance with a time-bound programme, in the case of candidates who do not have knowledge of Hindi. Department of Personnel and Training may be requested to make a provision requiring them to acquire the requisite knowledge of Hindi during the probation period.

**(H) Training through the medium of Hindi in the Training Institutions**

**(1) All types of Training to be imparted through Hindi medium**

The Committee has recommended that all types of training courses whether they are of short duration or long duration, should be conducted through Hindi Medium as after undergoing training in Hindi medium it would be convenient for the employees to do their work originally in Hindi. This provision should be given effect to immediately at least in the training institutions functioning in regions 'A' and 'B', In case some of the employees nominated for training in these Institutes do not possess knowledge of Hindi of the requisite standard, they should be sent for training only after they attain such knowledge of Hindi.

This recommendation has been accepted in principle with respect to regions 'A' and 'B'. The Department of Official Language may, in continuation of their Office memorandum dated 11-11-1987, issue instructions to all the Ministries/Departments for its implementation within the prescribed period.

**(2) Arrangements for Hindi training on the commencement or service for new recruits who do not possess knowledge of Hindi**

The Committee has recommended that if newly recruited employees who do not have knowledge of Hindi are required to receive training on the commencement of their service, arrangements should be made to impart Hindi training first.

This recommendation has been accepted in principle. The Department of Official Language may issue directions to all the Ministries/Departments to implement the same.

**(3) Conducting Intensive training courses in Hindi in long-term training courses of the training institute**

The Committee has recommended that wherever long term training courses are being conducted, intensive training courses in Hindi should also be conducted in the training institutes so that the trainees who do not know Hindi, undergo the professional training after acquiring the knowledge of Hindi.

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है कि ऐसे संस्थानों, जो किसी-न-किसी रूप में भारत सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, प्रवेश परीक्षाओं में तुरन्त हिंदी माध्यम का विकल्प प्रदान किया जाए। शिक्षा विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस विषय में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि हिंदी भाषा का विकल्प प्रवेश परीक्षाओं में तुरन्त दिया जा सके। इंजीनियरिंग तथा कृषि की शिक्षा में हिंदी माध्यम के विकल्प के विषय में समिति की सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है तथापि इस विषय में विभिन्न संस्थानों को छूट दी जाए कि वे हिंदी माध्यम का विकल्प देने के लिए परिस्थितियों को देखते हुए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं। शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अपने नियंत्रणाधीन संस्थानों को इस बारे में समुचित निदेश दें तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

समिति की यह सिफारिश भी सिद्धांत रूप में मान ली गई है कि आयुर्विज्ञान की शिक्षा भी निकट भविष्य में हिंदी माध्यम से प्रारम्भ करने के लिए अभी से गंभीर प्रयास किए जाएं तथा पाठ्य-सामग्री और साहित्य का निर्माण कराया जाए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस विषय में समुचित कार्रवाई सनिश्चित करे और इसके लिए एक समयबद्ध योजना बना कर उसके अनुसार कार्रवाई करे।

**(ज) राजभाषा संकल्प, 1968 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भर्ती नियमों की समीक्षा**

समिति ने सिफारिश की है कि संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1968 के परिप्रेक्ष्य में सभी पदों के भर्ती नियमों की इस दृष्टि से समीक्षा की जाए कि भर्ती के समय अंग्रेजी का अथवा हिंदी का अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान निर्धारित करना आवश्यक है या नहीं। जहां किसी पद विशेष के लिए किसी विशेष भाषा का ज्ञान अनिवार्य करना आवश्यक न हो, वहां हिंदी अथवा अंग्रेजी के ज्ञान का विकल्प प्रत्याशी के लिए उपलब्ध होना चाहिए और भर्ती के समय हिंदी का ज्ञान न होने पर उसे परिवीक्षा अवधि के दौरान अर्जित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग इस संबंध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करे कि वह उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में भर्ती नियमों का एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण करे। भर्ती के समय हिंदी का निर्धारित ज्ञान न होने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि के दौरान हिंदी में निर्धारित स्तर का यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रावधान करने के निमित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध किया जाए।

**(झ) प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण**

**(1) सभी प्रकार का प्रशिक्षण हिंदी माध्यम से सम्पन्न हो।**

समिति ने सिफारिश की है कि सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, हिंदी माध्यम से ही सम्पन्न होना चाहिए ताकि हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण लेने के बाद कर्मचारियों के लिए हिंदी में ही मूल कार्य करना सुविधाजनक हो। कम से कम "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थिति प्रशिक्षण संस्थानों में यह व्यवस्था तुरन्त लागू की जानी चाहिए। यदि इन प्रशिक्षण संस्थानों में आने वाले कुछ कर्मचारियों को हिंदी का अपेक्षित स्तर का ज्ञान न हो तो उन्हें वहां प्रशिक्षण के लिए हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भेजा जाए।

"क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों से दिनांक 11-11-1987 के कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में एक निर्धारित समय सीमा में इसके कार्यान्वयन हेतु निदेश जारी किए जाएं।

**(2) नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान न होने पर सेवा के शुरू में ही हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।**

समिति ने सिफारिश की है कि यदि नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान न हो और उन्हें सेवा के शुरू में ही प्रशिक्षण लेना हो तो उनके लिए पहले हिंदी के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

यह सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालयों/विभागों को इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी किए जाएं।

**(3) दीर्घावधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी के गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना।**

समिति ने सिफारिश की है जहां दीर्घावधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं वहां संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में ही हिंदी का गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि हिंदी न जानने वाले नए कर्मचारीगण हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकें;

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language may issue directions to all the Ministries/Departments to implement the recommendation.

**(4) To familiarise the trainees with the Official Language Policy of the Government in the training courses of 15 days duration or more**

The Committee has recommended that wherever possible and especially in training courses of 15 days duration or more, the trainees should be familiarised with the Official Language policy of the Government as well as with the rules, orders etc. issued in this regard.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language may issue directions to all the Ministries/Departments to implement the recommendations.

**(5) Translation of course-material relating to training**

The Committee has recommended that course-material relating to training should be translated early.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may in continuation of Office Memorandum dated 11-11-1987 direct all Ministries/Departments to implement the recommendation within a prescribed time limit.

**(6) Incentive schemes available in various Ministries/Departments for writing original books on technical subject concerning their field of work should be made more Herbal and attractive**

The Committee has recommended that the incentive schemes being run by various Ministries/Departments for writing original books on technical subjects concerning their field of work for translating into Hindi the books written in English should be made more liberal and attractive and those Ministries/Departments, as brave not yet introduced such schemes should also introduce similar schemes.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language may issue directions to all the Ministries/Departments to implement it.

**(7) Special incentive to the teachers of the training Institutes for writing books on their subjects in Hindi**

The Committee has recommended that the teachers employed in the training institutes should be given special incentives for writing or translating the books relating to their subjects so that they could Endeavour to produce necessary course material and reference literature in Hindi.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language may issue directions to all the Ministries/Departments to implement the recommendation.

**(8) Special incentives to encourage the retired and capable officers and teachers of the Central Government and Universities for writing original books on selected subjects in Hindi**

The Committee has recommended that in order to derive advantage of long experience and the expertise of the retired and capable officers and teachers of the Central Government and Universities, they should be encouraged through special incentives to write original books in Hindi on selected subjects.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language should issue direction to all the Ministries/Departments to implement the recommendation.

**(9) Arrangement of training for translation of foreign languages directly into Hindi in the School of Foreign Languages**

The Committee has recommended that arrangements should be made for direct translation from foreign languages into Hindi in the School of Foreign Languages run by the Ministry of Defense so that manuals etc. in foreign languages could be directly translated into Hindi.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. For this purpose the Ministry of Defense should evaluate the present position and make available necessary resources to the School of Foreign Languages for making appropriate arrangements.

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निदेश जारी किए जाएं।

**(4) 15 दिन या इससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देना।**

समिति ने सिफारिश की है कि जहां-जहां भी संभव हो वहां और विशेषकर 15 दिन या इससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सरकार को राजभाषा नीति और इस संबंध में जारी किए गए नियमों, आदेशों आदि की जानकारी भी करा दी जानी चाहिए।

सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निदेश जारी किए जाएं।

**(5) प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्य-सामग्री का अनुवाद।**

समिति ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्य-सामग्री का अनुवाद शीघ्र कर लिया जाना चाहिए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 11-11-1987 के कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करने के निदेश जारी किए जाएं।

**(6) विभिन्न विभागों के कार्यक्षेत्र से संबंधित तकनीकी विषयों पर पुस्तकें लिखने पर देय प्रोत्साहन योजना को उदार और आकर्षक बनाना।**

समिति ने सिफारिश की है कि अनेक मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्षेत्र से संबंधित तकनीकी विषयों पर मूल रूप से पुस्तकें लिखने अथवा अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के लिये चाल की गई प्रोत्साहन योजनाओं को अधिक उदार और आकर्षित बनाया जाना चाहिये और जिन मंत्रालयों/विभागों ने ऐसी योजनाएं शुरू नहीं की है उन्हें भी इस प्रकार की योजनाएं चलानी चाहिये।

यह सिफारिश सिद्धांतत: रूप में मान ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों को निदेश जारी किए जाएं।

**(7) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को अपने विषय से संबंधित पुस्तकें हिंदी में लिखने पर विशेष प्रोत्साहन।**

समिति ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिससे कि वे अपने विषय से संबंधित पुस्तकें हिंदी में भी लिखने लगें अथवा अनुवाद करने का प्रयत्न करके अपेक्षित पाठय-सामग्री तथा संदर्भ साहित्य का निर्माण कर सकें।

यह सिफारिश सिद्धांतत: स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी किए जाएं।

**(8) केन्द्र सरकार और विश्व-विद्यालयों के सेवा निवृत्त सक्षम अधिकारियों तथा प्राध्यापकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे कुछ चुने हुए विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिख सकें।**

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालयों के सेवा निवृत्त सक्षम अधिकारियों तथा प्राध्यापकों के दीर्घ अनुभव और योग्यता का लाभ उठाते हुये उन्हें भी विशेष रूप से प्रोत्सहित किया जाना चाहिये ताकि वे भी कुछ चुने हुये विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिख सकें।

यह सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी करें।

**(9) विदेशी भाषा विद्यालय में विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया जाए।**

समिति ने सिफारिश की है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे विदेशी भाषा विद्यालय में विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया जाना चाहिये ताकि विदेशी भाषाओं के मैनुअल आदि का सीधे हिंदी में ही अनुवाद किया जा सका।

यह सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है। इसके लिये रक्षा मंत्रालय स्थिति का मूल्यांकन करे और विदेशी भाषा विद्यालय को उपर्युक्त व्यवस्था करने के लिये समुचित संसाधन उपलब्ध कराए ।

**(10) Teaching Hindi to the teachers working in Training Institutes**

The Committee has recommended that arrangement should be made for teaching Hindi to those teachers of the various training institutes who do not possess the knowledge of Hindi of the requisite standard. Arrangement for training of teachers can be made by the Department of Official Language.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language should nm special programmes for training of the teachers and intimates this to all the Ministries /Departments and the training institutes under their control so that all teachers could be given training of Hindi of the requisite standard.

**(11) Transfer of teachers workin**g In 'A' and 'B' regi**ons who are competent to impart training through the medium of Hindi to region "C" for some time**

The Committee has recommended that it will be easier to impart training through Hindi medium in the training institutes in region "C" if teachers from 'A' and 'B' regions are transferred to region 'C' for a short duration to impart training through the medium of Hindi. Such teachers should be given special and attractive pay for the period of their stay in region 'C'

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. To attract the teachers of regions 'A' and 'B' to work in region 'C' the Department of Official Language may in consultation with the Ministry of Finance and Department of Personnel and Training take appropriate action accordingly for providing special pay etc.

**(1) Strengthening of the Department of Official Language**

The Committee has recommended that the Department of Official Language should be suitably strengthened and equipped to enable it not only to take appropriate and early action on the report of the Committee but also to ensure proper implementation of the Official Language Policy.

This recommendation of the Committee has been accepted in principle. Keeping in view the prevailing economic position in the country, the Department of Official Language may reformulate its proposals in this context and ensure its implementation in consultation with the Department of Expenditure.

2. The following recommendations of the Committee are still under consideration and decision thereon will be intimated later

1. In Para 18.10 of Committee's Report the proposal regarding option of Hindi medium in all recruitment examinations.

2. In Para 18.12 of the Committee's Report the recommendation to dispense with the compulsory English question paper in recruitment examinations.

Sd/
(MAHENDRA NATH)
Joint Secy. to the Govt. of India

**(10) प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षकों को हिंदी सिखाना।**

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत जिन प्रशिक्षकों को हिंदी का अपेक्षित स्तर का ज्ञान नहीं है उन्हें हिंदी सिखाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रबंध राजभाषा विभाग द्वारा किया जा सकता है।

यह सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए और इनकी सूचना प्रत्येक मंत्रालय/विभाग तथा उनके अधीन प्रशिक्षण संस्थानों को दे ताकि सभी प्रशिक्षकों को हिंदी के अपेक्षित स्तर का ज्ञान कराया जा सके।

**(11) "क" तथा "ख" क्षेत्र में कार्यरत हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को कुछ समय के लिये "ग" क्षेत्र में भेजा जाए।**

समिति ने सिफारिश की है कि "क" तथा "ख" क्षेत्र में कार्यरत हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को कुछ समय के लिये यदि "ग" क्षेत्र में भी प्रशिक्षण हिंदी माध्यम से देने के लिये भेजा जाए तो "ग" क्षेत्र में भी प्रशिक्षण केन्द्रों में हिंदी माध्यम का उपयोग करना सुविधाजनक हो जाएगा। ऐसे प्रशिक्षकों को "ग" क्षेत्र में कार्य करने की अवधि के दौरान विशेष एवं आकर्षक वेतन दिया जाना चाहिए।

सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। "क" तथा "ख" क्षेत्र में कार्यरत प्रशिक्षकों को "ग" क्षेत्र में कार्य करने के लिये आकर्षित करने हेतु विशेष वेतन आदि के संबंध में राजभाषा विभाग वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने के पश्चात् समुचित कार्यवाई करें।

**(ट) राजभाषा विभाग का सुदृढ़ीकरण**

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा विभाग को सशक्त और साधन-सम्पन्न बनाया जाए, ताकि वह न केवल समिति के प्रतिवेदनों पर समुचित तथा शीघ्र कारवाई कर सकें, बल्कि राजभाषा नीति के सुचारू अनुपालन को भी सुनिश्चत कर सकें।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार की गई है। राजभाषा विभाग देश में व्याप्त कठिन आर्थिक स्थिति के प्ररिप्रेक्ष्य में इस विषय में अपने प्रस्ताव पुनः निर्धारित करें और व्यय विभाग के परामर्श के साथ उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

2. समिति की निम्नलिखित सिफारिशें अभी भी विचारधीन हैं। उन पर निर्णय बाद में सूचित किया जाएगा।

1. समिति के प्रतिवेदन के पैरा 18.10 में सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के विकल्प का प्रस्ताव।
2. समिति के प्रतिवेदन के पैरा 18.12 में सभी भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को समाप्त करने के बारे में सिफारिश ।

ह/-

(महेंद्र नाथ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

# Presidential Order on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the Fourth Part of its Report

### Copy of the Government of India, Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) Resolution No. 12019/10/91-O.L. (Int.) dated the 28th January, 1992

The Committee of Parliament on Official Language was constituted under section 4(1) of the Official Languages Act, 1963. After visiting various Ministries/Departments and their attached/subordinate Offices/Undertakings/Institutes etc. and after having discussions with renowned and eminent persons, the three subcommittee of this Committee have brought out the present position regarding the use of Hindi language. After analyzing these inspections and the up-to-date information available in this regard, the Committee submitted Part IV of its Report to the President in November, 1989, making recommendations for the progressive use of Hindi in the Offices of Central Government and also for proper implementation of the Official Languages Act and the rules made there under. According to Section 4(3) of the Official Languages Act, 1963, this part of the Report was placed before both Houses of Parliament in August 1990. Copies of this Report were sent to the Governments of the States and the Union Territories to elicit their opinion. Since the recommendations are in the context of progressive use of Hindi/implementation of Official Language policy in various Ministry/Departments and their attached/ subordinate offices, Undertaking, Institutes etc. the views of various Ministries/Departments were sought in this regard. After considering the views received from the Governments of the States and Union Territories and also those received from various Ministries/Departments, it was decided to accept most of the recommendations made by the Committee in their original form or with some modifications. Accordingly, the undersigned is directed to convey the following orders of the President with regard to the recommendations made by the Committee under Section 4(4) of the Official Languages Act, 1963.

**(1) Inspection and Monitoring**

The Committee has recommended that it is necessary to strengthen the inspection and monitoring arrangements for effective implementation of the Official Language Policy. For this purpose staff may be provided separately for translation work as well as for inspection and monitoring.
This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may request all the Ministries/Departments to make proper arrangements for inspection and monitoring for the implementation of the Official Language policy and also create necessary posts for this, keeping in view the nature of their work and requirements.

**(2) Information and Mental Attitude Regarding Official Language Policy**

**(a) Organising Hindi Workshops/Seminars/Conferences**

The Committee has recommended that Seminars, Conferences, Workshops etc. may be organised from time to time for bringing out a change in the attitude of the officers/employees and for imparting them comprehensive knowledge regarding the Official Language Policy. This recommendation has been accepted.

Though a target is set in the Annual Programme issued by the Department of Official Language for the implementation of the Official Language Policy, its total compliance is not achieved. The Department of Official Language may, therefore, once again request all the Ministries/Departments to organise regularly workshops, symposium, conferences etc. and review this situation from time to time in accordance with the recommendations of the Committee.

**(b) Organising Hindi Workshops**

The Committee has also recommended that Hindi workshops should be organised regularly during the next 5 years in the context of recommendations made in Part III of their report so that the officers/employees could overcome their hesitation of doing work in Hindi and every Hindi knowing employee could participate in these workshops at least once in a year and could get an opportunity for the practice of doing work originally in Hindi. This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may request the various Ministries/Departments to organise such workshops regularly so that the officers and employees may get rid of their hesitation of working in Hindi.

# संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के चौथे खण्ड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश

**भारत सरकार गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 28 जनवरी, 1992 के संकल्प संख्या 12019/10/91-रा.भा.(भा.) की प्रति**

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। इस समिति की तीन उप समितियों द्वारा अनेक मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/संस्थानों आदि के निरीक्षण तथा गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा के पश्चात् अपने प्रतिवेदन के चौथे खंड में हिंदी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला गया है और इन निरीक्षणों और अद्यतन सूचनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात् समिति ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा राजभाषा अधिनियम एवं नियमों को समुचित रूप से लागू करने के संबंध में सिफारिशें करते हुए अपने प्रतिवेदन का चौथा खंड नवम्बर, 1989 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (3) के अनुसार इसे अगस्त, 1990 में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया। इसकी प्रतियां राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को उनकी राय जानने के लिये भेजी गयी। चूंकि सिफारिशों का संबंध मंत्रालय/विभागों तथा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों और संस्थानों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संदर्भ में है। अतः इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से भी राय आमंत्रित की गई। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है :-

**(1) निरीक्षण तथा मानिटरिंग**

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा नीति के कारगर रूप से कार्यान्वयन हेतु निरीक्षण तथा मानीटरिंग व्यवस्था मजबूत करना आवश्यक है। इसके लिये अनुवाद कार्य और निरीक्षण तथा मानिटरिंग के लिये अलग-अलग स्टाफ की व्यवस्था की जाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करें कि वे अपने कार्य के स्वरूप और आवश्यकता को देखते हुये मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में समुचित निरीक्षण तथा मानीटरिंग व्यवस्था स्थापित करें और इसके लिये आवश्यकतानसार पदों का भी सृजन करें।

**(2) राजभाषा नीति संबंधी जानकारी और मनोवृत्ति**

**(क) हिंदी कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन**

समिति की यह सिफारिश कि अधिकारियों/कर्मचारियों की मनोवृत्ति बदलने हेतु और उन्हें राजभाषा नीति की व्यापक जानकारी कराने हेतु समय-समय पर गोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जायें, मान ली गई हैं।

राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिये जारी वार्षिक कार्यक्रम में यद्यपि लक्ष्य निर्धारित किया जाता है किन्तु उसका पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं हो पाता। अतः राजभाषा विभाग पुनः सभी मंत्रालयों/विभागों से समिति की सिफारिशों के अनुसार नियमित रूप से कार्यशालाएं, गोष्ठियां, सम्मेलन आदि का आयोजन करने को कहे और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करें।

**(ख) हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करना**

समिति ने यह भी सिफारिश कि है कि उनके प्रतिवेदन के तीसरे खण्ड में इस संदर्भ में की गई सिफारिशों के अनुरूप अगले पांच वर्षों के दौरान, अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की झिझक दूर करने के लिये नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए और ऐसी कार्यशालाओं में हिंदी जानने वाले प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में कम से कम एक बार इनमें भाग लेकर हिंदी में मूल रूप से काम करने के अभ्यास का अवसर मिले।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है। राजभाषा विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अनुराध करे कि वे नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करें जिससे कि अधिकारियों, कर्मचारियों की हिंदी में काम करने का झिझक दूर हो सके।

### (c) Organising 'All India Official Language Conferences'

The Committee has recommended that each Ministry/Department may organise All India Official Language Conference once in a year.

This recommendation of the Committee has been accepted with the modification that such conferences may be held only after the economy restrictions imposed at present by the Ministry of Finance in this regard have been lifted. The Department of Official Language may issue instructions in this connection in due course.

## (3) Entries in the Confidential Reports Regarding Official Language

The Committee has recommended that a mention regarding the level of their knowledge of the Official Language Hindi and their capacity and inclination to work in Hindi may be made in the confidential reports of the officers and employees.

This recommendation of the Committee may be accepted in principle. Before giving effect to this recommendation, it may be ensured that the persons in the services of the Union Government are not placed at a disadvantage merely on the ground that they are not proficient in both Hindi and English languages.

The Department of Official Language may consult Ministry of Law and Justice and the Department of Personnel and Training to consider suitable measures in the matter.

## (4) Training in Hindi, Hindi Typing and Hindi Stenography

The Committee has recommended that the recommendation made in Part-II of its report regarding Hindi Typing and Hindi Stenography and regarding Hindi Training in Part-III may be implemented at the earliest.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language has issued resolutions on the recommendations made in Parts 11 & III of the report of the Committee. The Department of Official Language may request all the Ministries/Departments that they may chalk out a time-bound programme in accordance with the provisions of the concerned resolutions for the implementation of all the aforesaid recommendations and review it periodically so that the recommendations of Committee may be implemented at the earliest.

## (5) Hindi Typewriters and other Mechanical Facilities

### (a) Facilities of Hindi Typewriters etc.

The Committee has recommended that an early action may be taken on the recommendations made in part-II of their report regarding Hindi typewriters and other mechanical aids and the Government's orders in this regard may be followed seriously.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language has already issued resolution on the Committee's recommendations made in Part II of their report. The Department of Official Language may request all the Ministries/Departments that they may implement the Committee's recommendations made in Part II of their report in accordance with the provisions made in the resolution at the earliest.

### (b) Use of *H*indi in Computers, Word-processors, Teleprinters etc.

The Committee has recommended that so long as various electronic equipments, computers, word processors, teleprinters etc. are not provided with necessary infrastructure for working in Hindi alongwith English, such equipments may not be installed and wherever computers etc. don't have software in Devanagari, such software may be made available forthwith.

This recommendation of the Committee has been accepted. Department of Official Language may request the Department of Electronics to establish check-points in this regard in order to ensure the compliance of the recommendation of the committee. Department of Electronics may take appropriate action expeditiously for providing computer software's etc. in Devanagari wherever they have not been provided so far.

## (6) Compliance of Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963

### (a) To ensure full compliance of Section 3(3)

The committee has recommended that full compliance of Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 may be ensured and for this, an expeditious action may be taken on the recommendations regarding such facilities as mentioned in Part I of their report and to appoint officers and staff as per the norms laid down by the Department of Official Language.

**(ग) अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन**

समिति ने सिफारिश कि है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग वर्ष में एक बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करे।

समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गयी है कि वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में वर्तमान में लगाये गये प्रतिबंध को हटाने के बाद ही ऐसे सम्मेलन आयोजित किये जायें। इस संबंध में राजभाषा विभाग यथासमय निर्देश जारी करे।

**(3) गोपनीय रिपोर्टों में राजभाषा के संबंध में प्रविष्टियां**

समिति ने सिफारिश की है कि अधिकारियों, कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में उनके राजभाषा हिंदी के ज्ञान का स्तर उनमें हिंदी में कार्य करने की क्षमता और अभिरूचि का उल्लेख किया जाये।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली जाये। इसे लागू करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे संघ सरकार की सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों का केवल इस आधार पर कि वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है कोई अहित न होगा।

इसके लिए समुचित उपायों पर विचार करने के लिए राजभाषा विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करें।

**(4) हिंदी, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण**

समिति ने सिफारिश की है कि उनके प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में हिंदी टंकण, हिंदी आशलिपि आदि के प्रशिक्षण के बारे में और तीसरे खण्ड में हिंदी शिक्षण के बारे में जो सिफारिश की गयी है, उसे शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाये।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है। राजभाषा विभाग द्वारा समिति के प्रतिवेदन के दूसरे और तीसरे खण्ड में की गई सिफारिशों पर संकल्प जारी कर दिए गए हैं। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करे कि वे उक्त सभी सिफारिशों को लागू करने के संबंध में सम्बद्ध संकल्प में किये गये प्रावधान के अनुसार एक समयबद्ध कार्यक्रम बनायें और समय-समय पर उसकी समीक्षा करें ताकि समिति की सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जा सके।

**(5) हिंदी टाइपराइटर और अन्य यांत्रिक सविधाएं**

**(क) हिंदी टाइपराइटर आदि की सुविधाएं**

समिति ने सिफारिश की है कि उनके प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में हिंदी टाइपराइटरों तथा अन्य यांत्रिक सुविधाओं के संबंध में की गयी सिफारिश पर शीघ्र कार्रवाई की जाए और इस बारे में सरकार के आदेशों का गम्भीरतापूर्वक अनुपालन किया जाये।

यह सिफारिश मान ली गयी है। राजभाषा विभाग द्वारा समिति के प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में की गई सिफारिशों पर संकल्प जारी कर दिए गए हैं। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करे कि वे समिति के प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में की गई सिफारिशों को संकल्प में किये गये प्रावधान के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र लागू करें।

**(ख) कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक, टेलीप्रिन्टर आदि में हिंदी का प्रयोग**

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न इलैक्ट्रानिकी उपकरणों जैसे कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक, टेलीप्रिन्टर आदि में अंग्रेजी के साथ-साथ जब तक हिंदी में काम करने की क्षमता उपलब्ध न हो तब तक ऐसे उपकरण न लगाये जायें और कम्प्यूटर आदि में जहां देवनागरी के साफ्टवेयर उपलब्ध न हों, तुरन्त उपलब्ध कराये जायें।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है। राजभाषा विभाग, इलैक्ट्रानिक विभाग से अनुरोध करे कि वे इस संबंध में जांच-बिन्दु स्थापित करें जिससे कि समिति की सिफारिश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इलैक्ट्रानिक विभाग जहां कम्प्यूटर आदि में देवनागरी के सॉफ्टवेयर उपलब्ध न हों उन्हें उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्रातिशीघ्र समुचित कार्रवाई करे।

**(6) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (3) का अनुपालन**

**(क) धारा (3) का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना**

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और इसके लिए प्रतिवेदन के पहले खण्ड में की गयी तत्संबंधी सविधाओं के बारे में सिफारिशों पर और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बारे में शीघ्र कार्रवाई की जाये।

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may again request all the Ministries/Departments to ensure compliance of section 3(3) of the Official Languages Act.

**(b) To issue documents of section 3(3) in Region 'A' only in Hindi**

The Committee has recommended that documents of section 3(3) of the Official Languages Act (except for the documents required to be placed before the Parliament), in Region 'A' should be issued only in Hindi.

According to the provisions of section 3(5) of the Official Language Act, 1963, the provisions of section 3(3) shall remain in force until resolutions for the discontinuance of the use of English language for the purposes mentioned therein, have been passed by the Legislatures of all those States which have not adopted Hindi as their Official Language and until after considering the resolutions aforesaid, a resolution for such discontinuance is passed by each house of the Parliament. Therefore, at present, it is not possible to accept this recommendation of the committee.

**(7) Timely Distribution and Compliance of Annual Programme**

The committee has recommended that Annual Programme of succeeding financial year should be made available to various Ministries/Departments by the end of February by the Department of Official Language and all the Ministries/Departments should ensure that the copies of the said programme are sent to their subordinate offices undertakings etc. and to all the offices situated within the country and abroad, invariably by the end of April and the schedule is strictly complied with.

The recommendation of the committee has been accepted. The Department of Official Language should take action in this regard and also request Ministries/Department for the timely distribution and compliance of the Annual Programme.

**(8) Official Language Implementation Committee**

**(a) Constitution of Committees**

The Committee has recommended that Official Language Implementation Committees may, essentially, be constituted in every small and big offices, irrespective of the fact whether the number of staff working therein is more or less than 25 and the Head of the office may be nominated as its Chairman.

This recommended of the Committee has been accepted. Department of Official Language may issue directives in this regard.

**(b) Organising meetings**

The Committee has recommended that at least six meetings of the Official Language Implementation Committee constituted in catch office should be organised during a year.

It is not feasible. Therefore, this recommendation has not been accepted. However, in view of Committee's said recommendation, the Department of Official Language may request all the Ministries/Departments to ensure convening four meetings during a year (one each in a quarter) invariably, in their departments as well as in the offices under their control and also to ensure discussions/reviews in these meetings mainly regarding progressive use of the Official Language Hindi and the implementation of Annual Programme.

**(c) Hindi Advisory Committees**

The Committee has recommended that a Hindi Advisory Committee should be constituted for each Ministries/ Department separately. These should be re-constituted from time to time, at least four meetings should be held during a year and timely follow-up action should be taken in a concrete shape on the recommendations of the committees.

This recommendation of the committee has been accepted with the modification that a joint committee be constituted for comparatively smaller Ministries/Departments. However, separate committees may be constituted for other Ministries/Departments. The Department of Official Language may decide the policy, after reviewing the position.

**9. Agenda/Minutes etc. of the Departmental Meetings/Conferences**

(a) The committee has recommended that the Agenda/Minutes and other connected material for holding meetings, conferences and seminars by every office of the Government of India should be issued invariably in both the languages i.e. Hindi and English.

यह सिफारिश मान ली गयी है। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पुन: अनुरोध करे।

**(ख) "क" क्षेत्र में धारा 3 (3) के दस्तावेज केवल हिंदी में जारी करना**

समिति ने सिफारिश की है कि "क" क्षेत्र में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के दस्तावेज (संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजातों को छोड़कर) केवल हिंदी में जारी किए जाएं ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (5) में किए गए प्रावधानों के अनुसार जब तक ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार करने के बाद ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हरेक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता, तब तक धारा 3 (3) की स्थिति यथावत् बनी रहेगी। अत: वर्तमान में समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार करना संभव नहीं है।

**(7) वार्षिक कार्यक्रम का यथासमय संवितरण और अनुपालन**

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को अगले वित्तीय वर्ष का वार्षिक कार्यक्रम फरवरी माह के अन्त तक उपलब्ध करा दिया जाये और सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि वे उक्त कार्यक्रम की प्रतियां अपने अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि को तथा देश-विदेश में स्थित सभी कार्यालयों को अप्रैल माह के अन्त तक अवश्य भेज दें तथा उसका कड़ाई से अनुपालन करायें।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है। राजभाषा विभाग इस संबंध में कार्रवाई करे एवं मंत्रालयों/विभागों से भी इस संबंध में वार्षिक कार्यक्रम का समय पर संवितरण एवं उसके अनुपालन के लिए अनुरोध करें।

**(8) राजभाषा कार्यान्वयन समितियां**

**(क) समितियों का गठन**

समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यालय में, चाहे उनमें कार्यरत स्टाफ की संख्या 25 से अधिक हो या कम, अनिवार्य रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाये और कार्यालय अध्यक्ष को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाये।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है। राजभाषा विभाग इस संबंध में निर्देश जारी करे ।

**(ख) बैठकों का आयोजन**

समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कम से 6 बैठकें बुलाई जायें।

ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गयी । तथापि, समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग, सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे कि वे तथा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में वर्ष में 4 बैठकों (प्रत्येक तिमाही में एक) का कारगर ढंग से आयोजन करने की अनिवार्यता को सुनिश्चित करें तथा इन बैठकों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श/समीक्षा भी सुनिश्चित करे।

**(ग) हिंदी सलाहकार समितियां**

समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए अलग-अलग हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाए। उसका समय-समय पर पुनर्गठन किया जाए, वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएं तथा समितियों की सिफारिशों पर ठोस रूप से यथासमय अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

समिति ने यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि जो बहुत छोटे-छोटे मंत्रालय/विभाग हैं, उनमें संयुक्त रूप से हिंदी सलाहकार समिति गठित की जाए। शेष मंत्रालयों/विभागों की अलग-अलग हिंदी सलाहकार समितियां गठित की जाएं। राजभाषा विभाग इस परिप्रेक्ष्य में पुनः समीक्षा करके नीति निर्धारित करे।

**(9) विभागीय बैठकों/सम्मेलनों की कार्यसूची/कार्यवृत्त आदि**

(क) समिति ने सिफारिश की है कि भारत सरकार के प्रत्येक कार्यालय द्वारा बुलाई गई बैठकों, सम्मेलनों, परिगोष्ठियों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त आदि एवं अन्य पत्राचार में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।

This recommendation has been accepted with the modification that the Agenda Minutes etc. and the connected material to be circulated in Region 'A' may be issued only in Hindi. The Department of Official Language may issue necessary directions in this regard.

(b) The Committee has recommended that the persons invited in the meetings, conferences and seminars should be encouraged to express their views in the Official Language Hindi.

This recommendation has been accepted. All the Ministries/Departments etc. may request the persons invited to express their views in official language Hindi in the meetings, conferences etc.

**(10) Correspondence and Telegrams in Hindi**

The Committee has recommended that the letters received in Hindi should, invariably, be replied to in Hindi and the bindings laid down in the Official Language Rules relating to original correspondence should be fully complied with and the quantum of correspondence in Hindi with the Central Government offices located in Region 'C' should also be increased. The Committee has also recommended that the telegrams issued by the Central Government offices to the offices located in Regions 'A' and 'B' should be in Devanagari script and a beginning be made to send telegrams in Hindi in Region 'C' as well.

The committee's recommendation relating to replying Hindi letters in Hindi and initiate original correspondence in Hindi has been accepted. The Department of Official Language may request all the Ministries/ Departments to take concrete steps to achieve the targets, in respect of Hindi correspondence, as stipulated in the Annual Programme. Those Ministries/Departments, who lag behind the set targets, may evolve a time-bound programme to ensure compliance of the recommendation of the Committee within a stipulated time-limit.

The recommendation of the Committee in respect of sending telegrams in Devanagari has been accepted with a partial modification. Keeping in view the available resources, the Department of Official Language may fix the target in the Annual programme, for the telegrams to be sent to Region 'C' also on the analogy of Regions 'A' and 'B' and ensure its compliance by issuing directions to all the Ministries/Departments.

**(11) Arrangement for Dictionaries, Glossaries, help and reference literature and provision of other Hindi books.**

The Committee has recommended that in order to create a conducive atmosphere for working in Hindi and in order to facilitate original work in Hindi. Hindi books such as English-Hindi and Hindi-English dictionaries, help and reference literature, technical glossaries, technical literature fine arts literature and all other literature in Hindi available in the market on various subjects should be widely publicized and these books should also be distributed free of cost in the Government offices. Besides, fifty per cent of the total grant should be utilized for the purchase of Hindi books. The process of identifying the useful books in Hindi should be continuously carried out by the Department of Official Language and a list thereof should be made available to all the Ministries/ Departments/Offices so that they may be able to purchase Hindi books for their libraries conforming to the list.

This recommendation of the Committee has been accepted. Although instructions have already been issued by the Department of Official Language in this regard; however, in view of recommendation of the Committee, orders should be issued again reiterating the instructions given earlier so that proper compliance could be ensured.

**(12) Code/Manual and other Procedural Literature**

The Committee has recommended that such Ministries/Departments etc, where the Hindi translation of the manuals and procedural literature has not been completed so far, the work of translation of all such procedural literature should be completed by them within the time limit prescribed as per the order of the President contained in the Resolution, dated 30th December, 1988, of the Department of Official Language i.e. by the end of year 1991 (in the case of Ministry of Defense by 1994-95) (Since the year 1991 has passed, this target should, invariably, be achieved during the year 1992).

This recommendation of the Committee has been accepted. Directions may, again, be issued in this regard by the Department of Official Language to all the Ministries/Departments/Offices etc. that special attention may be given to the time-limit stipulated for this work. All the Ministries/Departments may also be requested that they should distribute their up-dated respective codes, manuals, forms and other procedural literature to all their offices; get the amendments done in their respective procedural literature and a complete vigil be kept on this by making the Government Press as a check point for this purpose.

यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि केवल "क" क्षेत्र में परिचालित होने वाली कार्यसूची/कार्यवृत्त आदि एवं संबंधित पत्राचार केवल हिंदी में परिचालित किए जा सकते हैं। इस संबंध में राजभाषा विभाग आवश्यक निदेश जारी करे।

(ख) समिति ने सिफारिश की है कि बैठकों, सम्मेलनों, परिगोष्ठियों में आमंत्रित व्यक्तियों को अपने विचार राजभाषा हिंदी में व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह सिफारिश मान ली गई है। इस संबंध में सभी मंत्रालय/विभाग आदि बैठकों, सम्मेलनों आदि में आमंत्रित व्यक्तियों से अपने विचार राजभाषा हिंदी में व्यक्त करने के लिए आग्रह करें।

**(10) हिंदी में पत्राचार और तार**

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएं तथा मूल पत्राचार के राजभाषा नियमों में वर्णित अनिवार्यताओं का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए और "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के साथ भी हिंदी में पत्राचार को बढ़ाया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा "क" तथा "ख" क्षेत्र को भेजे जाने वाले तार देवनागरी में भेजे जाएं और "ग" क्षेत्र में भी हिंदी में तार भेजने की शुरूआत की जाये।

हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देने तथा हिंदी में मूल पत्राचार करने के संबंध में की गई समिति की सिफारिश को मान लिया गया है। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करे कि वे वार्षिक कार्यक्रमों में निर्धारित हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ठोस उपाय करे। जो मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि लक्ष्य से बहुत पीछे हों, वे एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके एक समय-सीमा के अन्दर समिति की सिफारिश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

तार देवनागरी में भेजने के संबंध में समिति की सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ मान ली गयी है। उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में "क" तथा "ख" क्षेत्र की तरह "ग" क्षेत्र को भेजे जाने वाले तारों का लक्ष्य निर्धारित करे और सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को निदेश जारी करके उनका अनुपालन सुनिश्चित कराये।

**(11) शब्दकोष, शब्दावली, सहायक तथा संदर्भ साहित्य और अन्य हिंदी पुस्तकों की व्यवस्था**

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी में काम करने का वातावरण बनाने और राजभाषा हिंदी में मूल काम करने में उपलब्ध सहायक हिंदी पुस्तकों जैसे अंग्रेजी-हिंदी और हिंदी-अंग्रेजी शब्दकोष, सहायक और संदर्भ साहित्य, तकनीकी शब्दावलियां, तकनीकी साहित्य, ललित साहित्य तथा विविध विषयों पर बाजार में उपलब्ध इस प्रकार के साहित्य का पूरा प्रचार किया जाये और इनका निःशुल्क वितरण भी किया जाये। साथ ही हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए कुल अनुदान का 50 प्रतिशत खर्च किया जाये। राजभाषा विभाग द्वारा इस प्रकार की हिंदी को उपयोगी पुस्तकों का पता लगाने की प्रक्रिया निरन्तर चलाई जानी चाहिए और उनकी सूची सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे उसके अनुसार अपने पुस्तकालयों के लिए हिंदी पुस्तकें खरीद सकें।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा इनके कार्यान्वयन हेतु हालांकि पहले से निदेश जारी किए जा चुके हैं, तथापि समिति की यह सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में इनकी पुनरावृत्ति करते हुए पुनः आदेश जारी किए जायें ताकि इनका सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

**(12) कोड/मैनुअल और अन्य कार्यविधि साहित्य**

समिति ने सिफारिश की है कि जिन मंत्रालय/विभागों आदि में अभी तक जिन कोड़ों/मैनुअलों और प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद नहीं हुआ है उनके द्वारा ऐसे सभी प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का काम पूरा करने का कार्य राजभाषा विभाग के दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 के संकल्प के अन्तर्गत राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अर्थात् वर्ष 1991 (रक्षा मंत्रालय के संदर्भ में 1994-95) के अन्त तक पूरा कर लिया जाए। (चूंकि वर्ष 1991 समाप्त हो गया है अत: अब यह लक्ष्य 1992 के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाए)।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को पुनः इस संबंध में निदेश दिए जाएं कि इस कार्य के लिए निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाये। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध किया जाए कि वे अपने-अपने कोड/मैनुअल, फार्म और अन्य कार्यविधि साहित्य अद्यतन रूप में अपने सभी कार्यालयों में संवितरित कराएं, प्रक्रिया साहित्य में संशोधन कराएं तथा इसके लिए सरकारी मुद्रणालय को चैक-प्वाइंट बनाते हुए इस पर पूरी निगरानी रखे।

**(13) Robber Stamps, Name Plates, Sign-Boards, Headings and Letters-heads, etc.**

The Committee has recommended that all the offices of the Government of India, located in India or abroad, and the institutions receiving grants from the Central Government located in 'A' and 'B' regions should also ensure that their respective name-plates, rubber-stamps, letter-heads, logo etc. be prepared in bilingual form and such institutions located in 'C' region should get these items prepared in trilingual form. While getting these letter-heads, name-plates etc, prepared, it should be kept in mind that the size of letters of all the languages should be the same.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department Official Language may again circulate the directions issued earlier in this regard and ensure their implementation.

**(14) Medium of Training**

Reiterating the recommendations made in the third part of its report, regarding imparting training to the officers and employees of the Central Government through Hindi medium, the Committee has desired that these may be implemented immediately and the compliance of various Government order and instructions issued in this respect may be ensured because sufficient facilities are now available in this regard.

This recommendation, as made in part-III of the Report of the Committee, has already been accepted and the action under the Resolution of the Department of Official Language dated 4th November, 1991 has already been initiated.

**(15) Option of Hindi in Recruitment Examination**

The Committee has recommended that the compulsion of a question paper in English, in the recruitment examinations should be done away forthwith and it may be ensured that the provisions made in the Resolution of the Parliament dated 18th January, 1968 should be solemnly adhered to and due regard should be paid to the spirit inherent in the provisions of the said Resolution.

This recommendation of the Committee has been accepted. However, the matter pertaining to abolishing the compulsion of a question paper in English in the recruitment examinations is to be decided in consultation with Union Public Service Commission as indicated in the Resolution of the Department of Official Language dated 4th November, 1991, on part-III of the Committee's report. In this regard, the Department of Official Language may inform all the Ministries/Departments/Offices etc. as soon as a final decision is taken.

**(16) Headings and Entries in the Registers and Service Books**

The Committee has recommended that the headings of the registers available in all the Government offices and of the service books of all categories of officers and employees should be bilingual and the entries therein should be made in Hindi. Further, the badges/emblems etc. on the uniforms of all the Government officers and employees in all the regions should, invariably, are in Hindi also. The names to be carved on the uniforms should also be in both the languages i.e. Hindi and English. In addition, the addresses on the envelops to be sent to regions 'A' and 'B' should, incapably, be written in Hindi.

This recommendation of the Committee has been accepted with partial modification. The entries in the registers/service books being maintained in the Central Government Offices situated in region 'A' and 'B' should be made in Hindi and such entries in the offices situated in region 'C' may, as far as possible, be made in Hindi. The instructions issued earlier in this regard by the Department of Official Language may be recalculated to all the Ministries/Departments/Offices etc. to ensure the implementation of these recommendations.

**(17) Check-Points**

The Committee has recommended that according to the Rule 12 of the Official Language Rules, 1976, the administrative head of every office should solemnly adhere to the responsibility of framing the effective check-points to ensure due compliance of the provisions of the Official Languages Act, 1963 and the Rules framed thereunder and should set up the check points effectively.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language, may again, request the Ministries/Departments, in this regard, that they should ensure the check-points to be active and effective in their offices.

**(13) रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइन बोर्ड, शीर्ष और पत्र-शीर्ष आदि**

समिति ने सिफारिश की है कि भारत सरकार के देश-विदेश में स्थित सभी कार्यालयों और क्षेत्र "क" एवं "ख" में स्थित केन्द्रीय सरकार से अनुदान पाने वाले स्वैच्छिक संस्थान भी यह सुनिश्चित करें कि वे अपने-अपने नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्र-शीर्ष, लोगो आदि सभी द्विभाषी रूप में तैयार कराएं और "ग" क्षेत्र में स्थित ऐसे संस्थान इन्हें द्विभाषी रूप में तैयार करायें। पत्र-शीर्ष, नामपट्ट आदि बनवाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि सभी भाषाओं की लिपियों का आकार बराबर हो।

समिति की यह सिफारिश भी मान ली गई है। राजभाषा विभाग, इस संबंध में पहले से जारी निर्देशों को पुनः परिचालित करे एवं कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।

**(14) प्रशिक्षण का माध्यम**

समिति ने केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में अपनी रिपोर्ट के तीसरे खण्ड में इस संबंध में की गई सिफारिशों को दोहराते हुए अपेक्षा की है कि उन्हें तुरन्त कार्यान्वित किया जाए और इस वि किए गए अनेक सरकारी आदेशों व अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए क्योंकि इस संबंध में अब पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-3 में की गई इस सिफारिश को पहले ही स्वीकार कर लिया गया और इस संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1991 के संकल्प के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है।

**(15) भर्ती परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प**

समिति ने सिफारिश की है कि भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता को तुरन्त समाप्त करके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 18 जनवरी, 1968 के संसद के संकल्प में की गई व्यवस्था का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाए और उस प्रावधान में अन्तर्निहित भावना का पूर्ण आदर किया गया।

समिति की यह सिफारिश भी मान ली गई है। तथापि अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने के मामले पर चूंकि संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् ही निर्णय लिया जाना है जैसा कि समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-3 के सम्बन्ध में राजभाषा विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1991 के संकल्प में उल्लेख है। अन्तिम निर्णय हो जाने पर राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/कार्यालयों आदि को इस संबंध में आवश्यक सूचना भेजे।

**(16) रजिस्टरों और सेवा-पस्तिकाओं के शीर्षक और प्रविष्टियां**

समिति ने सिफारिश की है कि सभी कार्यालयों में उपलब्ध रजिस्टरों और सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं के शीर्षक द्विभाषी होने चाहिएं और उनमें प्रविष्टियां हिंदी में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दियों पर लगाए जा रहे बिल्ले/प्रतीक चिह्न आदि भी हिंदी में अवश्य होने चाहिएं, वर्दियों पर काढ़े जाने वाले नाम भी दोनों भाषाओं-हिंदी और अंग्रेजी में होने चाहिए। इसके अतिरिक्त "क" और "ख" क्षेत्र में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिंदी में ही लिखे जाएं।

समिति की यह सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है। "क" व "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्टरों/सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं तथा "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथा-सम्भव हिंदी में की जाएं। इस सम्बन्ध में राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए निदेश पुनः सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को परिचालित किये जाएं ताकि समिति की इन सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

**(17) जांच-बिन्दु**

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम-12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुबन्धों के समुचित अनुपालन के लिए जांच बिन्दु बनाने के सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक पालन करें और जांच बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से स्थापित करें।

समिति की यह सिफारिश भी मान ली है। राजभाषा विभाग इस सम्बन्ध में पुनः मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे कि वे अपने कार्यालयों में जांच बिन्दुओं को सक्रिय और प्रभावी बनाना सुनिश्चित करें।

**(18) Bilingual Publications**

The Committee has recommended that the Ministries/Departments/Offices/Organisations etc. of the Government of India should not bring out publications in English alone but bilingually. The number of printed Hindi publications should not be, in any way, less than the English publications and in the bilingual publications, the number of pages of Hindi should not be less than the number of pages of English. Special steps may be taken by the Department of Official Language and all the concerned Ministries/Departments in this regard and new original publications may be brought out in Hindi.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may again request all Ministries/Departments/Offices in this regard so that this recommendation of the committee may be fully implemented.

**(19) Time-bound Action on the Report of the Committee**

(a) The Committee has recommended that necessary action may be taken immediately on the recommendations made in all the four parts of their Report submitted by them so that proper and effective implementation of the Official Language Policy of the Union is ensured. The Committee has also recommended that the copies of the paragraphs relating to Ministry-wise review of the use of Hindi in the official work, done by this Committee may be forwarded immediately to the concerned offices etc. and directions be issued for follow-up action.

The above recommendations of the Committee have been accepted. In the perspective of the recommendations made by the Committee in all the four parts of their Report, the Department of Official Language should request all the Ministries/Departments to strictly comply with the Resolutions/Instructions issued by the Department of Official Language in this respect and make arrangements to assess the position from time to time.

(b) The Committee has reiterated its recommendations made in the second and third parts of its report that in the perspective of the unity and integrity of the country and responsibility and importance of the Department of Official Language thereto, the Government of India should reorganise the Department of Official Language, strengthening it further and give it the status of a full-fledged Ministry to ensure an effective and active implementation of the official language policy of the Government of India in all its Ministries Departments/Offices/Undertakings and Autonomous Bodies.

In view of the importance and purview of the Ministry of Home Affairs and its liaison with various State Govts. the Department of Official Language should continue to remain under Ministry of Home Affairs. Therefore, the above recommendations of the Committee has not been accepted. However, according to the recommendations of the Committee, the Deptt. of Official Language should be further strengthened and made more efficient.

Sd/
(Mahendra Nath)
Joint Secretary to the Govt. of India.

**(18) द्विभाषी प्रकाशन**

समिति ने सिफारिश की है भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संगठनों आदि द्वारा केवल अंग्रेजी में प्रकाशन न निकाले जायें बल्कि द्विभाषी रूप में प्रकाशन निकाले जायें। हिंदी प्रकाशनों की मुद्रित संख्या, अंग्रेजी प्रकाशनों की तुलना में कम न हों और द्विभाषिक प्रकाशनों में हिंदी के पृष्ठों की संख्या अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या से कम न हो। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस दिशा में विशेष रूप से कदम उठाये जायें तथा हिंदी में नये मौलिक प्रकाशन निकाले जायें।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से इस सम्बन्ध में पुनः अनुरोध करे ताकि समिति की इस सिफारिश को पूर्णरूपेण कार्यान्वित किया जा सके।

**(19) समिति के प्रतिवेदन पर समयबद्ध कार्रवाई**

(क) समिति ने सिफारिश की है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के चारों खण्डों में की गई सिफारिशों पर अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई की जाये जिससे संघ की राजभाषा नीति के सुचारू एवं प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को समिति द्वारा की गई मंत्रालयवार समीक्षा संबंधी अनुच्छेदों की प्रतियां सम्बन्धित कार्यालयों आदि को तत्काल अग्रेषित की जाएं और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं।

समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी है। समिति के प्रतिवेदन के चारों खण्डों में की गई सिफारिशों एवं उनके परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्पों/अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे और समय-समय पर स्थिति का जायजा लेने की व्यवस्था करे।

(ख) समिति ने अपने प्रतिवेदन के दूसरे और तीसरे खंड में की गई अपनी इस सिफारिश को दोहराया है कि देश की एकता और अखण्डता के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग के दायित्व व महत्व को देखते हुए भारत सरकार राजभाषा विभाग का पुनर्गठन करे, उसे और अधिक सुदृढ बनाए और उसे एक मंत्रालय का दर्जा दे जिससे भारत सरकार की राजभाषा नीति को उसके सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों तथा स्वायत निकायों में प्रभावी और कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

गृह मंत्रालय के महत्व, कार्य-क्षेत्र, एवं विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इसके सम्पर्क को देखते हुए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के ही अन्तर्गत रखा जाये। अतः समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। तथापि, समिति की सिफारिशों के अनुसार राजभाषा विभाग को और अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनाया जाये।

ह./
(महेन्द्र नाथ)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

# Presidential Order on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the Fifth Part of its Report

## Copy of the Government of India, Ministry of Home Affairs Department of Official Language) Resolution No. 1/20012/4/92-O.L. (Policy-I) dated the 24th November, 1998

The Committee of Parliament on Official Language was constituted under Section 4(1) of the Official Languages Act, 1963. The Committee submitted fifth part of its Report relating to language (s) of the legislation and languages to be used in various courts and tribunals to the President. In accordance with Section 4(3) of the Official Languages Act, 1963, the Report was laid on the table of Lok Sabha and on the table of Rajya Sabha. Copies of the Report were sent to all the Ministries/Departments of Government of India and to all States/Union Territories. After considering the views expressed by the State/Union Territory Governments and various Ministries/Departments/ Institutions besides the Supreme Court of India and the legal position and practical possibilities, decision has been taken to accept some recommendations of the Committee in their original form, some in principle, some partially, while some have been found acceptable and some others have not been accepted. Accordingly, the undersigned is directed to convey the Orders of the President made under Section 4(4) of the Official Languages Act, 1963, on the recommendations made in the Report of the Committee, as follows:-

**(1) Strengthening of the Department of Official Language and monitoring the implementation of the Official Language Policy**

**Recommendation No. 1**

Action should be taken urgently by reorganising the Department of Official Language of the Ministry of Home Affairs and giving it the status of a full-fledged Ministry in order to make it more strong and competent.

"It may not be pragmatic to give the Department of Official Language the status of a full-fledged Ministry in view of the work allocated to it at present."

**Recommendation No. 2**

A division should be set up in the Department of Official Language immediately for monitoring the follow-up action and ensuring implementation of the Presidential Orders on the recommendations of this Committee.

"This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language shall formulate and take up the proposal with the Department of Expenditure for strengthening of its implementation set-up including the Regional Implementation Offices and ensure action thereon."

**Recommendation No.3**

In other Ministries/Departments and in their related offices, undertakings, institutions etc. also, action to create posts required for monitoring, implementation and translation arrangements for compliance of official language policy and to implement orders of the President on the recommendations of this Committee, and action for making appointments on these posts should be taken without delay.

"This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language shall request all the Ministries/Departments to take necessary action."

**Recommendation No. 4**

In accordance with the recommendations made in para 41.21 of part-IV of the Report of this Committee, the Committee should monitor the compliance of the Presidential orders made on the recommendations of the Committee until the Department of Official Language is given the Status of a full-fledged Ministry.

"The Department of Official Language may monitor the Compliance of the Presidential orders made on the recommendations of the Committee. For this purpose, the Department should be suitably strengthened."

**Recommendation No. 5**

Stringent action may be taken against those officers who in spite of being proficient in Hindi are violating Presidential orders.

**संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पांचवे खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 24 नवम्बर, 1998 के संकल्प संख्या I/20012/4/92-रा.भा. (नी-1) की प्रति**

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (1) के अधीन संसदीय राजभाषा, समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा विधायन की भाषा तथा विभिन्न न्यायालयों और न्यायधिकरणों में प्रयोग की जाने की वाली भाषा से संबंधित प्रतिवेदन का 5 वां खंड राष्ट्रपति जो प्रस्तुत किया गया था। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 (3) के अनुसार इसे लोक सभा के पटल पर तथा राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया था। इसकी प्रतियां भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई। इस संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संस्थाओं के अतिरिक्त भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त मत पर विचार करने के उपरांत विधि व्यवस्थाओं तथा व्यवहारिकताओं को ध्यान में रखते हुए समिति की कुछ सिफारिशों को मूल रुप में, कुछ को सिद्धांत रुप में, कुछ को आंशिक रुप में स्वीकार करने का, कुछ को स्वीकार्य पाया गया है तथा कुछ को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनिमय, 1963 की धारा 4 (4) के अधीन समति के प्रतिवेदन को सिफारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ हैः-

**1. राजभाषा विभाग का सुदृढ़ीकरण तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मानीटरिंग**

**संस्तुति सं. (1)**

गृह मंत्रालय के राजाभाषा विभाग का पुनर्गठन करके उसे सम्पूर्ण मंत्रालय का दर्जा देते हुए अधिक सुदृढ़ और सक्षण बनाने के लिए अविलम्ब कार्रवाई की जानी चाहिए।

"राजभाषा विभाग के वर्तमान कार्य क्षेत्र के सापेक्ष इसके लिए अलग से संपूर्ण मंत्रालय बनाना वर्तमान में व्यावहारिक प्रतीत नही होता है।"

**संस्तुति सं. (2)**

राजभाषा विभाग में इस समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के अनुपालन की कार्रवाई पर निगरानी रखने और इनका कार्यान्वयन कराने के लिए एक प्रभाग की स्थापना तुरन्त की जानी चाहिए।

"समिति की यह सिफारिश संद्धांत रुप से स्वीकार कर ली गई गई है। राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों समेत अपनी कार्यान्वयन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के प्रस्ताव व्यय विभाग के साथ उठाए तथा उस पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।"

**संस्तुति सं. (3)**

अन्य मंत्रालयों/विभागों और उनसे संबंधित कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थानों आदि में भी राजभाषा नीति के अनुपालनार्त और इस समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेशों को लागू करन के उद्देश से मानीटरिंग, कार्यान्वयन और अनुवाद संबंधी कार्य के लिए अपेक्षित पदों का सृजन और उन पर नियुक्त संबंधी कार्रवाई अविलम्ब की जानी चाहिए।

"समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अपेक्षित कार्वाई का अनुरोध करें"

**संस्तुति सं. (4)**

समिति के प्रतिवेदन के चौथे खंड के पैरा 41.21 में की गई अनुशंसा के अनुसार जब तक राजभाषा विभाग के सम्पूर्ण मंत्रालय का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इस समिति की सिफारिशों पर किए गए आदेशों के अनुपालन की मानीटरिंग का कार्य भी यह समिति करती रहे।

"राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिशों पर किए गए आदेशों के अनुपालन की मानीटरिंग का कार्य राजभाषा विभाग करे। इसके लिए आवश्यकतुसार विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाए।"

**संस्तुति सं. (5)**

महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों की अवहेलना करने वाले हिंदी में प्रवीण अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

"The Department of Official Language may issue directions to all the Ministries/Departments that they should motivate and encourage their senior officers, especially Deputy Secretaries and officers of equivalent rank and other officers senior to them to do their work in the Official Language Hindi."

## 2. The language of the original draft of Bills etc. to be introduced in Parliament

### Recommendation No. 6

The Original drafting of Bills to be introduced in either House of Parliament or Notifications, Orders, Rules, Resolutions, Regulations or Bye-laws issued under the Constitution or any Central Act, should be in Hindi. Hindi text introduced in either House of Parliament should be the original text and English version of the text should be prepared as authenticated text till the English language continues to be used in the Supreme Court Section 5(2) of the Official Languages Act, 1963 should be amended accordingly.

"This recommendation has been accepted in principle. As a first step towards achieving this target, the Legislative Department should make arrangements for imparting training to the legal experts/draftsmen for drafting legal documents in Hindi."

### Recommendation No. 7

Similarly, original drafting of Bills etc. should be done in Hindi in the Hindi speaking states and their translation in English should continue to be made. While both the versions should be introduced in State Legislative simulataneously, the Hindi version should be considered as the authoritative text.

"This recommendation has been accepted in principle. Therefore, it may be forwarded to all the State Governments located in Region 'A' for further consideration and action."

### Recommendation No. 8

As regards the non-Hindi speaking states, original drafting of Bill etc. should be done in the Official Language of the State and its translation should be done in Hindi and English both. A minor amendment to his effect may be carried out in Section 6 of the Official Languages Act, 1963.

"This recommendation has been accepted in principle. It may be forwarded to State Governments of Regions "B" and "C" for further consideration and action."

### Recommendation No. 9

Hindi is the Official Language of the Union and for making legislative drafting of the non-Hindi speaking states originally in the official Language of the state or in Hindi, the Union Government should provide assistance for Hindi translation of the Acts of State Governments or grant financial assistance to non-Hindi speaking states for this purpose.

For preparing Hindi version of legislative draft, the State Governments located in non-Hindi speaking regions may consider formulating training programmes for their employees and the Legislative Department of the Central Government may formulate a project to provide financial assistance for such training."

### Recommendation No. 10

Legislative Department of the Government of India should make adequate arrangements for imparting training to its draftsmen to enable them to draft Bills etc. originally in Hindi. For this purpose, it is necessary that a separate Department is set-up for doing legal work in Hindi. In order to attract efficient and experienced persons, the draftsmen of Hindi and other Indian Languages should be inducted in the Indian Legal Service as a separate body.

"This recommendation is accepted to the extent that Legislative Department of the Government of India should make arrangements for imparting training to legal experts/draftsmen for drafting legal material originally in Hindi."

## 3. Compliance of Official Language Policy of the Union by Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats

### Recommendation No. 11

The position regarding action on administrative matters relating to service conditions of the employees of the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats is similar to that of any Central Government Office. Therefore, these Scorelariats should also prepare their annual programmes for progressive use of Hindi in their day-to-day work on the pattern of annual programme issued by the Department of Official Language, Government of India and should set up their own mechanism for monitoring the implementation thereof.

"This recommendation of the Committec has been found acceptable. The Speaker of the Lok Sabha and the Chairman of the Rajya Sabha are requested to consider this recommendation for implementation."

'राजभाषा विभाग ऐसे आदेश जारी करें कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने वरिष्ठ अधिकारियों विशेषकर उप सचिव एवं समकक्ष तथा उससे वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए विशेष तौर पर प्रेरित एवं उत्साहित करें।"

**2. विधेयकों आदि का पुरःस्थापन के लिए मूल प्रारुपण की भाषा**

**संस्तुति सं. (6)**

सदन के किसी भी सदन में पुनःस्थापित किए जाने वाले विधेयक या संविधान या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों, संकल्पों, विनियमों या उप -विधि का मूल प्रारुपण हिंदी में किया जाना चाहिए। संसद के किसी भी सदन में पुनःस्थापित हिंदी पाठ मूल पाठ है। और अंग्रेजी अनुवाद अधिप्रामाणित पाठ के रुप में तक तक बनाया जाता रहे जब कर कि उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहता है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 (2) में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए

"यह सिफारिश सिद्घांत रूप से स्वीकार कर ली गई है इस दिशा में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रथम चरण में विधायी विभाग विधि विशेषज्ञों/प्रारूपकारों को हिंदी में विधि सामग्री के प्रारूपण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।"

**संस्तुति सं (7)**

हिंदी भाषी राज्यों में भी इसी प्रकार विधेयक आदि का मूल प्रारूपण हिंदी में किया जाना चाहिए उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता रहे। जब राज्य विधान-मंडलों में दोनों पाठ साथ साथ पुनः स्थापित किए जाएं तो हिंदी पाठों को प्राधिकृत माना जाए।

"यह सिफारिश सिद्घांत रूप से स्वीकार कर ली गई है अतः इस पर आगामी विचार एवं कार्यवाही करने के लिए "क" क्षेत्र में स्थित सभी राज्य सरकारों को भेज दिया जाये।"

**संस्तुति सं. (8)**

जहां तक अहिंदी भाषी राज्यों का संबंध है वहां विधेयकों आदि का मूल प्रारूपण राज्य की राजभाषा में हो और उसका अनुवाद हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में हो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 में भी इस आशय का मामूली संशोधन कर दिया जाए।

"संस्तुति सिद्घांत रूप से स्वीकार कर ली गई है इस पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए "ख" तथा "ग" क्षेत्र की राज्य सरकारों को भेज दिया जाए"

**संस्तुति सं. (9)**

संघ की राजभाषा हिंदी है और अहिंदी भाषी राज्यों के विधायी प्रारूपण मूल रूप से राज्य की राजभाषा में या हिंदी में हो इसलिए संघ सरकार को राज्य सरकार के अधिनियम आदि में हिंदी अनुवाद में सहायता प्रदान करनी चाहिए या इस कार्य को करने के लिए हिंदी भाषी राज्यों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

"अहिंदी भाषी राज्यों के विधायी प्रारूपण का हिंदी अनुवाद तैयार करने के लिए राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने पर विचार करें तथा केंद्र सरकार का विधायी विभाग ऐसे प्रशिक्षण के लिए आर्थिक योगदान उपलब्ध कराने की परियोजना बनाएं।"

**संस्तुति सं. (10)**

भारत सरकार का विधायी विभाग अपने प्रारूपकारों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ताकि वे विधायकों आदि का मूल प्रारुपण हिंदी में कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि विधि का हिंदी में कार्य करने के लिए पृथक विभाग बनाया जाए।। योग्य और अनुभवी लोगों को आकर्षित करने के लिए और भारतीय भाषाओं के प्रारुपकारों को भारतीय विधिक सेवा में एक पृथक अंग के रुप में सम्मिलित किया जाए।

"यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि भारत सरकार का विधायी विभाग, विधि विशेषज्ञों /प्रारुपकारों को विधिक सामग्री का मूल प्रारुपण हिंदी में करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।"

**3. लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन**

**संस्तुति सं. (11)**

लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों आदि से संबंधित प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई की स्थिति वही है जो केद्रीय सरकार के कार्यालयों की है इसलिए इन सचिवालयों को भी प्रशासनिक कार्यों के लिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रमों के समान अपने दैनंदिन कार्य में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम बनाने चाहिए और इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखने के लिए अपना तंत्र स्वयं स्थापित करना चाहिए।

"समिति की यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है। संसद की दोनों सभाओं के अध्यक्ष महोदयों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस संस्तुति को क्रियान्वित करने के लिए विचार करने की कृपा करें।"

**4. Compliance of Official Language Policy in the Office of the Registrar General, Supreme Court.**

**Recommendation No. 12**

Office of the Registrar General, Supreme Court should comply with the provisions regarding Official Language Policy of the Union of India in its administrative work. Basic infrastructure for doing work in Hindi should be set up and officers and employees should be given incentives for this purpose.

"The recommendation has been found worthy of acceptance. Ministry of Law, Justice and Company Affairs may in consultation with the Supreme Court, consider preparing a feasible work-plan for introducing an Official Language Policy in a phased manner in the internal administrative working of the Supreme Court and may consider implementing the same."

**5. Use of language in Judgements of the Supreme Court.**

**Recommendation No. 13**

The use of Hindi simultaneously with English should be authorised in the Supreme Court. Every judgement should be made available in both the languages. The judgement can be delivered by the Supreme Court in Hindi or English. This may be done in such a manner that a judgement, if delivered in Hindi, should be translated in English and if the judgement is delivered in English the same should be translated in Hindi.

"This recommendation has been found worthy of acceptance. In the context of this recommendation, Ministry of Law, Justice and Company Affairs may, in consultation with the Supreme Court assess the additional arrangements and resources and financial outlays, necessary for accepting the recommendation. In tandem, a long term action plan may be prepared and considered for implementation."

**6. Use of Hindi in the administrative work by the Judges of the Supreme Court High Courts.**

**Recommendation No. 14**

A scheme should be initiated to encourged judges and other officers of the Supreme Court and various High Courts for use of Hindi in their administrative and judicial work. Seminars, workshops, referesher courses, training programmes etc. should be organised for this purpose.

"This recommendation is accepted to the extent that the recommendation may be forwarded to concerned State Governments for necessary consideration and action in the context of the High Courts located in Region 'A'. In the context of other High Courts and the Supreme Court, the concerned State Government and the Ministry of Law, Justice and Company Affairs should consider taking action in this regard at an appropriate time."

**Recommendation No. 15**

An institution or organisation should be set up to impart training for the use of Hindi language in the field of law namely, legislation, judicial functioning and teaching of law to the officers of judiciary, lawyers and law teachers.

"This recommendation is accepted in principle. The Legislative Department of Government of India may take appropriate initiative in this regard."

**7. Use of languages in the judgements/proceedings of High Courts.**

**Recommendation No. 16**

The Official Language of the concerned State or Hindi should be used in the judgements, decrees and orders of High Courts. But arrangements should also be made so that the authoritative translation of each judgement is made available in both the languages. As long as English continues to be in vogue, arrangements for providing their authoritative translation in English may be made. However, the proceedings of the High Courts may be conducted in the Official Language of the States or in Hindi or in English,

"For the purpose of this recommendation, the present policy to act within the framework of the available provisions of the Constitution and the Official Languages Act, 1963, is adequate."

**Recommendation No. 17**

For providing authoritative Hindi translation of judgements delivered in the Official Language of the concerned State, the Union Government may provide special financial assistance to the concerned State Governments of non-Hindi speaking States.

"For making availablc authenticated Hindi translation of judgements delivered in the State Official Languages of non-Hindi spcaking States, the concerned State Governments may themselves take action in this behalf by optimally utilizing their own financial resources."

**4. उच्चतम न्यायालय के महा-रजिस्ट्रार के कार्यालय में राजभाषा नीति का अनुपालन**

**संस्तुति सं (12)**

उच्चतम न्यायालय के महा-रजिस्ट्रार के कार्यालय को अपने प्रशासनिक कार्यों में सघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपान करना चाहिए। वहां हिंदी में कार्य करने के लिए आधारभूत संरचना स्थापित की जानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए आधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

"संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है। इसके अनुरुप सर्वोच्च न्यायालय की आंतरिक प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में राजभाषा नीति चरणबद्ध तरीके से अपनाने के लिए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से अक व्यावहारिक कार्य योजना तैयार करे तथा उसे क्रियान्वित करने पर विचार करें।"

**5. उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में भाषा का प्रयोग**

**संस्तुति सं. (13)**

उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का प्रयोग प्रधिकृत होना चाहिए प्रत्येक निर्णय दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो। उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में निर्णय किया जा सकता है। यदि निर्णय हिंदी में सुनाया गया हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करके और यदि अंग्रेजी में सुनाया गया हो तो उसका हिंदी अनुवाद करके ऐसा किया जा सकता है।

"यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय इस संस्तुति के परिपेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त व्यवस्था तथा संसाधनों एवं उस पर होने वाले खर्च का आकलन करें जो कि इस संस्तुति को अपनाने के लिए आवश्यक होगा साथ ही इसके लिए एक दीर्घकालीन कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने पर विचार हो।"

**6. उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग**

**संस्तुति सं. (14)**

उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य अधिकारियों को अपने प्रशासनिक और न्यायिक कार्यो में हिंदी का प्रयोग करने के संबंध में प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की जानी चाहिए इस प्रयोजन के लिए संगोष्ठियों कार्यशालाओं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाना चाहिए।

"यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि इसे "क" क्षेत्र में स्थित उच्च न्यायालयों के परिपेक्ष्य में संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक विचार एवं कार्रवाई के लिए भेज दिया जाए तथा अन्य उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के परिपेक्ष्य में उचित समय आने पर संबंधित राज्य सरकारों तथा विभिन्न विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय इस पर कार्यवाही करने पर विचार करें।"

**संस्तुति सं. 15**

एक ऐसा संस्थान या संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जो न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और विधि शिक्षकों को विधि के क्षेत्र में अर्थात विधायन, न्यायिक कार्य और विधि शिक्षा के लिए हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण दें।

"इस संस्तुति को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया जाता है भारत सरकार के विधायी विभाग द्वारा इस दिशा में आवश्यक पहल की जाए।"

**7. उच्च न्यायालय के निर्णयों/ कार्यवाहियों में भाषाओं का प्रयोग**

**संस्तुति सं. (16)**

उच्च न्यायालयों के निर्णय, डिक्रियों व आदेशों में राज्य की राजभाषा अथवा हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए किंतु यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि प्रत्येक निर्णय का प्राधिकृत अनुवाद दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो। जब तक अंग्रेजी का प्रचलन बना रहता है तब तक इनका प्राधिकृत अनुवाद अंग्रेजी में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा सकती है तथापि उच्च न्यायालयों की कार्यवाही या राज्य की राजभाषा में अथवा हिंदी में या अंग्रेजी में की जा सकती है।

"इस संस्तुति पर संविधान तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने की वर्तमान नीति पर्याप्त है।"

**संस्तुति सं. (17)**

अहिंदी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य की राजभाषा में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद कराने के लिए संघ सरकार संबंधित राज्य सरकारों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करें।

"अहिंदी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य की राजभाषा में दिए गए निर्णय का प्राधिकृत पाठ हिंदी में उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकारें स्वयं अपने वित्तीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग कर इस दिशा में कार्य करें।"

**8. Compliance of the Official Language Policy in the Quasi-Judicial Organisations, Administrative. Tribunals etc. of the Union**

**Recommendation No. 18**

The quasi-judicial organisation, administrative tribunals etc. of the Union are the organs of the Central Government and are under the control of Central Government. Therefore, like other Central Government Offices, they should also do their official work in accordance with the Official Languages Act, 1963 and the rules framed thereunder. Some of the rules of the quasi-judicial bodies or all the Acts and Rules relating to them should be amended immediately and a provision should be made therein for the use of Hindi, the Official Language of the Union.

“This recommendation has been found worthy of acceptance. Every Ministry/Department should always make the necessary provisions required for ensuing compliance of Official Language Policy of the Union at the time of establishing new quasi-judicial establishments/bodies, administrative authorities etc. Within its jurisdiction every Ministry/Department of the Government should also take steps for having the necessary provisions in kccping with the official language policy in the quasi-judicial bodies etc., existing under their control."

**9. Education of Law through Hindi Medium**

**Recommendation No. 19**

All the Universities and other Institutions in the field of law should make arrangements for imparting education in law at graduate and post-graduate levels in Hindi in the whole country. Even at present education in law is being imparted in Hindi in many Universities which needs to be extended.

"On this recommendation, the Department of Education may take necessary action in a phased manner."

**Recommendation No. 20**

The task of translating legal classics, available in other languages, into Hindi may be accelerated.

"This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Legal Affairs should take necessary steps in this regard."

**Recommendation No. 21**

It is also necessary that all the reportable judgements of the Supreme Court should be published in the journal of Department of Law after getting them translated in Hindi. Likewise all the reportable judgements of various High Courts, should also be published in as large a number as possible after getting them translated into Hindi.

"This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Legislative Department may take steps necessary for initiating efforts in this regard."

**Recommendation No. 22**

A library should be set up in Delhi in which maximum number of latest books pertaining to law in various Indian Languages should be available.

"This recommendation has been found worthy of acceptance. The Ministry of Law, Justice and Company Affairs may prepare a time-bound plan for setting up the proposed libraries in consultation with the concerned organisations and take action thereon."

**Sd/**
**(DEV SWARUP)**
**Joint Secretary to the Government of India**

**8. संघ के न्यायिक कल्प संगठन, प्रशासनिक अधिकरण आदि में राजभाषा नीति का अनुपालन**

**संस्तुति सं. (18)**

संघ के न्यायिक कल्प संगठन, प्रसासनिक अधिकरण आदि केंद्रीय सरकार के अंग है और केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। इसलिए उन्हें भी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालयों की तरह अपना कामकाज राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत अपनाए गए नियमों के अनुसार करना चाहिए। कुछ न्यायिक कल्प निकायों के नियमों में या उनसे संबंधित सभी अधिनियमों और नियमों में तुरन्त संशोधन करके उनमें संघ की राजभाषा हिंदी के प्रयोग की व्यवस्था की जाए।

"यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने कार्य क्षेत्र में नए न्यायिक कल्प संगठन/निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरणों इत्यादि की स्थापना करते समय उनमें संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित प्रावधान सदैव अनुकूल प्रावधान करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए। "

**9. हिंदी माध्यम से विधि की शिक्षा**

**संस्तुति सं. (19)**

हिंदी के माध्यम से भी स्तानक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर विधि की शिक्षा की व्यवस्था पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों तथा अन्य विधि के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को करनी चाहिए। इस समय भी अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा हिंदी में विधि शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसका विस्तार होना चाहिए।

"समिति की इस संस्तुति पर शिक्षा विभाग चरणबद्ध रुप से अपेक्षित कार्रवाई करे।"

**संस्तुति सं. (20)**

अन्य भाषाओं में उपलब्ध विधि के गौरव ग्रंथों का हिंदी अनुवाद कराने के कार्य में तेजी लानी चाहिए।

"समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। विधि कार्य विभाग इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए।"

**संस्तुति सं. (21)**

यह भी आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के सभी प्रतिवेद्य निर्णयों को हिंदी में अनुवादित कर विधायी विभाग की पत्रिका में प्रकाशित किया जाए। इसी प्रकार विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए प्रतिवेद्य निर्णयों को भी अधिकाधिक संख्या में अनुवाद करके उन्हें हिंदी में प्रकाशित किया जाना चाहिए।

"समिति की यह संस्तुति संद्धांत रुप से मान ली गई है। विधायी विभाग इस दिशा में प्रारम्भिक प्रयास के लिए आवश्यक कदम उठाए।"

**संस्तुति सं. (22)**

दिल्ली में एक पुस्तकालय स्थापित किया जा चाहिए जिसमें विभन्न भारतीय भाषाओं का अधिकतम एवं अद्यतन विधि साहित्य उपलब्ध हो।

"यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है। तथापि विधि और न्याय मंत्रालय संबंधित संगठनों के परामर्श से प्रस्तावित पुस्तकालय स्थापित करने की एक समयबद्ध योजना बनाए और उस पर कार्रवाई करें।"

ह./-

(देव स्वरुप)

संयुक्त सचिव, भारत सकार

# Presidential Order on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the Sixth Part of its Report

**Copy of the Government of India, Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) Resolution No. 12021/02/2003-0.L. (Imp. 2) dated 17th September, 2004**

The Committee of Parliament on Official language was constituted in 1976 under section 4(1) of the Official Language Act, 1963. The Committee submitted sixth part of its Report, relating to the use of Hindi in the Indian Embassies, High Commissions, Offices, Public Sector Undertakings, Banks, etc., located abroad and the use of Hindi in the correspondence between the offices of the Central Government and State Governments, to the President. In accordance with section 4(3) of the Official Language Act, 1963, the Report was laid on the Tables of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Copies of the Report were sent to all Ministries/Departments of the Government of India and to all States/Union Territories. After considering the views expressed by the State/Union Territory Governments and various Ministries Departments, it has been decided to accept most recommendations of the Committee in toto and some with modification. Accordingly, the undersigned is directed to convey the Orders of the President made under section 4(4) of the Official Language Act, 1963 of the recommendations made in the Report of the Committee as follows:

**11.4 Recommendation in connection with action taken by Government on the recommendations made in various parts of report**

**11.4.1 First Part**

**Recommendations No. 11.4.1.1 :** The translation of remaining codes/manuals procedural literature of Ministry of Defence, Ministry of Railway, Ministry of Communication and other Ministries/Departments may be completed at the earliest.

**Recommendation No. 11.4.1.2 :** The translation of the decisions delivered by the Privy Council, Federal Court and Supreme Court and books on law may be completed by the Department of Legislative Affairs at the earliest.

**Recommendation No. 11.4.1.3.:** The Department of Official Language should take action immediately on the recommendations made in connection with the training in translation, translation refresher courses and arrangement for training to Hindi Officers and other higher officers.

**Recommendation No. 11.4.1.4:** The Department of Education in the Ministry of Human Resource Development should take appropriate action immediately for evolving standard terminology, finalizing standard Hindi equivalent of new words, periodical review of glossaries, expediting the finalisation of terminologies presently being evolved, constituting a high level Committee to provide guidance in the field of terminology, use of standard terminology, propagation and distribution, organizing work-shops for Hindi Teachers, identification of All India terminology, adoption of glossaries published by the Commission for scientific and technical terminology, use of standard terminology in study and teachings, imparting knowledge of technical terminology in work-shops, writing of books in Hindi on scientific and technical subjects, use of standard terminology in the office work of Central Government, distribution of glossaries in adequate number, provision of detailed information about glossaries to institutes concerned with education, establishing a glossaries bank and other recommendations made in the field of education.

**Recommendation No. 11.4.1.5:** The Department of Education, Ministry of Health and Family Welfare and Indian Council for Agriculture Research should take necessary action on the recommendations made in connection with the medium of teaching being made Hindi and other Indian Languages for higher education.

**Recommendation No. 11.4.1.6 :** The Government should take immediate action for making amendment in section 7 of Official Language Act, 1963 and for making arrangements for providing option of Hindi in the proceedings of Supreme Court as has been recommended under para 14.4.4 and para 14.4.7 respectively of first part of the Report of Committee.

**11.4.2. Second Part**

**Recommendation No. 11.4.2.1 :** The Department of Electronics and Ministry of Industry should take appropriate action on the recommendation relating to research, development and manufacture of Devanagari Electronic typewriters as well as the special concession on the excise duty on the these typewriters.

# संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के छठे खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश

## भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 17 सितंबर, 2004 के संकल्प संख्या 12012/02/2003 रा.भा. (का.-02) की प्रति

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 (1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा विदेश स्थित भारतीय, उच्चायोगों, कार्यालयों, उपक्रमों बैंकों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कार्यालयों के बीच परस्पर पत्र-व्यवहार में राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित प्रतिवेदन का छठा खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (3) के अनुसार इसे लोक सबा के पटल पर तथा राज्यसभा के पटल पर रखा गया था। इसकी प्रतियां भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालय/विभागों से प्राप्त मत विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 (4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निवेश हुआ है

**11.4 प्रतिवेदन के विभिन्न खंडों में की गई सिफारिशों**

**सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सिफारिशें**

**11.4.1 प्रथम खंड**

**संस्तुति सं. 11.4.1.1:** रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों /में शेष बचे कोड़ मैनुअलों, प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद शीघ्र पूरा किया जाए।

**संस्तुति सं. 11.4.1.2:** विधायी विभाग द्वारा प्रिवी काउंसिल फेडरल कोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों तथा विधि पुस्तकों के अनुवाद का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए

**संस्तुति सं. 11.4.1.2**: अनुवाद प्रशिक्षण, अनुवाद पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण व हिंदी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था के संबंध में की गई सिफारिशों को राजभाषा विभाग शीघ्र कार्यान्वित करें।

**संस्तुति सं. 11.4.1.4:** मानक शब्दावली के निर्माण, नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करना, शब्दावली की आवधिक पुनरीक्षा, निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण कार्य में तेजी लाना, शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में मार्गदर्शन देने हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन, मानक शब्दावली का प्रयोग, प्रचार-प्रसार और वितरण, प्राध्यापकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान, शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों का अनुकूलन अध्यापन में मानक शब्दावलियों का प्रयोग, शब्दावलियों का पर्याप्त संख्या में वितरण, शिक्षा से संबंधित संस्थानों को शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना देना, शब्दावली बैंक की स्थापना तथा शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित अन्य सिफारिशों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग शीघ्र व समुचित कार्रवाई करे।

**संस्तुति सं. 11.4.1.5:** उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को बनाए जाने संबंधी शिफारिश पर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग आवश्यक कार्रवाई करें।

**संस्तुति सं. 11.4.1.6:** समिति के प्रतिवेदन के पहले नौ खंड के पैरा 14.4.4 तथा पैरा 14.4.7 में क्रमशः राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 में संशोधन किए जाने तथा उच्चतम न्यायालय की कार्रवाईयों के लिए हिंदी के विकल्प की व्यवस्था संबंधी सिफारिशों पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाए।

**11.4.2 दूसरा खंड**

**संस्तुति सं. 11.4.2.1:** देवनागरी इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों के अनुसंधान विकास और निर्माण तथा इस प्रकार के टाइपराइटरों पर उत्पाद शुल्क में विशेष रियायत देने संबंधी सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और उद्योग मंत्रालय अभिलंब समुचित कार्रवाई करें।

**Recommendation No. 11.4.2.2:** In the context of recommendation to strengthen the Hindi typing training and Hindi stenography, a report may be submitted after conducting survey of remaining manpower and existing training arrangements for training in various fields by Central Hindi Training Institute and accordingly training arrangement may be strengthened.

**Recommendation No. 11.4.2.3 :** Department of Electronic and Department of Official Language should take immediate action on the Report of the working Group constituted by the Department of Electronics regarding these of Hindi in Electronic mechanical facilities.

**Recommendation No. 11.4.2.4:** The scheme of technology Development Mission prepared by the Department of Electronics for the Development of Indian languages should be fully implemented.

**Recommendation No. 11.4.2.5 :** Department of Education should take immediate action on the recommendation regarding the training of Computer Literacy programme in Hindi medium.

**Recommendation No. 11.4.2.6 :** To ensure strict compliance of Official Language Policy Department of Official Language should take immediate action on the recommendation regarding making the Department of Official Language strong and resourceful.

**Recommendation No. 11.4.2.7 :** Ministry of Finance should reconsider the recommendation of the Committee to give special incentive to Teleprinter and Computer operators for doing work in both the languages. 11.4.3 Third Part

**Recommendation No. 11.4.3.1 :** Finance Ministry should reconsider the recommendation regarding increase in cash prize amount and lump-sum amount payable under Hindi Teaching Scheme.

**Recommendation No. 11.4.3.2 :** Department of Official Language should take immediate action on the report of Revision Committee constituted for the review and revision of courses and revision of training programmes of Hindi under Teaching Scheme.

**Recommendation No. 11.4.3.3 :** Department of Official language should take immediate action on the recommendations of the Committee to allow relaxation in the standards of opening new training centers in Region 'C' and to allow relaxation in prescribed standards for the creation of new posts of Hindi Teachers.

**Recommendation No. 11.4.3.4 :** Department of Education should immediately furnish the Report of the Committee constituted for the revision of standards to give grant-in-aid and incentive to voluntary institutions doing work of Hindi teaching and take action accordingly.

**Recommendation No. 11.4.3.5 :** Department of Education should take appropriate and effective action on the recommendation for Hindi teaching through correspondence courses and teaching through Hindi medium in educational institutes in all parts of the country.

**Recommendation No. 11.4.3.6 :** Department of Official Language should take immediate action on the recommendations for strengthening the Department of Official Language and Central Hindi Training Institute and its sub-institutes.

**Recommendation No. 11.4.3.7 :** Ministry of Information and Broadcasting should take immediate action for the implementation of recommendation of the Committee regarding telecasting of Hindi lessons on Doordarshan.

**Recommendation No. 11.4.3.8 :** Indian Council of Agricultural Research, Department of Education and Ministry of Health and Family Welfare should ensure full and appropriate action on the recommendations of the Committee to give option of Hindi medium in entrance examinations and courses of Agricultural and Engineering Training Institutes and courses of medical sciences, commercial subjects etc.

**Recommendation No. 11.4.3.9 :** Ministry of Defence should take immediate action on the recommendation to impart training to translate the foreign languages directly into Hindi in the School of Foreign Languages.

**Recommendation No. 11.4.3.10 :** Department of personnel and Training should take immediate action on the recommendations regarding review of various recruitment rules in view of Official Language Resolution, 1968.-

**Recommendation No**. **11.4.3.11 :** Government should take immediate action on the recommendations given in para 18.10 and 18.12 of Part III for providing option of Hindi medium in all the recruitment examinations and to abolish the compulsory question paper of English in recruitment examinations respectively.

**संस्तुति सं. 11.4.2.2:** हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण व्यवस्था को और सुदृढ़ किए जाने संबंधी सिफारिश के परिपेक्ष्य में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए बचे कार्मिकों तथा वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का सर्वेक्षण कराकर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और तदनुसार प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए।

**संस्तुति सं. 11.4.2.3:** इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिकी सुविधाओं में हिंदी के प्रयोग के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा गठित कार्यवृत्त की इलेक्ट्रॉनिक विभाग तथा राजभाषा विभाग द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाए।

**संस्तुति सं. 11.4.2.4:** इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास के लिए बनाई गई प्रौद्योगिकी विकास मशीन की योजना को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाए।

**संस्तुति सं. 11.4.2.5:** कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण संबंधी सिफारिश पर शिक्षा विभाग शीघ्र कार्यवाही करे।

**संस्तुति सं. 11.4.2.6:** राजभाषा नीति के सुचारू रूप से अनुपालन कराए जाने के लिए राजभाषा विभाग को पूरी तरह सशक्त और साधन संपन्न बनाए जाने संबंधी सिफारिश पर राजभाषा विभाग द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाए।

**संस्तुति सं. 11.4.2.7:** समिति की टेलीप्रिंटर तथा कंप्यूटर प्रचालकों को दोनों भाषाओं में काम करने के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने संबंधी सिफारिश पर वित्त मंत्रालय विचार करें

**11.4.3 तीसरा खंड**

**संस्तुति सं. 11.4.3.1:** हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत देय पुरस्कार राशि तथा एकमुश्त राशि को बढ़ाए जाने संबंधी सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय विचार करे।

**संस्तुति सं. 11.4.3.2:** हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रमों की समीक्षा में पुनरीक्षण तथा हिंदी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पुनरीक्षण हेतु गठित पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर राजभाषा विभाग शीघ्र कार्रवाई करे।

**संस्तुति सं. 11.4.3.3:** समिति की "ग" क्षेत्र में नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने के प्रतिमानों में ठील दिए जाने तथा हिंदी प्राध्यापकों के नए पद सृजित किए जाने के लिए निर्धारित प्रतिमानों में ढील देने संबंधी सिफारिशों पर राजभाषा विभाग शीघ्र कार्यवाही करें।

**संस्तुति सं. 11.4.3.4:** हिंदी शिक्षण का कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान तथा प्रोत्साहन दिए जाने के मानदंडों की पुनरीक्षा किए जाने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट शिक्षा विभाग शीघ्र प्रस्तुत करे और तदनुसार कार्यवाही करें।

**संस्तुति सं. 11.4.3.5:** हिंदी शिक्षण के लिए पत्राचार देश के सभी भागों के शिक्षा संस्थानों में हिंदी माध्यम से पठन-पाठन संबंधी सिफारिशों पर शिक्षा विभाग पूरी तरह समुचित कार्यवाही करें।

**संस्तुति सं. 11.4.3.6:** राजभाषा विभाग तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान व इसके उप संस्थानों के सुदृढ़ीकरण संबंधी सिफारिशों पर राजभाषा विभाग शीघ्र कार्यवाही करें।

**संस्तुति सं. 11.4.3.7:** समिति की दूरदर्शन से हिंदी पाठों के प्रासरण संबंधी सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीघ्र कार्यवाही करे।

**संस्तुति सं. 11.4.3.8:** समिति की कृषि इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में हिंदी माध्यम का विकल्प दिए जाने से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय शीघ्र समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करे।

**संस्तुति सं. 11.4.3.9:** विदेशी भाषा विद्यालय में विदेशी भाषाओं से सीधी हिंदी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देने सबंधी सिफारिश पर रक्षा मंत्रालय शीघ्र कार्रवाई करे।

**संस्तुति सं. 11.4.3.10:** राजभाषा संकल्प, 1968 के परिप्रेक्ष्य में विभन्न भर्ती नियों की समीक्षा संबंधि सिफारिश पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करे।

**संस्तुति सं. 11.4.3.11:** तीसरे खंड के पैरा 18.10 और 18.12 क्रमशः सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के विकल्प दिए जाने और भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्नपत्र को समाप्त करने संबंधी सिफारिशों पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाए।

**11.4.4 Fourth Part**

**Recommendation No. 11.4.4.1 :** Department of Personnel and Training should take immediate and appropriate action on the recommendation regarding making entries in respect of Official Language in Confidential Reports.

**Recommendation No. 11.4.4.2 :** Government should reconsider the recommendation regarding issue of documents under section 3(3) in region 'A' in Hindi only.

**"Presidential Orders already exist on the recommendations made in the aforesaid four Parts of the Report of the Committee. The said recommendation No. 11.4.3.11 of the Committee has not been accepted. It is mentioned in the subsequent recommendation No. 11.5.13."**

**11.5 Recommendations regarding the Progressive use of Hindi in Ministries and other offices of Central Government.**

**Recommendation No. 11.5.1 :** Monitoring arrangement done to ensure the compliance of orders, instructions etc. regarding Official Language is insufficient. Therefore, it should be strengthened and the subordinate/attached offices should be inspected from time to time by the representatives of Ministries/Departments/Headquarters.

**Recommendation No. 11.5.2 :** In most of the offices particularly located in regions "B" and "C" the officers/ employees are not fully aware of the Official Language Rules, Official Language Policy and the orders/instructions issued in this regard, recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language and the Presidential Orders issued thereon as a result of which they are not conscious of the implementation of Official Language Policy. It is the responsibility of the administrative heads that they should ensure awareness of such orders/instructions etc. and also their compliance.

**"The aforesaid recommendations of the Committee have been accepted. Directions to this effect have already been issued by the Department of Official Language."**

**Recommendation No. 11.5.3 :** Training facilities in the offices located in region "C" should be strengthened and its better utilisation should be ensured.

"This recommendation of the Committee has been accepted in principle. Appropriate action may be taken by the Department of Official Language."

**Recommendation No. 11.5.4:** The bilingual typewriters and other inachines are not being used appropriately for doing work in Hindi. Hence, care should be taken to increase its use for such purposes,

“This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may issue directions in this regard."

**Recommendation No. 11.5.5:** In some offices, instructions issued under section 3(3) of the Official Language Act, 1963 are still not being complied with to ensure its compliance, suitable steps should be taken and on its violation administrative responsibility should be fixed.

**"This recommendation of the Committee has been accepted. The orders already exist that the compliance of Section 3(3) of the Official Language Act may be ensured and those showing negligence in this regard may be advised in writing to avoid this attitude in future. Fresh orders to this effect may be issued by the Department of Official Language."**

**Recommendation No. 11.5.6 :** Department of Official Language should ensure the timely distribution of Annual Programme and serious efforts should be made to achieve the targets laid therein.

"Orders regarding timely distribution of Annual Programme and its compliance already exist. The **recommend**ation of the Committee has been accepted."

**Recommendation No. 11.5.7 :** The regular holding of the meeting of the Official Language Implementation Committee should be ensured.

**"Directions to the effect already exist that a meeting of Official Language Implementation Committee may be held in each quarter. This recommendation of the Committee has been accepted."**

**11.4.4 चौथा खंड**

**संस्तुति सं. 11.4.4.1:** गोपनीय रिपोर्ट में राभाषा के संबंध में प्रविष्टियां किए जाने संबंधी सिफारिशों पर कार्मिकों तथा प्रशिक्षण विभाग शीघ्र समुचित कार्रवाई करें।

**संस्तुति सं 11.4.4.2:** 'क' क्षेत्र में धारा 3 (3) के दस्तावेज केवल हिंदी में जारी करन संबंधी सिफारिश पर सरकार पुनः विचार करे।

**"समिति के प्रतिवेदन के उक्त चार खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश पहले से ही विदयमान हैं। समिति की उक्त सिफारिश सं. 11.4.3.11 स्वीकार नहीं की गई है। इसका उल्लेख आगे सिफारिश सं 11.5.13 में भी किया गया है।"**

**11.5 केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों व अन्य कार्यालयों में हिंदी के प्रागमी प्रयोग संबंधी सिफारिशें**

**संस्तुति सं 11.5.1:** राजभाषा संबंधी आदेशों, अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई मानीटरिंग व्यवस्था अपर्याप्त है। अतः इसको और सुदृढ़ बनाया जाए। तथा मंत्रालयों/विभागों/मुख्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए।

**संस्तुति सं 11.5.2:** अधिकतर कार्यालयों विशेषकर "ख" तथा "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नियम, राजभाषा नीति, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा इन पर राष्ट्रपित जी आदेश एवं इस संबंध में जारी आदेशों/अनुदेशों का पूर्ण ज्ञान नहीं है जिसके कारण वे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के बारे में जागरुक नहीं हैं। प्रशासनिक प्रधानों का यह दायित्व है कि वे इस आदेशों की व्यापक ज्ञानकारी व उनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

**"समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। राजभाषा विभाद द्वारा इस आश्य के निदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।"**

**संस्तुति सं 11.5.3:** "ग" क्षेत्र के कार्यालयों में प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाए व उनका ज्यदा अच्छा लाभ उठाया जाए।

**"समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रुप में स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए।"**

**संस्तुति सं. 11.5.4:** द्विभाषी रुप में उपलब्ध टाइपराइटरों व अन्य यंत्रों पर हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो रहा है अतः इसे बढ़ाने हेतु ध्यान दिया जाए।

"समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा इस बारे में निदेश जारी किए जाए।"

**संस्तुति सं 11.5.5:** कुछ कार्यालयों में अभी भी राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए तथा उल्लंघन करने पर प्रशासनिक जिम्मेदारी ठहरायी जानी चाहिए।

**"समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस आशय के आदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इसकी उपेक्षा करने वाले अधिकारियों को लिखित परामर्श दिया जाए कि वे भविष्य में इस प्रवृत्ति से बचें। इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा पुनः निदेश जारी किए जाएं।"**

**संस्तुति सं. 11.5.6:** राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम का यथासमय वितरण सुनिश्चित किया जाए व इसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय रुप से गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाए।

**"वार्षिक कार्यक्रम का समय पर वितरण और उसके अनुपालन के संबंध में आदेश पहले ही विद्यमान हैं। समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।"**

**संस्तुति सं 11.5.7:** राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन नियमित रुप से किया जाए।

**"इस बारे में पहले से ही निदेश है कि राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित की जाए। समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।"**

**Recommendation No. 11.5.8:** Hindi Advisory Committees in Ministries/Departments should be constituted reconstituted in time and their meaningful and effective meetings should be organised.

**"It is not feasible to hold meetings of Hindi Advisory Committee, on an average, more than once a year. If such meetings are held at least twice a year at the Minister's level, Committee can achieve its purpose."**

**Recommendati**on **No. 11.5.9 :** Use of Hindi in original correspondence is lagging far behind the prescribed Target. Effective steps should be taken to improve it.

**"The orders in this regard already exist. This recommendation of the Committee has been accepted."**

**Recommendat**ion **No. 11.5.10 :** Particular attention should be paid for the purchase of dictionaries, glossaries, help and reference-literatures and other Hindi books and the amount spent on it should be as per the laid down target.

**"This recommendati**on of the Committee has been accepted with the modification that out of the total **funds made available to th**e libraries, 50% of the money left after the purchase of journals and reference **literature may be spent on the purchase of Hindi books. It** is obligatory to purchase all the books mentioned in list **of Standard Hindi books will be made av**ailable to all Ministries/Departments from time to time by the Department of Official Language."

**Recommendation No. 11.5.11 :** Codes/manuals and other procedural literature should be made available in bilingual form since the same are still not available in diglot form in some offices.

**Recommendatio**n **No. 11.5.12 :** In most of the training centers, training is still imparted in English. In these centers provision should be made to make available the entire training material in Hindi/bilingual form.

**"The orders in this regard already exist. The aforesaid recommendations of the committee have been accepted."**

**Recommendation No. 11.5.13 :** The compulsory English Question paper in all recruitment examinations should be abolished. The option of giving answers in English medium to a candidate should be given only under unavoidable circumstances. Similar rules should be applicable in interview also.

"The orders regarding opting Hindi as the medium for the interviews already exist. But the recommendation with regard to dispensing with the compulsory English question paper and making Hindi as a medium of all recruitment examinations has not been accepted as this is against the spirit of the Official Language Resolution, 1968 passed by both the Houses of Parliament."

**Recommendation No. 11.5.14 :** In some offices, entries are still being made in English in registers/service books. Appropriate steps should be taken to ensure that such entries are made in Hindi as per Government orders.

**"In view of the recommendation made in Para 4 of the Report of the Committee in this regard, all the Ministries/Departments were requested by the Department of Official Language vide their O.M. No. 12024/2/92 O.1.(-2) (dated 21-7-1992 to make entries in Hindi in registers/service books in Central Government offices situated in region "A" and "B" and make entries, as far as possible, in Hindi in offices situated in region "C"."**

**Recommendation No. 11.5.15 :** The check points should be made more effective and active.

**"The orders already exist in this regard. Therefore, this recommendation has been accepted."**

**Recommendation No. 11.5.16 :** As far as possible, all publications should be brought out in bilingual form and it should be ensured that material in English and Hindi is almost equal.

"The orders have already been issued in this regard. This recommendation of the Committee has been accepted."

**Recommendation No. 11.5.17 :** In some of the towns the number of the members of the Town Official Language Implementation Committee is too large. The Committee of Parliament on Official Language, therefore, suggests that maximum number of members of the Town Official Language Implementation Committee should be fixed as 40 and these Committee should be divided into two or more Committees accordingly.

**"This recommendation of the Committee has been accepted with the modification that the Committees comprising 150 members or more than that may be bifurcated. Department of Official Language may issue directions in this regard."**

**संस्तुति सं. 11.5.8:** मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन पुनर्गठन यथासमय किया जाए तथा इसकी अर्थ पूर्ण एवं प्रभावी बैठक के की जाए।

**"हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें औसतन वर्ष में 1 से ज्यादा करना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए मंत्री स्तर पर ली जाने वाली यह बैठकें वर्ष में कम से कम 2 बार भी की जाए तो अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकती हैं"।**

**संस्तुति सं. 11.5.9:** मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य से पीछे है। इसमें सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं

**"इस संबंध में आदेश पहले ही विद्यमान हैं। समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।"**

**संस्तुति सं. 11.5.10:** शब्दकोश, शब्दावली, सहायक तथा संदर्भ साहित्य और अन्य हिंदी पुस्तकों की खरीद की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए व इनप र लक्ष्य के अनुसार राशि खर्च की जाए।

**"समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध धनराशि में से जर्नल एवं संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाए। राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की सूची में उल्लेखित सभी पुस्तकों को खरीदना आवश्यक है। राजभाषा विभाग समय-समय पर हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की एक सूची सभी मंत्रालयों विभागों को उपलब्ध करवाएगा।"**

**संस्तुति संख्या 11.5.11:** कोड/मैनुअलों और अन्य कार्यविधि साहित्य को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाया जाए क्योंकि अभी भी कुछ कार्यालयों में यह द्विभाषी रूप में उपलब्ध नहीं है।

**संस्तुति सं. 11.5.12:** अभी भी अधिकतर प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण अंग्रेजी माध्यम से ही दिया जा रहा है। ऐसे केंद्रों में प्रशिक्षण सामग्री पूर्णतया हिंदी/द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

**"इस संबंध में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं। समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई है।"**

**संस्तुति सं. 11.5.13:** सभी भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए। सभी भर्ती परीक्षाओं का माध्यम हिंदी हो जहां अपरिहार्य हो वहीं अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए आंग्रेजी का विकल्प दिया जाए। साक्षात्कार के लिए भी यही निगम लागू हो।

**"साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प देने के लिए पहले से आदेश विद्यमान हैं। लेकिन अंग्रेजी के प्रश्न-की अनिवार्यता समाप्त करने तथा सभी भर्ती परीक्षाओं का माध्यम हिंदी करने संबंधी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि वह सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1968 के प्रतिकूल है।"**

**संस्तुति सं. 15.5.14:** अभी भी कुछ कार्यालयों में रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां अंग्रेजी में की जा रही हैं। इन प्रविष्टियों को सरकारी आदेशानुसार हिंदी में करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

**"इस संबंध में समिति के प्रतिवेदन के चौथे खंड में की गई सिफारिश के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 21-07-1992 के का.ज्ञा. सं. 12024/2/92रा.भा. (ख-2) के तहत सभी मंत्रालयों विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि में रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में करें और "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालय में प्रविष्ठियां यथासंभव हिंदी में करें।"**

**संस्तुति सं. 11.5.15:** जांच बिंदुओं को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय बनाया जाए।

**"इस संबंध में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं। यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।"**

**संस्तुति सं. 11.5.16:** सभी प्रकाशन, जहां तक संभव हो, द्विभाषी रूप में निकाले जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि अंग्रेजी व हिंदी की सामग्री लगभग बराबर हो।

**"इस संबंध में आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।"**

**संस्तुति सं. 11.5.17:** कई नगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। अतः समिति का सुझाव है कि इन्हें विभाजित कर इनके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 40 रखी जाए और तदनुसार दो या इससे अधिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जाएं।

**"समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि जिन समितियों के सदस्य संख्या 150 या इससे अधिक हो, उन्हें दो भागों में बांटा जाए राजभाषा विभाग द्वारा इस आशय के निर्देश जारी किए जाएं।"**

**Recommendation No. 11.5.18 :** Assurances given to the Committee of Parliament on Official Language during inspection should be completed in a specified time period.

**"Committee of the Parliament on Official Language do not seek assurance from any office. If an office gives assurance on its own, it should fulfil it without delay. Department of Official Language may issue directions in this regard."**

**11.6 Recommendations regarding use of Official Language Hindi in correspondence between Central Government Offices and State Government Offices.**

**Recommendation No. 11.6.1:** In the States, where Official Language Act has not been passed, this Act/ Resolution should be passed without any further delay and provisions should be made in Official Language Act Rules for correspondence in Hindi between Centre and Hindi speaking States Union Territories.

**Recommendation No. 11.6.2:** The compulsory question paper in English in the recruitment examinations conducted by the States should be abolished. English should not be the only medium of Examinations but should only be an option. The medium of examinations should be the official language or the language mostly spoken in the concerned state of Hindi. Option of English medium may also be given in case it is unavailable due to local conditions.

**"The aforesaid recommendations of the Committee will be referred to the State Governments for consideration. Provisions regarding the Official Language or Official Languages of the States have been enumerated in Article 345 of the Constitution. As per these provisions, the State Governments are competent enough to take a decision on their own."**

**Recommendation No. 11.6.3 :-** In all States. Hindi Division/Cell should be established at the State Secretariat level comprising of Hindi Staff, Hindi typist. Hindi stenographer and adequate arrangements should also be made for Devanagari or bilingual typewriters/computers.

**"This recommendation of the Committee has been accepted. This may be referred to State Governments for consideration."**

**Recommendation No. 11.6.4:-** It should be ensured that communications received in Hindi from any region are replied to in Hindi.

**"This recommendation of the Committee has not been accepted because as per provisions of Article 346 of the Constitution, official language is to be used in correspondence etc."**

**Recommendation No. 11.6.5:-** Hold of English in subordinate courts should be abolished and encouragement should be given to promote the use of languages which are included in the Eighth Schedule, Hindi and Official Language of concerned State. Provisions should be made for maximum use of Hindi and Official Language/Languages of concerned State in the proceedings of High Courts also.

**"This matter falls under the jurisdiction of the State Government. Therefore, this recommendation of the Committee may be referred to State Governments for further consideration and action."**

**Recommendation No. 11.6.6 :** All legislative business and bills, Acts, rules etc. which are presented in Legislature should be originally drafted in Hindi or in Official Language of State and thereafter if unavoidable English translation thereof should be done. In case of any controversy, text in Hindi or in the Official Language of State should be treated as authentic.

**"This recommendation of the Committee has b**een accepted in principle. It is concerned with State Governments, therefore, it may be referred to State Governments for further consideration and action."

**Recommendation No. 11.6.7 :-** Hindi or Official Language of the concerned State should be adopted as the medium of education at every level.

"This recommendation of the Committee is not distinct."

**Recommendation No. 11.6.8 :-** At State level, electronic instruments equipments/computers etc. should be provided either in bilingual form or in Hindi only and their full utilization for doing work in Hindi should be ensured.

**"This recommendation of the Committee has not been accepted."**

**Recommendation No. 11.6.9 :-** Procurement of only Roman typewriters/electronic equipments etc. should be banned.

**संस्तुति सं. 11.5.18:** निरीक्षण के दौरान संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को एक निश्चित समय अवधि में पूरा किया जाए।

**"संसदीय राजभाषा समिति किसी कार्यालय से आश्वासन नहीं मांगती है। यदि कोई कार्यालय अपनी इच्छा से आश्वासन देता है तो वह उसे अविलंब पूरा करे। राजभाषा विभाग के संबंध में निर्देश जारी करे।"**

## 11.6 संघ तथा राज्य सरकारों के बीच पत्राचार में हिंदी के प्रयोग के संबंध में सिफारिशें

**संस्तुति सं. 11.6.1:** जिन राज्यों में राजभाषा अधिनियम पारित नहीं किए गए हैं उनमें यह अधिनियम/संकल्प अविलम्ब पारित किया जाए तथा राजभाषा अधिनियम/नियमों में केंद्र तथा हिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ हिंदी में पत्राचार करने का प्रावधान किया जाए।

**संस्तुति सं. 11.6.2:** राज्य द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए। परीक्षाओं का माध्यम केवल अंग्रेजी न बना कर उसे विकल्प मात्र रखा जाए परीक्षाओं का माध्यम संबद्ध राज्य की राजभाषा अथवा सर्वाधिक प्रचलित भाषा और हिंदी ही होनी चाहिए। जहां स्थानीय परिस्थितियों के कारण अपरिहार्य हो वहां अंग्रेजी माध्यम का विकल्प भी दिया जा सकता है।

**"समिति की उक्त सिफारिशें राज्य सरकारों के विचारार्थ भेज दी जाएंगी। राज्यों की राजभाषा तथा राजभाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित हैं। इन प्रावधानों के तहत राज्य सरकारें स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं।"**

**संस्तुति सं. 11.6.3:** सभी राज्यों में राज्य सचिवालय स्तर पर हिंदी प्रभाग/प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए, जिसमें हिंदी स्टाफ, टाइपिस्ट, हिंदी आशुलिपिक, देवनागरी या द्विभाषी टाइपराइटरों, कंप्यूटरों आदि की व्यवस्था भी की जाए।

**"समिति की यह सिफारिशें मान ली गई है। इसे राज्य सरकारों के विचारार्थ भेजा जाए।"**

**संस्तुति सं. 11.6.4:** कहीं से भी हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की व्यवस्था की जाए।

"समिति की सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 346 में निहित प्रावधानों के अनुसार पत्र आदि में राजभाष का प्रयोग किया जाना है।"

**संस्तुति सं. 11.6.5:** अधीनस्थ कार्यालयों में अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त किया जाए और राज्यों में आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं, हिंदी तथा राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में भी हिंदी तथा संबद्ध राज्य की राजभाषा/राजभाषाओं का अधिकाधिक प्रयोग किए जाने का प्रावधान किया जाए।

**"यह मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः समिति की सिफारिश आगामी विचार एवं कार्यवाही हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया जाए।"**

**संस्तुति सं. 11.6.6:** विधान मंडलों में होने वाले समस्त विधायी कार्य तथा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों, संकल्पों, नियमों आदि का प्रारूपण मूल रूप से हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा में किया जाए और जहां अपरिहार्य हो वहां उस का अंग्रेजी अनुवाद किया जाए किसी भी विवाद की स्थिति में हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा के पाठ को प्रमाणित माना जाए।

**"समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। इसका संबंध राज्य सरकारों से है। अतः इस पर आगामी विचार एवं कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया जाए।"**

**संस्तुति सं. 11.6.7:** हिंदी के माध्यम के रूप में प्रत्येक स्तर पर हिंदी और संबद्ध राज्य की राजभाषा को अपनाया जाए।

**"समिति की यह सिफारिश स्पष्ट नहीं है।"**

**संस्तुति सं. 11.6.8:** राज्य स्तर पर सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र/संयंत्र/कंप्यूटर आदि द्विभाषी रूप में या केवल हिंदी में उपलब्ध कराए जाएं और इनका भरपूर इस्तेमाल हिंदी कार्य के लिए किया जाए।

**"समिति की सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।"**

**संस्तुति सं. 11.6.9:** केवल रोमन के टाइपराइटर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाए।

**Recommendation No. 11.6.10 :-** Provisions should be made to send information to Central Government offices on telex, teleprinter etc. in Hindi and provisions should also be made to send the maximum telegrams, fax etc. in Devanagari.

**"The said recommendations of the Committee have not been accepted.”**

**Recommendation No. 11.6.11 :-** All rule books, procedural literature etc. should be provided in Official Language of the State.

**"This recommendation of the Committee has not been accepted. This may be referred to State Governments for** further consideration and action."

**Recommendation No. 11.6.12:** The Central Government may prepare plans to provide assistance to State Governments to conduct Hindi Teaching Scheme and to propagate Hindi through financial aid and other sources.

**"As a result of efforts made earlier, no State came forward. Hence this recommendation of the Committee, has not been accepted."**

**Recommendation No. 11.6.13:-** States located in region "C" should also correspond in Hindi with other States as is being done by Punjab, Gujarat and Maharashtra States.

**"The present policy of taking action as per Article 346 of the Constitution is quite sufficient as far as this recommendation of the Committee is concerned."**

**11.7 Recommendations regarding use of Hindi in correspondence among the Union and Union Territories.**

Committee feels that Union Government should take initiative to promote use of Hindi in correspondence between Union and Union Territories so that prescribed targets could be achieved. Keeping in view the impact of Hindi in Andaman and Nicobar Islands, provisions should be made to promote the progressive use of Official Language Hindi. Similarly, Central Government should frame a specific policy in the context of Chandigarh so that Official Language Policy could be implemented there conveniently. In Dadra and Nagar Haveli, Hindi should be promoted by creating a post of Hindi typist, Hindi stenographer, Hindi Officer etc. Similarly training should he provided to teachers of minority Languages for implementation of Official Language Hindi in Daman and Diu It is necessary to provide such mechanical aids which can do the work in Hindi and to create Hindi posts to promote the progressive use of Official Language Hindi in Lakshadweep. In brief, Central Government should provide, manpower and other mechanical facilities to promote the progressive use of Official Language Hindi in Union Territories, so that correspondence should be made between Union and Union Territories in Hindi.

**"This recomme**ndation of the Committee has been accepted. Appropriate action may be taken by the Department **of Official Langua**ge, Ministry of Home Affairs."

**11.8 Use of Official Language of Union and States in Correspondence between States and Union Territory.**

**Recommendation No. 11.8.1:-** The correspondence between States/Union Territories located in region "A" and State/Union territories located in region "A" and "B" should be in Hindi.

**Recommendation No. 11.8.2:-** The correspondence between States/Union territories located in region 'A' and States/Union territory located in region 'C' should be other in Hindi or in Indian Language of the concerned State/ Union territory, as mutually agreed upon. Due to certain reason, if they do not agree mutually on this matter, then the present system should be continued for some period.

**Recommendation No. 11.8.3:-** The correspondence should be in Hindi between States Union territories located in 'A' and 'B' region and States/Union territories located in 'A' and 'B' regions.

**Recommendation No. 11.8.4:-** The correspondence between States/Union Territories located in region 'B' and States/Union territories located in region 'C' should be in Hindi or Indian Language of the concerned Slate/Union territory region as they mutually agree. Due to certain reason if they do not agree mutually on this matter, then present system should be continued for some period.

**Recommendation No. 11.8.5:**- The communications from the States/Union territories of region 'C' to the States/ Union territories of regions 'A', 'B' and 'C' should be in Hindi or in Indian Language of the concerned State/Union territories as they have agreed mutually. Due to any reason, if they could not agree the present provision may continue for some period.

**संस्तुति सं. 11.6.10** केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि को टेलेक्स, टेलीप्रिंटर आदि पर सूचनाएं हिंदी में भिजवाने की व्यवस्था की जाए और अधिकाधिक तार/फैक्स आदि भी देवनागरी में ही भिजवाने की व्यवस्था की जाए।

**"समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई ।"**

**संस्तुति सं. 11.6.11** सभी नियम पुस्तक, प्रक्रिया साहित्य आदि राज्य की राजभाषा में उपलब्ध हों।

**"समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस पर आगामी कारवाई एवं विचार के लिए राज्य सरकारों को भेजा जाए।"**

**संस्तुति सं. 11.6.12** राज्य सरकारों को हिंदी शिक्षण योजना चलाने व हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय व अन्य संसाधनों द्वारा सहायता देने की योजना तैयार कर उसे लागू किया जाए ।

"पूर्व में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप एक भी राज्य आगे नहीं आया इसलिए समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।

**संस्तुति सं. 11.6.13** "ग" क्षेत्र के राज्यों को भी पंजाब, गुजरात व महाराष्ट्र की भांति अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करना चाहिए।

**"समिति की इस सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार कार्रवाई करने की वर्तमान नीति पर्याप्त है।"**

**11.7 संघ तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पत्राचार में हिंदी के प्रयोग संबंधी सिफारिशें**

समिति यह महसूस करती है कि संघ तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाए जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहल करनी चाहिए ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अंडमान निकोबार दीपसमूह में हिंदी के प्रभाव का देखते हुए वहां पर राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाया जाना चाहिए । इसी प्रकार केन्द्र सरकार को चण्डीगढ के बारे में स्पष्ट नीति तय कर लेनी चाहिए। ताकि वहां पर राजभाषा नीति को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जा सके। दादरा एवं नागर हवेली में हिंदी टंकक, हिंदी आशुलिपिक, हिन्दी अधिकारी के पद करके हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार दमन एवं दीव में राजभाषा हिंदी के सुचारू कार्यान्वयन हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं के अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है । लक्ष्यदीप में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को गति देने के लिए हिंदी में कार्य कर सकने वाली यांत्रिक सुविधाएं, अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए जाने तथा हिंदी संबंधी पद सृजित किए जाने की आवश्यकता है । संक्षेप में केन्द्रीय सरकार द्वारा संघ राज्यक्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए कार्मिक शक्ति व अन्य यांत्रिक सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि संघ/राज्य क्षेत्रों के बीच पत्राचार हिंदी में किया जा सके।

**"समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए।"**

**11.8 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परस्पर पत्र व्यवहार में संघ तथा राज्य की राजभाषाओं का प्रयोग**

**संस्तुति सं. 11.8.1** "क" क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा हिन्दी होनी चाहिए ।

**संस्तुति सं. 11.8.2** "क" क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा "ग" क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पत्राचार की भाषा हिंदी या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की भारतीय भाषा जैसा कि आपस में सहमति हो, होनी चाहिए । किसी कारणवश यदि इस मुद्दे पर आपसी सहमति न हो पाए तो कुछ अवधि के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जा सकती है ।

**संस्तुति सं. 11.8.**3 "ख" क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच आपसी पत्राचार की भाषा हिंदी होनी चाहिए ।

**संस्तुति सं. 11.8.4** "ख"क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा "ग" क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पत्राचार की भाषा हिंदी या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की भारतीय भाषा जैसा कि आपस में सहमति हो, होनी चाहिए । किसी कारणवश यदि इस मददे पर आपसी सहमति न हो पाए तो कुछ अवधि के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जा सकती है ।

**संस्तुति सं. 11.8.5** "ग" क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से "क", "ख" और "ग" क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्राचार की भाषा हिंदी या संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की भारतीय भाषा जैसा कि आपस जैसा कि आपस में सहमति हो, होनी चाहिए। किसी कारणवश यदि इस मुद्दे पर आपसी न हो पाए तो कुछ अपधि के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जा सकती है।

**"The aforesaid recommendations of the Committee have been accepted in principle. Action may be taken in a phased manner in this regard. Department of Official Language may issue appropriate directions in this regard."**

**11.9 Recommendations appropriate with regard to the progressive use of Hindi in the offices of the Government of India located abroad.**

**Recommendation No.11.9.1** -The compliance of all orders particularly, the targets fixed in the Annual Programme Issued by Department of Official Language and the Presidential orders made on first Four parts of the Report of Committee may be ensured in the offices of Government of India located abroad. The Committee stresses particularly the strict compliance of Section 3(3) of the Official Language Act, 1963. The compliance of Official Language Policy of the Central Govt. should also be kept in view like other policies of Govt. of India while finalizing/ implementing the agreements of Govt. of India with private parties/agents located within the country or abroad.

**Recommendation No.11.9.2:** The Indian Embassies/High Commissions etc. located abroad have special responsibility in connection with the compliance of policies of Government of India. As the National Flag and National Anthem are symbol of dignity and pride of India, similarly the Official Language is also India's identity. Therefore our Embassies/High Commissions should take initiative for ensuring the implementation of orders mentioned above and a Committee may be constituted in each country on the pattern of Town Official Language Implementation Committee under the Chairmanship of Ambassador/High Commissioner and Heads of all the offices of Government of India located in that country should be the Members of the Committee. This Committee should hold its meetings regularly and its report should be sent to Ministry of External Affairs as well as Department of Official Language regularly.

**"The above recommendations of the Committee have been accepted. Appropriate action may be taken by the Ministry of External Affairs."**

**Recommendation No.11.9.3:-** Peculiar conditions relating to progressive use of Hindi are prevailing in every country and after identifying those conditions, it is necessary to take appropriate steps for progress in the use of Hindi. For example, the Committee observed that there was great affection towards Hindi in Mauritius but there is a shortage of Hindi Books as well as Hindi teachers. Similarly, there is a demand of Hindi teachers to promote Hindi in South Africa. Hence the Committee suggests that Indian Embassies/High Commissions etc. located abroad should study such specific conditions and thereafter take steps to promote Hindi. Indian Embassies/High Commissions etc. may do the work of coordination to make available resources, for the promotion of Hindi, which include man-power equipments, books etc. and is possible, make available some token financial assistance.

**"This recommendation of the Committee has been accepted. Department of Official language may prepare an Action Plan for its accelerated implementation and complete it during the period of the 10th Five Year Plan."**

**Recommendation No.11.9.4:-** Hindi Units should be set-up in all the Embassies/High Commissions of Government of India which could monitor the compliance of orders relating to Hindi in the offices of Government of India in that country. Such Hindi Units should work under such officer who is proficient in Hindi and should have at least one Devanagari typewriter and one Hindi typist/stenographer. The Committee felt, on its discussions with Indians/ people of Indian origin during its foreign tours, that if Indian Embassies/High Commissions etc. make arrangements for conversation and correspondence in Hindi with such people, they will feel affinity and such Indian who are not proficient in foreign language may also be able to apprise of their problems to our Embassies. A large number of Indian emigrants go abroad for different types of business and find it difficult to express their views in foreign languages easily as compared to Hindi. In such a condition, they feel isolated. When these Indian emigrants visit our Embassies, they find foreign environment there also which can be changed. Therefore, the Committee recommends that among those employees sitting in the Reception of the Indian Embassy/High Commission there should be at least one employee who could speak, write and read Hindi and as far as possible that employee should converse and Correspond in Hindi with Indians. This information should also be displayed in bold letters in the reception-room so that any Indian who desires to converse and correspond in Hindi may do so without any hesitation.

**"This recommendation of the Committee has been accepted. Ministry of External Affairs may make arrangements to set up Hindi Units in some selected Embassies/High Commissions on priority basis. An Intensive Training Programme of one week duration may be conducted in one of the Embassies by the Department of Official Language for the staff of Embassies/High Commissions. The staff of the other Embassies/High Commissions may also be nominated in the Training Programme. Besides, a Translation Training programme of one week's duration may also be conducted for the staff."**

**"समिति की उक्त सिफारिशें सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। इन पर चरणबद्ध ढंग से कार्यवाई की जाए। राजभाषा विभाग द्वारा समुचित निर्देश जारी किए जाएं।"**

**11.9 विदेशों में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी सिफारिशें**

**संस्तुति संख्या 11.9.1** भारत सरकार के विदेश स्थित कार्यालयों में राजभाषा संबंधी सभी आदेशों, विशेष तौर पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों व समिति के प्रतिवेदन के पिछले चार खंडों पर राष्ट्रपति जी के आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। समिति विशेष तौर पर राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर देती है। देश में या विदेश में स्थित निजी पार्टियों/एजेंटों के साथ भारत सरकार के ऐसे करार ओं को अंतिम रूप देने/निष्पादित करते समय भारत सरकार की अन्य नीतियों की तरह ही केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का भी ध्यान रखा जाए।"

**संस्तुति संख्या 11.9.2** भारत सरकार की नीतियों के अनुपालन के संबंध में विदेश में स्थित भारत के राजदूतावासों/उच्चायोगों आदि का विशेष महत्व है। जिस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गीत भारत की मर्यादा व सम्मान का सूचक है उसी प्रकार राजभाषा भी भारत की पहचान है। इसलिए हमारे राजदूतावास/उच्चायोग यह सुनिश्चित करने में पहल करें तथा इस उद्देश्य के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तरह विदेशों में भी समितियां बनाई जाएं जिनका अध्यक्ष भारत सरकार का राजदूत/उच्चायुक्त हो तथा उस देश में भारत सरकार के सभी कार्यालयों के अध्यक्ष के सदस्य हों। यह समिति अपनी बैठकें नियमित रूप से करें तथा उसकी रिपोर्ट विदेश मंत्रालय राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी जाएं।

**"समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए"**

**संस्तुति संख्या 11.9.3** विभिन्न देशों में हिंदी की प्रगति संबंधी विशेष परिस्थितियां हैं तथा उन परिस्थितियों की पहचान कर हिंदी की प्रगति संबंधी उचित कदम उठाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए समिति ने मारीशस में हिंदी के प्रति अपार स्नेह पाया परंतु वहां पर हिंदी पुस्तकें, हिंदी अध्यापकों आदि की कमी महसूस की गई। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी अध्यापकों की मांग है। इसलिए समिति यह सुझाव देती है कि विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावास/उच्चायोग आदि ऐसी विशेष परिस्थितियों का अध्ययन कराएं तथा तदनुसार हिंदी को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाएं। भारतीय दूतावास उच्चायोग आदि हिंदी को बढ़ावा देने हेतु संसाधन, जिसमें मानव शक्ति, यंत्र, पुस्तकें आदि भी शामिल हों उपलब्ध कराने हेतु समन्वय का काम करें तथा यदि संभव हो तो कुछ टोकन वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएं।

**"समिति की सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग इसके त्वरित कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना तैयार करें और उसे दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा करे।"**

**संस्तुति संख्या 11.9.4** भारत सरकार के राजदूतावासों/उच्चायोगों में हिंदी एकक की स्थापना हो जो उस देश में भारत सरकार के कार्यालयों आदि में हिंदी संबंधी आदेशों के अनुपालन की मॉनिटरिंग करें। ऐसा हिंदी एकक किसी हिंदी में प्रवीण अधिकारी के अंतर्गत काम करे तथा उसमें कम से कम एक हिंदी टाइपराइटर, एक हिंदी टाइपिस्ट, एक हिंदी आशुलिपिक व एक हिंदी अनुवादक उपलब्ध हो। समिति ने अपने विदेश दौरे के दौरान भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों से चर्चा के दौरान यह महसूस किया कि यदि भारतीय राजदूतावासों/उच्चायोगों/मिशनों आदि में ऐसे लोगों से हिंदी में बात करने की व पत्र व्यवहार करने की व्यवस्था हो तो जहां उन्हें अपनेपन का एहसास होगा वहीं विदेशी भाषाओं में अप्रवीण कुछ भारतीय लोग अपनी कठिनाइयों से भी हमारे दूतावास को अवगत करा सकेंगे। बहुत सारे भारतीय अप्रवासी विदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यों से जाते हैं तथा विदेशी भाषा में अपने विचार उतनी आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं जितनी आसानी से वह हिंदी में कर सकते हैं। ऐसे विदेशी माहौल में वे अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं ऐसे अप्रवासी भारतीय जब हमारे दूतावास में जाते हैं तो वहां भी उन्हें विदेशी माहौल ही मिलता है जिसे की बदला जा सकता है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों/उच्चायोगों/मिशनों आदि में स्वागत कक्ष में बैठने वाले कम से कम एक कर्मचारी को हिंदी बोलनी, लिखनी व पढ़नी आती हो तथा वह कर्मचारी जहां तक हो सके भारतीयों के साथ हिंदी में ही बातचीत व पत्राचार करे। इस प्रकार की सूचना स्वागत कक्ष में भी मोटे अक्षरों में लिखी जानी चाहिए ताकि कोई भी भारतीय जो हिंदी में बातचीत अथवा पत्राचार करना चाहे वह बिना संकोच ऐसा कर सके।

**"समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। विदेश मंत्रालय प्राथमिकता के आधार पर कुछ चुनिंदा राजदूतावासों/उच्चायोगों के स्टाफ के लिए एक सप्ताह का सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी राजदूतावास में आयोजित किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य दूतावासों/उच्चायोगों के स्टाफ को भी नामित किया जाए। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक सप्ताह का अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाए।"**

**Recommendation No.11.9.5:-** Practical knowledge of Hindi to the officers of Indian Foreign service should be given during their probation period. As the officers of Indian Administrative Service are included in the cadre of various states only after having learnt the official language of that State during a certain period of time, on the same lines, the officers of Indian Foreign Service who represent the Government of India abroad should also be required to have knowledge of Official Language Hindi of Government of India. Similarly, special arrangements should be made for Hindi training to the officers/employees working in the offices of Government of India located abroad.

**"Appropriate action may be taken by the Ministry of External Affairs for imparting training in Hindi language to the probationers of Indian Foreign Service."**

**Recommendation No.11.9.6:-**The Committee observed during its foreign tour that the correspondence made by Ministry of External Affairs with Indian. Embassies/High Commissions/Missions is too less. The Committee feels that Ministry of External Affairs should use Hindi in its original correspondence to the maximum extent possible so that it could create favourable effects on the offices of Government of India located abroad. Similarly, the Ministry of External Affairs should strengthen the monitoring system regarding the progressive use of Hindi in the Indian Embassies/High Commissions/Missions located abroad because the present monitoring system has so many drawbacks and in this way a strengthened monitoring system will not only work as a check point but it will also guide the Embassies located abroad-appropriately in the use of Hindi for official work.

**"In order to ensure the implementation of Official Language Policy in Embassies/High Commissions/Missions etc. located abroad, the Ministry of External Affairs may further strengthen their inspection and monitoring system."**

**Recommendation No.11.9.7:-**Whenever any officer of Government of India visits such a country where English is not its language, he should take the services of the Hindi interpreter and the interpreter of the language spoken in that country instead of the English interpreter.

**"This recommendation of the Committee has been accepted in principle. Appropriate action may be taken by the Ministry of External Affairs in the regard."**

**Recommendation No.11.9.8:-** Information in Hindi/Indian languages about different tourist spots of India should be made available in detail in the tourists offices located abroad. Similarly, provision may be made to increase the quantum of Hindi books/Journals in the offices of Government of India.

**"With a view to create a favourable atmosphere for Hindi in the tourist offices located abroad, a detailed information regarding tourist spots should be available in Hindi too. Thus, the publications containing information about tourism in English only, should be made available in Hindi too in these offices. Effective measures may be taken by the Ministry of External Affairs and Ministry of Tourism & Culture in this regard.".**

**11.10 Other Recommendations:-**

**Recommendation No. 11.10.1:-** Two advance increments are provided to the non-Hindi speaking Officers/ Employees who pass prescribed examination under Hindi Teaching Scheme which lapse after the stipulated period. Due to this reason the Officers/Employees are not interested to get training in Hindi. Therefore, it is suggested that these increments may be given permanently and this enhancement should continue for the Officers/Employees doing work in Hindi. If the concerned Officers/Employees do not work in Hindi after passing the prescribed examinations, these increments should be stopped.

**Recommendation No.11.10.2:-** This system may also be enforced for the employees qualifying the Hindi typing and Hindi stenography examinations.

**"The above recommendations of the Committee have been accepted. Appropriate action may be taken by the Department of Official Language."**

**Recommendation No. 11.10.3:-**After imparting the training to work in Hindi through the workshops, the persons, who have attained proficiency and working knowledge of Hindi should do work in Hindi. If they start doing their work in Hindi, they should be given additional increment permanently.

**"It is not feasible. Therefore, this recommendation of the Committee has not been accepted."**

**संस्तुति संख्या 11.9.5** भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान उनको परिवीक्षा अवधि के दौरान दिया जाना चाहिए। जिस तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विभिन्न राज्यों के काडर में तभी शामिल किया जाता है जब वे एक निश्चित अवधि में उस राज्य की भाषा को सीख लेते हैं उसी प्रकार भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, जो विदेशों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, के लिए भी आवश्यक हो कि वह भारत सरकार की राजभाषा हिंदी का ज्ञान रखते हों। इसी तरह विदेशों में स्थित कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रबंध तथा व्यवस्था की जानी चाहिए।

**"विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों को हिंदी भाषा का विधिवत प्रशिक्षण देने के संबंध में समुचित कार्यवाही की जाए।"**

**संस्तुति संख्या 11.9.6** समिति ने अपने विदेश दौरे के दौरान पाया कि विदेश मंत्रालय से भारत के राजदूतावासों/उच्चायोगों/मिशनों आदि से हिंदी में किया गया पत्राचार बहुत ही कम है। समिति सिफारिश करती है कि मूल पत्राचार में विदेश मंत्रालय हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक करे जिससे विदेशों में स्थित भारत सरकार के कार्यालय पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार विदेश मंत्रालय विदेशों में स्थित भारत के राजदूतावासों/उच्चायोगों/मिशनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सुदृढ़ करें क्योंकि वर्तमान मॉनिटरिंग की व्यवस्था में बहुत सी कमियां हैं तथा एक सुदृढ़ मॉनिटरिंग व्यवस्था ना केवल जांच बिंदु के रूप में काम करेगी बल्कि विदेशों में स्थित राजदूतावासों आदि का सही-सही मार्गदर्शन भी कर सकेगी।

**"विदेशों में स्थित राजदूतावासों/उच्चायोगों/मिशनों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा अपनी निरीक्षण व मॉनिटर व्यवस्था और सुदृढ़ की जाए।"**

**संस्तुति संख्या 11.9.7** जब कभी भी भारत सरकार के अधिकारी विदेशों में जाएं तो जिन देशों की भाषा अंग्रेजी नहीं है वहां उन्हें अंग्रेजी के द्विभाषिए लेने के बदले हिंदी तथा उस देश की भाषा के द्विभाषिए ही लेने चाहियें।

**"समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा समुचित कार्यवाई की जाए।"**

**संस्तुति संख्या 11.9.8** विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालयों में भारत के विभिन्न पर्यटक स्थलों संबंधी जानकारी हिंदी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। इसी प्रकार विदेश स्थित कार्यालयों में हिंदी की पुस्तकें/पत्र-पत्रिकाओं की मात्रा बढ़ाने की व्यवस्था भी की जाए।

**"विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालयों में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु पर्यटक स्थलों की विस्तृत जानकारी हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होनी चाहिए। पर्यटन जानकारी से संबंधित प्रकाशन जो केवल अंग्रेजी में है उन्हें इन कार्यालयों में हिंदी में भी उपलब्ध किया जाना चाहिए। इस संबंध में विदेश मंत्रालय तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा कारगर कार्रवाई की जाए।"**

### 1.10 अन्य सिफारिशें

**संस्तुति संख्या 11.10.1** अहिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें जो अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती है वह बाद में समाप्त हो जाती है। इस कारण हिंदी में प्रशिक्षण प्राप्त करने में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की रूचि नहीं होती है अतः सुझाव है कि वह वेतन वृद्धि स्थाई रूप से दी जानी चाहिए और हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए यह वेतन वृद्धि निरंतर जारी रखनी चाहिए। यदि निर्धारित परीक्षा पास करने के पश्चात संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी हिंदी में कार्य नहीं करते हैं तो यह वेतन वृद्धि रोक की जानी चाहिए।

**संस्तुति संख्या 11.10.2** यही पद्धति हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन पर भी लागू होनी चाहिए।

**"समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। राजभाषा विभाग द्वारा समुचित कार्यवाई की जाए।"**

**संस्तुति संख्या 11.10.3** प्रवीणता प्राप्त व हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को कार्यशाला के माध्यम से हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण देने के बाद उनसे हिंदी में कार्य लिया जाए। वे हिंदी में अपना काम शुरू करते हैं तो उन्हें स्थाई रूप से अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए।

**"ऐसा करना व्यवहारिक नहीं है। अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।**

**Recommendation No. 11.10.4:** To promote the use of Official Language Hindi, the present scheme of prizes for doing maximum work in Hindi after passing the examination with good marks should be continued.

**"This recommendation of the Committee has been accepted. Appropriate directions may be issued by the Department of Official Language in this regard."**

**Recommendation No. 11.10.5:-** Mental attitude for doing work in Hindi should be inculcated. The Committee agree that persuasion, incentive etc. are required to promote Hindi. But in spite of these, if Govt. orders are not complied with the persons violating should be made to realize the fact of not following the official orders so that they may improve themselves. Employees, who have attained working knowledge of Hindi and proficiency (even after getting the training in Hindi through workshops) do not work in Hindi. The increments of employees who do not work in Hindi even after having the training and passing the examination and after passing the Hindi typing, Hindi stenography examinations and the examination to work in Hindi on computers may be stopped and simultaneously, a written warning may also be given in connection with not doing the work in Hindi even after having the training that he must work in Hindi otherwise an entry will he made in his service-book with regard to the violation of Official Language Act. Even after this if they do not start working in Hindi, the orders may be issued to stop their annual increments and these orders may be continued till they start doing work in Hindi.

**"It is a policy of the Government that the Official Language Policy should be implemented with persuasion, incentive and goodwill. At present, there is no provision for any punishment, however, according to Rule 12 of the Official Language Rules, 1976(As Amended, 1987), it shall be the responsibility of the Administrative Head of each office to ensure compliance of the provisions of the Official Language Act and Official Language Rules and instructions issued there under from time to time and take suitable & effective steps for the purpose."**

**Recommendation No. 11.10.6: -**The entry which has been made in their Service-books for not doing the work in Hindi may also be made in their Annual Confidential Report similarly by their officers and it may be mentioned that have acquired the training and ability to work in Hindi but they are deliberately not doing work in Hindi. It is a violation of Official Language Act. This matter should be taken into consideration specifically at the time of next promotion of the concerned employees.

**Recommendation No. 11.10**.7:- The Officers/Employees, who are sent for training in Hindi, Hindi typing/Hindi stenography/translation/workshops training during the office hours by the Ministry/Subordinate office /attached office/Undertakings of the Govt. of India, should attend training regularly and it may be essential for them to work in Hindi after qualifying the examination. If they do not do so, whatever expenditure has been incurred during the period of their training, may be recovered by deducting from the salary of the Employees.

**"At present, there is no provision for any punishment. Hence, the above recommendations of the Committee have not been accepted."**

**Recommendation No.11.10.8:-** The person, who does his all work in Hindi and takes part in any Department Examination of the Govt. of India, may be given extra special marks for his work in Hindi during his interview and for this special consideration may be given to him by the Department/Promotional Committee.

**"India is a multilingual country. The employees of the Central Government come from all linguistic communities. Hence such a discrimination is not possible. This recommendation of the Committee has not been accepted."**

**Recommendation No.11.10.9:-** A separate column should be provided in the confidential report of the Officers/employees of all levels for giving details regarding the work done in the Official Language Hindi and relevant details must be given in them.

**"This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Department of Official Language should take appropriate action in this regard."**

**Recommendation No.11.10.10:-** Essential requirement for acquiring proficiency in Hindi prior to the confirmation of the employees by amending the recruitment rules for Central Govt. Services:

The Committee had recommended in Third part of its report that the employees of regions "A" and "B" who are yet to be trained in Hindi may be imparted this training by the end of the year 1990 and to those belonging to Region "C"" by the end of the year 1993. The Committee has also recommended that newly recruited employees be imparted training in Hindi prior to professional training,

**संस्तुति संख्या 11.10.4** राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को हिंदी में अच्छे अंकों से परीक्षा पास करने पर तथा हिंदी में काम करने पर जो पुरस्कारों की योजना है वह जारी रहनी चाहिए।

**"समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा समुचित निर्देश जारी किए जाएं।"**

**संस्तुति संख्या 11.10.5** हिंदी में काम करने की मानसिकता पैदा की जाए। समिति सहमत है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन आदि की जरूरत है, परंतु इन सब के बावजूद भी सरकारी आदेशों को ना मानने वालों को इस संबंध में आदेशों की अवहेलना करने का एहसास दिलाया जाए ताकि उन्हें अपने उत्तरदायित्व का बोध हो सके। यदि हिंदी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले (कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी) हिंदी में काम नहीं करते हैं, हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद परीक्षा पास करने के बाद भी हिंदी में काम नहीं करते हैं तथा जिन्होंने हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, हिंदी में कंप्यूटर पर काम करने की परीक्षा पास कर ली है और फिर अपना काम हिंदी में नहीं करते हैं तो उनको जो वेतनवृद्धियां दी गई हैं वे रोक देनी चाहिए। साथ ही उनको हिंदी में प्रशिक्षण के बाद काम ना करने के संबंध में चेतावनी भी लिखित रूप में ही दी जानी चाहिए कि वह हिंदी में कार्य करें अन्यथा राजभाषा नियम तथा तत्संबंधी आदेशों की अवहेलना करने की बात उनकी सेवा पंजिका में दर्ज की जाएगी और यदि इसके बाद भी वह कार्य हिंदी में शुरू नहीं करते हैं तो उनकी वेतन में वार्षिक वेतनवृद्धि को रोकने के आदेश जारी किए जाएंगे यह आदेश तब तक जारी रहेंगे जब तक वे हिंदी में कार्य शुरू नहीं करते हैं।

**"सरकार की नीति है की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से किया जाए। फिलहाल इसके अंतर्गत दंड का कोई प्रावधान नहीं है तथापि राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों तथा समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाएं और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त एवं प्रभावकारी उपाय करें।"**

**संस्तुति संख्या 11.10.6** हिंदी में काम ना करने पर जो प्रविष्टि उनकी सेवा पंजिका में हो, उनकी गोपनीय वार्षिक रिपोर्ट में भी उनके अधिकारी द्वारा यह लिखा जाए कि इन्होंने प्रशिक्षण व योग्यता हिंदी में प्राप्त कर ली है तथा इन्हें राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सरकारी कामकाज हिंदी में करने के आदेश भी दे दिए गए हैं फिर भी हिंदी में काम नहीं कर रहे हैं। यह राजभाषा नियमों की अवहेलना है। इस बात का ध्यान संबंधित कर्मचारी की अगली तरक्की के समय पर विशेष रूप से रखा जाए।

**संस्तुति संख्या 11.10.7** जिस कर्मचारी को भारत सरकार के मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालय/संबद्ध कार्यालय/उपक्रम आदि, कार्यालय समय में प्रशिक्षण के लिए हिंदी, हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि/अनुवाद प्रशिक्षण/कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजते हैं, वह नियमित रूप से प्रशिक्षण लें और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनके लिए अपने सरकारी काम का 50% कार्य हिंदी में करना अनिवार्य हो। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जितने दिन उन्होंने प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण पर आने वाले खर्च की आपूर्ति उस कर्मचारी के वेतन से कटौती करके करनी चाहिए।

**"वर्तमान में दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई।"**

**संस्तुति संख्या 11.10.8** जो व्यक्ति हिंदी में अपना सारा कार्य करता है और वह किसी विभागीय परीक्षा में भाग लेता है तो उसके साक्षात्कार के समय उसको हिंदी में कार्य करने के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिए और उसे विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा भी विशेष वरीयता दी जानी चाहिए।

**"भारत एक बहुभाषी देश है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी सभी भाषा समूह से आते हैं। अतएव ऐसा भेदभाव करना संभव नहीं है। समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।"**

**संस्तुति संख्या 11.10.9** सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय रिर्पोटों में राजभाषा हिंदी में काम करने के संबंध में विवरण देने के लिए अलग से कॉलम बनाया जाना चाहिए और उसमें तत्संबंधी विवरण भी अवश्य दिए जाने चाहियें।

**"समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है। इस संबंध में राजभाषा विभाग समुचित कार्यवाई करे।"**

**संस्तुति संख्या 11.10.10 केंद्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती नियमों को संशोधित कर कर्मचारियों का स्थायीकरण होने से पहले हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर लेना जरूरी है।**

समिति ने अपने तीसरे खंड में सिफारिश की थी कि “क” और “ख” क्षेत्रों में हिंदी प्रशिक्षण के लिए बचे हुए वर्तमान कर्मचारियों को वर्ष 1990 के अंत तक तथा “ग” क्षेत्र में वर्ष 1993 के अंत तक प्रशिक्षित कर दिया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण से पहले हिंदी प्रशिक्षण दिया जाए।

Keeping in view the present number of such employees and the difficulties faced in availability of financial resources the above recommendation of the Committee had been accepted by the Govt. with the modification that the existing employees of the offices located in regions "A" and "B" and those belonging to Region "C" would be imparted training in Hindi by the end of years 1997 and 2000 respectively. The recommendation of the Committee regarding Hindi training to the newly recruited employees has been accepted in principle, and action is being taken to implement it.

The Committee has observed during the inspection of various Ministries/Central Govt. offices that there has been progress regarding the Hindi training to the employees but it is slow due to inadequate number of teaching centers and shortage of other resources. The Committee feels that there may be difficulty in achieving the fixed target in time with this slow progress. The Committee, therefore, recommends that the arrangements made for Hindi training should he strengthened.

The Committee has observed that according to the orders issued by the various State Governments and as per the Service Rules, persons proficient in the Official Language of the state are only taken in the service of state. As far as the officers of Indian Administrative service arc concerned, they are included in the cadre of various states only when they learn the language of that state in a stipulated period. It is a highly appreciable step and the Committee recommends that since Hindi is the Official Language of the Union Government, amendment in Service-rules may be made in such a manner so that it may be necessary for all the employees recruited in future to attain proficiency in Hindi during their probation period. While confirming them, it may be taken into consideration whether employee has attained the proficiency in Hindi or not. Full arrangement should be made for Hindi Training during the probation period for attaining the proficiency so that there could be no difficulty for such employees who are willing to attain proficiency. The Committee accepts that according to the order of the President issued on Part-3 of the Report, all the present Central Government employees will be able to get Hindi training by the end of the year 2000. As per the above recommendation, all the employees to be recruited will become proficient during their probation period so that the dream to do the entire work in Hindi in all the Central Govt. offices could be fulfilled after the year 2000.

**"Orders regarding strengthening of arrangements for Hindi-Training already exist. Official Language Policy of the Union of India is based on persuasion, incentive and goodwill. There is no provision for any punishment."**

**Recommendation No. 11.10.11:-** While recruiting the typists/stenographers/clerks priority should be given to those who have attained the knowledge of Hindi typing and Hindi stenography.

**"This recommendation of the Committee has been accepted. The targets for the purpose are fixed in the Annual Programme. The Department of Official Language may issue necessary directions in this regard."**

**Recommendation No. 11.10. 12:** The above procedure should also be followed for the recruitment of the officers senior to the categories of employees mentioned in above Para No. 11. 10.11. The accountability of the officers may be fixed with regard to according due place to the Official Language. The concerned officers of the Departments who start doing its entire work in Hindi, should be awarded with a prize.

**"India is a multilingual country. The employees of the Central Government come from all linguistic communities. Hence such a discrimination is not possible. Various Incentive schemes are being implemented for the officers/employees working in the ministries/departments, offices etc."**

**Recommendation No. 11.10.13:** The Department of Official Language should prescribe the norms separately regarding Hindi posts for the implementation of Official Language. Official Language Directorates may be set up in all the large Ministries like the Railway Ministry so that the implementation work of the Official Language Policy could be done effectively. Similarly, there may be a Director of Official Language/Senior Officer of Management level for conducting the work related to the use of Official Language and its propagation in the large Subordinate, attached and Undertaking offices of the Government of India and he should do the work related with the use and propagation of Official Language Only. It has been observed that in most of the above level offices, the work relating to propagation and use of Official Language is handed over to an officer as an additional charge, whereas he does not have the knowledge of Official Language nor does he take interest in the work relating to promotion of Official Language. Due to this reason, the staff working in official language section also does not take interest regarding the use and propagation of Official Language as is expected from them.

सरकार द्वारा अपेक्षित कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई थी कि "क" और "ख" क्षेत्रों में वर्तमान कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 1997 के अंत तक तथा "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालय के कर्मचारियों को वर्ष 2000 के अंत तक पूरा कर के अनुसार समिति ने यह देखा कि राज्य की राजभाषा में प्रवीण व्यक्तियों को ही राज्य की सेवा में लिया जाता है। जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रशन है लिया जाए। समिति की नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण संबंधी सिफारिश भी सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है तथा इसको क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई हो रही है।

समिति ने विभिन्न मंत्रालयों/केंद्र सरकार के कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पाया कि कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में प्रगति तो रही है परंतु हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पर्याप्त शिक्षण केंद्र न होने तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण इसकी गति धीमी है। समिति यह महसूस करती है कि इस धीमी गति से निर्धारित समय पर लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। अतः समिति का सुझाव है कि हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों व सेवा नियमों के अनुसार समिति ने यह देखा कि राज्य की राजभाषा में प्रवीण व्यक्तियों को ही राज्य की सेवा में लिया जाता है। जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रश्न है उन्हें विभिन्न राज्यों के कैडर में तभी शामिल किया जाता है जबकि एक निश्चित अवधि में वे उस राज्य की भाषा को सीख लेते हैं। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है तथा समिति सिफारिश करती है कि चूंकि संघ सरकार की राजभाषा हिंदी है अतः संघ की सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में भी इस प्रकार संशोधन किया जाए ताकि भविष्य में जितने भी नए कर्मचारी भर्ती हों उनके लिए परिवीक्षा अवधि में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर लेना अनिवार्य हो। उनका स्थायीकरण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उस कर्मचारी ने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है या नहीं। प्रवीणता प्राप्त करने के लिए परिवीक्षा अवधि में हिंदी शिक्षण का पूरा इंतजाम किया जाए ताकि ऐसे कर्मचारी जो प्रवीणता प्राप्त करना चाहते हों,किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। समिति यह मानती है कि इसके प्रतिवेदन के तीसरे खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार सन् 2000 तक केंद्र सरकार के सभी वर्तमान कर्मचारी हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। उपरोक्त सिफारिश के अनुसार नई भर्ती होने वाले सभी कर्मचारी अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रवीण हो जाएंगे ताकि सन 2000 के बाद केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में पूरा काम करने का सपना साकार हो सके।

**"हिंदी प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बारे में अधिक पहले से ही विद्यमान है। भारत संघ की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना पर आधारित है। इसके अंतर्गत धन की कोई व्यवस्था नहीं है। समिति की यह सिफारिश मान ली गई है।**

**संस्तुति सं. 11.10.11** लिपिक/टंकक/आशुलिपिक की भर्ती करते समय हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि का ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

**"समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। इस बारे में लक्ष्य वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।"**

**संस्तुति सं. 11.10.12** उपरोक्त पैरा सं. 11.10.11 मैं उल्लिखित कर्मचारियों से ऊपर के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति में भी उपरोक्त पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। राजभाषा को उसका उचित स्थान देने के संबंध में अधिकारियों की भी जिम्मेदारी निश्चित की की जानी चाहिए। जिस विभाग में सारा काम हिंदी में होने लगे तो उस विभाग के संबंधित अधिकारी को पुरस्कार सम्मानित भी किया जाना चाहिए।

**"भारत एक बहुभाषी देश है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी सभी भाषा समूहों से आते हैं। अतएव ऐसा भेदभाव करना संभव नहीं है। मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों आदि में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू है।"**

**संस्तुति सं. 11.10.13** राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए हिंदी पदों के संबंध में अलग से मानक निर्धारित किए जाने चाहिएं। सभी बड़े-बड़े मंत्रालयों में रेल मंत्रालय की तरह राजभाषा निदेशालय बनाए जाएं ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य प्रभावी ढंग से हो सके। इसी प्रकार भारत सरकार के बड़े-बड़े अधीनस्थ, सम्बद्ध, उपक्रम, कार्यालयों में राजभाषा संबंधी प्रयोग व प्रसार से संबंधित कार्यों के संचालन के लिए राजभाषा निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधक स्तर का अधिकारी हो और वह केवल राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के कार्य का ही संचालन करें। अधिकांश उपरोक्त स्तर के कार्यालयों में यह देखने में आया है कि राजभाषा के प्रचार प्रयोग संबंधी कार्य दूसरे विषय के अधिकारी को एक अतिथि के रूप में सौंप दिया जाता है जबकि उसको राजभाषा के बारे में ना कोई जानकारी होती है और ना ही उस को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा संबंधी कार्य में रूचि लेते हैं। इस कारण राजभाषा अनुभाग में कार्य करने वाला स्टाफ भी राजभाषा के प्रयोग व प्रसार में उतनी रुचि नहीं लेता जितनी अपेक्षा होती है।

**"This recommendation of the Committee has been accepted. In order to ensure implementation of Official Language Policy and compliance of the provisions of the Official Language Act and the Rules made there under, the norms for the creation of minimum number of Hindi posts already exist."**

**Recommendation No. 11.10.14:** Official Language cadre has been formed to the level of Ministries of the Central Government as a result of which a Junior Hindi Translator may reach upto the post of Director (O.L.) but there is no provision of Official Language cadre in the Subordinate/Attached/Undertakings/ Institutes/Offices of the Government of India. As a result, the officers/employees working in the Official Language Section are deprived of the Departmental promotion because they are doing the work of Official Language Hindi. Therefore, in the above offices, the promotion should be made on the basis of Official Language Cadre or they may be promoted on the basis of seniority in their Department Formation of a separate cadre of Official Language service in the Undertaking/Institutes/Subordinate/Attached offices falling under one Ministry should be considered.

**"This recommendation of the Committee has been accepted. Directions in this regard have already been issued. Directions to this effect may be recirculated by the Department of Official Language."**

**Recommendation No. 11.10.15:** The supervision of work regarding the use and propagation of the Official Language in Official business may be done at least under an officer of Joint Secretary Level.

**"This recommendation of the Committee could not be accepted, as there are no Joint Secretary level officers in all the offices. Therefore, the present arrangement is sufficient."**

**Recommendation No. 11.10.16:-** The Department of Official Language should be strengthened further for the implementation of the Official Language Policy and related orders/directions.

**"The recommendation of the Committee has been accepted in principle. Appropriate action may be taken by the Department of Official Language in this regard."**

**Recommendation No. 11.10.17:-** The work of Hindi is lagging behind clue to automation. As such, it may be kept in mind from the beginning that there should be adequate provision for promoting the use of Hindi by automation.

**"Orders regarding purchase of all types of mechanical & electronic equipment in Hindi-English bilingual form already exist. Therefore, this recommendation of the Committee has been accepted."**
**Recommendation No. 11.10.18**: There should be Indian Names of all the Companies/Bodies, undertaking authorities and they may be registered.

**"Directions already exist that the names of the offices institutes of Central Government should be written in Hindi or in Indian languages. These instructions may be reiterated by the Department of Official Language to ensure their strict compliance."**

**Recommendation No. 11.10.19:-** Rule 8(4) of Official Language Rules, 1976 should be amended in such a manner that orders could be given to the Officers/Employees who have attained proficiency in Hindi to do their entire work in Hindi and the Officers/Employees having working knowledge of Hindi should do some items of work in Hindi as may be laid down.

**"The present arrangements under rule 8(4) of the Official Language Rules, 1976 are sufficient. Therefore, this recommendation of the Committee has not been accepted."**

**Recommendation No. 11.10.20:** The target of Hindi typist Hindi stenographer and Devanagari typewriters in the Central Government offices located at Region "C" may be increased from 25% to 50%.

**"In the Annual Programme 2003-2004, the target for region "C" has already been fixed as 50%. This recommendation of the Committee has been accepted."**

**Recommendation No. 11.10.21:-** A fixed percentage of work may be laid down for doing in Hindi on the bilingual electronic equipments.

**"Targets for various items relating to the official work to be transacted in Official Language Hindi are fixed in the Annual Programme. Accordingly, the work is to be done in Hindi on bilingual electronic equipment. There is no need to fix the percentage separately."**

**"समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा नीति कार्यान्वयन तथा राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के सृजन हेतु मानक पहले से ही विद्यमान हैं।"**

**संस्तुति सं. 11.10.14** केंद्रीय सरकार के मंत्रालय स्तर के लिए तो राजभाषा कैडर बना है जिसके कारण एक कनिष्ठ अनुवादक निदेशक (राजभाषा) के पद तक पहुंच जाता है किंतु भारत सरकार के अधीनस्थ/संबद्ध/उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में राजभाषा कैडर की व्यवस्था नहीं है। इस कारण राजभाषा अनुभाग में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी विभागीय पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं कि वे राजभाषा हिंदी में कार्य कर रहा है। अतः उक्त कार्यालयों में राजभाषा कैडर के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए अथवा उनके विभाग में उनकी वरीयता के आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिए। एक मंत्रालय के अधीन जितने उपक्रम/प्रतिष्ठान/अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालय हैं उनका राजभाषा कैडर बनाया जाए

**"समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में निदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। राजभाषा विभाग द्वारा तत्संबंधी निदेश पुनः परिचालित किए जाएं। "**

**संस्तुति सं. 11.10.15** सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य पर निगरानी का कार्य कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपा जाए।

**"समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि सभी कार्यालयों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नहीं होते हैं। अतः वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।"**

**संस्तुति सं. 11.10.16** राजभाषा नीति तथा तत्संबंधी आदेशों को लागू कराने के लिए राजभाषा विभाग को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

**"समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जाए"**

**संस्तुति सं. 11.10.17** आटोमेशन करने से हिंदी का काम पिछड़ रहा हा। अतः शुरू से ही यह ध्यान रखा जाए कि आटोमेशन में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु प्रचुर प्रावधान हो।

**"सभी प्रकार के यांत्रिक एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण हिंदी-अंग्रेज़ी द्विभाषी रूप में खरीदे जाने के बारे में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं। अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।"**

**संस्तुति सं. 11.10.18** सभी कंपनियों/निकायों/, उपक्रमों, प्राधिकरणों आदि के भारतीय नाम रखे जाएं और उन्हें पंजीकृत कराए जाएं।

**"इस बारे में निदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थानों के नाम हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं में दिए जाएं। इन निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा इन निदेशों की पुनरावृत्ति की जाए।"**

**संस्तुति सं. 11.10.19** राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) को इस प्रकार संशोधित किया जाए जिसमें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सारा काम हिंदी में करने के लिए आदेश दिए जा सकें तथा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए काम की कुछ मदें निर्धारित कर दी जाएं जिन्हें वे हिंदी में करें।

**"राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।"**

**संस्तुति सं. 11.10.20 "ग"** क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी टाइपिस्ट/हिंदी आशुलिपिक तथा देवनागरी टाइपराइटरों का लक्ष्य 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया जाए।

**"वार्षिक कार्यक्रम 2003-04 में 'ग' क्षेत्र के लिए लक्ष्य पहले से ही 50% निर्धारित है। समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।"**

**संस्तुति सं. 11.10.21** द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों पर किए जाने वाले कार्य में से हिंदी के कार्य की प्रतिशतता निर्धारित की जाए।

**"राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तदनुसार ही द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर हिंदी में कार्य किया जाना है। इसके लिए अलग से प्रतिशत निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।"**

**Recommendation No. 11.10.22:-** For the Government of India's offices located in Region "A" & "B" forms & standard drafts printed or prepared in Hindi only should be used.

**Recommendation No. 11.10.23:-** In the Government of India's offices located in Regions "A" and "B" stamps, name plates, sign boards, seals, letter heads, details of office to be written on the staff car and the visiting cards should be got prepared in Hindi only.

**"The present arrangement under Rule 11 of Official Language Rules, 1976 is sufficient. Therefore, the above recommendations of the Committee have not been accepted."**

**Recommendation No. 11.10.24 :-** Ministries/Departments/Offices etc. located in Region "A" may send replies in Hindi to the letters received in English from the offices situated in Regions "A" and "B".

**"Communications from the ministries/departments/offices etc. situated in region "A" to the ministries/ departments/offices etc. and the States Union Territories in region "A"&"B" shall be 100% in Hindi as per the target fixed in the Annual Programme 2003-2004. Similarly 90% communications from region "B" to the offices etc. situated in regions "A" & "B" shall be in Hindi. Accordingly, letters received in English may be replied to in Hindi by the ministries/departments/offices situated in region "A". Department of Official Language may issue directions with regard to its implementations."**

**Recommendation No. 11.10.25-** Section 3(3) of the Official Language Act, 1963 may be amended in such a manner that the documents as mentioned under the above section to be issued to offices located in Region "A" & "B" may be issued in Hindi only.

**"In the context of the provisions contained in Section 3(5) of the Official language Act, such an action is not possible. Hence this recommendation has not been accepted."**

**Recommendation No. 11.10.26:-** Incentive schemes, already being implemented may be made more attractive for accelerating the progressive use of Official Language Hindi in the Central Government offices i.e. the amount of cash-prize under the incentive scheme may be doubled and the increment given for 12 months may be given permanently so that the employees could get its benefit during his entire service.

**"The amount of the incentive money to be given for working in Hindi under various incentive schemes has already been doubled. Instructions in this regard have also been issued. Department of Official Language may consult the Department of Expenditure, Ministry of Finance regarding giving the increment on permanent basis."**

**Recommendation No. 11.10.27:-** To ensure the compliance of Official Language Act, 1963, Official Language Rule, 1976. Target fixed in the Annual Programme issued by the Department of Official language, Ministry of Home Affairs and the orders of the President on the recommendations made in four parts of the Report of the Committee, the monitoring system of the Department of Official Language should be strengthened.

**"Instructions in this regard have already been issued. Therefore, this recommendation of the Committee has been accepted. However, the instructions already issued in this regard may be recirculated."**

**Recommendation No. 11.10.28** There is a need to increase Hindi training facilities for Government officers/ employees, Special video/audio cassettes may also be developed for training,

**"This recommendation of the Committee has been accepted. Free of cost training through Internet may be arranged. Department of Official Language may take an appropriate action in this regard."**

**Recommendation No. 11.10.29:-** Hindi workshops should be conducted regularly in each Ministry/Office/ Undertaking etc. for promoting the use of Hindi by the officers/employees in the official work.

**"This recommendation of the Committee has been accepted. Instructions issued in this regard may be recirculated by the Department of Official Language."**

**Recommendation No. 11.10.30:-** It may be recommended that for promoting the use of Hindi in correspondence, all the letters received in Hindi may be answered in Hindi only (except the letters for information only and in the cases where no action is required to be taken). Their receipt may be acknowledged in Hindi so that the sender of Hindi letter should not feel that he has not received any reply due to the reason that he has sent his letter in Hindi.

**"The present arrangement under Rule 5 of the Official Language Rules, 1976 is sufficient in this regard. However, the instructions already Issued to this effect may be recirculated by the Department of Official language."**

**संस्तुति सं. 11.10.22** “क” और “ख” क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में केवल हिंदी में छपे या तैयार किए फार्मों और मानक मसौदों का उपयोग किया जाए।

**संस्तुति सं. 11.10.23** “क” और “ख” क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में मोहरें, नामपट्ट, साइनबोर्ड, सीलें, पत्रशीर्ष, वाहनों पर लिखे जाने वाले कार्यालय के विवरण और विजिटिंग कार्ड केवल हिंदी में तैयार किए जाएं।

**“राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। अतः समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई।”**

**संस्तुति सं. 11.10.24** “क” क्षेत्र में स्थित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि द्वारा “क” और “ख” क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से अंग्रेज़ी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाए।

**“क” क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि द्वारा “क” और “ख” क्षेत्रों में स्थित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक कार्यक्रम, 2003-04 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत पत्रादि हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं। इसी प्रकार “ख” क्षेत्र से “क” व “ख” क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों आदि को 90% पत्रादि हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं। तद्नुसार ही “क” क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा अंग्रेज़ी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं। इसके कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी किए जाएं।”**

**संस्तुति सं. 11.10.25** राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में संशोधन किया जाए जिससे “क” तथा “ख” क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को उक्त धारा के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात केवल हिंदी में जारी किए जा सकें।

**“राजभाषा अधिनियम की धारा 3(5) में निहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जाना संभव नहीं है। अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।”**

**संस्तुति सं. 11.10.26** सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए लागू की गई प्रोत्साहन योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाया जाए अर्थात् प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाली नकद पुरस्कार की राशि को दुगुना कर दिया जाए तथा 12 महीने के लिए मिलने वाली वेतन वृद्धि को स्थायी रूप प्रदान किया जाए जिससे कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा के दौरान लाभ प्राप्त हो।

**“विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत हिंदी में काम करने के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशियां पहली ही दुगुनी कर दी गई हैं। इस आशय के निदेश भी जारी किए जा चुके हैं। वेतनवृद्धि स्थायी रूप से देने के बारे में राजभाषा विभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से परामर्श करें।”**

**संस्तुति सं. 11.10.27** राजभाषा अधिनियम, 1963 राजभाषा नियम, 1976, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य तथा समिति के प्रतिवेदन के चार खंडों में की गई सिफारिशों पर हुए राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग में मॉनिटरिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।
**"इस संबंध में निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं अतः समिति की सिफारिश मान ली गई है। तथापि, इस संबंध में पहले से ही जारी निर्देशों को प्रचारित किया जाए।"**

**संस्तुति सं. 11.10.28** सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के लिए विशेष वीडियो/ऑडियो कैसेट भी तैयार करवाई जा सकती हैं।

**"समिति की यह सिफारिश स्वीकार्य है। इंटरनेट के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाए। राजभाषा विभाग समुचित कार्रवाई करें।"**

**संस्तुति सं. 11.10.29** प्रत्येक मंत्रालय/कार्यालय/उपक्रम आदि में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हिंदी कार्यशालाऐं नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए।

**"समिति की सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों की पुनरावृत्ति की जाए।"**

**संस्तुति सं. 11.10.30** हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों (प्राप्ति सूचना-पत्रों को छोड़कर) के उत्तर दिए जाएं तथा जिन मामलों में कोई कार्यवाई अपेक्षित ना हो उनकी भी प्राप्ति सूचना हिंदी में भेजी जाए ताकि हिंदी में पत्र भेजने वालों को यह आभास ना हो कि पत्र हिंदी में भेजे जाने के कारण उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

**"इस संबंध में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। तथापि, राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में पहले से जारी निर्देशों को पुनः परिचालित किया जाए।"**

**Recommendation No. 11.10.31:-**The Annual Programme which is issued each year by the Department of Official Language for the implementation of the Official Language Policy should be issued about three months before the beginning of the financial year so that it could reach all the offices about one month before the beginning of the year and they could get adequate time for the preparation of a time bound programme for achieving various targets and its implementation could not start at the beginning of the year. Refixation of the realistic targets of this Annual Programme should be considered.

**"Orders regarding timely issuing of the Annual Programme already exist. Targets are also changed as per requirement."**

**Recommendation No. 11.10.32 :-** Each office should celebrate Hindi Day at least once in a week in addition to celebration of Hindi day once in a year. On that day, all work in the office should be done in Hindi only. If in any special case, it becomes imperative to do work in English on that day, the concerned officer should sign on that letter/order in Hindi only.

**"It is not feasible. Targets are fixed in the Annual Programme issued by the Department of Official Language for transacting the official work of the Union in Hindi. Therefore, this recommendation has not been accepted."**

**Recommendation No. 11.10.33 :-** For promoting the use of Official Language Hindi, writing of slogans such as "Increase the dignity of the country by corresponding in Hindi", "We welcome correspondence in Hindi in this office/undertaking" etc. on the letterheads of various offices/undertakings/banks etc. should be encouraged.

**"This recommendation of the Committee has been accepted. Department of Official Language may Issue directions regarding printing of slogans on the letterheads motivating for working in Official Language Hindi."**

**Recommendation No. 11.10.34:-** Arrangements should be made for writing slogans on the Post and Telegraph Stationery, Envelopes, Inland-letters, post cards etc. for promoting the use of Official Language Hindi.

**"For the promotion, development and propagation of the Official Language Hindi, this recommendation of the Committee has been accepted. Department of Post, Ministry of Communication and Information Technology may take appropriate action in this regard."**

**Recommendation No. 11.10.35:-** Slogans/small documentaries relating to the promotion of the use of Official Language may be shown/broadcast in between the various programmes on Doordarshan/Akashwani. This may also include the views expressed by the various national leaders about the promotion of use of Hindi.
**"This recommendation of the Committee has been accepted. Ministry of Information and Broadcasting may take an appropriate action according to the recommendation."**

**(Sd/-)**
**(M. L. Gupta)**
**JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA**

**संस्तुति सं. 11.10.31** राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम वित्त वर्ष शुरू होने से लगभग 3 मास पूर्व ही जारी हो जाना चाहिए ताकि सभी कार्यालयों में यह वार्षिक कार्यक्रम वर्ष शुरू होने से लगभग एक मास पूर्व पहुंच जाएं जिससे उन्हें विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए तथा उसका कार्यान्वयन वर्ष के शुरू से ही किया जा सके। इस वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य यथार्थ के आधार पर पुनर्निर्धारित किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

**"वार्षिक कार्यक्रम समय पर जारी करने के संबंध में आदेश पहले से ही विद्यमान है। लक्ष्यों में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाता है।"**

**संस्तुति सं. 11.10.32** हिंदी दिवस वर्ष में एक बार मनाने के अलावा प्रत्येक कार्यालय द्वारा सप्ताह में कम से कम एक दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। उस दिन कार्यालय का सारा कार्य हिंदी में ही किया जाए। किसी विशेष मामले में यदि उस दिन कोई कार्य अंग्रेजी में करना अनिवार्य हो जाए तो उस पत्र/आदेश आदि पर संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर हिंदी में किए जाएं।

**"ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अतैव यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई।"**

**संस्तुति सं. 11.10.33** विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के पत्रशीर्षों पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए "हमेशा हिंदी में पत्र-व्यवहार करके देश का गौरव बढ़ाएं" इस कार्यालय/उपक्रम में हिंदी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है। आदि घोष वाक्य (स्लोगन) लिखवाए जाने को प्रोत्साहित किया जाए।

**"समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। पत्रशीर्षों पर राजभाषा हिंदी में काम करने हेतु प्रेरणा देने वाले स्लोगन छपवाने के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए जाएं।"**

**संस्तुति सं. 11.10.34** डाक तार की स्टेशनरी, लिफाफे अंतर्देशीय पत्रों, पोस्टकार्ड आदि पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में स्लोगन लिखे जाएं।

**"राजभाषा हिंदी के संवर्धन, विकास एवं प्रसार हेतु समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । डाक विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समुचित कार्यवाई की जाए।"**

**संस्तुति सं. 11.10.35** दूरदर्शन/आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच-बीच राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने संबंधी स्लोगन/छोटे-छोटे वृतचित्र दिखाए जाएं/प्रसारित किए जाएं। इनमें विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने संबंधी प्रकट विचारों का उल्लेख भी किया जा सकता है।

**"समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सिफारिश के अनुरूप समुचित कार्रवाई करें ।"**

**(ह.)**
**(मदन लाल गुप्ता)**
**संयुक्त सचिव, भारत सरकार**

# Presidential Order on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the Seventh Part of its Report

## Copy of the Government of India, Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) Resolution No. 110*11*/5/2003-OL (Research) dated 13th July, 2005

The Committee of Parliament on Official Language was constituted in 1976 under section 4(1) of the Official Languages Act, 1963. The Committee submitted seventh part of its Report, relating to propagation of Hindi for official purposes, the position of Hindi in the field of Law, original use of Hindi in Government work, availability of publications relating to Administration and Finance in Hindi, position emerging after discussions with the representatives of States and Union Territories, the status of Hindi in the perspective of Globalization and the challenge of computerization to Hindi, to the President. In accordance with section 4(3) of the Official Languages Act, 1963, the Report was laid on the Table of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Copies of the Report were sent to all Ministries/Departments of the Government of India and to all States/Union Territory Governments. After considering the views expressed by various Union Ministries/Departments and the States Union Territories Governments, it has been decided to accept most of the recommendations of the Committee *in toto* and some of them with modifications. Accordingly, the undersigned is directed to convey the Orders of the President made under section 4(4) of the Official Languages Act, 1963 on the recommendations made in the Report of the Committee as follows:

| S.No. | Recommendations of the Committee | Decision |
|---|---|---|
| 16.5(a) | The Kendriya Hindi Samiti must bere constituted every 3 years on schedule. | **This recommendation has been accepted with the modification that the term of Kendriya Hindi Samiti will generally be 3 years but in special circumstances it may be extended or curtailed.** |
| 16.5(b) | Necessary steps should be taken to convene annual meetings of the Kendriya Hindi Samiti regularly under the Chairmanship of the Prime Minister. All decisions taken in the meetings of the Kendriya Hindi Samiti must be implemented. | **This recommendation has been accepted. All Ministries/ Departments are requested to take appropriate action to implement the decisions of Kendriya Hindi Samiti.** |
| 16.5(c) | The Deputy Chairman and all 3 conveners of Sub-Committees of the Committee of Parliament on Official Language should be called as special invitees to the meetings of the Central Official Language Implementation Committee. | **Central Official Language Implementation Committee is a Government officials committee, hence the recommendation has not been found acceptable.** |
| 16.5(d) | Decisions taken in the meetings of the Central Official Language Implementation Committee should be properly implemented and implementation of the orders of the Hon'ble President on the first five parts of the Report of the Committee of Parliament on Official Language should also be reviewed. | **This recommendation has been accepted.** |
| 16.5(e) | Constitution/reconstitution of the Hindi Salahkar Samitis should be done in time and their mectings should be held regularly. | **This recommendation has been accepted with the modification that all Ministries Departments are to constitute/reconstitute the Hindi Advisory Committee well in time and organize its meetings as per the targets fixed in the Annual Programme.** |

# संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के सातवें खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश

## भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 13 जुलाई, 2005 के संकल्प संख्या 11011/5/2003-रा.भा.(अनु.) की प्रति

संसदीय राजभाषा समिति राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अधीन 1976 में गठित की गई थी। समिति द्वारा सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में लेखन कार्य, विधि संबंधी कार्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रचार-प्रसार, सरकारी कामकाज में प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से जुड़े प्रकाशनों की हिंदी में उपलब्धता, राज्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, वैश्वीकरण और हिंदी का कंप्यूटरीकरण एक चुनौती से संबंधित प्रतिवेदन का सातवां खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसकी प्रतियां भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई थी। इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त मत पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निर्देश हुआ है:

| क्र.सं. | समिति की सिफारिशें | निर्णय |
|---|---|---|
| 16.5(क) | केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन निश्चित समय पर प्रत्येक तीन वर्ष पर अवश्य किया जाए । | **यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि केंद्रीय हिंदी समिति का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष का होगा, किंतु विशेष परिस्थितियों में इसका कार्यकाल बढ़ाया अथवा कम भी किया जा सकता है** |
| 16.5(ख) | केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित करने के प्रयास किए जाएं और समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को तत्परता से लागू किया जाए | **यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए तत्परता से आवश्यक कार्यवाही करें।** |
| 16.5(ग) | केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष तथा तीनों समितियों के संयोजकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए | **केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति केवल सरकारी अधिकारियों की समिति है। अतः यह संस्कृति स्वीकार्य नहीं पाई गई।** |
| 16.5(घ) | केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों की सक्रियता से लागू किया जाए। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पांच खंडों पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाए। | **यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।** |
| 16.5(च) | हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन सही समय पर होना चाहिए तथा बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जानी चाहिएं। | **यह संस्तुति संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि सभी मंत्रालय विभाग हिंदी सलाहकार समिति का गठन/पुनर्गठन समय पर करें और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें करें।** |

| S.No. | Recommendations of the Committee | Decision |
|---|---|---|
| 16.5(f) | The agenda of the Hindi Salahkar Samiti should include an item regarding review of progress made in the implementation of Official Language Policy in the organization under the administrative control of the concerned Ministry/Department and proper and immediate action should be taken on the decisions taken by the Samiti so that the purpose of constituting Hindi Salahkar Samiti is fulfilled and the progressive use of Union Government's Official Language Hindi could be ensured. | **This recommendation has been accepted. All Ministries/ Departments are requested to take necessary action in this regard.** |
| 16.5(g) | Heads of Offices must themselves attend meetings of the Town Official Language Implementation Committee. | **This recommendation has been accepted. All Ministries/Departments are requested to issue instructions to the Heads of their Attached/Subordinate Offices, autonomous bodies, undertakings and banks etc. to attend Town Official language Implementation Committee meetings personally.** |
| 16.5(h) | The Head of the Office and other senior functionaries should oversee the implementation of the decisions taken in the Town Official Language Implementation Committee's meetings with sincerity. | **This recommendation has been accepted. Heads of Office of all member offices of the Town Official Language Implementation Committee are requested to ensure monitoring and review of follow up action of decisions taken by the Committee.** |
| 16.5(i) | Quarterly meetings of the Town Official Language Implementation Committee should be held and the heads of Offices must themselves attend at least two meetings out of four and take measures to ensure strict compliance of the decisions taken in these meetings in their offices. | **Two meetings of Town Official Language Implementation Committee are required to be held in a year. Heads of Office of all member offices may attend these meetings compulsorily. Department of Official Language may issue instructions in this regard.** |
| 16.5(j) | Three meetings of the Town Official Language Implementation Committee in a year should be held in different offices under the Chairmanship of the Head of the Committee and the last meeting should be held in the office of the Head of the Committee itself and a senior officer of the Department of Official Language should also be invited to attend that meeting, so that a review regarding the activities and progress made throughout the year could be undertaken and the shortcomings observed should be brought to the notice of all concerned; and these should be overcome by a collective effort. | **This recommendation has not been found acceptable to organize Town Official Language Implementation Committee meetings at different venues is not feasible from the point of view of availability of venue and other resources.** |

| | | |
|---|---|---|
| 16.5(छ) | हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों की कार्यसूची में संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन प्रतिष्ठानों में केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति की प्रगति के लिए एक मद जोड़ी जाए तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों पर शीघ्र तथा समुचित रूप से कार्यवाई की जाए ताकि हिंदी सलाहकार समितियों के गठन का उद्देश्य पूरा हो सके तथा राजभाषा हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित हो सके। | **यह संस्वीकृति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।** |
| 16.5(ज) | नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में कार्यालय प्रधान को स्वयं उपस्थित होना चाहिए। | **यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है कि सभी मंत्रालय/विभागों अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, उपक्रमों और कार्यालयों के प्रमुखों बैंकों आदि को निदेश दें कि वे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में स्वयं भाग लें।** |
| 16.5(झ) | नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाई की उच्च स्तर पर पूर्ण निष्ठा से निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए। | **यह संस्वीकृति स्वीकार कर ली गई है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख समिति के निर्णयों पर कार्यवाही की निगरानी व समीक्षा सुनिश्चित करें।** |
| 16.5(ट) | नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाएं तथा वर्ष में आयोजित होने वाली चार बैठकों में से कम से कम 2 बैठकों में कार्यालय के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से स्वयं भाग ले और बैठकों में लिए गए निर्णयों का पूर्ण रूप से अपने कार्यालयों में अनुपालन कराएं। | **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में दो बैठकें अपेक्षित है। इन बैठकों में कार्यालय अनिवार्य रूप से भाग लें। इस संबंध में राजभाषा विभाग समुचित निर्देश जारी करें।** |
| 16.5(ठ) | नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में तीन बैठकें समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अलग-अलग कार्यालयों में आयोजित की जाएं तथा अंतिम बैठक समिति के अध्यक्ष पद के कार्यालय में ही आयोजित की जाए और उसमें राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहें ताकि वर्ष भर की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की जा सके और पाई गई कमियों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और उन्हें सामूहिक प्रयास से दूर कर लिया जाए। | **यह संस्तुति स्वीकार्य नहीं पाई गई है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें अलग-अलग स्थानों पर आयोजित करना, बैठक स्थान व अन्य संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।** |

| S.No. | Recommendations of the Committee | Decision |
|---|---|---|
| 16.5(k) | Keeping in view the large number of members of various Town Official Language Implementation Committees in the cities where only one Town Official Implementation Committee exists, such Town Official Language Implementation Committed should be divided into three sub-committees under separate conveners under the Chairman, so that a Pro-Hindi atmosphere should be created and awareness of the Official Language Rules etc. in all the members offices increased. | **It has been ordered on the recommendation No. 11.5.17 of the VI report of the Committee of Parliament on Official Language that all such Town Official Language Implementation Committees may be divided into two, where members are 150 or more. It is not appropriate to change the set up at this stage.** |
| 16.5(l) | Functions/Conferences may be organized every year under the Town Official Language Implementation Committee so that awareness and favourable atmosphere could be created in favour of the usage of Official Language. | **This recommendation has been accepted.** |
| 16.5(m) | Official Language Implementation Committees should be set up in all offices under Chairmanship of the Head of Offices and quarterly meetings of the Committees must be convened regularly. Progress in respect of complete and incomplete works done after the last meeting should be reviewed in the ensuing quarterly meeting. | **This recommendation has been accepted.** |
| 16.5(n) | Records should be maintained relating to the quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee and decisions taken in the meetings should be implemented solemnly and attentively. | **This recommendation has been accepted.** |
| 16.6(a) | Cultural programmes/seminars and "Kavi Sammelans" should be organized in the country as well as abroad, from time to time, so that Hindi could be popularized. | **This recommendation has been accepted in principle. All the offices may organize cultural Programmes/Seminars as per their resources.** |
| 16.6(b) | Every Government Office should have libraries/book-clubs equipped with simple interesting and comprehensive books in Hindi. On occasion the readers should be encouraged so as to develop an interest in reading and writing Hindi. The amount of the rewards meant to encourage the use of Hindi should be enhanced. The minimum amount should not be less than Rs.1000. The number of rewards should also be increased. | **This recommendation has been accepted with the modification that all offices may spend their library grants on purchasing of Hindi Books as per the targets specified in the Annual Programme and encourage their employees to read these books. The issue of increasing the amount and number of prizes will be considered later.** |

| | | |
|---|---|---|
| 16.5(ड) | विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बड़ी सदस्य संख्या को देखते हुए ऐसे नगरों में जहां एक ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, वहां नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को तीन उप समितियों में विभाजित कर तीन अलग-अलग संयोजक बनाए जाएं एवं उनका अध्यक्ष एक ही हो ताकि सभी सदस्य कार्यालयों में हिंदी के अनुकूल वातावरण बने और राजभाषा नियमों के प्रति जागरूकता आए। | **संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड-6 में की गई संस्तुति संख्या 11.5.17 पर आदेश दिया गया है कि ऐसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को, जिनकी सदस्य संख्या 150 या इससे अधिक है, दो भागों में बांटा जाए। इस व्यवस्था में अभी परिवर्तन करना सामयिक नहीं है।** |
| 16.5(ढ) | नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा समारोह/संगोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए ताकि राजभाषा के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा हो और अनुकूल वातावरण बने। | **यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।** |
| 16.5(त) | प्रत्येक कार्यालय में कार्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन होना चाहिए तथा नियमित रूप से बैठकें तिमाही आयोजित की जानी चाहिए। अगली तिमाही बैठक में पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति के पूर्ण और अपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन किया जाए। | **यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।** |
| 16.5(थ) | राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैंकों के अभिलेक रखे जाने चाहिएं तथा बैठकों में लिए गए निर्णय को पूर्ण निष्ठा एवं तत्परतापूर्वक लागू किया जाए। | **यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।** |
| 16.6(क) | राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर देश के भीतर एवं बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रमों/संगोष्ठियों एवं कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए। | **यह संस्तुति सिद्धांतः स्वीकार कर ली गई है। सभी कार्यालय अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्यक्रम, संगोष्ठी आदि आयोजित करें।** |
| 16.6(ख) | सभी सरकारी कार्यालयों में पुस्तकालय/बुक क्लब आदि की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हिंदी का सरल, सुबोध व रुचिकर साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पाठकों को हिंदी के पठन-पाठन के प्रति आकर्षित करने के लिए उन्हें उचित अवसरों पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिए जाने वाले पुरस्कारों की न्यूनतम राशि एक हजार रुपए की जानी चाहिए और पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। | **यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि सभी कार्यालय अपने पुस्तकालय अनुदान की राशि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च करें और अपने कार्मिकों को उनकी पठन-पाठन के प्रति प्रेरित करें। पुरस्कारों की राशि और संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।** |

| S. No. | Recommendation of the Committee | Decision |
|---|---|---|
| **16.6(c)** | To ensure that there should not be any dearth of books in Hindi in the field of Science & Technology, attractive rewards Should be given to the authors who write originally in Hindi. Simultaneously, keeping in view the utility of the book, provision for appropriate royalty should be made. | This recommendation has been accepted, AU Ministries/Deportments may take necessary action in this regard. |
| **16.7(a)** | Department of Official Language should prepare a course to impart training for proficiency in Hindi to the officers/employees who possess the working knowledge of Hindi, and appropriate steps be taken with the help of its Regional Implementation Offices. | This recommendation has been accepted In principle Department of Official Language may prepare appropriate course of studies with the help of Ministry of Human Resource Development |
| **16.7(b)** | While granting permission Co private publishers for publishing Government Publications, a condition be imposed on them that (hey will not publish such publications only in English and it should be made mandatory for them to publish these publications in Hindi and English in diglot form. | This recommendation has been accepted with the modification that all Government publications should be printed In diglot form, as far as possible. |
| **16.7(c)** | More Hindi posts are required to be created attach level. | This recommendation has been accepted. All Ministries/ Departments and offices are directed to comply with the orders issued regarding minimum Hindi posts, keeping in view the relevant orders of the Government issued in this regard. |
| **16.7(d)** | In service training for the officers of the rank of Under Secretary and above for enhancement of their managerial skills should be conducted in Hindi. | This is recommendation has been accepted with the modification that all in-service Training courses be conducted primarily in Hindi and secondarily through mined medium. |
| **16.7(e)** | To motivate the officers serving in Central Services etc., to do their work in Hindi, eminent Hindi scholars of Universities or other eminent personalities, who could present their subject in Hindi, be invited al specially organized workshops. | The recommendation has been accepted. Prominent Hindi Scholars and eminent persons may be invited to Hind! Workshops. |
| **16.7(f)** | Specific targets in respect of dictation in Hindi or for other work to be done in Hindi by the officers may be included to the Annual Programme of the Department of the. Official Language and it should be made mandatory for them to keep a record of this work and it should be ensured that the same is reviewed al Headquarter/Ministry level. | This recommendation has been accepted with the modification that officers provided with stenographic assistance may utilize their services (tally. Department of Official Language may prescribe targets in the Annual Programme for giving dictation in Hindi by the officers. |

| क्र स. | समिति की सिफारिशें | निर्णय |
|---|---|---|
| 16.6(ग) | विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के प्रकाशनों की कमी महसूस न हो इसके लिए संबंधित विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लिखने वाले लेखकों को आकर्षक पुरस्कार दिये जाने चाहिए, साथ ही पुस्तक की उपयोगिता को देखते हुए समुचित रायल्टी देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग इस संबंध में आपेक्षित कार्रवाई करें। |
| 16.7(क) | हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त, अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करवाने के लिए राजभाषा विभाग कोई पाठ्यक्रम तैयार करें एवं उचित व्यवस्था हेतु अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से ठोस कदम उठाएं। | यह संस्तुति सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से एक समुचित पाठ्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था करें। |
| 16.7(ख) | गैर सरकारी प्रकाशकों को सरकारी प्रकाशनों के प्रकाशन की अनुमति देते समय यह पाबंदी अवश्य लगाई जाए कि वे केवल अंग्रेजी भाषा में उन्हें प्रकाशित न करें, बल्कि इन प्रकाशनों को डिग्लाट में हिंदी-अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से छापें। | यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी प्रकाशनों को डिग्लॉट रूप में छपवाया जाए। |
| 16.7(ग) | प्रत्येक स्तर पर हिंदी के और पदों का सृजन किया जाए। | यह संस्कृति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग व समी कार्यालय न्यूनतम हिंदी पदों के संबंध में जारी आदेशों का सरकार के संगत आदेशों को ध्यान में रखते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें। |
| 16.7(घ) | अवर सचिव व इसके ऊपर के स्तर के कि सभी अधिकारियों की प्रबंधकीय दक्षता के उन्नयन हेतु आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षणों को हिंदी में आयोजित किया जाए। | यह संस्तुति इस संसोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है सेवाकालीन प्रशिक्षणों को प्रमुखतः हिंदी भाषा के माध्यम से और गौणत: मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाया जाए। |
| 16.7(च) | केन्द्रीय सेवाओं आदि में कार्यरत अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएं जिनमें व्याख्यान देने के लिए विश्वविद्यालयों के प्रख्यात हिंदी के विद्वानों अथवा अपने विषय को हिंदी के माध्यम से प्रस्तुत करने में सक्षम विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। कार्यशालाओं में प्रख्यात हिंदी के विद्वानों और सक्षम विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए। |
| 16.7(छ) | अधिकारियों के लिए उनके द्वारा हिंदी में दिए जाने वाले डिक्टेशन व अन्य कार्यों के लिए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें तथा उनका अभिलेख (लेखा-जोखा) रखना अनिवार्य किया जाए तथा मुख्यालय/मंत्रालय स्तर पर इसको समीक्षा सुनिश्चित की जाए। | यह संस्तुति इस संसोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जिन अधिकारिय के पास हिंदी आशुलिपिकों की सुविधा उपलब्ध है वे उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग करें । राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा हिंदी में दी जाने वाली डिक्टेशन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए। |

| S. No. | Recommendation of the Committee | Decision |
|---|---|---|
| 16.8(a) | Legislative Department, while according priority to the work of providing training for original drafting in Hindi, should start it in a time bound manner within 3 months, so that legislative drafting could be done on originally in Hindi. | Similar recommendation was also made in 5th Part of the Report of the Committee of Parliament on Official Language at recommendation No. 10. The recommendation was accepted In principle and orders were issued to the effect that "Legislative Department of the Government of India should make arrangements for imparting training to legal experts/ draftsmen for drafting legal materials originally in Hindi Legislative Department may take necessary action in the light of the recommendation, |
| 16.8(b) | For this purpose, training should be completed within a span of six months to one year. Work of legislative drafting in Hindi should commence within 2 years from the completion of training. Setting up of an Institute for this purpose may be considered. | Tb is recommendation is accepted in principle. Legislative Department may prepare a time bound action plan for this purpose. |
| 16.8(c) | Special incentive may be given to those, who undertake drafting in Official Language Hindu | This recommendation has not been accepted, as draftsmen are regular Government Officials. |
| 16.8(d) | Article 348 of the Constitution may be amended to enable the Legislative Department to undertake original Drafting in Hindi. | [d] & [e]: These recommendations may be referred to the Legislative Department with the directions to obtain the views of Law Commission of India and thereafter intimate their considered opinion on these recommendations. Final decision will be taken accordingly. |
| 16.8(e) | After the amendment of Article 348 of the Constitution, High Courts/Supreme Court should be asked to start delivering their judgments and decrees, etc in Hindi so (hat large number of Government Departments, who are carrying out judicial/quasi-judicial functions, could be able to deliver orders in Hindi. At present, these departments arc unable to pass orders in Hindi, because the appeal against their orders in High Courts/ Supreme Court would have to be conducted in English. | |
| 16.9(a) | Any person from outside the Government be appointed to the post of Hindi Advisor to the Government of India; who would, not only be a permanent invitee to the Committee of Parliament on Official Language, but also be a permanent member of the Kendirya Hindi Samiti. The services of any scholar or any experienced person, as also one associated with the propagation of Hinds, should be. Taken for this purpose. | This recommendation is under consideration. |

| क्र स. | समिति की सिफारिशें | निर्णय |
|---|---|---|
| 16.8(क) | विधायी विभाग, हिंदी में मूल प्रारूपण के संबंध में प्रशिक्षण के काम को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध रूप में तीन माह के भीतर आरंभ करवाएं ताकि विधि प्रारूपण का कार्य मूल रूप से हिंदी में हो सके। | इसी प्रकार की संस्तुति संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड-5 सिफारिश संख्या 10 में की गई थी। उस सिफारिश को सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हुए आदेश पारित किए गए थे कि "विधायी विभाग विधि विशेषज्ञों/प्रारूपकारों को विधिक सामग्री का मूल प्रारूपण हिंदी में करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।" विधायी विभाग इस संस्तुति के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करे । |
| 16.8(ख) | इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण कार्य छह माह से एक वर्ष की समयावधि में पूरा किया जाए। प्रशिक्षण कार्य की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर विधायी प्रारूपण का कार्य हिंदी में प्रारंभ किया जाए। इस प्रयोजन के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार किया जाए। | यह संस्तुत्ति सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। विधायी विभाग इसके लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करें। |
| 16.8(ग) | राजभाषा हदी में प्रारूपण करने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। | यह संस्तुत्ति स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि प्रारूपकार नियमित सरकारी कर्मचारी है। |
| 16.8(घ) | संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन किया जाए ताकि विधायी विभाग मूल प्रारूपण का कार्य हिंदी में कर सकें\| | (घ) और (च): ये दोनों संस्तुतियां विधायी विभाग को इसे निर्देश के साथ भेज दी जाए कि वे इन पर भारतीय विधि आयोग की सलाह लेकर अपनी सुविचारित टिप्पणी से अवगत कराएं। तदनुसार ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। |
| 16.8(च) | संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन के उपरांत उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय से कहा जाए कि वे निर्णय और डिक्री आदि हिंदी में देना प्रारंभ करें ताकि ऐसे अनेक विभाग जो न्यायिक/अर्धन्यायिक स्वरूप के कार्य कर रहे हैं, न्याय-निर्णयन हिंदी में कर सकें। इस समय ऐसे विभाग न्याय-निर्णयन हिंदी में पारित करने में इसलिए असमर्थ हैं क्योंकि उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में उनके निर्णयों के विरुद्ध की जाने वाली अपील अंग्रेजी में होती हैं। | |
| 16.9(क) | किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए जो न केवल संसदीय राजभाषा समिति में स्थायी रूप से आमंत्रित रहेंगे बल्कि केन्द्रीय हिंदी समिति के भी स्थायी सदस्य रहेंगे। इसके लिए हिंदी के किसी विद्वान या हिंदी के प्रचार प्रसार से जुड़े व अनुभवी व्यक्ति की सेवाएं लेना उचित होगा। | यह संस्तति विचाराधीन है। |

| S. No. | Recommendations of the Committee | Decision |
|---|---|---|
| 16.9(b) | To ensure that the daily routine work in Government Offices originates in Hindi, senior level officers may also be imparted training in Hindi. The Department of Official Language should organize workshops for Joint Secretaries and other senior officers, After organizing Hindi workshops for Ministries/Departments, similar work-shops may also be organized for the senior executives of Attached/ Subordinate Offices, in order to change their attitude towards work in Hindi and to ensure that these officers take part in these workshops, their attendance should be made mandatory. | This recommendation has been accepted. |
| 16.10 | In order to ensure the availability of various Codes, Rule Books and procedural literature relating to administrative and financial matters of the Central Government Offices along with the publications of other Ministries/ Departments in Hindi, the Committee of Parliament on Official Language recommends as under: | |
| 16.10(1) | Provision should be made to seek Government permission for getting the copyright by private publishers before printing of the Government publications/material; and if such a provision already exists, a condition to the effect that the publication shall be both in Hindi and English should be included therein before the permission is accorded by the Government or any office/department. If, on the basis of size etc., printing of any book compilation in diglot form is not feasible, in such a situation a special mention should be made on the cover page of the English edition that the Hindi version of this edition is also available with the publisher/distributor. | This recommendation has been accepted with the modification that all Government Publications may be published in diglot form, as far as possible. |
| 16.10(2) | An additional Cell may be set up under the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language by the Government of India and be assigned the following responsibilities : | [a] to [e]: These recommendations are under consideration. |
| | [a] This cell will ensure proper coordination among the original writing, translation and the publication work of Government publication of all Ministries/Departments and will also ensure easy availability of this published literature. | |

| क्र.सं | समिति की सिफारिशें सरकारी | निर्णय |
|---|---|---|
| 16.9(ख) | सरकारी कार्यालयों में मूल रूप से हिंदी में दैनिक नेमी काम हो सके, इसके लिए उच्च अधिकारी वर्ग को हिंदी में प्रशिक्षित किया जाए। राजभाषा विभाग, संयुक्त सचिव एवं उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करें। मंत्रालयों/विभागों के बाद संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के उच्च अधिकारियों के लिए भी उसी प्रकार कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ताकि मानसिकता में बदलाव आ सके तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारियों का इन कार्यशालाओं में भाग लेना अनिवार्य हो। | यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। |
| 16.10 | सरकारी कार्यालयों के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों से संबंधित विभिन्न संकलनों, नियमावलियों एवं प्रक्रिया साहित्य के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रकाशनों की हिंदी में सुलभता के लिए संसदीय राजभाषा समिति यह सिफारिश करती है कि : | |
| 16.10(1) | प्राइवेट प्रकाशकों को सरकारी प्रकाशन छापने के पूर्व उन्हें सरकारी द्वारा प्रकाशन के अधिकार (कापीराइट) की अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि ऐसा प्रावधान पहले से विद्यमान है तो सरकार अथवा इसके किसी विभाग द्वारा कापीराइट हस्तांतरित करने की अनुमति देने के समय संबंधित सामग्री को द्विभाषी मुद्रित कराने की शर्त का प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि पुस्तक के आकार के कारण डिग्लाट रूप में छापना असुविधाजनक हो तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी संस्करण के आवरण पृष्ठ पर विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाए कि प्रकाशन/वितरक के पास इस संस्करण का हिंदी रूपांतरण भी उपलब्ध है। | यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी प्रकाशनों को डिग्लॉट रूप में छपवाया जाए। |
| 16.10(2) | भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन एक अतिरिक्त प्रकोष्ठ का गठन करके उसे निम्नलिखित दायित्व सौंपे :<br><br>(क) यह प्रकोष्ठ सभी मंत्रालयों/विभागों के सरकारी प्रकाशनों के मौलिक लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन आदि के कार्य में समन्वय स्थापित करेगा तथा इस प्रकार प्रकाशित साहित्य की सर्वसुलभता सुनिश्चित कराएगा। | (क) से (च): ये संस्तुतियां विचाराधीन है। |

| S. No. | Recommendations of the Committee | Decision |
|---|---|---|
| | [b] To tackle the scarcity of Hindi publications in the Ministries/ Departments/Institutes relating to Research, Science and Technology field, the cell may draw a panel consisting of experts/ educationists of these areas and will ensure original writing as well as standardized translation in Hindi or the required material available in other language.<br><br>(c) This cell will compile a list classifying all the Government publications and will bring out the same regularly. In addition to this, it will also bring out a monthly bulletin providing fresh information regarding the availability of new Hindi publications and the sources from where these are available.<br><br>[d] For this purpose the cell will create its own website and will update it with information relating to various useful software available in the market for expansion and propagation of Hindi along-with the availability of various Government Hindi publications.<br><br>[e] In order to ensure the availability of Hindi publications in the Ministries/Departments/ Undertakings, this cell will provide all sorts of help and guidance. | |
| 16.10(3) | For effective compliance of the Official Language Policy, the Committee recommends that the Department of Official Language should bring up updated edition of the Rule Books regarding use of Hindi, biennially, and ensure appropriate planning of its circulation and distribution so that the orders and the compilations issued from time to time by the Department of Official Language become available in all the large and the small offices of the Union Government. | |
| 16.10(4) | The Committee would like to suggest that Government should undertake an in-depth study of the present system of the Publications Department and ensure appropriate steps to make it accountable to the Official Language Policy | Recommendation has been accepted. Department of Official Language and the Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting may take appropriate action in this regard. |

| क्र.सं | समिति की सिफारिशें | निर्णय |
|---|---|---|
| | (ख) विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र से जुड़े मंत्रालयों/विभागों/संस्थानों में हिंदी प्रकाशनों की कमी को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करेगा एवं इस क्षेत्र में मौलिक लेखन एवं अन्य भाषाओं में उपलब्ध आवश्यक सामग्री का हिंदी में स्तरीय अनुवाद करने का कार्य सुनिश्चित करेगा। (ग) यह प्रकोष्ठ समस्त सरकारी प्रकाशनों को वर्गीकृत करते हुए एक सूची का संकलन करेगा तथा नियमित रूप से इसका प्रकाशन करेगा। इसके अतिरिक्त नवीन हिंदी प्रकाशनों की उपलब्धता तथा इसके स्रोतों की जानकारी देते हुए इसमें संशोधनों आदि की ताजा जानकारी उपलब्ध कराते हुए एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करेगा। (घ) प्रकोष्ठ अपने इस प्रयोजन के लिए एक वेबसाइट निर्मित कराएगा तथा इस पर सरकारी प्रकाशनों की उपलब्धता के साथ-साथ हिंदी के प्रसार एवं प्रचार से संबंधित बाजार में विभिन्न सॉफ्टवेयरों की जानकारी आदि प्रदान करेगा। (च) यह प्रकोष्ठ मंत्रालयों/विभागों/ सरकारी उपक्रमों में हिंदी प्रकाशनों को उपलब्ध कराने के लिए सभी संभव मदद एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा। | |
| 16.10(3) | राजभाषा नीति के कारगर अनुपालन हेतु समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तिका का अद्‌यतन संस्करण हर दो वर्ष में प्रकाशित करे तथा इसके परिचालन एवं वितरण की ठोस योजना सुनिश्चित करे ताकि राजभाषा विभाग द्‌वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश एवं इनके संकलन सरकार के सभी छोटे-बड़े कार्यालयों में उपलब्ध हो सके। | यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। |
| 16.10(4) | समिति का यह भी सुझाव है कि सरकार प्रकाशन विभाग की मौजूदा कार्यप्रणाली की गहराई से समीक्षा करे तथा इसे राजभाषा नीति के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए समुचित उपाय करे। | यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में राजभाषा विभाग और प्रकाशन प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करें। |

| S. No. | Recommendation of the Committee | Decision |
|---|---|---|
| 16.10(5) | Arrangement of early publication of new/revised editions of the Government publication duly incorporating the amendment/alternations carried out from time to time should be ensure on the pattern of Private Publications. According to information received, the printed Government compilations and their amended/updated editions are printed after a gap of years, that is why they fail Io prove useful and consequently the Government offices wholly depend upon the private publications. The solution this situation must be explored and a certain time limit should be fixed for printing of the updated compilations. | **This recommendation has been accepted. All Ministries may ensure appropriate action in this regard on priority.** |
| 16.10(6) | To ensure easy reading of these publications, appropriate type-set, cover and other pages etc. should be on good quality paper; selected fonts for emphatic printing be used; keeping in view their utility publications may be in different sizes; a professional approach is required to be taken in the present policy. | **This recommendation has been accepted. All Ministries, particularly Ministry of Urban Development, Directorate of Printing and the Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting may ensure action In tilts regard on priority.** |
| 16.10(7) | For making the Government publications more accessible the number of sales counters should be increased and by making necessary change in the present policy the assistance of private book seller/ agencies may be sought for this purpose.<br><br>Necessary co-ordination in Hindi translation, publications and the distribution of Government literature may be established so as to ensure their availability in every Government Office right from the Ministries to the smallest office. | **This recommendation has been accepted. All Ministries, particularly Department of Official Language and Controller of Printing, Ministry of Urban Development may ensure action in this regard on priority.** |
| 16.11(a) | The committee has found that Hindi is being taught up to middle standard in one or the other way in almost all the states. The Committee recommends that this must be continued. | **This recommendation has been accepted. Ministry of Human Resource Development may take appropriate action for the continuation of teaching of Hindi in secondary schools in Non-Hindi speaking States.** |
| 16.11(b) | Extensive efforts should be made in order to raise the level of Hindi in Non-Hindi speaking Union Territories. | **This recommendation has been accepted. Ministry of Human Resource Development may take necessary action in this regard.** |

| क्र स. | समिति की सिफारिशें | निर्णय |
|---|---|---|
| 16.10(5) | निजी प्रकाशनों की तरह सरकारी प्रकाशन समय-समय पर किए गए संशोधनों परिवर्तनों को शामिल करते हुए इनके नये संस्करण शीघ्र प्रकाशित किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त संकलनों की बिक्री की परवाह किए बिना समयबद्ध प्रकाशन निकाला जाए। इन्हें प्रकाशित करने का दायित्व उन संबंधित मंत्रालयों/ विभागों पर हो जो इनका निर्धारण करते हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सरकारी प्रकाशनों के संशोधित एवं अद्यतन संस्करण कई वर्षों के बाद पुनर्मुदित किए जाते हैं जिससे इनकी उपादेयता सिद्ध नहीं हो पाती, परिणामस्वरूप सरकारी कार्यालय पूरी तरह प्राइवेट प्रकाशनों पर निर्भर रहते हैं। इस स्थिति का समाधान खोजा जाना चाहिए एवं अद्यतन प्रकाशन/ मुद्रण हेतु एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में सभी मंत्रालय समुचित कार्रवाई अग्रता के आधार पर सुनिश्चित करें। |
| 16.10(6) | प्रकाशनों को सुपाठ्यता आदि को ध्यान में रखते हुए इनके आकर्षक मुख्य पृष्ठ/मुद्रण के लिए अच्छे फांट, उत्तम गुणवत्ता वाले पृष्ठ एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इन्हें विभिन्न साइजों में तैयार करने के लिए प्रचलित नीति में व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। | यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में सभी मंत्रालय विशेष रूप से शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन प्रभाग प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें । |
| 16.10(7) | सरकारी प्रकामानों की सुलभ उपलब्धता के लिए इनका समयबद्ध प्रकाशन किया जाए। इनके बीक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाए एवं वर्तमान नीति में आवश्यक बदलाव करते हुए इस कार्य में नीजी पुस्तक विक्रेताओं/एजेंसियों की सहायता ली जाए।<br><br>सरकारी साहित्यों के हिंदी अनुवाद, प्रकाशन एवं इनके वितरण में आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाए ताकि इनकी उपलब्धता मंत्रालयों/विभागों से लेकर छोटे से छोटे कार्यालयों में भी सुनिश्चित हो सके। | यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में सभी मंत्रालय विशेष रूप से राजमाषा विभाग और प्रकाशन निर्माण, शहरी विकास मंत्रालय प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। |
| 16.11(क) | समिति ने पाया है कि लगभग सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में माध्यमिक स्तर तक हिंदी की पढ़ाई जारी है। समिति की सिफारिश है कि इसे जारी रखा जाए। | यह संस्तुत्ति स्वीकार कर ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय हिंदीतर भाषी राज्यों में माध्यमिक स्तर तक हिंदी की पढ़ाई को जारी रखने की समुचित कार्रवाई करें। |

| S. No. | Recommendation of the Committee | Decision |
|---|---|---|
| 16.11(c) | The education of Hindi in all the States and Union Territories situated in Region 'B' and 'C' be started from the primary level and be made compulsory up to Class Tenth. Passing Hindi subject obtaining prescribed marks be made mandatory. Arrangement should be made to teach Hindi as an optional subject up-to class 12th level. Appropriate provisions for Hindi Education be made in the next Five Year Plan. For this purpose, necessary assistance to the State Government should be provided by the Central Government. | **This recommendation has been accepted in principle. Education is included in the concurrent list Hence, Ministry of Haman Resource Development may take appropriate action after consultation with the State Governments in this regard.** |
| 16.11(d) | Present arrangement of Language(s) relating to mutual correspondence among the Stale Governments situated in Region 'A', 'B' and 'C' States and the Union Government should be continued. | **This recommendation has been accepted.** |
| 16.11(e) | Hindi Departments should be opened for Higher Education and Research in the Universities of Non-Hindi speaking States, where no such Hindi Departments are inexistence. In this regard initiative should be taken by the Ministry of Human Resources Development and the University Grants Commission. | **This recommendation has been accepted in principle. Ministry of Human Resource Development may lake necessary action to implement this recommendation.** |
| 16.12(a) | In the context of disinvestment, the Committee recommends that the status quo with regard to the Official Language policy should be maintained in these enterprises irrespective of the Government's large or small shareholding in them. | **Department of Official Language may consult with the Ministries regarding this recommendation.** |
| 16.12(b) | Correspondence in Hindi with the Government should be made mandatory for those MNC's as well as Domestic Companies who use Hindi to publicise and promote the sale of their products. At the same time the Government should also respond in Hindi. | **Department of Official Language may consult with all concerned.** |
| 16.12(c) | The description on Indian goods meant for sale in foreign countries should compulsorily be given in Hindi alongwith the foreign languages. | **This recommendation has been accepted in principle.** |

| क्र स. | समिति की सिफारिशें | निर्णय |
|---|---|---|
| 16.11(ख) | अहिंदी भाषी संघ शासित क्षेत्रों में हिंदी का स्तर ऊंचा उठाने के लिए समुचित प्रयास किये जाएं। | यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पर आवश्यक कार्रवाई करें। |
| 16.11(ग) | "ख" एवं "ग" क्षेत्रों में स्थित सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में हिंदी की शिक्षा प्राथमिक स्तर से आरंभ कर दसवीं कक्षा तक अनिवार्य की जाए । हिंदी विषय में निर्धारित अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना आवश्यक माना जाए। बारहवीं कक्षा तक हिंदी को एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था की जाए । अगली पंचवर्षीय योजना में हिंदी की शिक्षा का यथोचित प्रावधान किया जाए । केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इसके लिए समुचित सहायता उपलब्ध कराई जाए। | यह संस्तुति सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई है। शिक्षा विषय समवर्ती सूची में है इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी राज्य सरकारों से परामर्श करके समुचित कार्रवाई करें। |
| 16.11(घ) | "क" "ख" तथा "ग" क्षेत्रों की राज्य सरकारों तथा राज्य और संघ सरकार के बीच आपसी पत्राचार आदि की भाषा के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जाए । | यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। |
| 16.11(ङ.) | अहिंदी भाषी राज्यों, जहां विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग नहीं हैं, में उच्च शिक्षा एवं शोध हेतु हिंदी विभाग खोले जाएं। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पहल की जाए। | यह संस्तुति सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करने पर विचार करें। |
| 16.12(क) | विनिवेश के संदर्भ में समिति यह सिफारिश करती है कि जिस भी उपक्रम में सरकारी भागीदारी हो, चाहे कम या ज्यादा, राजभाषा नीति यथावत् लागू रहेगी। | इस संस्तुति पर राजभाषा विभाग संबंधित मंत्रालयों से चर्चा करें। |
| 16.12(ख) | बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ स्वदेशी कंपनियों, जो अपने उत्पाद की बिक्री अथवा उसके प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी का सहारा ले रही हैं, उनके लिए यह बाध्य किया जाए कि वे सरकार के साथ पत्राचार हिंदी में ही करें साथ ही सरकार भी उनके साथ पत्राचार हिंदी में ही करें। | राजभाषा विभाग इस विषय में संबंधित पक्षों से चर्चा करें। |
| 16.12(ग) | भारतीय उत्पादों को विदेशों में उनकी बिक्री के लिए विदेशी भाषा के साथ हिंदी का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाए। | यह संस्तुति सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई है। |

| S.No. | Recommendation of the Committee | Decision |
|---|---|---|
| 16.13 (a) | Since the officers and employees, using the computer in English can be trained for using the computer in Hindi, within a maximum period of two weeks, therefore, all the officers/employees should be imparted training to use the computer in Hindi, within a period of two years. | **All Ministries may make efforts to implement this recommendation.** |
| 16.13(b) | An 'Information Technology Mission' should be set up under the aegis of the I.T. Ministry to undertake R & D projects in Hindi software. This "I.T. Mission" should also coordinate with other Government of India Departments using complex network systems viz. Railways, Posts, Banking, Telecom, Civil Aviation, Power etc. so that they can also develop their specialized software packages in Hindi. | **This recommendation has been accepted. Ministry of Communications and Information Technology may take necessary action in this regard.** |
| 16.13 (c) | The I.T. Ministry should also play a nodal role to ensure that all Govt. of India Departments are introducing and using only that software which can be used in Hindi. | **This recommendation has been accepted. Ministry of Communications and Information Technology may take necessary action in this regard.** |

(Sd/-)

**(M.L. Gupta)**

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

| क्र.सं. | समिति की सिफ़ारिशे | निर्णय |
|---|---|---|
| 16. 13(क( | चूंकि कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक से अधिक दो सप्ताह में कम्प्यूटर पर हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा सकता है अतसभी : अधिकारियों/कर्मचारियों को दो वर्ष की समय सीमा में कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाए। | इस संस्तुति का अनुपालन करने का सभी मंत्रालय प्रयास करे। |
| 16. 13(ख( | सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्थापित किया "मिशन सूचना प्रौद्योगिकी" जाए, जो हिन्दी सॉफ्टवेयर के संबंध में अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं पर कार्य करे। यह "सूचना प्रौद्योगिकी मिशन" कॉम्प्लेक्स नेटवर्क प्रणाली का उपयोग कर रहे भारत सरकार के अन्य विभागों जैसे रेल, डाक-तार, बैंक, दूरसंचार, नागर विमानन, विद्युत आदि के साथ समन्वय करे ताकि वे भी अपना विशिष्ट सॉफ्टवेयर पैकेज हिन्दी में विकसित कर संके। | यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे। |
| 16. 13(ग( | ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत सरकार के सभी विभागों में केवल वही सॉफ्टवेयर लगाया गया है तथा उपयोग में लाया जा रहा है जिसका हिन्दी में उपयोग किया जा सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक प्रमुख भूमिका अदा करें। | यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस बारे में संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे। |

**(मदन लाल)**
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशन के लिए)**

संख्या I/20012/07/2005-रा.भा.(नीति-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक: 02 जुलाई, 2008

**संकल्प**

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5, हिन्दी में पत्राचार प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, केंद्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटरीकरण और हिन्दी, भर्ती नियमों में हिन्दी ज्ञान की अनिवार्यता, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानो में हिन्दी माध्यम की उपलब्धता, हिन्दी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के वाणिज्यिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग आदि से संबंधित प्रतिवेदन का आठवां खंड राष्ट्रपति जी को दिनांक 16.08.2005 को प्रस्तुत किया गया। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (3) के अंतर्गत इसे लोकसभा के पटल पर दिनांक 15.05.2007 तथा राज्य सभा के पटल पर दिनांक 16.05.2007 को रखा गया था। इसकी प्रतियां भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफ़ारिशों को मूल रूप से या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अंतर्गत समिति के प्रतिवेदन की सिफ़ारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेशा हुआ है:

| क्र .सं. | सिफ़ारिश | राष्ट्रपति जी के आदेश |
|---|---|---|
| 1. | भाग-1 अध्याय-2 में समिति द्वारा की गई टिप्पणियों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाये जायें, यथा -:<br>क) सभी केंद्रीय कार्यालय निर्धारित लक्ष्य के ) अनुसार देवनागरी के यांत्रिक उपकरण खरीदें तथा उन्हें प्रयोग में लायें | **यह सिफ़ारिश स्वीकार की जाती है।** |
| | ख) प्रशिक्षण संस्थानों के मुख्य अधिकारियों की ) वार्षिक गोपनीय रिपोटों में उल्लेख किया जा सकता है कि उन्होने वहां हिन्दी के प्रयोग के लिए क्या विशेष कार्रवाई की। | **यह सिफ़ारिश स्वीकार की जाती है। सिफ़ारिश हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केवल सकारात्मक )positively) रूप से लागू की जाए। इस प्रकार के उल्लेख से किसी अन्य अधिकारी का कोई आहित न हो।** |

| क्र.सं. | सिफारिश | राष्ट्रपति जी के आदेश |
|---|---|---|
| | ग) उच्च न्यायालयों में हिंदी का अधिकाधिक ) क्षेत्र में सभी ”क“प्रयोग किया जाए। आरंभ में धीरे -निर्णय हिंदी में ही दिए जाए तथा धीरे अन्य क्षेत्रों में इन्हें लागू किया जाए। | सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि राजभाषा विभाग विधायी विभाग तथा 18वें भारतीय विधि आयोग का परामर्श लेकर इस संबध में उचित निर्णय लें । |
| | (घ) हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठकें आयोजित की जाएं। | यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें तो अवश्य आयोजित करें । इससे अधिक बैठकों के आयोजन के लिए भी सभी प्रयास करें । |
| | (च) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा पिछले खंडो में की गई सिफारिशों पर पारित किये गये राष्ट्रपति के आदेशों का कार्यान्वयन सभी केन्द्रीय कार्यालयों के लिए बाध्यकारी हो। | सिफारिश स्वीकार की जाती है। सभी केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विभिन्न खंडों में की गई सिफारिशों पर पारित किये गये राष्ट्रपति के आदेशों का पूर्ण कार्यान्वयन करें । |
| 2. | गृह मंत्रालय, कोयला एवं खान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय के आकलन से पता चलता है कि 25 %से अधिक अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में अप्रशिक्षित हैं , इन मंत्रालयों को चाहिए कि वह स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कंप्यूटर प्रणाली अथवा पत्राचार से प्रशिक्षण का कार्य वर्ष भर में पूरा करवायें। राजभाषा विभाग अपनी हिन्दी शिक्षण योजना के तहत इन विभागों के लिए विशेष योजना बनाकर इस कार्य में सहयोग दे। | संबंधित मंत्रालय केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों या विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से स्वयं हिंदी सीखने के लिए राजभाषा विभाग की वेबसाइट (www.rajbhasha.gov.in) पर उपलब्ध कराये गये आनलाइन 'लीला' साफ्टवेयर के माध्यम से शेष बचे अप्रशिक्षित कार्मिकों को अति शीघ्र हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलवायें । |
| 3. | सचिव (राजमाषा), मंत्रालयों/विभागों आदि में राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित 18 मंत्रालय/ विभागों के सचिवों के साथ उठायें। | सिफारिश स्वीकार की जाती है । |

| क्र.सं. | सिफारिश | राष्ट्रपति जी के आदेश |
|---|---|---|
| 4. (क( | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय और कृषि मंत्रालय में बड़ी संख्या में अंग्रेजी के कोड/मैनुअलों को देखते हुए इन मंत्रालयों में विशेष कार्य बल गठित किया जाना चाहिए, जिनमें केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग तथा विभागीय हिन्दी अनुवादकों और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए ताकि इन कोड/मैनुअलों का अनुवाद एक साल के भीतर पूरा हो जाए। | सिफारिश स्वीकार की जाती है । |
| 4. (ख( | परमाणु ऊर्जा विभाग; रसायन और उर्वरक मंत्रालय; विद्युत मंत्रालय; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; योजना मंत्रालय; गह मंत्रालय: मानव संसाधन विकास मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय ठेके के आधार पर इन कोड/मैनुअलों का अनुवाद गैर-सरकारी एजेंसियों से करवायें और इस कार्य को 6 से 9 महीने के भीतर पूरा करवायें। | सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि किए गए अनुवाद की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से वैटिंग का कार्य करवाया जाए । |
| 4. (ग( | शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय; कोयला एवं खान मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय: रेल मंत्रालयः जल संसाधन मंत्रालयः युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; वित्त मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय एक कार्य-योजना बनाकर छः महीने के भीतर सभी कोड/मैनुअलों को द्विभाषी कर लें। | सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि किए गए अनुवाद की प्रमाणिकता बनाए रखने के लिए राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से बैटिंग का कार्य करवाया जाए । |
| 4. (घ( | विधि और न्याय मंत्रालयविदेश मंत्रालय; ; कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय; पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय: महासागर विकास विभाग; भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय; जनजातीय कार्य मंत्रालयः ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा वस्त्र मंत्रालय अंग्रेजी में उपलब्ध कोड/मैनुअलों को स्वयं तीन महीने में अनुवाद कराने की व्यवस्था करायें। | सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि किए गए अनुवाद की प्रमाणिकता बनाए रखने के लिए राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से बैटिंग का कार्य करवाया जाए। |

| क्र. सं | सिफारिश | राष्ट्रपति के आदेश |
|---|---|---|
| 5 | मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अंग्रेजी प्रकाशन हिंदी के प्रकाशनों से बहुत ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति मं इन मंत्रालयों के सचिव अपने अधीनस्थ संस्थानों में इस विषय पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दें, ताकि स्थिति में सुधार हो सके। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 6 | सेवा पंजिकांओं/सेवा अभिलेखों में हिंदी/द्विभाषी रबड़ स्टांप की सहायता से रूटीन प्रविष्टियां की जाए। इन रबड़ की मोहरों की देश के सभी केंद्रीय कार्यालयों में प्रयोग हेतु मानकीकृत किया जाए। फलतः समस्तत/यथासंभव प्रविष्टियां करने संबंधी प्रावधान को हटाया जा सकता है। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे।** |
| 7 | "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए भी रजिस्टरों में प्रविष्टियों का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किया जाए और रजिस्टरों में हिन्दी में यथासंभव प्रविष्टियों जैसा प्रावधान समाप्त कर अपने दिया जाए। | **सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि "ग" क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालय इस दिशा में अपने यथासंभव प्रयास जारी रखे।** |
| 8 | नवसृजित राज्यों - छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड क' क्षेत्र में ही रखा जाए। इस संबंध में गई है। राजभाषा विभाग राजभाषा नियम, 1978 में यथावश्यक संशोधन करने की कार्रवाई करे। | **सिफारिश पर वांछित कार्रवाई कर ली गई है।** |
| 9 | कार्यालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा सिफारिश स्वीकार की जाती है। 3(3) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग की व्यवस्था सुदृढ की जानी चाहिए तथा वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर जांच बिन्दु बनाए जाने चाहिए। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 10 | जिन मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालयों में (कुल सिफारिश स्वीकार की जाती हा 12 मंत्रालय/विभाग) में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन 90% से भी कम है उन कार्यालय प्रमुखों के साथ मंत्रालय/विभाग के सचिव व्यक्तिगत रूप से मामला उठाए। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |

| क्र. सं | सिफारिश | राष्ट्रपति के आदेश |
|---|---|---|
| 11 | कार्यालयों में जब कभी भी हिन्दी कार्यशाला आयोजित की जाए, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) की अनिवार्यता पर हर कार्यशाला में कुछ समय आबंटित किया जाए। इसके अलावा सामान्य आदेश के संबंध में अधिकतम चर्चा की जाए जिससे इस मद में आने वाले सभी कागजातों की जानकारी प्रदान की जा सके। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 12 | समिति ने चौथे खंड में सिफारिश की थी कि का क्षेत्र में केवल संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजातों को छोड़कर सभी कागजात केवल हिन्दी में जारी किए जाएं।'क' क्षेत्र में अद्यतन स्थिति को देखते हुए समिति पुनः यह सिफारिश करती है कि उपरोक्त कागजातों के अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजातों के संबंध में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। जिन राज्यों में अभी तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है गृह मंत्रालय द्वारा पहल करके उनसे चर्चा की जाए कि वह अपने राज्य की राजभाषा के साथ-साथ हिन्दी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान करें। | **वर्तमान में इस सिफारिश के संबंध में राजभाषा अधिनियम, 1983 की धारा 3(5) में किए गए प्रावधानों के अनुसार अनुपालन ही जारी रहे।** |
| 13 | राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से हिन्दी/भाषा/आशलिपि/टाइपिंग प्रशिक्षण का सघन अभियान चलाकर प्रशिक्षण सविधाओं को प्रत्येक कार्यालय तक पहुँचाए। | **सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि भारत सरकार के समी। कार्मिकों को राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय हिंदी** |
| 14 | "ग" क्षेत्र में दक्षिण भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण के लिए कम्प्यूटर प्रणाली पर आधारित ऑन-लाइन हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 15 | तिरूवनंतपुरम, कासरगोड, कोल्लम, अलपूजा, त्रित्रापल्ली, मदुरै, ऊटी, पुरी, कटक, गंगटोक, सिलीगुड़ी, मैसूर, बैंगलूर, कोजिक्कोड, शिमला, सूरत तथा मंगलौर में हिन्दी शिक्षण योजना के तहत हिंदी आशुलिपि एवं हिंदी टंकण के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |

| क्र. सं | सिफारिश | राष्ट्रपति के आदेश |
|---|---|---|
| 16. | नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों आयोजन में व्यय होने वाली राशि की सीमा की जाती है कि रूपये 3000/- से बढ़ाकर रूपये 10,000/- कर देनी चाहिए अथवा सदस्य कार्यालयों द्वारा लिए जाने वाले योगदान को संहिता-बद्ध (कोडिफाई) किया जाए ताकि सदस्य कार्यालयों को इस राशि की मंत्रालयों/मुख्यालयों से स्वीकृति आदि प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। | **सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार के नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में होने वाले व्यय की सीमा समय-समय पर समीक्षा करके आवश्यकतानुसार संशोधित की जाए** |
| 17 | नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रभावी संचालन हेतु नराकास सचिवालय को स्थाई तौर पर अतिरिक्त मानव संसाधन एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाना चाहिए। | **सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपने सदस्य-कार्यालयों के सहयोग से उनके पास उपलब्ध आंतरिक संसाधनों से ही समितियों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं जुटाएं।** |
| 18 | प्रत्येक क्षेत्र में राजभाषा गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष नराकास अध्यक्षों का एक की जाती सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए तथा राजभाषा नीति व लक्ष्यों के निर्धारण के मामले में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। | **सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि इस प्रकार की बैठकें वार्षिक आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की जाएं।** |
| 19 | हिंदीतर भाषी क्षेत्रों विशेषकर तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक जैसे राज्यों में हिन्दी समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा इनसे जुड़े हिन्दी पत्रकारों के प्रोत्साहन हेतु विशेष योजनाएं चलाई जाएं। | **सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है।** |
| 20 | नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी का प्रतिनिधित्व में अनिवार्य किया जाए। | **सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नराकास की बैठकों राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधित्व यथासंभव सुनिश्चित किया जाए।** |
| 21 | क्षेत्र 'ग' में स्थित प्रत्येक केन्द्रीय कार्यालय में कम से कम एक हिन्दी स्टाफ की तैनाती अनिवार्य की जाए। | **इस सिफारिश के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा न्यूनतम स्टाफ की तैनाती संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई जाए।** |

| क्र. सं | सिफारिश | राष्ट्रपति के आदेश |
|---|---|---|
| 22 | अध्यक्ष, नराकास, मंडी, अध्यक्ष, **नराकास, ,** (बैंक), इंदौर, अध्यक्ष, नराकास, शिमला, अध्यक्ष, नराकास(कार्यालय), चंडीगढ़, अध्यक्ष, नराकास (उपक्रम), मबई, अध्यक्ष नराकास (बैंक) बडोदा, नराकास (कार्यालय), त्रिवेन्द्रम, अध्यक्ष, नराकास(कार्यालय), कोचिन, अध्यक्ष, नराकास, मदुरै, अध्यक्ष, नराकास, कोयम्बतूर, अध्यक्ष, नराकास (बैंक), बेंगलोर (अध्याय 8 के पैरा 8.33-8.45 में) द्वारा दिए गए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों से प्राप्त सुझावों पर राजभाषा विभाग उचित कार्यवाही करें। | **सिफारिशों पर राजभाषा अधिनियम राजभाषा नियम तथा इस *संबंध* में स*मय*-सम*य* पर जारी आदेशों के यथासंभव अनुपालन किया जाए।** |
| 23 | मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को उनका विनिर्दिष्ट कार्य करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी करने के साथ-साथ उन्हें अपना समस्त कार्य हिन्दी में करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। \| | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 24 | भविष्य में कोई भी कोड/मैनुअल केवल अंग्रेजी में तैयार न किया जाए और इस समय अंग्रेजी में मौजूद समस्त कोड/मैनुअल एक वर्ष के भीतर द्विभाषी कर लिए जाएं। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 25 | 'क" क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि में 50% 'ख' क्षेत्र के कार्यालयों में 30% और 'ग' क्षेत्र के कार्यालयों में 20% अनुभागों को पूरा काम हिन्दी में करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि के बारे में जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, समिति अनुशंसा करती है कि ऐसे उपक्रमों/निगमों आदि में 'क' क्षेत्र में कुल कार्य क्षेत्र का 50%, 'ख' क्षेत्र में 30% और 'ग' क्षेत्र में 20% कार्य हिन्दी में किया जाए। | **केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय/उपक्रम/निगम आदि इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में ठोस कदम उठायें।** |
| 26 | कार्यालयों में सरल, सुबोध एवं उपयोगी हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर विशेष ध्यान दिया जाए। अधिकारियों/कर्मचारियों को पठन-पाठन हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सेनानियों, देशभक्तों तथा शहीदों की जीवनियां एवं आत्मकथाएं तथा रोचक एवं कालजयी (epic) उपन्यास आदि भी खरीदे जाएं। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |

| क्र. सं | सिफारिश | राष्ट्रपति के आदेश |
|---|---|---|
| 27 | मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के साथ राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के उल्लघंन के मामले को उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में  इस प्रकार का उल्लघंन न होने पाए। इसी प्रकार सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के साथ; सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त \| निगम, नई दिल्ली के साथ; सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध परिषद, नई दिल्ली और भारतीय चिकित्सा पद्धति, नई दिल्ली के साथ; और सचिव, कृषि मंत्रालय, भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली के साथ मामले को उठाएं और राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 का अनुपालन सुनिश्चित करें।। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 28 | राजभाषा से संबंधित नियमों इत्यादि के कार्यान्वयन को उचित गंभीरता से लेने के उद्देश्य से केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में करवाई जाए और सभी विभागों के सचिव इस समिति के नाम सदस्य हों। | **सिफारिश विचाराधीन है।** |
| 29 | तकनीकी, वैज्ञानिक, शोध व अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित हिन्दी साहित्य को एक जगह उपलब्ध कराने के लिए सरकार शीघ्र ही, वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिन्दी पुस्तक बैंकों की स्थापना करे जो ऐसी पुस्तकों/साहित्य को प्रयोक्ताओं एवं उपभोक्ता संस्थानों को उपलब्ध  कराएं अथवा उन्हें प्राप्ति स्रोतों की जानकारी दें। | **सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने कार्य से संबंधित तकनीकी वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर पर्याप्त हिंदी साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित करे एवं उनके प्राप्ति स्रोतों की जानकारी अपनी वेबसाइट के साथ-साथ अन्य प्रयोक्ताओं एवं उपभोक्ताओं को दें।** |

| क्र. सं | सिफारिश | राष्ट्रपति के आदेश |
|---|---|---|
| 30 | वैज्ञानिक, तकनीकी व शोध से संबंधित विषयों पर उपलब्ध समस्त साहित्य का वृहत स्तर पर प्रचार किया जाए ताकि उपभोक्ता संस्थान अपनी कार्य प्रकृति के अनुसार हिन्दी में उपलब्ध साहित्य आसानी से प्राप्त कर सकें। इस प्रक्रिया को नियमित अन्तराल पर दोहराते रहना चाहिए। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है। मंत्रालय/विभाग अपने कार्य से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी एवं शोध से संबंधित विषयों पर उपलब्ध साहित्य के प्रचार गतिविधियों का नियामत हिस्सा बनाएं।** |
| 31 | अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध शोध साहित्य अथवा वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य का स्तरीय हिन्दी अनुवाद सुलभ कराने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के तहत एक गहन वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनवाद व्यरो की स्थापना की जाए, जिसमें विभिन्न प्रकार के विज्ञान विषयों के स्नातकोत्तर एवं/अथवा विभिन्न इंजीनियरी डिग्री धारकों को, जिन्हें हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान हो अथवा जो ऐसे विषयों का स्तरीय हिन्दी रूपान्तर देने में सक्षम हों, नियुक्त किया जाए। ऐसे विशेषज्ञ तकनीकी अनुवाद अधिकारियों को सहायक निदेशक (रा.भा.) के समकक्ष अथवा इससे उच्चतर वेतनमान दिया जाए। | **सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीका की जाती है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस सिफारिश के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध शोध साहित्य अथवा वैज्ञानिक व तकनीका साहित्य के स्तरीय हिंदी अनुवाद सुलभ कराने के उद्देश्य को प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के द्वारा पूरा करें।** |
| 32 | विज्ञान/तकनीकी/शोध से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक रूप से लिखने वाले ऐसे लेखकों को समुचित रायल्टी का प्रावधन किया जाए, जिनकी पुस्तकों का संस्थानों में नियमित रूप से कार्यात्मक अथवा पाठ्यक्रम के रूप में उपयोग किया जाता हो। | **प्रत्येक लेखक के लेखन-अधिकार कापी- राइट एक्ट के अंतर्गत सुरक्षित होते हैं । पुस्तकों पर लेखकों को मिलने वाली रायल्टी एक लेखक तथा प्रकाशक के बीच परस्पर समझौता है। इसमें केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है । अतः सिफारिश मान्य नहीं।** |
| 33 | 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में उच्च शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालयों में इंजीनियरी, कम्प्यूटर, शोध, तकनीकी विषयों आदि की शिक्षा हिन्दी माध्यम से भी दी जाए एवं पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें भी हिन्दी में तैयार की जाएं। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 34. | वार्षिक कार्यक्रम 2004-05 में तथा उसके पश्चात राजभाषा विभाग ने पुस्तकों की खरीद के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्य में संशोधन कर इसमें जर्नल्स एवं मानक संदर्भ पुस्तकों की खरीद पर व्यय को शामिल नहीं किया है। समिति इस संशोधन पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस करती है, क्योंकि यदि यह छूट अनिश्चित समय के लिए लागू रही तो इसका हिन्दी के दूरगामी उद्देश्य पर विपरीत असर पड़ेगा। | **वर्तमान में यथास्थिति बनाए रखी जाए।** |

| क्र. सं | सिफारिश | राष्ट्रपति के आदेश |
|---|---|---|
| 35 | हिंदी पुस्तकों की खरीद के मामले में गैर-तकनीकी /प्रशासनिक कार्यालयों के लक्ष्य से पीछे रहने संबंधी कारणों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऐसे कार्यालयों पर सतत निगरानी रखी जानी चाहिए। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 36 | उप सचिव या उन उच्चाधिकारियों के लिए जिन्हें कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया गया है, कम्प्यूटरों पर हिन्दी के उपयोग का कम से कम एक सप्ताह का क्रैश पाठ्यक्रम आयोजित किया जाये और'क, 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के आधार पर उनके लिए पर देवनागरी में कम्प्यूटर पर कार्य का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाये। \| | **संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि उप सचिव/उच्चाधिकारियों के लिए लघु अवधि के द्रुतगामी पाठ्यक्रम\| आयोजित किये जाए और वे कम्प्यूटर देवनागरी में अधिक से अधिक कार्य करें।** |
| 37 | किसी एक एजेंसी से मानकीकृत देवनागरी सॉफ्टवेयर बनवाया जाए जो केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों एवं उनके बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के कार्यों में एकरूपता ला सके। | **केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय कम्प्यूटर पर देवनागरी प्रयोग के लिए केवल मानक एनकोडिंग (यानि यूनीकोड) फौंट प्रयोग करें एवं विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए वे साफ्टवेयर ही प्रयोग करें जो यूनिकोड एनकोडिंग मानक के अनुरूप प्रयोग में सक्षम हो ताकि सभी मंत्रालयों/विभागों एवं संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के कार्यों में एकरूपता रहे।** |
| 38 | सरकारी क्षेत्र के बैंकों में आँकड़ा संसाधन (Data Processing) का काम द्विभाषी या हिन्दी में हो, इसके लिए तथा सभी बैंकों के साफ्टवेयर में एकरूपता हो इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक/वित्त मंत्रालय ठोस कदम उठाएं। | **संस्तुति स्वीकार की जाती है वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग इस संबंध में कार्रवाई करें और हिंदी के लिए मानक एनकोडिंग (युनीकोड) के अनुरूप फोंट/साफटवेयर ही प्रयोग करें।** |
| 39 | क्रेडिट कार्ड, ए.टी.एम. आदि सेवाओं को भी हिन्दी अथवा द्विभाषी करवाया जाये। | **सिफारिश सरकारी क्षेत्रों के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुपालन के लिए** स्वीकार की जाती है। |
| 40 | वित्त मंत्रालय सभी बीमा कंपनियों द्वारा जारी की जाने वाली बीमा पॉलिसियों को हिन्दी अथवा द्विभाषी बनवाए जाने हेत शीघ्र कार्रवाई करे। | **सिफारिश सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा अनुपालन के लिए स्वीकार की जाती है । बैंकिंग प्रभाग,** वित्त मंत्रालय इस संबंध में कार्रवाई करे**।** |
| 41 | एम.टी.एन.एल. तथा बी.एस.एन.एल. द्वारा जनता को भेजे जाने वाले बिलों में प्रविष्टियाँ हिन्दी अथवा द्विभाषी में की जाएं। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |

| क्र. सं | सिफारिश | राष्ट्रपति के आदेश |
|---|---|---|
| 42 | दूरदर्शन अपने हिन्दी चैनलों के कार्यक्रमों में शीर्षक (Caption) आदि हिन्दी में प्रसारित करे। इसके लिए उचित साफ्टवेयर की व्यवस्था की जाये। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 43 | रेल मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय रेलवे प्लेटफार्मों तथा हवाई अड्डों पर सूचना प्रसारण हेतु लगाए गए डिजिटल बोर्डों में हिन्दी अथवा द्विभाषी सूचना के प्रसारण हेतु कार्रवाई करें। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 44 | जब भी कोई मंत्रालय/विभाग या उसका कोई कार्यालय या उपक्रम अपनी वेबसाइट तैयार करे तो वह अनिवार्य रूप से द्विभाषी तैयार किया जाए। जिस कार्यालय का वेबसाइट केवल अंग्रेजी में है उसे द्विभाषी बनाए जाने की कार्रवाई की जाए। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है ।** |
| 45 | राजभाषा विभाग उपर्युक्त क्रम संख्या 34 से 43 तक सिफारिशों को पूरा करने के लिए विशेष निगरानी रखे और इनको पूरा करने में जिस किसी कार्यालय को कठिनाई आ रही है उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से दूर करने के लिए कार्रवाई करे। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 46 | केन्द्रीय सरकार की भर्ती हेतु आयोजित स्पर्धात्मक परीक्षाओं में कम से कम मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का हिन्दी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, जिसमें उत्तीर्ण हुए बिना अभ्यर्थी को<br>असफल माना जाए। | **सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।** |
| 47 | केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के तहतं बड़े बड़े मंत्रालयों/विभागों में निदेशक (राजभाषा) के पद यथावत बने रहें और संयुक्त सचिव (राजभाषा) के पद सृजित करने पर भी विचार किया जाए। | **सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है।** |
| 48 | प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ/ यह संबद्ध/उपक्रमों<br>/प्रतिष्ठानों/संगठनों में एक राजभाषा संवर्ग स्थापित कर अपने राजभाषा कैडर से देश भर में स्थापित अपने सभी छोटे बड़े कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी/कर्मचारी को तैनात कर सकते हैं। इससे उन्हें पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। | **सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां संभव हो वहां संवर्ग बनाया जाए तथा जहां संभव न हों वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य उचित व्यवस्था की जाए** |

| क्र. सं | सिफारिश | राष्ट्रपति के आदेश |
|---|---|---|
| 49 | क्षेत्र 'ग' मे हिन्दी कार्मिक की नियुक्ति पर उसे विशेष भत्ते के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए और साथ ही ऐसी तैनाती एक सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए जिससे कि क्षेत्र 'क' के अभ्यर्थी बेझिझक क्षेत्र 'ग में तैनाती स्वीकार कर लें। | **सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।** |
| 50 | अनुवाद कार्य और राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सभी संवर्गों (चाहे वे मंत्रालय/विभाग में हों या अधीनस्थ कार्यालयों में) में पदनामों तथा वेतनमानों में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। | **सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।** |
| 51 | सभी केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों के साथ-साथ 'के और 'ख क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकारों के नियंत्रण वाले सरकारी विद्यालयों में सभी विषयों की पढ़ाई दसवीं स्तर तक हिन्दी माध्यम से तत्काल शुरु की जानी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी को भी एक विषय के रुप में रखा जा सकता है। एक निर्धारित समय के उपरांत स्थिति की समीक्षा करके इसका विस्तार 'ग क्षेत्र में भी किया जाए। | **संस्तुति स्वीकार नहीं की गई।** |
| 52 | विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, अनुसंधान तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों की भर्ती में मैट्रिक स्तर तक का हिन्दी ज्ञान अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्हें अपना विषय हिन्दी में पढ़ाने में कोई कठिनाई न हो। | **यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।** |
| 53 | सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रुप से हिन्दी विभाग खोले जाएं और उनमें स्नात्तकोत्तर स्तर के हिन्दी पाठ्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 54 | सर्व शिक्षा अभियान जैसे राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों में केवल हिन्दी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। | **यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।** |

| क्र. सं | सिफारिश | राष्ट्रपति के आदेश |
|---|---|---|
| 55 | विश्वविद्‌यालयों/तकनीकी/व्यावसायिक/अनसंधान संस्थाओं आदि की प्रवेश परक्षाओं हिन्दी माध्यम का विकल्प अनिवार्य किया जाए। | **सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि विश्वविद्‌यालयों, तकनीकी, व्यावसायिक अनुसंधान संस्थाओं आदि की परीक्षाओं में उत्तर देने के लिए अन्य भाषाओं के साथ हिंदी को विकल्प रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्व विद्‌यालय अनुदान आयोग के परामर्श तथा राज्य सरकारों की सहमति से उचित कार्रवाई करे।** |
| 56 | रेडियो/टेलीविजन जैसे इलैक्ट्रानिक संचार माध्यमों के जरिए होने वाले शैक्षणिक प्रसारण केवल हिन्दी में सुनिश्चित किये जाएं क्योंकि इनकी पहुंच दूर दराज के क्षेत्रों तक रहती है। | **देश में भाषायी विविधता को देखते हुए संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि रेडियो/दूरदर्शन के जरिए भारत सरकार द्‌वारा प्रयोजित शैक्षणिक प्रसारणों में हिंदी माध्यम के प्रसारणों को समुचित/पर्याप्त समयावधि प्रदान की जाए।** |
| 57 | वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग जैसे संगठन उनके द्‌वारा हिन्दी/द्‌विभाषी प्रकाशित पुस्तकों का विषयवार सूचियां विद्‌यालयों, विश्व विद्‌यालयों तथा अनुसंधान और व्यावसायिक संस्थानों को उपलब्ध कराएं और संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें उन पुस्तकों की उपलब्धता की जानकारी दें। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 58 | केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य संस्थानों के विभागीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों में अत्यन्त तकनीकी विषयों को छोड़कर सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हिन्दी माध्यम से पढाये जाने की व्यवस्था की जाए। | **सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी सेवाकालीन प्रशिक्षणों को प्रमुखतः हिंदी भाषा के माध्यम से और गौणतः मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाया जाए।** |
| 59 | प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की वार्षिक गोपनीय रिपोटों में उनके द्‌वारा अपनें संस्थानों में हिन्दी के प्रयोग के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया जाए। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 60 | सार्वजनिक क्षेत्र के नए पंजीकृत होने वाले सभी उपक्रमों/निगमों का नामकरण अनिवार्य रूप से हिन्दी में किया जाए। उपक्रमों/निगमों के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो हिन्दी के साथ अंग्रेजी नाम भी पंजीकृत कराया जा सकता है। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |

| क्र.सं. | सिफारिश | राष्ट्रपति जी के आदेश |
|---|---|---|
| 61. | उपक्रमों/निगमों में विद्यमान सभी स्वदेशी और विदेशी यंत्रों/संयत्रों पर समस्त विवरण हिन्दी या द्विमाषी रूप में दर्ज किए जाएं। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 62. | भविष्य में सभी उपक्रमों/निगमों के प्रतीक चिन्ह/लोगो या तो द्विभाषी अथवा चित्रात्मक बनवाए जाएं। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 63. | उपक्रमों/निगमों/कंपनियों के नए उत्पादों और ब्रांडों के नाम हिन्दी में ही रखे जाएं ताकि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उनकी अलग पहचान बनी रहे। | **सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि भारत में प्रचलित हिंदीतर नाम या वे नाम जो कि उत्पाद/ब्रांड की बेहतर जानकारी पहचान देते हैं, को छोड़कर अन्य सभी उत्पाद/ब्रांड नाम हिंदी में रखे जाएं।** |
| 64. | उपक्रमों/निगमों द्वारा निर्यात योग्य समस्त सामग्री पर आवश्यक विवरण हिन्दी या द्विभाषी रूप में ही अंकित किए जाएं। \| | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 65. | उपक्रमों/निगमों के ब्रोशर, बिल-बाउचर जैसी मुद्रित सामग्री और प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त सामग्री अनिवार्य रूप से हिन्दी अथवा द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जाए। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 66. | समी उपक्रमों/निगमों की वेबसाइटें शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में तैयार की जानी चाहिए तथा उन पर वे अपने कार्य-कलापों और उत्पादों के बारे में अंग्रेजी के साथ-साथ अनिवार्य रूप से हिन्दी में भी जानकारी उपलब्ध कराएं। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 67. | उपक्रमों/निगमों में अनुवाद व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए यथावश्यक हिन्दी पद सृजित किए जाएं और उपक्रमों/निगमों के मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीयकृत अनुवाद पैनल बनाए जाएं ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर अपने कारपोरेट और सहयोगी कार्यालयों/कंपनियों को तत्काल अनुवाद उपलब्ध करा सकें। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 68. | उपक्रमों/निगमों के सभी कम्प्यूटरों पर हिन्दी सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से डाले जाएं। यह सुविधा उनकी विदेश-स्थित शाखाओं में भी उपलब्ध कारी जाए। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है।** |
| 69. | अंग्रेजी के अखबार में भी हिन्दी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं और हिन्दी के अखबार में अंग्रेजी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं। अतः सभी कार्यालय विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में दें। | **सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।** |

| क्र.सं. | सिफारिश | राष्ट्रपति जी के आदेश |
|---|---|---|
| 70. | विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50% हिन्दी पर खर्च किया जाए और 50% अंग्रेजी एवं प्रांतीय भाषाओं पर किया जाए। | **सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली जाए कि सरकारी विज्ञापन की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें।** |
| 72. | हिन्दी से संबंधित नए सृजित एवं पहले से रिक्त पड़े सभी पद तत्काल प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएं। यदि किसी कारणवश कोई हिन्दी पद तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से न भरा गया हो तो भी उसे आगे भरने के लिए वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कोई रोक न लगाई जाए। | **राजभाषा विभाग इस संबंध में मत्रिमंडल सचिवालय को सचिवों की समिति के अनुमोदन के लिए भेजे गए प्रस्ताव का परिणाम आने पर तदनुसार कार्रवाई करे।** |
| 73. | विदेश मंत्रालय सभी पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध कम्प्यूटरों पर द्विभाषी रूप में काम करने की सुविधा उपलब्ध करवाए ताकि पासपोर्टों में प्रविष्टियां द्विभाषी हों और उन्हें द्विभाषी जारी किया जा सके। | **सिफारिश स्वीकार की जाती है। विदेश मंत्रालय इस संबंध में एक कार्य योजना बनाकर सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए आगामी कार्रवाई करे।** |
| 74. | वर्ष 2008 से केन्द्रीय सरकारी सेवा में आने से पहले ही 'क' 'ख', 'ग' तथा 'घ' सभी वर्गों में होने वाली सीधी भर्ती के दौरान ही हिन्दी संबंधी ज्ञान की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाए ताकि बाद में प्रशिक्षण संबंधी तमाम परेशानियों एवं बाध्यताओं से बचा जा सके। हिन्दी संबंधी न्यूनतम योग्यता भी 'क' 'ख' तथा 'ग' वर्ग के मामले में कम-से-कम दसवीं कक्षा अथवा उससे अधिक हो सकती है। वर्ग के लिए यह योग्यता मिडिल/आठवीं कक्षा तक शिथिल की जा सकती है। | **सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।** |

| क्र.सं. | सिफारिश | राष्ट्रपति जी के आदेश |
|---|---|---|
| 75. | कर्मचारियों के हिन्दी का ज्ञान एवं उनके द्वारा किए गए हिन्दी कार्य का ब्यौरा क्रमशः सेवा पंजिका तथा गोपनीय रिपोर्ट में अंकित किया जाए। साथ ही, हिन्दी संवर्ग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के संवर्गों से संबंधित पदोन्नतियों के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समितियाँ, पदोन्नति के विचारार्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किए गए हिन्दी कार्य का मूल्यांकन कर उसे बोनस अंक प्रदान करें। | **सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।** |

**(पी.वी.वल्सला जी.कुट्टी)**
**संयुक्त सचिव, भारत सरकार**

**<u>आदेश</u>**

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत के विधि आयोग तथा बार कॉऊसिल ऑफ इंडिया आदि को भेजी जाए।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाया जाए।

**(पी.वी.वल्सला जी.कुट्टी)**
**संयुक्त सचिव, भारत सरकार**

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या I/20012/07/2005-रा.भा.(नीति-1)

दिनांक: 02 जुलाई, 2008

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को भी सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें।
2. भारत की सभी राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली।
8. विधि आयोग, नई दिल्ली।
9. बार कॉउसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को देश के सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें।
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
12. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
13. भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।\
14. बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
15. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उद्योग मंत्रालय, सी.जी.ओ.कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
16. योजना आयोग, नई दिल्ली।
17. निदेशक, जन सम्पर्क (गृह), प्रेस सूचना का कार्यालय, नई दिल्ली।
18. संसद का पुस्तकालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
19. निदेशक (अनुसंधान), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ('राजभाषा भारती' में प्रकाशनाथ)।
20. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (ब्यूरो वार्ता' में प्रकाशनार्थ) तथा इसके अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र।
21. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ('अनुशीलन' में प्रकाशनार्थ) तथा इसके उप-केन्द्र तथा
22. हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय।
23. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
24. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई 68, सरोजिनी नगर नई दिल्ली।
25. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, कम्यूनिटी सेंटर, झंडेवालान, नई दिल्ली।
26. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
27. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।

**(पी.वी. वल्सला जी कुट्टी)**

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**(For publication in the Gazette of India, Part-I, Volume-1 both in Hindi and English in diglot form)**

No.1/20012/07/2005-O.L. (Policy-1)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language
***

Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Date: 02 July, 2008

**RESOLUTION**

The Committee of Parliament on Official Language was constituted under section 4(1) of the Official Languages Act, 1963. The Committee submitted eighth part of its Report to the President on 16.08.2005 relating to Ministry-wise/region-wise assessment of the use of Hindi, on the basis of review of the compliance of the section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 and rule 5 of the Official Languages Rules, 1976 relating to correspondence in Hindi, publications, code-manual and training etc. in Hindi, purchase of Hindi books in Central Government offices, computerization and Hindi, compulsory provision of Hindi knowledge in recruitment rules, availability of Hindi medium in academic and training institutions, expenditure on Hindi advertisements and use of Hindi for commercial activities etc.. In accordance with section 4(3) of the Official Languages Act, 1963, the Report was laid on the Table of the Lok Sabha and Rajya Sabha on 15.05.2007 and 16.05.2007 respectively. Copies of the Report were sent to all Ministries/Departments of the Government of India and to all State/Union Territories. After considering the views expressed by the State/Union Territory Governments and various Ministries/Departments, it has been decided to accept most recommendation into and some with modifications. Accordingly, the undersigned is directed to convey the Orders of the President made under section 4(4) of the Official Languages Act, 1963 on the recommendations made in the eighth part of the Report of the Committee as under:-

| S. N. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| 1. | Effective measures should be taken by the Govt. for the implementation of the Committee's observations as contained in Chapter 2 of Part-1 such as:<br>(a) All the Central Government Offices should purchase Devnagari mechanical-aids as per the laid down target and also ensure their utilization | **This recommendation is accepted.** |
| | (b) A mention should be made in ACR's of. the officers in-charge of the training institutions, indicating what special efforts they made for enhancing the use of Hindi those institutions | This recommendation is accepted. The recommendation may be implemented in a positive manner in for promoting the use of Hindi ensuring that such mention does not affect any other officer adversely |

| S.N. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| | (c) More and more Hindi should be used in the courts. To begin with, verdicts should be made in Hindi in region 'A', followed by the other regions.. | **This recommendation is accepted with the modification that the Department of Official Language may take appropriate decision after consulting the Legislative Department and the 18th Law Commission of India.** |
| | (d) At least three meetings of the Hindi Advisory Committee should be held in year. | **This recommendation has been a accepted with the modification that all the Ministries/Departments may bold at least two meetings of Hindi Advisory Committee during a year and make sincere efforts to bold more meetings.** |
| | (e) It should be made obligatory for the Central Government offices to implement the Presidential Orders issued on the recommendations of the Committee of Parliament on Official Language in all its reports. | **This recommendation is accepted. All the Ministries/Departments may ensure full implementation of the Presidential Orders issued on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the various parts of its report** |
| 2. | The Committee has observed that in the following Ministries viz. Ministry of Home Affairs, Ministry Coal & Mines, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Ministry of Rural Development, Ministry of Power, Ministry of Steel, more than 25% of the officers-employees are untrained in Hindi. These Ministries should treat this situation seriously. Training should be imparted to the said officers/Employees within a period of one year either through computer based programmes on line or correspondence programmes. Department of Official Language should also extend due cooperation by chalking out some special training programme under its Hindi Teaching Scheme for these Ministries, | **The Ministries concerned may get trained their remaining untrained employees in Hindi language, Hindi typing and Hindi stenography through the training programs being run by the Central Hindi Training Institute or through LILA software made available on the web-site of the Department of Official Language (www.rajbhasha.gov.in) for online self-learning of Hindi through the medium or various Indian languages.** |
| 3. | Secretary (Official Language) should take up the situation of violation of Rule-5 of the Official Languages Rules, 1976 with the Secretaries of the 18 Ministries/Departments concerned. | **This recommendation is accepted.** |

| S. N. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| 4. | (a) Keeping in view the large number of Codes/Manuals in English in the Ministry of Health & Family Welfare, Ministry of Defence, Ministry of Shipping & Ministry of Agriculture, the Committee recommends that a special task force consisting of the Central Translation Bureau, Department of Official Language, departmental Hindi Translators and Experts of technical fields, should be set up so that the Hindi translation of these Codes/Manuals is completed within a year. | **This recommendation is accepted.** |
| | (b) Department of Atomic Energy, Ministry of Chemicals &. Fertilizers, Ministry of Power, Ministry of Commerce St Industry, Ministry of Planning, Ministry of Home Affairs, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Petroleum and Natural Gas and Ministry of Civil Aviation should get the Codes/Manuals translated through outside agencies on contract basis and get the work done within a period of 6 to 9 months. | **The recommendation is accepted with the modification that to ensure the authenticity of the translation, its vetting may be got done by the Central Translation Bureau, a subordinate office of the Department of Official Language.** |
| | (c) Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Ministry of Coal & Mines, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Railways, Ministry of Water Resources, Ministry of Youth Affairs & Sports, Ministry of Statistics & Programme Implementation, Ministry of Science & Technology, Ministry of Finance and Ministry' of Labour should chalk out a work plan and get all the Codes/Manuals translated within 06 months. | **This recommendation is accepted with the modification that to ensure the authenticity of the translation may be got vetted from the Central Translation Bureau, a subordinate office of the Department of Official Language.** |
| | (d) Ministry of Law & Justice, Ministry of External Affairs, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Ministry of Environment & Forest, Ministry of Communications & Information Technology, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Ocean Development, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Rural Development & Ministry of Textiles should make arrangements for translating Codes/Manuals within 03 months. | **This recommendation is accepted with the modification that to ensure the authenticity of the translation may be got vetted from the Central Translation Bureau, a subordinate office of the Department of Official Language.** |

| S. N. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| 5. | The number of English publication is much more than that of Hindi publications in the following Ministries/Departments viz- Ministry of Human Resource Development, Ministry of Culture, Ministry of Water Resources* Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. In this context, the Secretaries of the Ministries concerned should personally focus attention on the establishments under their control to improve the position. | **This recommendation is accepted.** |
| 6. | Routine entries in service books/records may be made with the help of Hindi/Billigual rubber stamps. These stamps may be standardized for use in Central Offices all over the country. Consequently, the provision in the rules of making all/as far as possible the entries on the basis of region may be deleted. | **This recommendation is accepted. The Department of Personnel & Training may take necessary action in this regard.** |
| 7. | A minimum percentage of entries in Hindi in the Registers may be fixed for the offices located in Region 'C' and the provision of making entries in Hindi "as far as possible" in the registers may be deleted. | **This recommendation is accepted with the partial modification that the Central Government offices situated in region 'C' may continue their efforts in this direction as far as possible.** |
| 8. | As the three newly created States of Chattisgarh Uttaranchal and Jharkhand were parts of States which are included in Region 'A' and the entire work of these States is done in Hindi, these States should be included in Region 'A'. The Department of Official Language may carry out necessary amendments in the Official Languages Rules, 1976 in this regard. | **The desired action has already been taken.** |
| 9. | To ensure the compliance of Section 3(3) of the Official Language Act, 1963 the monitoring system should be strengthened and check-points, at the level of a senior officer, should be laid down. | **This recommendation is accepted.** |
| 10. | The Secretaries of Ministries/Departments should personally take up the matter with the Heads of the Offices. | **This recommendation is accepted.** |
| 11 | The mandatory compliance of Section 3(3) of the Official Language Act 1963 must be emphasized during the Hindi' workshops organized by the offices. Additionally, there should be a detailed discussion on "General Orders" so as to acquaint the participants with the documents covered by this item. | **This recommendation is accepted.** |

| S. N. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| 12. | The Committee had recommended in the fourth part of its report that in Region "A" all documents, except those being placed before Parliament, should be issued only in Hindi. Keeping in view the present position in Region "A" the Committee reiterates its recommendation that excluding the afore mentioned documents, the compulsion of the use of English for all the documents under section 3(3) of the Official Language Act 1963 should be dispensed with, in Region "A". The Ministry of Home Affairs should take the initiative and talk to the States where Hindi has not been adopted as the Official Language, These States should be persuaded to grant Hindi the status of the Official Language alongwith their own State's Official Language. | **For the present, in respect of this recommendation, compliance in accordance with the provisions of section 3(5) of the Official Languages Act, 1963 will continue.** |
| 13. | To ensure that training facilities are available to every office, the Department of Official Language should introduce an intensive drive for training in Hindi Language/ Typing/ Stenography through the Town Official Language implementation Committees. | **This recommendation is accepted with the modification that the Town Official Language Implementation Committees may render all possible assistance in getting trained all the Central Government employees through Central Hindi Training Institute, a subordinate office of the Department of Official Language.** |
| 14. | The computer based "on line" training programme of learning Hindi through the medium of South Indian Languages should be given wide publicity in Region 'C'.. | **The recommendation is accepted.** |
| 15. | Arrangement for full time training centre for Hindi Typing and Hindi Stenography under Hindi Teaching Scheme may be made in the cities indicated in the "Annexure" to Chapter-8. | **The recommendation is accepted.** |
| 16. | As greater amount is spent on the conduct of meetings of the Town Official Language Implementation Committees, therefore, the present amount of Rs. 3000/- per meeting may be enhanced to Rs. 10,000/- per meeting or the contribution made by the member offices may be codified, so that member offices do not face any difficulty in getting the amount sanctioned from their Ministries/ Headquarters. | **The recommendation is accepted with the modification that the ceiling on the expenditure on the meetings of Town Official Language Implementation Committees may be reviewed from time to time with a view to revise it as per requirement.** |

| S. N. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| 17. | For effective conduct of the TOLICs, the TOLIC Secretarial may be provided on a permanent basis with adequate human resource and should also be equipped with modern facilities. | **The recommendation is accepted with the modification that the Town Official Language Implementation Committees, may mobilize required man-power and other facilities from the internal resources available, with its member-offices for effective organization of their meetings** |
| 18. | In order to enhance the Official Language activities, .an annual conference of the Chairmen of the TOLICs should be organized in every region; and their involvement should also be ensured while determining the Official Language policy and the targets | **The recommendation is accepted with the modification that such meeting may be organized annually on regional basis.** |
| 19. | Some special schemes may be introduced to encourage publication of Hindi news papers/Hindi magazines and for those Hindi Journalists associated with them in the non-Hindi speaking areas especially in states like Tamilnadu, Kerala and Karnataka. | **The recommendation is not accepted.** |
| 20. | Representation of a Senior Officer from the Department of Official Language, New Delhi may be made compulsory in the meetings of the TOLICs. | **The recommendation is accepted with the modification that as far as possible, the participation of the Senior Officers of the Department of the Official Language may be ensured in the meetings of the Town Official Language Implementation Committees.** |
| 21. | Posting of at least one Hindi Staff may be made compulsory in each office of the Central Govt. located in Region "C". | **In respect of this recommendation, action may be taken in accordance with the guidelines issued by Department of the Official Language regarding posting of minimum staff.** |
| 22. | The Department of Official Language may take appropriate action on the suggestions received from the Chairmen of TOLICs given in paras 8.33 to 8.45 of Chapter-8. | **The recommendation may be implemented as per provisions of Official Languages Act and Official Languages Rules, and the instructions/orders issued from time to time in this regard.** |
| 23. | In the Ministries/Departments and their subordinate offices, besides issuing individual orders to the employees proficient in Hindi to do their specified work in Hindi, steps should also be taken to motivate and encourage them to do their entire work in Hindi. | **The recommendation is accepted.** |

| S.N. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| 24. | In future no code/manual be prepared only in English; and the codes/manuals which are at present available only in English be made bilingual within a span of one year. | **The recommendation is accepted.** |
| 25. | A minimum of 50%, 30% and 20% sections in Ministries/Departments and offices of Undertakings/Corporations, etc located in regions 'A', 'B' and 'C', respectively, be specified for doing their entire work in Hindi. In the Public Sector Undertakings/ Corporations, where the concept of sections does not exist, the Committee recommends that 50% in Region 'A', 30% in Region 'B' and 20% in Region 'C' of the work area be specified for doing the entire work in Hindi. | **All Central Government Offices/ Undertakings/ Corporations etc. may take concrete measures towards achieving these targets.** |
| 26. | Special emphasis may be given to the purchase of simple, easy and useful Hindi books. Books in Hindi of Freedom Fighters, biographies and autobiographies of patriots and martyrs and other interesting books and epics should be purchased in order to encourage the officers/employees to read. | **The recommendation is accepted.** |
| 27 | The violation of Rule 5 of the Official Language Rules 1976 by offices in Delhi (Region'A') is completely unacceptable. In particular, the Secretary, Ministry of Human Resource Development should take up the matter of violation of Rule 5 of the Official Language Rules, 1976 with Navodaya Vidyalaya Samiti, New Delhi, Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, Indira Gandhi National Open University, New Delhi and Kendriya Samaj kalyan Board, New Delhi and ensure that this kind of violation does not take place in future. Similarly, Secretaries, Ministry of Science and Technology should take up with Central Road Research Institute, New Delhi; Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment with National Minority Development and Finance Corporation, New Delhi; Secretary, Ministry of Health & Family Welfare with Central Council for Research in Ayurveda & Siddha, New Delhi • and Indian System of Medicine, New Delhi; and Secretary, Ministry of Agriculture with State Farm Corporation of India Ltd., New Delhi; to ensure the implementation of Rule 5 of the Official Languages Rules 1976. | **The recommendation is accepted.** |

| S.N. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| 28 | For a more effective implementation of the Official Language Policy as well as proper compliance of the Presidential Orders on the recommendations of the Committee of Parliament of Official Language, the Committee recommends that the meetings of the Central Official Language Implementation Committee (COLIC) be held under the Chairmanship of the Cabinet Secretary and the Secretaries of the Ministries/Departments participate as its members. In the event of the Cabinet Secretary being the Chairman of the COLIC, the Secretaries of the other Ministries/ Departments would take the matter regarding implementation of Official Language Rules, etc. with appropriate seriousness. | **The recommendation is under consideration.** |
| 29. | To make Scientific, Technical and Research Literature in Hindi available at one place the Government should immediately establish Book Banks. These Book Banks should make such literature available to the consumers and user organizations or should provide them with information regarding sources of availability. | **The recommendation is accepted with the modification that all the Ministries/ Departments may ensure availability of sufficient Hindi literature about their work on technology, scientific research and various subjects relating to research and make available the information on sources of availability of this literature on their web-sites and through other possible means to facilitate its consumers and user organizations in obtaining the same.** |
| 30. | Wide publicity should be given to literature available in Hindi on scientific, technical & research subjects, so as to make it easily accessible to consumer organizations. This process must be repeated on regular intervals. | **The recommendation is accepted. All Ministries/Departments should make the publicity of available literature on scientific, technical & research subjects, a regular feature of their publicity programs.** |
| 31. | A Translation Bureau may be established under the Commission for Scientific and Technical Terminology to make available translations in Hindi, of all literature in English related to Research, Science and Technology. Post Graduates in Science and / or Engineering degree holders well versed in Hindi and capable of providing translation of a high order may be appointed in the Translation Bureau. These technical translation experts may be given a minimum pay scale as that of an Asstt. Director (OL). | **The recommendation is accepted with the modification that the Ministry of Human Resource Development may achieve the objective envisaged under this recommendation for providing good quality Hindi translation of the available literature related to research, science and technology through the proposed National Translation Mission.** |

| S.N. | Recommendation | President's Order |
| --- | --- | --- |
| 32. | Provision may be made to award appropriate royalty to those writers who write books originally in Hindi on science/technical /research related subjects and whose books are being used regularly for functional purposes or as a course material in the organizations. | **The writing right of each and every author is protected under the Copy-right Act. The royalty received by an author on book (s) is in accordance with the mutual agreement between the author and the publisher. The Central Government have no role in it. Hence the recommendation is not accepted.** |
| 33. | Universities in regions "A" & "B" may impart higher education i.e. education of subjects relating to engineering, computers, technology & research etc, through Hindi medium also & syllabus and course books may also be prepared in Hindi. | **The recommendation is accepted.** |
| 34. | In the Annual Programme 2004-05 and thereafter the Department of Official Language has modified the target laid down for purchase of Hindi Books to exclude journals and standard reference books. The Committee feels this modification needs to be reviewed, as this exclusion if continued indefinitely will adversely impact the long term goal of Hindi. | **At present, status quo may be maintained.** |
| 35. | There is no substantial reason for the Nontechnical/ Administrative offices for not complying with the target of purchase of Hindi Books. Therefore, concerned Ministries/Departments should keep a constant watch on such offices. | **The recommendation is accepted.** |
| 36. | A training crash course of minimum seven days, in Hindi for use on computers should be organized for those Deputy Secretaries and other higher officers who have been given the facility of computers, and targets may be fixed region-wise for the amount of work to be done in Hindi on the computers by them. | **The recommendation is accepted with the modification that shorter duration crash programs may be conducted for Deputy Secretary/ higher officers and they should use more and more Hindi in their work on computers.** |
| 37. | A standardised bilingual software be developed through an agency to bring about uniformity in Hindi work in all the Ministries of the Central Government and in their Attached/Subordinate offices. | **To ensure the compatibility of the work in Hindi being done in the Ministries/ Departments and their attached/ subordinate offices, all the Central Government offices may use only standard encoding (i.e.Unicode) compliant fonts for use of devanagari script on computers and Ministries /Departments should procure only those softwares from different agencies, which are capable of being used in accordance with the Unicode encoding standard.** |

| S.N. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| 38. | Reserve Bank of India/Ministry of Finance should take effective measures to develop compatible software for data processing in Hindi/bilingual and to bring about uniformity in all the Public Sector Banks. | **The recommendation is accepted. Department of Economic Affairs, Ministry of Finance may take necessary action in this regard and ensure use of only those fonts/softwares for working in Hindi which are compatible with the standard Unicode encoding.** |
| 39. | Credit Cards, ATMs and other services offered by the Banks be made in Hindi/bilingual. | **The recommendation is accepted for compliance by Public Sectors Banks and financial Institutions.** |
| 40. | The Ministry of Finance should take steps to ensure that the insurance policies issued by the state owned insurance companies are issued in Hindi/bilingual. | **The recommendation is accepted for compliance by public Sector Insurance Companies. Banking Division, Ministry of Finance, may take action in this regard.** |
| 41. | Hindi/Bilingual entries be made in the Bills issued to the public by the MTNL and BSNL. | **The recommendation is accepted.** |
| 42. | Captions appearing in the programmes telecast by the Hind' Channel of Doordarshan be given in Hindi. Necessary software may be developed for this purpose. | **The recommendation is accepted.** |
| 43. | Ministry of Railways and Ministry of Civil Aviation should take necessary action for displaying information in Hindi/bilingual on the digital information boards at the Railway Stations and Airports. | **The recommendation is accepted.** |
| 44. | The Ministries/Departments as well as their Offices/ Undertakings, invariably launch all websites bilingually. All offices who have already launched their websites only in English, should take immediate steps to make their websites bilingual. | **The recommendation is accepted.** |
| 45. | The-Department of Official Language should especially monitor the implementation of the recommendations from SI. No. 34 to 43 and in case any of the offices face any difficulty in the implementation of these recommendations action should be taken to seek the cooperation of the Ministry of Information Technology, to solve the problem. | **The recommendation is accepted.** |
| 46. | In the competitive exams conducted for recruitment in the Central Govt. a compulsory question paper of Hindi of the level of Matriculation or equivalent may be prescribed. A candidate not passing this paper may be disqualified. | **The recommendation is not accepted.** |

| S.N. | Recommendation | President's Order |
| --- | --- | --- |
| 47. | In the Central Secretariat Official Language service, status-quo may be maintained in respect of the posts of Director (OL) in all the big Ministries/Departments and simultaneously the creation of higher posts of Joint Secretary (OL) may also be considered. | **The recommendation is not accepted.** |
| 48. | A separate Official Language Cadre be set up by .each Ministry/Department, which would cater.to all its Subordinate/ Attached/ Undertakings/ Corporaiions/Establishments. The Ministry could post Hindi officers/employees from .this cadre to its offices, big or small, located all over the country. This would also provide them with greater promotional opportunities. | **The recommendation is accepted with the modification that where possible, a cadre may be set up and where setting up of the cadre is not found possible, an alternative system should be put in place for ensuring promotional avenues for the staff.** |
| 49. | Special allowance .as an incentive may be given for posting of Hindi personnel in Region 'C and at the same time the posting should be for a limited period only so that · candidates from Region 'A' accept postings in Region 'C' without hesitation. | **The recommendation is not accepted.** |
| 50. | Necessary steps may be taken to bring about uniformity in the designations and pay scales of the cadres (be it in the Ministries/ Departments or their subordinate offices) concerned with translation work and. implementation of the Official Language policies. | **The recommendation is under consideration of the Government.** |
| 51. | In all the Kendriya Vidyalaya/Navodaya Vidyalaya alongwith the Government Schools controlled by the State Government situated in Region 'A' & 'B', Study of all subjects upto the level of 10th Standard, should immediately be started in Hindi medium. Regional language and English can be taught as a separate subject After a stipulated interval the situation may be reviewed and this may be extended to Region 'C'. | **The recommendation is not accepted.** |
| 52. | Matric level knowledge of Hindi may be made compulsory in the recruitment of Lecturers in Universities/Colleges. Research & Professional Educational Institutes, so that after assuming duties, they do not have any difficulty in teaching their subject in Hindi medium. | **The recommendation is not accepted.** |
| 53. | Hindi Departments may compulsorily be started in all the Central Universities and Post Graduate level Hindi courses should be made available there. | **The recommendation is accepted.** |

| S.N. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| 54. | In the national education programmes like Sarv Shiksha Abhiyan provision of study should be made only through Hindi medium. | **The recommendation is not accepted.** |
| 55. | In the entrance examination of Universities/Technical/Professional/Research Institutions, an option of Hindi medium should be made compulsory. | **The recommendation is accepted with the modification that in consultation with the University Grants Commission and after getting the concurrence of the State Governments, the Ministry of Human Resource Development may take an appropriate action for giving option of Hindi, besides other languages, for answering the question papers during the examinations of universities and technical, professional & research institutes etc.** |
| 56. | Educational telecast through electronic medias like Radio/TV should be only in Hindi as these medias have a wide coverage. | **In view of the language diversity in the country, the recommendation is accepted with the modification that in educational broadcasts sponsored by the Government of India, Hindi broadcasts may be given adequate time.** |
| 57. | Organisations like Commission for Scientific and Technical Terminology should prepare subject-wise list of books published by them in Hindi/bilingual and make these available to Schools, Universities, Research and Professional Institutions and should also organize workshops and seminars to disseminate the information regarding availability of such books. | **The recommendation is accepted.** |
| 58. | All the training courses, expect for major technical subjects, should be taught in Hindi medium in the departmental staff training institutes of the Central Government, PSUs, Banks and other institutions. | **The recommendation is accepted with the modification that all the in-service trainings may be conducted primarily in Hindi and secondarily in the mixed language.** |
| 59. | A mention be made in the Annual Confidential Reports of the Heads of the Training Institutes regarding the efforts made by them to promote the use of Hindi in their institutes. | **The recommendation is accepted.** |
| 60. | In future, the names of all the undertakings/corporations of the Public Sector should, invariably, be registered only in Hindi. If required keeping in view the international importance of the Undertakings/Corporations, English name, may also be got registered. | **The recommendation is accepted.** |

| S.N. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| 61. | In State owned companies the descriptions on all machines and equipment whether indigenous or imported should be written in bilingual form. | **The recommendation is accepted.** |
| 62. | In future the Undertaking/Corporations should get their logos/monograms prepared either in bilingual or-pictorial form. | **The recommendation is accepted.** |
| 63. | New .products and brands of the Undertakings/Corporations/ Companies should be named in Hindi. This will also help them to maintain their unique identity at the international level. | **The recommendation is accepted with the modification that excepting popular non-Hindi names or names which give a better information/ identity to the products/ brands, the other names of products/brands may be nomenclatured in Hindi.** |
| 64. | Bilingual description should be inscribed on the products meant for exports by the Public Sector Undertaking/Corporation. | **The recommendation is accepted.** |
| 65. | Printed material of the Undertakings /Corporations such as brochures, bill-vouchers and the publicity material should invariably be printed in bilingual form. | **The recommendation is accepted.** |
| 66. | All the websites of the Undertakings /Corporations must be prepared in bilingual form and the information on their activities and products should be made available in Hindi & English. | **The recommendation is accepted.** |
| 67. | To strengthen the translation arrangements Hindi posts should be created as per the requirement of the Undertakings/ Corporations; and centralized translation panels should also be prepared in the Undertakings/Corporations at the Headquarter level. This will help to provide immediate translation, if required, to their corporate and other offices and their subsidiary companies. | **The recommendation is accepted.** |
| 68. | All the computers in the Undertakings/ Corporations must have Hindi software and this facility should be made available in their branches abroad also. | **The recommendation is accepted.** |
| 69. | Advertisement in Hindi can be given in English newspapers and similarly advertisement in English can be given in Hindi Newspapers. Therefore, all the offices should give advertisement in bi-lingual form to Hindi/English newspapers. | **The recommendation is not accepted.** |

| S.N. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| 70. | A minimum of 50% of the total amount spent on advertisements be in Hindi and rest 50% be spent on advertisements in English and other regional languages. | **The recommendation is accepted with the modification that a certain percentage of total expenditure on Government advertisements to be given in Hindi and English may be decided by Central Ministries /Departments according to their requirements.** |
| 71. | The procedure for creation of Hindi posts may be made Simple and easy to avoid unnecessary delay in the creation of Hindi posts. Ministry of Finance and Deptt. of Personnel & Training should not impose any ban on the creation of Hindi posts. In every small or big office, especially in the offices situated in Region 'C' keeping in view the nature of work and necessity, steps should be taken to relax the prescribed norms for creation of Hindi posts. | **The recommendation is accepted.** |
| 72. | Hindi posts have been created to meet the statutory requirements. Therefore, the newly created posts and the posts already lying vacant be filled-up immediately on priority basis. Ministry of Finance and Department of Personnel & Training should not impose any ban on appointments to the Hindi post which has, for whatever reason, been vacant for three years or more. | **After the outcome of the proposal sent in this regard to Cabinet Secretariat for the consideration of the Committee of Secretaries (COS) is available, the Department of Official Language may act accordingly.** |
| 73. | The Ministry of External Affairs may provide bilingual facility on the computers in all the Passport Offices so that bilingual entries are made in the passports and the passports could be issued bilingually. | **The recommendation is accepted. The Ministry of External Affairs may prepare an action plan for implemention of this recommendation.** |
| 74. | In future, a minimum level of Hindi knowledge be fixed for direct recruitment to all the Groups, viz. 'A', 'B', 'C' and 'D', in order to avoid the difficulties and obligations of providing training. The minimum level of knowledge of Hindi necessary for recruitment to Group 'A','B' and 'C' may be specified as matriculation or higher. For Group 'D' it can be relaxed to Middle/Eighth class level. | **The recommendation is not accepted.** |

| S.N. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| 75. | Details of Hindi knowledge and Hindi work done by the employees should also be reflected in their service books and ACRs respectively. Additionally, the Departmental Promotion Committees constituted for considering the promotions of the different cadres, except Official Language cadre, should award bonus marks for the officer/employee, being considered for promotion, on the basis of Hindi work done by him/her. | **The recommendation is not accepted.** |

**(P.V.Valsala G.Kutty)**

**JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA**

**ORDER**

A copy of this Resolution be sent to all the Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and Union Territories, the President's Secretariat, the Vice President's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Prime Minister's Office, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, the Registrar General of Supreme Court, the University Grants Commission, the Law Commission of India & the Bar Council of India etc.

This Resolution be published in the Gazette of India for general information.

**(P.V.Valsala G.Kutty)**

**JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA**

To

The Manager,
Government of India Press,
Faridabad (Haryana)

No.I/20012/07/2005-O.L. (Policy-1) Date: 02 July, 2008

1. All Ministries/Departments of the Government of India for necessary action. They are also requested to bring this Resolution to the notice of their attached/subordinate offices, undertakings, nationalized banks, etc. under their control for information and necessary action.
2. All State Governments and Union Territories of India.
3. Prseident's Secretariat, New Delhi.
4. Vice President's Secretariat, New Delhi.
5. Cabinet Secretariat, New Delhi.
6. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
7. The Registrar General of Supreme Court of India, New Delhi.
8. The Law Commission of India, New Delhi.
9. The Bar Council of India, New Delhi.
10. University Grants Commission of India, New Delhi. It is also requested to bring this Resolution to the notice of all the Universities of India for their information and necessary action.
11. The Union Public Service Commission, New Delhi.
12. The Election Commission of India, New Delhi.
13. Office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
14. Banking Division, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
15. Department of Public Enterprises, Ministry of Industry, CGO Complex, New Delhi. s
16. Planning Commission, New Delhi.
17. The Director, Public Relations (Home), Office of the Press Information Bureau, New Delhi.
18. Parliament's Library, Parliament House, New Delhi.
19. Director (Research), Department of Official Language (for publication in **Rajbhasha Bharati**).
20. Director, Central Translation Bureau (for publication in **Bureau Varta**) & its translation training centres.
21. Director, Central Hindi Training Institute (for publication in **Anusheelan**) and its sub-centres and offices of the Hindi Teaching Scheme.
22. Committee of Parliament on Official Language, 1 I, Teen Murti Marg, New Delhi.
23. Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad. XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi.
24. Chairman, Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, Community Centre, Jhandewalan, New Delhi.
25. Director (OL), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
26. All Officers/Desks/Sections of the Department of Official Language.

**(P.V.Valsala G.Kutty)**

**JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA**

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में हिंदी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशन के लिए)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

*****************************************************************

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी' विंग, चौथा तल,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली.

दिनांक: 31 मार्च, 2017

**<u>संकल्प</u>**

20012/01/2017-रा.भा.(नीति) - राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में किया गया था। समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा3(3), राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5, हिंदी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबन्धित राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, केंद्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद कम्प्यूटरीकरण और हिंदी, भर्ती नियमों में हिंदी ज्ञान की अनिवार्यता, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग आदि से संबंधित प्रतिवेदन का नौवा खण्ड राष्ट्रपति जी को 02.06.2011 को प्रस्तुत किया गया। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अंतर्गत इसकी प्रतियां लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर क्रमश: दिनांक 30.08.2011 और दिनांक 07.09.2011 को रखी गई। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को इसकी प्रतियाँ भेजी गई। उनसे से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप से या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अंतर्गत समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है:

| संस्तुति संख्या | संस्तुति | राष्ट्रपति जी के आदेश |
|---|---|---|
| 1 | समिति का यह अनुभव है कि सामूहिक विवेक से तैयार की गई संस्तुतियों पर राजभाषा विभाग में गहराई से विचार-विमर्श नहीं किया जाता है। इसलिए समिति की सिफारिशों पर कारगर आदेश जारी नहीं हो पाते, जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। अत: समिति का यह सुझाव है कि समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर आदेश जारी करने से पहले राजभाषा विभाग समिति के साथ विचार विमर्श कर ले। तत्पश्चात, राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी | यह संस्तुति सिद्धांतत: स्वीकार की जाती है। यथावश्यक राजभाषा विभाग द्वारा समिति के साथ परामर्श भी किया जाएगा। राष्ट्रपति जी के आदेशों का समयबद्ध रूप से कार्यान्यवयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग प्रतिबद्ध है। |

| | | |
|---|---|---|
| | किए जाने के बाद राजभाषा विभाग केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में उन आदेशों का समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करे। | |
| 2 | समिति के प्रतिवेदन के पिछले आठ खंडों में अस्वीकृत संस्तुतियों अथवा संशोदन के साथ स्वीकृत संस्तुतियों की समीक्षा की जाए तथा समिति की संस्तुतियों के अनुरूप उपयुक्त आदेश जारी किए जाएं। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 3 | समिति के प्रतिवेदन के आठवें खंड में जिन मंत्रालयों/विभागों में 25% से अधिक अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में अप्रशिक्षित पाए गए थे उनकी स्थिति में अब निश्चित रूप से सुधार हुआ है परन्तु जिन मंत्रालयों/विभागों में जहां उस समय प्रशिक्षण कार्य पूरा हो चुका था अब हिंदी मे अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इसे समिति ने गंभीरता से लेते हुए सिफारिश की है कि ये मंत्रालय/विभाग प्रशिक्षण कार्य की ओर विशेष ध्यान दें और प्रशिक्षण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाएं, ताकि प्रशिक्षण कार्य एक वर्ष में पूरा हो सके। समिति यह सिफारिश करती है कि यदि नए भर्ती होने वाले कर्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो भर्ती के तुरंत बाद ही सरकार को उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 4 | समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग अपने निरीक्षण तंत्र को और मजबूत करे तथा इस ओर विशेष ध्यान दे कि हिंदी में मूल पत्राचार का प्रतिशत किसी भी मंत्रालय/विभाग में घटने न पाए बल्कि इसमें वृद्धि ही हो। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 5 | समिति ने पाया कि 11 मंत्रालयों/विभागों में कम्प्यूटरों पर 50 प्रतिशत से अधिक काम हिंदी में हो रहा है। विदेश मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तो कार्य 20 प्रतिशत से भी कम है। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि सभी मंत्रालयों/विभागों में कंप्यूटरों पर अविलम्ब द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कंप्यूटरों | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| | पर काम करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे हिंदी में भी कार्य कर सके। | |
| 6 | समिति के देखने में यह भी आया है कि कतिपय विभाग/मंत्रालय आदि हिंदी प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए बुलाए जाने वाले अतिथि वक्ताओं को अन्य विषयों के वक्ताओं की तुलना में कम मानदेय देते है। हिंदी अतिथि वक्ताओं को भी अन्य विषयों के वक्ताओं के समान ही मानदेय दिया जाना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 7 | सचिव (राजभाषा विभाग) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ उठाएं। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 8 | सचिव (राजभाषा विभाग) धारा 3(3) के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ उठाएं। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 9 | हिंदी जानने वाले कार्मिकों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाए। इसके लिए डेस्क प्रशिक्षण भी कारगर साबित हो सकता है। "क"एवं "ख"क्षेत्रों में विशेष रूप से इस प्रयास को तेज किया जाए। "ग"क्षेत्र में समयबद्ध कार्यक्रम बना कर सर्वप्रथम कार्मिकों को हिंदी शिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 10 | कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने के संबंध में राजभाषा विभाग एक कार्यक्रम तैयार कर हिंदी शिक्षण योजना के सहयोग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करे। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 11 | प्रत्येक कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि कार्यालय द्वारा पत्राचार के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में किसी एक दिन सभी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य की समीक्षा करें और आगामी माह के लिए हिंदी में कार्य करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करें अर्थात उन्हें क्या-क्या काम हिंदी में करने हैं इस संबंद में निर्देश दें। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 12 | विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा संबंधी रिक्त पड़े हुए पदों को अविलम्ब भरा जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 13 | प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| | रूप मे उपलब्ध करवाने के संबंध में व्यापक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। | |
| 14 | प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ अपने कार्यान्वयन में सुधार लाएँ और सभी बैठकों में उपर्युक्त सभी मदों की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर किया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 15 | सभी संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट में दो कॉलम जोड़े जाएं:-<br>(क) अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हिंदी में कार्य करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है।<br>(ख) अधिकारी/कर्मचारी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहाॅ तक सफल हुआ, इस बारे में उच्चाधिकारी अपनी टिप्पणी दें। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 16 | समिति यह संस्तुति करती है कि निरीक्षण कार्य के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया जाए और जब भी कोई अधिकारी (वरिष्ठतम अधिकारी सहित) अपने किसी अधीनस्थ कार्यालय में निरीक्षण या दौरे पर जाए तो उससे उक्त प्रोफार्मा को अनिवार्य रूप से भरवाया जाए और राजभाषा का निरीक्षण अवश्य करवाया जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कार्यालय का वर्ष में कम से कम एक राजभाषा संबंधी निरीक्षण अवश्य हो चाहे किसी भी स्तर पर हो। यह निरीक्षण मंत्रालय, मुख्यालय या राजभाषा विभाग द्वारा किया जा सकता है। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 17 | मॉनिटरिंग के इसी क्रम में प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अवश्य सुनिश्चित की जाए और बैठक के दौरान कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में हो रही राजभाषा संबंधी प्रगति पर नजर रखी जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 18 | सभी मंत्रालय/मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रणाधीन सभी छोटे बड़े कार्यालय, बैंक, उपक्रम, संस्थान, अधिकरण आदि अपने अपने नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य बन गए हैं। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 19 | राजभाषा विभाग केन्द्रीय कार्यालयों में हिंदी की प्रगामी प्रगति के लिए बनाए गए निरीक्षण प्रोफार्मा तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रोफार्मा में निम्नलिखित | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| | मुद्दें भी समाहित करें:-<br>क. क्या आपके नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है?<br>ख. क्या आपका कार्यालय इसका सदस्य है?<br>ग. यदि हां, तो पिछली बैठक (तारीख) में भाग लेने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम<br>घ. यदि सदस्य नहीं है तो अब तक सदस्यता क्यों नहीं ग्रहण की गई? | |
| 20 | परस्पर समन्वय की भावना होनी चाहिए और इसके लिए यदि अध्यक्ष कार्यालय में हिंदी अधिकारी का पद नहीं है तो ऐसी स्थिति में नगर के किसी दूसरे कार्यालय से किसी सक्षम, अनुभवी हिंदी अधिकारी को समिति का सदस्य सचिव बनाया जा सकता है। किसी अन्य अधिकारी जो हिंदी अधिकारी नहीं है उसे यह दायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिए। नराकास की गतिविधियों को अनवरत रखने के लिए राजभाषा अधिकारी को ही नराकास के सदस्य सचिव का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। | यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नराकास अध्यक्ष के कार्यालय में हिंदी अधिकारी का पद न होने की स्थिति में अध्यक्ष अपने कार्यालय या किसी अन्य सदस्य कार्यालय से किसी ऐसे अधिकारी को सदस्य सचिव मनोनीत करे जो राजभाषा नीति व कार्यान्वयन के बारे में जानकारी रखता हो। |
| 21 | नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन में व्यय होने वाली राशि के संबंध में समिति द्वारा आठवें खंड में की गई सिफारिश को अविलंब लागू किया जाए। साथ ही, आयोजन हेतु प्रदान की जाने वाली इस राशि में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि की जाए। | यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में होने वाले व्यय की सीमा समय-समय पर समीक्षा करके आवश्यकतानुसार संशोधित की जाए। |
| 22 | सभी केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक हिंदी पद अवश्य सृजित किया जाए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिंदी पद सृजन की इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 23 | एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त पड़े हुए हिंदी के पदों को समाप्त नहीं किया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 24 | परस्पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्र क, ख तथा ग में प्रतिवर्ष सचिव, राजभाषा विभाग के साथ नराकास अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों की एक समागम बैठक आयोजित की जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 25 | राजभाषा विभाग को नराकास की बैठकों के आयोजन, | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| | उनमें कार्यालयाध्यक्षों की सहभागिता, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से अधिकारियों की इन बैठकों में उपस्थिति आदि की सूचना क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से उपलब्ध कराकर नराकासों की मॉनीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूरा हो सके। | |
| 26 | जैसे-जैसे पूरे देश में इन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की संख्या व उनके पदों की संख्या बढाई जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 27 | समिति का मानना है कि एक ऐसा मानक फोन्ट विकसित किया जाए, जिसका प्रयोग देश-विदेश में आसानी से किया जा सके तथा इसे अनिवार्य रूप में सभी उपलब्ध साफ्टवेयरों में लोड किया जाए। इसके साथ ही हिंदी के मानक की-बोर्ड का चयन कर इसे अनिवार्य रूप से सभी साफ्टवेयरों में लोड किया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 28 | समिति का मत है कि एन.आई.सी. द्वारा वेबसाइट से संबंधित उसी सामग्री/आंकड़ों को ही वेबसाइट पर डालने के लिए स्वीकृत किया जाए, जिसे द्विभाषी रूप में उन्हें उपलब्ध कराया जाए। | यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि वेबसाइट की सामग्री को दविभाषी रूप. में उपलब्ध कराने और उसे अपलोड कराने का कार्य विभिन्न मंत्रालयों विभागों/कार्यालयों आदि के विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों के निर्देशन में वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। |
| 29 | सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में सी-डैक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयरों की उपलब्धता के संबंध में एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, जो इनकी जानकारी आगे अपने अधीनस्थ और सम्बध्द कार्यालयों को दें। इसमें सॉफ्टवेयर पैकेजों की मुख्य विशेषताओं, उसकी उपयुक्तता और उनके मूल्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 30 | सॉफ्टवेयर पैकेज की विभिन्न विशेषताओं और उसकी उपयोगिता के संबंध में उपभोक्ताओं को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक उपभोक्ता को | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| | इस प्रकार प्रशिक्षण देना सम्भव नहीं है। अत: सॉफ्टवेयर विकास करने वाले अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सी-डैक सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर विचार कर सकता है, लाकि ये प्रशिक्षक अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों के उपभोक्ताओं तक यह कौशल पहुंचा सकें। | |
| 31 | सभी सॉफ्टवेयर विकासकों (सी-डैक और अन्य) के लिए सुझाव है कि उपभोक्ताओं से पुनर्निवेशन प्रतिपुष्टि की एक प्रक्रिया शुरू करें और इसके आधार पर इनकी आवश्यकतानुसार अपने उत्पाद में बदलाव लाए तथा अभावों को यदि कोई हो दूर कर सकें। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 32 | सभी हिंदी अधिकारियों के लिए एक वर्ष के अन्दर विशेष कार्यशालाएं लगाई जाएं। उन्हें हिंदी संबंधित कार्य और यूनीकोड का अभ्यास करवाया जाए। उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाए तथा प्रशिक्षण के बाद उनकी गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टि की जाए। उपरोक्त विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों के लिए प्रयोगात्मक कक्षाएं ली जाएं, तत्पश्चात् अन्य हिंदी अधिकारियों को भी यही प्रशिक्षण दिया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 33 | मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हिंदी भाषा का पठन अनिवार्य बनाए जाने के लिए सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रथम प्रयास के रूप में देश में केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में दसवीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढाया जाए। | यह संस्तुति सैद्धांतिक रूप से स्वीकार की जाती है। केंद्र सरकार इस विषय पर राज्य सरकारों के विचार लेकर नीति बनाए। |
| 34 | उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में स्वायत्ततां के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने संसद तथा विधान सभाओं में कुछ कानून बनाए हैं, जिसके अंतर्गत कुछ विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में केवल अंग्रेजी में ही शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सिदधांत होने | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| | चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी शिक्षण लागू करने के लिए मान, संसाधन मंत्रालय कार्ययोजना बनाए और एक समान कानून लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू करे तथा कानून बनाकर संसद के पटल पर रखे। | |
| 35 | जिन विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी विभाग नहीं है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उनका पता लगाकर वहाँ हिंदी विभाग खोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि यह विभाग हिंदी माध्यम से शिक्षा देने के लिए सहायता दे सके। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 36 | जिन हिंदीतर राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षाओंसाक्षात्कारों/ में परीक्षार्थियों को हिंदी में उत्तर देने का विकल्प नहीं है उनमें परीक्षार्थियों को हिंदी में उत्तर देने का विकल्प प्रदान किया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 37 | हिंदीतर राज्यों में स्थित स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान नाम मात्र का है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसे बढाने के लिए ठोस कार्रवाई करे | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 38 | हिंदी में पाठ्य सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकों को संबंधित विषयों के ऐसे विशेषज्ञ प्रोफेसरों, जिन्हें हिंदी का भी ज्ञान हो, से ही तैयार करवाया जाए तथा उन्हें ही हिंदी पाठ्य सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकों को सही रूप में उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि रहने की संभावना न हो। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 39 | स्कूली स्तर, स्नातक स्तर तथा विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों के लिए हिंदी की पाठ्य सामग्री अंग्रेजी के मुकाबले काफी कम मात्रा में उपलब्ध है। यदि शिक्षण-प्रशिक्षण सामग्री सरल हिंदी में भी उपलब्ध करा दी जाए, तो हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त छात्रों को निश्चय ही लाभ मिलेगा. तथा वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाने वाले छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 40 | ज्ञान-विज्ञान के मौलिक ग्रंथों को सरल हिंदी में लिखा जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 41 | तकनीकी विषयों में लेखन के लिए हिंदी लेखकों तथा | यह संस्तुति इस संशोधन के साथ |

| | | |
|---|---|---|
| | अनुवादकों का चयन किया जाए तथा विदेशी छात्रों को हिंदी पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों का चयन किया जाए। | स्वीकार की जाती है कि केंद्र सरकार तकनीकी विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करे। |
| 42 | विभिन्न निरीक्षणों मौखिक साक्ष्यों तथा विचार-विमर्श कार्यक्रमों के दौरान समिति ने महसूस किया है कि हिंदी के कठिन शब्दों के व्यावहारिक प्रयोग में कठिनाई आ रही है। अत: हिंदी की पाठ्यसामग्रियों, शब्दावलियों आदि की भाषा को आसानी से समझने एवं व्यावहारिक प्रयोग के लिए हिंदी के कठिन शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी शब्दों का यथावत हिंदी में प्रयोग किया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 43 | विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों के भिन्न-भिन्न हिंदी पर्याय प्रयोग में लाए जा रहे है जिससे राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अतः इसके लिए शीघ्न मानक शब्दावलियों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे अंग्रेजी के विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्यायों में एकरूपता आ सके तथा जटिल वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों को भी सरलता से हिंदी में प्रस्तुत किया जा सके। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 44 | शिक्षण संस्थाओं में हिंदी शिक्षण का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 45 | केन्द्र सरकार में नौकरियों की भर्ती के लिए प्रश्न पत्रों में हिंदी का विकल्प सुनिश्चित किया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 46 | सरकारी नौकरियों के लिए हिंदी ज्ञान का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है। |
| 47 | स्कूलों में दसवीं कक्षा तक हिंदी शिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाए। | यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि हाई स्कूल में हिंदी विषय को 'क' क्षेत्रों में अनिवार्य किया जाए। इस संदर्भ में केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से विचार करने के पश्चात नीति निर्धारित करें। |
| 48 | समिति पुनः संस्तुति करती है कि किसी भी स्थिति में कम से कम 50% धन हिंदी विज्ञापनों पर तथा | संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड - 8 की सिफ़ारिश सं० 70 पर |

| | | |
|---|---|---|
| | शेष 50% क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी पर किया जाए। | लिए गए आदेश, को अधिक्रमित करते। हए खंड - 9 की सिफ़ारिश सं० 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है की मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। |
| 49 | जहाँ तक संभव हो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 50 | जहाँ विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी करने आवश्यक हों वहाँ उन्हें डिग्लॉट रूप में दिया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 51 | लागत को समान रखने के लिए हिंदी के विज्ञापन बड़े आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएं, जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जा सकते हैं। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 52 | समिति का मत है कि वैज्ञानिक/अनुसंधान एवं शोध संस्थानों द्वारा एक बड़ी राशि पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाती है। यदि यह छूट जारी रही तो पुस्तकालय की बजट के अधिकांश राशि जर्नल और संदर्भ साहित्य की खरीद पर ही व्यय होती रहेगी और हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनके लिये लक्ष्य प्राप्ति करना मुश्किल होगा। अत: इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए जाए कि किसी भी स्थिति में पुस्तकों पर होने वाली कुल राशि का 50% हिंदी की पुस्तकों पर खर्च किया जाए। समिति का सुझाव है कि जिन कार्यालयों में पुस्तकालय अनुदान का कोई बजट आबंटन न हो तो वहां कुल कार्यालयीन व्यय का न्यूनतम एक प्रतिशत हिंदी पुस्तकों पर खर्च किया जाए। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि पचास प्रतिशत या एक प्रतिशत के संदर्भ में जो भी राशि अधिक हो वह हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाएगी। | यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि कार्यालयों/पुस्तकालयों के लिए धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50 प्रतिशत या कार्यालय का न्यूनतम एक प्रतिशत, जो भी राशि अधिक हो, वह हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए। |
| 53 | मौलिक पुस्तक लेखन योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाए और पुरस्कार राशि में वृद्धि की जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| 54 | सरकारी सेवा में ऐसे कई अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो अपनी नौकरी के साथ-साथ रचनात्मक कार्य से भी जुड़े हैं और हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। समिति का सुझाव है कि ऐसे प्रतिभाशाली कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन या पदोन्नति दी जाए। | यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य से जुड़े कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। |
| 55 | अंग्रेजी की अच्छी और उपयोगी पुस्तकों के उत्तम अनुवाद को भी प्रोत्साहित किया जाए और इस संबंध में भी योजना तैयार की जाए। इसे "उत्कृष्ट अनुवाद योजना" का नाम दिया जा सकता है। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 56 | समिति यह संस्तुति करती है कि सभी मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों आदि में वेलफेयर क्लब्स के माध्यम से पुस्तक क्लब गठित किए जाएं। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 57 | समिति का मत है कि एयर इंडिया अपनी समय सारणी द्विभाषी रूप में छपवाएं ताकि नियमों की अवहेलना न हो। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 58 | समिति यह संस्तुति करती है कि स्वागत पत्रिका को पुनः एक ही जिल्द में द्विभाषी छपवाया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। एयर इंडिया द्वारा प्रकाशित 'शुभयात्रा' पत्रिका एक ही जिल्द में विभाषी छपवाया जाए। |
| 59 | समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग संबंधित मंत्रालय/विभाग के परामर्श से गोपनीय रिपोर्ट के फार्म में एक अलग कॉलम "हिंदी में लेख आदि लिखने की क्षमता" पर विचार करें। | यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है। |
| 60 | समिति का मत है कि क्षेत्र के आधार पर गृह पत्रिकाओं को हिंदी और संबंधित क्षेत्र विशेष की भाषा में छापा जाए ताकि क्षेत्रीय भाषा में लेखन क्षमता रखने वाले कर्मचारियों को भी अवसर और प्रोत्साहन मिले। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 61 | रेल मंत्रालय द्वारा भविष्य में केवल ऐसे इलेक्ट्रानिक यंत्र/उपकरण ही खरीदे जाएं और प्रयोग में लाए जाएं। जिन पर देवनागरी में भी कार्य करने की सुविधा हो। जो टेलिप्रिंटर/ टेलेक्स, कंप्यूटर, शब्द संसाधक आदि केवल रोमन के हैं, उन पर अविलम्ब देवनागरी में कार्य करने की सुविधा सुलभ कराई जानी चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| 62 | नए सृजित हिंदी पदों तथा खाली पड़े हिंदी पदों को तत्काल भरा जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 63 | हिंदी कंप्यूंटिंग फाउंडेशन नामक संस्थान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों विशेषकर रेलवे विभाग में हिंदी को अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी भाषा का ज्ञान देने, कंप्यूटर पर हिंदी सिखाने तथा हिंदी सॉफ्टवेयर विकसित करने के संबंध में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। इस संस्थान को रेल मंत्रालय की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि स्व विकसित प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से रेल मंत्रालय की बाहरी संसाधनों (Out Sourcing) पर निर्भरता समाप्त की जा सके। | हिंदी कंप्यूटिंग फाउंडेशन के वर्ष 2006 में विघटित हो जाने के कारण यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है। |
| 64 | रेलवे बोर्ड तथा देश भर में स्थित उसके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में कंप्यूटरों में उपयोग में लाए जा रहे हिंदी सॉफ्टवेयरों का मानकीकरण किया जाना चाहिए। | सभी मंत्रालय/विभाग यूनिकोड और यूनिकोड समर्थित फोंट्स इस्तेमाल करें। |
| 65 | पूरे देश में विशेषकर "ग" क्षेत्र में स्थित रेलवे स्टेशनों पर अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं सहित हिंदी में भी अनिवार्य रूप से उद्घोषणाएं की जानी चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 66 | रेल मंत्रालयों के उपक्रमों/कारखानों द्वारा निर्मित उत्पाद का नाम तथा अन्य विवरण हिंदी, तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाने चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 67 | रेल मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से संबंधित पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के समान वेतनमान दिए जाने चाहिए और इन्हें समुचित पदोन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 68 | रेल मंत्रालय की तीन आधिकारिक वेबसाइट मौजूद होने के कारण कई बार भ्रामक स्थिति पैदा होती है। अत: स्थिति स्पष्ट करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा | रेल मंत्रालय यह सुनिश्चित करें कि सभी वेबसाइट सदैव पूर्णत: द्विभाषी रूप से उपलब्ध रहे। |

| | | |
|---|---|---|
| | अपनी एक आधिकारिक वेबसाइट को ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए और उसे पूर्णत: द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। | |
| 69 | सभी रेल टिकटों में पूरी जानकारी द्विभाषी रूप में ही दी जानी चाहिए ताकि हिंदी पढ़ने समझने वाले जन साधारण को असुविधा न हो। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 70 | रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए सभी विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए और विभिन्न रेल गाड़ियों के डिब्बों के अंदर और बाहर दिए जाने वाले विज्ञापनों में हिंदी को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। विशेषकर रेलवे स्टेशनों और रेलवे के परिसर में विज्ञापन संबंधी बैनर, होर्डिंग्स आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी होने चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 71 | रेलवे बोर्ड द्वारा सभी निविदाओं की सूचना एवं फार्म द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाने चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 72 | हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विदेश मंत्रालय का एक समयबद्ध कार्य योजना बनाकर उसे निष्पादित करना चाहिए। | यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि विदेश मंत्रालय हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए वित्तीय खर्च का अनुमान लगाकर कार्य योजना तैयार करने पर विचार करे। |
| 73 | सभी पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट प्रपत्र द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे तथा आवेदकों द्वारा हिंदी में भरे हुए प्रपत्र स्वीकार किए जाएंगे। जारी किए गए सभी पासपोर्टों में संपूर्ण प्रविष्टियां हिंदी में भी की जानी चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 74 | मंत्रालय की वेबसाइट पर पासपोर्ट एवं वीजा संबंधी विस्तृत जानकारी एवं अन्य सूचना हिंदी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 75 | विदेश मंत्रालय के विदेशों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों/दूतावासों इत्यादि में हिंदी के पदों का सृजन किया जाना चाहिए। जिन कार्यालयों/दूतावासों में हिंदी के पद रिक्त पड़े हुए हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र भरा जाना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 76 | विदेश सेवा के अधिकारियों को संघ सरकार की राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियम और अधिनियम | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| | की पर्याप्त जानकारी देने के लिए उनके प्रशिक्षण पाठयक्रम एन इन्हें शामिल किया जाना चाहिए | |
| 77 | विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'इंडिया पर्सपेक्टिवस' नामक उत्कृष्ट पुस्तक के अंक हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करणों की समान संख्या प्रकाशित की जानी चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 78 | सभी पासपोर्ट कार्यालयों में प्रयोग में लाए गए कंप्यूटरों पर हिंदी में काम करने की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए, विशेषकर कंप्यूटरों पर कार्य मुख्यतया हिंदी में ही किया जाना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 79 | राजभाषा नीति का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 80 | एअर इंडिया और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. द्वारा सभी टिकटों पर हिंदी का समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 81 | मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित वेतनमान एवं पदोन्नति के उचित अवसर दिए जाने चाहिए और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 82 | भविष्य में समिति की राजभाषा संबंधी सभी निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 83 | मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में अप्रशिक्षित कार्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा रिक्त पड़े हुए हिंदी पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 84 | मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को समयबद्ध प्रशिक्षण देकर इन्हें हिंदी कार्यशालाओं में नामित किया जाना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 85 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली में निर्धारित मानदंडों के अनुसार हिंदी का एक पद | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| | सृजित किया जाना चाहिए और अकादमी की संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री हिंदी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। | |
| 86 | नैसिल द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं "स्वागत" और "नमस्कार" के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों की सामग्री एवं उनकी प्रतियां समान होनी चाहिए ताकि सभी यात्रियों को इन लोकप्रिय पत्रिकाओं का हिंदी संस्करण आसानी से उपलब्ध हो सके। | संस्तुति संख्या 58 पर पारित आदेशानुसार कार्रवाई हो। |
| 87 | मंत्रालय और इसके सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए और वेबसाइट को अद्यतन करते समय हिंदी के पृष्ठों को भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 88 | समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय हिंदी विज्ञापनों पर करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। | संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड - 8 की सिफारिश सं० 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड - 9 की सिफारिश सं0 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है की मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। |
| 89 | आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा हिंदी के सभी अनुवादक-सह-उदघोषकों को नेपाली, फ्रेंच एवं अन्य विदेशी भाषाओं के अनुवादक-सह-उद्घोषकों के समान वेतनमान दिया जाना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 90 | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय नामत: भारतीय जनसंचार संस्थान में कार्यरत हिंदी अधिकारी को छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप वेतनमान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार मंत्रालय के एक अन्य अधीनस्थ कार्यालय भारतीय प्रेस परिषद में कार्यरत हिंदी का कार्य देख रहे कर्मचारी को नियमानुसार समुचित पदोन्नति दी जानी चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 91 | देश भर में स्थित विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों एवं | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| | दूरदर्शन केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत इनमें लंबे समय से रिक्त पड़े हिंदी पदों को प्राथमिकता आधार पर भरा जाना चाहिए। | |
| 92 | आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के सभी केन्द्रों द्वारा हिंदी में प्रसारित कार्यक्रमों की अवधि निश्चित की जानी चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 93 | प्रकाशन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं कार्यालयों के लिए मूल नियमों एवं अनुपूरक नियमों के संकलन का हिंदी प्रकाशन किया जाना चाहिए और इसे सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।<br>राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार कार्रवाई की जाए। |
| 94 | मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा देश में आयोजित किए जाने वाले सभी फिल्म समारोहों में प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों की हिंदी में डबिंग/सबटाइटलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उत्कृष्ट फिल्मों के जरिए दर्शकों को हिंदी से जोड़ा जा सके। | फिल्म डबिंग यूनिट बंद हो जाने से यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है। |
| 95 | मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्मित क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की हिंदी में डबिंग/सबटाइटलिंग कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही, निगम द्वारा फिल्म निर्माण संबंधी अपने उपनियमों में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि निगम द्वारा निर्मित फिल्मों के निर्माण के प्रथम चरण में फिल्मों की पटकथा हिंदी में भी तैयार की जा सके और सभी संबंधितों को सुलभ कराई जा सके। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 96 | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले सभी कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र आदि को विभाग की वेबसाइट पर हिंदी में भी तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और वेबसाइट पर दी गई सचना को अद्यतन करते समय इसके हिंदी पाठ को भी उसी समय अद्यतन किया जाना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 97 | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सभी कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र आदि का संकलन प्रकाशन विभाग के माध्यम से प्रकाशित कराया जाना चाहिए और इसे सर्वसलभ बनाया जाना चाहिए। | यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अपने सभी कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र आदि को द्विभाषी रूप में सर्वसुलभ कराएगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 98 | लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का अधीनस्थ संगठन है जो प्रशासन एवं लोक नीति के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत का अग्रणी संस्थान है जिसका मुख्य कार्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शत प्रतिशत प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध करायी जानी चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 99 | समिति का सुझाव है कि अकादमी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों को अन्य विषयों के साथ-साथ संघ सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के विषय में भी प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करे, ताकि सभी अधिकारी अपनी नियुक्ति वाले कार्यालय में राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन की निगरानी स्वयं कर सकें। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 100 | कर्मचारी चयन आयोग द्वारा देश भर में स्थित विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पड़े हुए हिंदी पदों को तत्काल भरने के लिए ठोस एवं कारगर कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 101 | कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित अंतर्विभागीय परीक्षाओं में हिंदी भाषा का विकल्प चुनने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए भाषा ज्ञान संबंधी प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में देना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 102 | एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कर्मचारी चयन आयोग के अधीन इनके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षण दिलवाया जाए तथा इन कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 103 | संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं में हिंदी भाषा का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसका कारण परीक्षाओं का तकनीकी विषय होना बताया गया है। समिति इसे स्वीकार करने से इंकार करती है और यह सुझाव देती है | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| | कि प्रतिभाशाली हिंदी भाषी परीक्षार्थियों को समुचित अवसर देने के लिए आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए। | |
| 104 | केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रबंधकीय नीति का निर्धारण करने एवं इन उद्यमों के लिए वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति हेतु सरकार को सलाह देने के लिए गठित सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा सभी विज्ञापन द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाने चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 105 | सर्वोच्च राजकीय पदों पर बैठे सभी को, विशेषकर जिन्हें हिंदी बोलनी और पढ़नी आती है, वे अपने भाषण/वक्तव्य हिंदी में ही दें या पढ़े इसका आग्रह करना चाहिए। इस श्रेणी में राष्ट्रपति सहित सभी मंत्री आते हैं। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 106 | संसद में हिंदी या मातृभाषा का उपयोग करने के संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद, 120(2) का पालन कराने के लिए योग्य पहल करनी चाहिए। | यह सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है। |
| 107 | अंग्रेजी के प्रभुत्व को (उपयोग को नहीं) जड़ से समाप्त करने, हिंदी या मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा न देने वाली शालाओं को शासकीय मान्यता नहीं देनी चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है। |
| 108 | केन्द्रीय कार्यालयों में काम चाहने वालों को पद के अनुसार हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा उतीर्ण करने का प्रावधान करना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है। |
| 109 | विज्ञापनों पर खर्च संबंधी नियमों को अधिक कठोरता से पालन कराने का प्रावधान करना चाहिए। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 110 | राजभाषा अधिनियम का अनुपालन नहीं करने पर दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए। "क" और "ख" क्षेत्रों के लिए दण्ड का प्रावधान अनिवार्य हो। "ग" क्षेत्र के लिए प्रोन्नति में विशेष अंक देने की व्यवस्था की जाए। | यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है। |
| 111 | सभी सरकारी उपक्रमों, सरकारी अनुदान पाने वाली संस्थाओं, सार्वजनिक सेवा में लगी निजी कंपनियों तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी के पत्र और पत्रिका को | यह संस्तुति केंद्र सरकार के कार्यालयों में लागू करने के लिए स्वीकार की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| | अनिवार्य किया जाए। अंग्रेजी से उनकी संख्या अधिक हो। संख्या पर जोर दिया जाना चाहिए। | |
| 112 | सरकारी प्रेसों में जो भी छपाई हो उसमें हिंदी की संख्या आधे से अधिक हो | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |
| 113 | सभी भारतीय हवाई जहाजों पर हिंदी के पत्र और पत्रिका आधा जरूर रहें। विमानों में हिंदी की घोर उपेक्षा की जाती है। सभी उद्घोषणा हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में हो। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। नागर विमानन मंत्रालय सरकारी विमानन कंपनियों में इसे लागू करना सुनिश्चित करें। |
| 114 | सभी कम्पनियों के उत्पादों पर हिंदी में विवरण दिये जाये और उनके नाम देवनागरी में भी लिखा जाए। | यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि सरकारी या अर्द्धसरकारी सभी कंपनियों/ संगठन/संस्थान इसका पालन करें। |
| 115 | सभी सार्वजनिक स्थलों पर सूचनापट पर या नामपट्ट देवनागरी में लगाया जाए। सभी सरकारी अर्द्धसरकारी और निजी कार्यालयों के नामपट देवनागरी में रहें, नीचे अंग्रेजी में लिखा जाए। | इस विषय में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11(3) व इस विषय पर राजभाषा विभाग दवारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। |
| 116 | जिन कम्पनियों में जनता का शेयर और सरकार का शेयर लगा है उसमें हिंदी का प्रयोग राजभाषा अधिनियम के अनुसार अवश्य हो। | यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जा सकती है। |
| 117 | अनुलग्नक-3 पर राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए सुझावों पर समिति का मत है कि राजभाषा विभाग उक्त सुझावों के कार्यान्वयन के लिए द्रुत गति से कार्य करे। | यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। |

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत के विधि आयोग तथा बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया आदि को भेजी जाए।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाया जाए।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या 20012/01/2017-रा.भा.(नीति) दिनांक: 31 मार्च, 2017

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को भी सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें।
2. भारत की सभी राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, नई दिल्ली।
9. बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
10. विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग, नई दिल्ली। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को देश के सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें।
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
12. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
13. भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्यलय, नई दिल्ली।
14. बैंकिंग प्रभाग आर्थक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवनदीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
15. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उद्योग मंत्रालय, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
16. योजना आयोग, नई दिल्ली।
17. निदेशक, जन संपर्क (गृह), प्रेस सूचना का कार्यालय, नई दिल्ली।
18. संसद का पुस्तकालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
19. संयुक्त निदेशक (पत्रिका), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ('राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ)।
20. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ('ब्यूरो वार्ता' में प्रकाशनार्थ) तथा इसके अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र।
21. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ('अनुशीलन में प्रकाशनार्थ) तथा इसके उप-केंद्र तथा हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय।
22. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति, नई दिल्ली।
23. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
24. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, कम्यूनिटी सेंटर, झंडेवालान, नई दिल्ली।
25. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली।
26. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेक्स/अनुभाग।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(For Publication in the Gazette of India, Part-I both in Hindi and English in diglot form)

No. 20012/1/2017-O.L.(Policy)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language
******************************************

4th Floor, B-Wing, NDCC-2 Building,
Jai Singh Road, New Delhi
Date : 31st March, 2017

## RESOLUTION

20012/01/2017-OL(Policy) : The Committee of Parliament of Official Language was constituted in 1976 under the Section 4(1) of the Official Language Act, 1963, The Committee submitted ninth part of its Report to the President on 02.06.2011 relating to Ministry-wise/Region-wise assessment of the use of Hindi, on basis of review of the compliance of the section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 and rule 5 of the Official Language Rules, 1976 relating to correspondence in Hindi, publication, code-manual and training etc. in Hindi, purchase of Hindi books in Central Government Offices, computerization and Hindi, compulsory provisional of Hindi knowledge in recruitment rules, availability of Hindi medium in academic and training institutions, expenditure on Hindi advertisements and use of Hindi for commercial activities etc. in accordance with Section 4(3) of the Official languages Act, 1963, the Report was laid in the Table of the Lok Sabha and Rajya Sabha on 30.08.2011 respectively. Copies of the Report were sent to all Ministries/Departments of the Government of India and to all State/Union Territories. After considering the views expressed by the State/Union Territory Government and various Ministries/Departments, it has been decided to accept most recommendation in toto and some with modifications after getting their views. Accordingly, the undersigned is directed to convey the Orders of the President made under section 4(4) of the Official Languages Act, 1963 on the recommendations made in the ninth part of the Report of the Committee as under:

| Sr. | Recommendation | President's Order |
|---|---|---|
| 1 | The Committee has observed that the recommendations prepare with collective wisdom are not being deeply analyzed by the Department of Official Language. Thus, effective orders are not being issued on the recommendations made by the committee due to which fruitful results are not achieved. Therefore, the Committee suggests that the Department of Official Language before issuing final orders on the recommendations may hold discussions with the Committee. After issue of | This recommendation is accept in principle. The Department of Official Language will discuss issues with the Committee, wherever necessary. The Department of Official Language is committee for timely implementation of the President's order on the Committee's recommendations. |

| | | |
|---|---|---|
| | orders, the Department of Official Language may pursue their implementation in all Ministries/Departments of the Government of India, in a time bound manner. | |
| 2 | The recommendations made in the previous eight parts which have not been accepted or accepted with modifications should be reviewed and appropriate orders issued in keeping with recommendations. | This recommendation is accepted. |
| 3 | The situation has improved in Ministry/Departments where more that 25% of officers/employees were found to be untrained in eight part of the report but in Ministries/Departments where training work is almost complete at that point of time, number untrained officers/employees has again increased. Taking a serious note of this, the committee recommends that the Ministries/Departments should pay special attention to the training work so that it gets completed at the earliest. The Department of Official Language too should pay special attention so that the training gets completed within one year. Newly recruited personnel not having working knowledge of Hindi should be sent on training by the Government immediately after recruitment. | This recommendation is accepted. |
| 4 | The committee recommends that the Department of Official Language should make their monitoring machinery more effective and should pay special attention on increasing the percentage of Hindi correspondence in Ministry/Department. It should not decrease. | This recommendation is accepted. |
| 5 | The Committee found that more that 50% of the work is being done on computer in 11 Ministries/Departments. In the Ministry of External Affairs and Department of Science and Technology work on computers is less than 20%. Hence, the Committee recommends that all Ministries/Department should immediately provide facility of bilingual computers and should train officials working on computers so that they can work in Hindi also. | This recommendation is accepted. |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | It has also come to the knowledge of this Committee that guest faculty called for Hindi workshops by some Department/ Ministries etc. are paid honorarium at a lesser rate than paid to the guest faculty called for other subjects. The honorarium paid for guest faculty for Hindi workshops should be at par with the honorarium paid for other subjects. | This recommendation is accepted. |
| 7 | Secretary (Department of Official Language) should take up the matter of violation of Rule 5 of the Official Language Rules, 1976 with the Secretaries of the concerned Ministries/Department. | This recommendation is accepted. |
| 8 | Secretary (Department of Official Language) should take up the matter of violation of section 3(3) with the Secretaries of the concerned Ministries/Departments. | This recommendation is accepted. |
| 9 | Stress should be given on providing training to officials knowing Hindi so that they can do their official work in Hindi. For this purpose, desk training can prove to be effective. This effort should be geared up especially in 'A' and 'B' regions. In region 'C' firstly the officials must be given Hindi training in a time bound manner. | This recommendation is accepted. |
| 10 | To maximize use of Hindi on the computers, Department of Official Language should make arrangements for providing training to the officials in collaboration with Hindi Teaching Scheme. | This recommendation is accepted. |
| 11 | The senior most officer of every office should be assigned the responsibility to review the work done in Hindi by his subordinate officers on any day of the last week of every month in order to achieve the target of correspondence in Hindi by the office. The senior most officer may fix targets for doing work in Hindi in the next month and give directions to the official regarding the works to be accomplished in Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 12 | The Committee also recommends that Hindi posts lying vacant in various offices may be filled without delay. | This recommendation is accepted. |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Appropriate steps should be taken to make available training material in bilingual in all training institutes. | This recommendation is accepted. |
| 14 | In every office Official Languages Implementation Committee (OLIC) should improve its execution and in each meeting of OLIC aforementioned issues may be reviewed and accordingly appropriate action should be taken. | This recommendation is accepted. |
| 15 | In the Annual Confidential Report of officers/employees of all cadres two columns mentioned below may be incorporated:<br>(a) What is the target set for the officer/employee to work in Hindi.<br>(b) To what extent has the officer/employee succeeded in achieving this target. In this regard senior officer may give his remarks. | This recommendation is accepted. |
| 16 | To make the monitoring machinery effective the Committee recommends that an proforma (related to Official Language) should be prepared and whenever an officer (including senior most officers) visits an office on tour or for conducting inspections, he should invariably conduct and Official Language inspection of that office and fill the above mentioned proforma. It should be ensured that every office is inspected at least once every year by some higher authority. This inspection can be conducted by Ministry/Headquarter, any higher level office or by the Department of Official Language. | This recommendation is accepted. |
| 17 | So far as monitoring is concerned it should be ensured that all the four meetings of the Official Language Implementation Committee are convened in all the offices and progress of Official Language in all the sections of the office is monitored in the meetings. | This recommendation is accepted. |
| 18 | All the Ministries/Headquarters should ensure that each big and small office, bank, undertaking, institute, tribunal etc. under that administrative control become member of the TOLIC in their respective towns. | This recommendation is accepted. |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | The Department of Official Language should make arrangements to incorporate the following items in the inspection proforma as well as Quarterly Progressive Report proforma made for the assessment of progressive use of Hindi in the Central offices:<br>(a) Whether TOLIC has been set up in your town?<br>(b) Is your office a member of this TOLIC?<br>(c) If yes, the name and designation of the officer participated in the last meeting (date) of the TOLIC.<br>(d) If not, why the membership of TOLIC has not been obtained so far? | This recommendation is accepted. |
| 20 | There should be mutual cooperation and proper coordination. If there is no Hindi Officer posted in the office of the Chairman of TOLIC, the responsibility of the Member Secretary of the Committee may be assigned to a competent and experienced Hindi Officer of another office from the town. An officer other than the Hindi officer should not be assigned the responsibility of Member-Secretary of the TOLIC. | This recommendation is accepted with the modification that in case there is no Hindi Officer posted in the office of the Chairman of TOLIC, then the Chairman should nominate an officer having working knowledge of Official Language policy and implementation from the TOLIC office or from another office of the town. |
| 21 | With regard to the amount incurred on organizing the meeting of TOLIC, the recommendation of the Committee made in the eight part of its report must be implemented immediately. Further the amount being provided for organizing the meetings should be increased by 15% every year. | This recommendation is accepted with the modification that the amount incurred on organizing the meetings of TOLIC will be reviewed and revised from time to time. |
| 22 | At least one Hindi post may be created in all the Central Govt. Offices for implementation of the Official language Policy. The concept of creation of minimum Hindi posts to implement the official language policy must be implemented with immediate effect. | This recommendation is accepted. |
| 23 | Any post of Hindi remaining vacant for more than a year, should not be abolished. | This recommendation is accepted. |
| 24 | A conference meeting comprising Secretary, Department of Official Language, Chairman TOLIC and Member Secretary may be organized every year in region A, B & C by the Department of Official Language to exchange views with each other. | This recommendation is accepted. |

| | | |
|---|---|---|
| 25 | The information regarding TOLIC meetings, participation of Head of offices, the attendance of officers of Regional Implementation Offices in the meeting etc. may be provided to Department of Official Language so that TOLICs can be monitored and objective of these committees are achieved. | This recommendation is accepted. |
| 26 | As more and more TOLICs are being constituted all over the country, the number of Regional Implementation Offices and its officials must be increased in the same ratio. | This recommendation is accepted. |
| 27 | The Committee suggests that a standard font should be developed which can be used easily universally and that should be loaded in all softwares. In addition, a standard Key-board too should be finalized and loaded in all softwares. | This recommendation is accepted. |
| 28 | The Committee is of the opinion that the NIC should accept only those data/materials for developing website which is submitted to them in bilingual form. | This recommendation is accepted with modification that under the direction of Head of Office/ Department, the web Information Managers of Ministries/ Departments/Offices should ensure that the data/material made available to them for uploading should be in bilingual form. |
| 29 | An awareness program should be started by Ministry of Information Technology in all the Ministries of the Government of India regarding availability of software developed by C-DAC. These Ministries will further spread knowledge about it in their subordinate offices and concerned offices. This should include salient features, utility and price of software packages. | This recommendation is accepted. |
| 30 | Training should be imparted to consumers about various specialties and utilities of a software package. It is not possible to train consumers individually but the software developing bodies like Ministry of Information Technology or C-DAC may consider launching training program for Trainers from Ministries/Departments so they can further impart training to consumers in Offices/Departments. | This recommendation is accepted. |

| | | |
|---|---|---|
| 31 | Therefore, it is suggested that all the software developers (C-DAC and others) should start a process of feedback and on that basis should bring a change in its product according to their need so that lacuna, if any, can be removed. | This recommendation is accepted. |
| 32 | A special training programme on the above subjects including practical classes should be conducted by the Department of Official Language for the personnel of the Central Secretariat Official Language Services in the first instance; other Hindi officers should be similarly trained thereafter. | This recommendation is accepted. |
| 33 | Ministry of Human Resource Development should make serious efforts to make Hindi Language compulsory in curriculum. As a first step, Hindi should be made a compulsory subject upto tenth standard in all school of CBSE and Kendriya Vidyalaya Sangathan. | This recommendation is accepted in principle. Union Government should form a policy in consultation with State Government. |
| 34 | To give autonomy in the fields of higher studies to Higher Educational Institutes some laws have been framed by the Central Govt. and State Govts. In Parliament and in the Legislative Assemblies of the state under which, in some Universities and Higher Educational Institutes, English is the only medium of instruction. In this regards, a uniform policy should be followed in all parts of the country. The Ministry of Human Resource Development should work out an action plan for implementing Hindi teaching scheme in all Universities/Higher Educational Institutes and initiate the process of implementing a common law and table it before both the Houses of Parliament. | This recommendation is accepted. |
| 35 | Ministry of Human Resource Development should take note of such Universities and higher educational institutes where there are no Hindi Departments. It should encourage them to establish Hindi Departments so that these departments could extend help in imparting education through Hindi medium. | This recommendation is accepted. |

| | | |
|---|---|---|
| 36 | The universities and Higher Educational Institutes situated in non-Hindi speaking states where the students are not given an option for Hindi to appear in exams/interviews must be given an option to answer in Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 37 | The financial aid given to the voluntary Hindi institutes is only for name sake and the Ministry of Human Resource Development should take effective steps to increase this grant. | This recommendation is accepted. |
| 38 | The reading material and the text books of technology should be prepared in Hindi by specialists of the subject who have knowledge of Hindi and they should be responsible to make available reading material and text books in Hindi in the correct form so that there is no possibility of mistakes. | This recommendation is accepted. |
| 39 | At school level, degree level and especially at Post Graduate level very less reading material is available in Hindi as compared to material available in English. If teaching and training material is made available in simple Hindi this will be helpful to the students of Hindi medium and in this way they can compete with the students of English medium. | This recommendation is accepted. |
| 40 | Original books on science should be written in simple Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 41 | Hindi writers and translators may be recruited for technical subjects and universities may be selected to teach Hindi to foreign students. | This recommendation is accepted with modification that Union Government should promote writing of Hindi book on technical subjects. |
| 42 | During various inspections, oral evidences and discussion programmes the Committee has arrived at the conclusion that some difficulties are being faced in the practical usage of some of the difficult words in Hindi. Thus, to enable the reader to grasp the language easily and for its practical usage "English words may be transliterated in Hindi and replaced for difficult Hindi words in Hindi text books and glossaries". | This recommendation is accepted. |

| | | |
|---|---|---|
| 43 | Different Hindi synonyms for various scientific and technical English words are being used which causes problems in the implementation of Hindi. To overcome this problem standard terminologies are required to be prepared so that there is uniformity in Hindi synonyms of various scientific & technical words in English and complicated scientific & technical subjects are presented easily in Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 44 | It is recommended that a minimum level of Hindi education be fixed in all the educational institutions. | This recommendation is accepted. |
| 45 | Option of attempting question papers through Hindi medium should be given to be candidates in the recruitment to Central Government services. | This recommendation is accepted. |
| 46 | A minimum level of knowledge of Hindi for all services should be fixed. | This recommendation is accepted. |
| 47 | A proposal for making Hindi education compulsory up to class tenth should be introduced in the Parliament. | This recommendation is accepted with modification that Hindi subject be made compulsory up to class tenth in Region 'A'. In this regard Union Government should formulate a policy after consultations with the State Governments. |
| 48 | The Committee reiterates its recommendation of at least 50% of total expenditure on any form of advertisement to be incurred on Hindi advertisements and remaining 50% on Regional Languages and English Language. | In supersession of the recommendation no. 70 of Part 8 of the recommendations of Committee of Parliament on Official Language, the recommendation no. 48 and 88 of Part 9 is accepted with modification that any advertisement given by any Ministry / Department / Office / Subordinate Office etc. in English or Regional Language, has to be compulsorily give in Hindi language. |
| 49 | As far as possible strictly adhere to advertising in Hindi and Regional Languages only. | This recommendation is accepted. |
| 50 | Where it is mandatory to issue advertisement bilingually, the same may be issued in the diglot form. | This recommendation is accepted. |

| | | |
|---|---|---|
| 51 | To counter the higher cost, the advertisements in Hindi Newspapers may be given prominently with bigger size at starting pages and that in English Newspapers at relatively smaller size and in middle or ending pages. | This recommendation is accepted. |
| 52 | The Committee is of the opinion that Scientific/Research and other Research Institutions spend a large amount on purchase of books. If this exemption continues the major portion of library budget will be spent on the purchase of the Journals and reference books spent and will adversely affect the purchase of Hindi books. This will be a deviation from the original purpose. Therefore, clear orders in this regard may be Issued that in any case 50% out of the total amount for purchase of books should be used for the purchase of Hindi books. The Committee recommends that in the offices where library budget is not allocated, minimum 1% of the Office Expenditure Head may be spent on the purchase of Hindi books. It is also to be kept in mind that 50% of total library budget or 1% of the total Office Expenditure Head, whichever is more, may be spent on purchase of Hindi books. | This recommendation is accepted with modification that after spending on journals and reference books from the library budget, 50% of the balance amount or 1% of office Expenditure Head whichever is higher, is to be spent on purchase of Hindi books. |
| 53 | Original book writing scheme should be made more attractive and prize amount should be increased. | This recommendation is accepted |
| 54 | There are many Government officials who are engaged in creative writing in Hindi and are contributing immensely in enriching Hindi literature. The Committee suggests that such talented officials may be given encouragement or promotion. | This recommendation is accepted with modification that special incentive should be given to Government Officials engaged in creative writing in the field of Hindi literature. |
| 55 | Translation of good English books should be encouraged and a scheme should be proposed. This may be called "Outstanding Translation Scheme". | This recommendation is accepted |
| 56 | The Committee recommends that 'book clubs' should be set up through welfare clubs in all the Ministries/Departments/Offices of the Central Government. | This recommendation is accepted. |

| | | |
|---|---|---|
| 57 | The Committee recommends that the Time Table published by Air India should be printed bilingually so that the stipulated Rule in this regards doesn't get fiouted. | This recommendation is accepted. |
| 58 | The Committee recommends that the 'Swagat'\| published by Air India should be published bilingually in one bound. | This recommendation is accepted. 'Shubhyatra' pubished by Air India should be published bilingually in one bound. |
| 59 | The Committee recommends that the Department of Official Language after discussion with the concerned Ministries/Departments should consider adding a new column in the ACR referring to the ability of creative writing in Hindi. | This recommendation is not accepted. |
| 60 | The Committee is of the view that House Journals should be published in Hindi and in the regional language of the concerned region so that government officials capable of writing in their regional language may also get encouragement and opportunity to show their talent. | This recommendation is accepted. |
| 61 | In future the Ministry of Railways should purchase and bring in use only those electronic equipment which have the facility of working on Devnagari. The facility of working in Devanagari should be made available without delay on telex, computers, and word processors etc which at present are only in Roman. | This recommendation is accepted. |
| 62 | Newly created and vacant Hindi posts should be filled up urgently. | This recommendation is accepted. |
| 63 | The Hindi computing foundation is doing a praiseworthy work on imparting the knowledge of Hindi language to officers and employees, teaching Hindi on computers and developing a software on Hindi for ensuring the maximum use of Hindi in Central Government offices especially Railway Department. This institute should be strengthened by the Ministry of Railways by giving it financial aid so that by the use of self developed technology the dependence of the Ministry on outsourcing could be stopped. | This recommendation is not accepted due to Hindi computing foundation being defunct. |

| | | |
|---|---|---|
| 64 | The Hindi software being used in Railway Board and its various subordinate offices situated all over the country should be standardized | All Ministries/Departments should use Unicode supported fonts. |
| 65 | Announcements should be compulsorily made in Hindi besides English and Regional languages in Railway stations all over the country especially in the states of 'C' region. | This recommendation is accepted |
| 66 | The names and other details of products manufactured by the undertakings/factories of Ministry of Railways should be written both in Hindi and English. | This recommendation is accepted. |
| 67 | All officers/staff related to Official Language\|. Hindi working in the Ministry of Railways and all its subordinate offices should be given pay scales equivalent to officers/staff working in other Ministries of the Government of India on similar posts and they should be given optimum opportunities of promotions. | This recommendation is accepted |
| 68 | At present there are three official websites of the Ministry of Railways which create confusion at times. Therefore, to make the position clear the Ministry of Railways should use only one official website and make it fully available in bilingual form. | Ministry of Railways should ensure that its website remains fully available in bilingual form at all times. |
| 69 | Information on all Railway tickets should be provided in bilingual form so that there is no inconvenience to those knowing Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 70 | All advertisements given by the Ministry of \| Railways should be issued in bilingual form and Hindi should be given its proper place on all advertisements being given inside and outside the coaches of trains. Especially the banners, hoardings etc regarding advertisements at Railway stations and Railway compounds should be compulsorily in bilingual form. | This recommendation is accepted. |
| 71 | Information on all quotations and forms should be published in bilingual form by the Railway board. | This recommendation is accepted. |
| 72 | MEA should chalk out a time bound programme for making Hindi the Official Language of the United Nations. | This recommendation is accepted with modification that MEA should work on preparing a plan with budget estimates for making Hindi the Official Language of the United Nations. |

| | | |
|---|---|---|
| 73 | Bilingual forms should be made available by all passport offices and forms filled in Hindi by applicants should also be accepted. Entries should also be made in Hindi in all passports being issued | This recommendation is accepted. |
| 74 | Information regarding passport and visa should also be made available in Hindi on the official website of the Ministry. | This recommendation is accepted. |
| 75 | Posts of Hindi should be created in subordinate offices/Embassies etc of the MEA situated in foreign countries. Vacant posts of Hindi in offices/embassies should be filled as quickly as possible. | This recommendation is accepted. |
| 76 | To make the Foreign Service officers well versed with the Official Language policy of the Union and the Official Language Act and Rules, these should be included in their training programme. | This recommendation is accepted. |
| 77 | Copies of the book titled 'India Perspective" published by the MEA which is an outstanding publication should be published with equal editions in Hindi and English. | This recommendation is accepted. |
| 78 | The facility of working in Hindi should be ensured on computers being used in all passport offices, and work on computers should also be done mainly in Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 79 | In order to ensure 'the implementation of official Language policy, the Ministry and all offices under its control must make the optimum utilization of its human resources. | This recommendation is accepted. |
| 80 | Maximum usage of Hindi should be ensured on all tickets of Air India and Pawan Hans Helicopters. | This recommendation is accepted. |
| 81 | All officers/staff of Official Language should be given suitable pay scales and equal opportunities of promotion should be made available to them and there should be no discrimination against them. | This recommendation is accepted. |
| 82 | In future a Joint Secretary level officer must represent the Ministry in all the inspection meetings. | This recommendation is accepted. |

| | | |
|---|---|---|
| 83 | A time bound programme should be made to train all the untrained staff In Hindi and also fill in all the vacant posts of Hindi at the earliest in all subordinate offices of the Ministry. | This recommendation is accepted. |
| 84 | The remaining officers/staff should be nominated to Hindi workshops for time bound training | This recommendation is accepted. |
| 85 | One post of Hindi should be created at Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy, Raibareilly as per the specified rules and all training material of the Academy should be provided in Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 86 | The material and number of copies of the magazine 'Swagat' and Namaskar published by NACIL should be equal in Hindi and English so that the Hindi copies of these magazines are easily available to all passengers. | To be implemented as per Order or recommendation no. 58. |
| 87 | The website of the Ministry and all offices under its control should be available in bilingual form and while updating the website pages of Hindi should also be compulsorily loaded there | This recommendation is accepted. |
| 88 | According to the recommendations of the Committee, all Ministries/offices should spend a minimum of 50% of the total amount of advertisements on Hindi advertisements. Requisite amendments should be made by the Ministry of Information and Broadcasting in their advertisement policy of Oct 2007 as per the above recommendation or the Committee. | In supersession of the recommendation no. 70 of Part 8 of the recommendations of Committee of parliament on official language, the recommendation no.48 and 88 of part 9 is accepted with modification that any advertisement given by and Ministry/Department/Office/Subordinate Office etc in English or Regional Language, has to be compulsorily given in Hindi language. |
| 89 | All translator-cum-announcers of Hindi should be given pay scales equivalent to those being given to translator-cum-announcers of Nepali, French and the foreign languages by the Directorate General of All India Radio. | This recommendation is accepted. |
| 90 | The Hindi officer working in the subordinate office of the Ministry of Information and Broadcasting namely IIMC should be given the pay scale as per the recommendations of the sixth Pay Commission. Similarly, the Hindi officer working in the Press Council of India, another subordinate office of the Ministry of Information and Broadcasting should be given due promotion as per rules. | This recommendation is accepted |

| | | |
|---|---|---|
| 91 | In view of the important role of AIR and Doordarshan Kendras located all over the country, the posts of Hindi Tying vacant for a long-time in these Kendras should be filled on priority basis. | This recommendation is accepted. |
| 92 | The time period of programmes being broadcast in Hindi by all Kendras of AIR and Doordarshan should be fixed | This recommendation is accepted. |
| 93 | The compilation of FR and SR should be published in Hindi for all Ministries and offices by the Publications Division and these should be made easily available. | This recommendation is accepted. To be implemented as per Rule 11 of Official Language Rules, 1976. |
| 94 | Hindi dubbing/sub-titling of all films being shown in all Film Festivals being organized in the country by NFDC Should be arranged so that the viewers could be linked to Hindi through good quality films. | This recommendation is not accepted due to Film dubbing unit getting defunct. |
| 95 | Arrangements should be made for dubbing/sub-titling in Hindi of films produced by NFDC in regional languages. In addition, the corporation should make amendments in its sub-rules regarding film production, so that in the first leg, the script of films can be written in Hindi also and made available to all concerned. | This recommendation is accepted. |
| 96 | All the office orders/ office Memorandums/ Circulars etc. being issued by the DOPT should Immediately be uploaded in Hindi on the Department's website and while upgrading the information given on the website, its Hindi version should also be upgraded simultaneously. | This recommendation is accepted. |
| 97 | The Compilation of all the office orders/office memorandums/Circulars etc. issued by the DOPT should be bilingually published through the Publications Divison and it should be easily made available. | This recommendation is accepted with modification that DOPT should make available bilingually all its office orders/office memorandums/Circulars etc. |

| | | |
|---|---|---|
| 98 | Lal Bahadur Shashtri National Administrative Academy is an organization under the control of the DOPT which is a pioneer institute whose main job is to import training to the trainee officers of the Indian Administrative Service. Therefore, cent percent training material of the Academy should be made available in bilingual form. | This recommendation is accepted. |
| 99 | The Committee suggests that in its training programme alongwith other subjects, the Academy should also make arrangements for giving training on the Official Language policy and the constitutional provisions of the Official Language so that all the officers can oversee the proper implementation of the Official Language policy in their offices of appointment. | This recommendation is accepted. |
| 100 | For filling the vacant posts of Hindi in different offices all over the country, the Staff Selection Commission should chalk out a workable programme and make arrangements for its proper implementation. | This recommendation is accepted. |
| 101 | In the inter-departmental examination conducted by the SSC, the English question paper should not be compulsory for Hindi stenographers. | This recommendation is accepted. |
| 102 | All officers/staff of all the regional offices under SSC should be given Hindi training in a time bound manner and these offices should be notified under rule 10(4) of the Official Language rule 1976. | This recommendation is accepted. |
| 103 | The option for Hindi medium is not being given to the candidates in all the exams conducted by UPSC citing the technical nature of the examinations. The Committee refused to accept this and suggests that all the talented Hindi language examinees should be given the option of Hindi in all the examinations to provide them a suitable chance. | This recommendation is accepted |
| 104 | All the advertisements should be published in bilingual form by the Public Enterprises Selection Board which has been formed to implement the Managerial policy in the Central PSUs and for advising the Government on appointments to Senior Managerial posts in these undertakings. | This recommendation is accepted |

| | | |
|---|---|---|
| 105 | All dignitaries including Hon'ble President and all the Ministers especially who can read and speak Hindi may be requested to give their speech/statement in Hindi only. | This recommendation is accepted. |
| 106 | Initiative should be taken in order to ensure compliance of Article 120 (2) of the Constitution which provides for use of Hindi or Mother Tongue in the Parliament. | This recommendation is not accepted. |
| 107 | In order to end the dominance of English (not its use), such schools should not be given recognition by the Government which do not impart education in Hindi or mother tongue. | This recommendation is not accepted. |
| 108 | There should be a provision for all the candidates willing to get employed in Central Government Offices to pass Hindi competitive exam in accordance with the post. | This recommendation is not accepted. |
| 109 | There should be a provision to ensure strict compliance of rules regarding expenditure on advertisements. | This recommendation is accepted. |
| 110 | There should be a provision for punishment for not complying to the Official Language Act. Such punishment should be obligatory in region 'A' & 'B'. Special marks should be awarded to officials working in region 'C. | This recommendation is not accepted. |
| 111 | Purchase of Hindi newspapers and magazines should be made mandatory in all Central Government Offices, public sector Undertakings, institutions funded by the Government, Private Companies engaged in public service. Stress should be given on the number of Hindi newspapers and magazines which should be more than that of English newspapers and magazines. | This recommendation is accepted for Central Government Offices. |
| 112 | When material is published in Government press, it should be ensured that Hindi material is more than half of the material. | This recommendation is accepted. |
| 113 | In all the Indian airplanes, half of the reading material should consist of Hindi newspapers and magazines. Hindi is grossly neglected by airlines. All the announcements should be made in Hindi followed by English. | This recommendation is accepted. Ministry of Civil Aviation should ensure the implementation in Government aviation companies. |

| | | |
|---|---|---|
| 114 | The details of the products of all companies should be provided in Hindi and the name of the products should be given in Devanagari as well. | This recommendation is accepted with modification that all Government/Semi-GovernmentCompanies/Societies/Institute should follow it. |
| 115 | Devanagari should be used on notice boards or name plates at all public places. Name plates of all Government offices, Semi Government offices and private companies should be in Devanagari and English may be used below. | It is to be implemented in accordance with Rule 11(3) of The Official Language Rules, 1976 and subsequent orders issued by the Department of Official Language in this regard. |
| 116 | Use of Hindi should be ensured in accordance with the Official Languages Act. In all the companies which have the share-holding of the Government or Public. | This recommendation is not accepted. |
| 117 | With regard to the suggestions given by the Department of Official Languages, (Annexure-III) the Committee is of the view that the Department of Official Language may take immediate action on the Same. | This recommendation is accepted. |

**(Dr. Bipin Behari)**
**Joint Secretary to the Government of India**

## ORDER

A copy of this Resolution be sent to all the Ministeries and Departments of the Government of India. All State Governments and Union Territories, the President's Secretariat, the Vice President's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Prime Minister's office, the Niti Aayog the Comptroller and Auditor General of India the Lok Sabha Secretariat the Rajya Sabha Secretariat, the Registrar General of Supreme Court, the University Grants Commission the Law Commission of India & the Bar Council of India etc.

This Resolution be published in the Gazette of India for general Intermation.

( Dr. Bipin Behari)
Joint Secretary to the Government of India

To,

The Manager
Government of India Press
Faridabad (Haryana)

No. 20012/1/2017-O.L (Policy) New Delhi, Dated: 31 March, 2017

Copy forwarded to :-

1. All Ministries/Departments of the Government of India for necessary action. They are also requested to bring this Resolution to the notice of their attached/subordinate offices. Undertakings, nationalized banks etc. under their control for information and necessary action.
2. All State Governments and Union Territories of India.
3. President's Secretariat, New Delhi.
4. Vice President's Secretariat, New Delhi.
5. Cabinet Secretariat, New Delhi.
6. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
7. The Registrar General of Supreme Court of India, New Delhi.
8. The Law Commission of India, New Delhi.
9. The Bar Council of India, New Delhi.
10. University Grants Commission of India, New Delhi. It is also requested to bring this resolution to the notice of all Universities of India for their information and necessary action.
11. The Union Public Service Commission. New Delhi.
12. The Election Commission of India. New Delhi.
13. Office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi
14. Banking Division, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street New Delhi.
15. Department of Public Enterprises Ministry of Industry, CGO Complex, New Delhi.
16. NITI Aayog, New Delhi.
17. The Director Public Reltions (Home). Office of the Press Information Bureau, New Delhi
18. Parliament's Library, Parliament House, New Delhi.
19. Joint Director (Patrika), Department of Official Language (for publication in Rajbhasha Bharati)
20. Director, Central Translation Bureau (for publication in Bureau Varta) & Translation training centres.
21. Director, Central Translation Bureau (for publication in Anusheelan) & its sub-centres and offices of the Hindi Teaching Scheme.
22. Committee of Parliament on Official Language, 11 Teen Murti Marg, New Delhi.
23. Kendriya Sachevalay Hindi Parishad, XY-68. Sarojini Nagar, New Delhi.
24. Chairman, Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, Community Centre, Jhandewalan, New Delhi.
25. Director (Official Language), Ministry of Home Affairs, NDCC-II, North Block, New Delhi.
26. All Officers/Desk/Sections of the Department of Official Language.

**(Dr. Bipin Behari)**

**Joint Secretary to the Government of India**